खण्ड-512, अंक-03
शनिवार, 31 श्रावण, शक संवत् 1942
(22 अगस्त, 2020 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2020)

(खण्ड-512 में 03 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2020

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रदेश में ध्वस्त कानून-व्यवस्था विषयक नियम-311 की सूचना सर्वप्रथम लिये जाने की मांग	7
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार ...	7-8
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	8
नियम-301 एवं नियम-51 के अन्तर्गत सभी सूचनायें स्वीकृत ...	8
दिनांक 21 अगस्त, 2020 की नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ...	8-12
जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र अमेठी के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	12-13
जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड उरूवा के अन्तर्गत कतिपय गांवों की जल निकासी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	13
कानपुर नगर की बिल्हौर और घाटमपुर का न्यायिक क्षेत्र कानपुर नगर लाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	13
प्रदेश में वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिसिया उत्पीड़न एवं अवैध वसूली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	14
जनपद पीलीभीत के पुलिस थाना-हजारा के प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	14-15
लोक निर्माण विभाग के राज्य सड़क निधि से सम्पर्क मार्ग के साथ-साथ लघु सेतु के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	15
जनपद आजमगढ़ में ग्राम अमुवारी नरायनपुर, ब्लाक आजमगढ़ के ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	15-16
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अवध डिपो में तैनात बस चालक स्व0 कृपाशंकर चौधरी की ऑन ड्यूटी सड़क दुर्घटना में मृत्योपरान्त पुत्र का लिपिक पद पर समायोजन एवं समस्त देयकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	16

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजीपुर के कतिपय ब्लाकों में पुल एवं सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	16-17
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित बालिका छात्रावास चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	17
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत नगराम-गंगागंज की जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	17-18
जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत कतिपय कालोनियों में जल-भराव की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	18
जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत वेंटीलेटर खरीद की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	18
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत टोंस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ के समय कतिपय ग्राम सभाओं में ठोकर न होने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	19
जनपद जालौन के विकास खण्ड डकौर के ग्राम सौमई के अन्तर्गत नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	19
जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अन्तर्गत सभी ग्राम सभाओं में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	19-20
जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत एस0बी0डी0 जिला चिकित्सालय के जर्जर भवनों/नालियों/शौचालयों का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	20
जनपद सुल्तानपुर के ग्राम कटराचुंगूपुर में निर्मित राजकीय महाविद्यालय को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	20
जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्वीकृत के0जी0एम0यू0 का सेटेलाइट सेन्टर खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	20
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार के प्रभारी को कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	21
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत बहगुल नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	21

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत मुंसिफ कोर्ट भवन का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	21-22
जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के अन्तर्गत भगलपुर से रेलवी चौराहा तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	22
जनपद मथुरा के अन्तर्गत निजी शिक्षा संस्थाओं में पॉलीटेक्निक के पाठ्यक्रम में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	22
जनपद झांसी में विश्व बैंक परियोजना के गरौठा से मोती कटारा मिसिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	22-23
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत एनवां एवं मकरही में विद्युत केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	23
जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	23-25
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	25
जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर के अन्तर्गत सराय अकिल से महिला ग्राम तक निर्मित मार्ग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	25-26
जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ग्राम बरानाबाग से चकरनगर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	26
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	26-27
प्रदेश में शासनादेश सं0-632/एक-13-11-20(29)2004 का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	27
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के परगना के अन्तर्गत ग्राम बरौत के राम खेलावन की भूमि पर ग्राम प्रधान द्वारा राजस्व अधिकारियों से अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	27-28

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत कुलभास्कर आश्रम पी0जी0 कालेज में प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त विगत वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	28
उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को 03/2016 ग्राम विकास अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चयन होने के बावजूद तैनाती न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	28-29
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में क्षतिग्रस्त पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	29-30
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा पीरपुर से मुंशीलाल निषाद के आवास तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	30
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लाक सठियांव के अन्तर्गत मुबारकपुर गैस एजेन्सी से एम0पी0 इण्टर कालेज तक मार्ग का निर्माण कराये के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	30
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत लिपोलिक भिंड मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम हुमायूंपुर इद्दू में सदर से तहमुल के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	31
प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र सहायता राशि उनके खातों में दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	32
पूर्व विधान सभा सदस्य, विधान परिषद एवं लोक सभा सदस्यों के दिवंगत हो जाने पर उनकी अन्त्येष्टि के समय राजकीय सम्मान दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	32
श्री अमित मेहरोत्रा, इंदिरानगर, लखनऊ के निवासी को मे0 याजदान कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा आवास आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	32-33

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत अवैध खनन सम्बन्धी अनुमति निरस्तीकरण, जुर्माना तथा जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	33
गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा शासनादेश संख्या-1428/आठ-8-2018-194/2001, दिनांक 09 अगस्त, 2018 को लागू करने से इन्कार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34
जनपद लखनऊ के विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में प्रयुक्त हो रहे बांस बल्ली के स्थान पर स्थाई पोल लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	34-35
जनपद बिजनौर के विकास खण्ड कोतवाली के राजस्व ग्राम से सेखपुरा तुर्क में सम्मिलित नारंगीचक नगीना अकबराबाद पी0डब्ल्यू0डी0 मार्ग के किनारे नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत विजवाहा से जुगराजपुर तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	35-36
श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, चकबन्दी लेखपाल व श्री दयानन्द चौहान, बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	36
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	36-37
जनपद हरदोई के अन्तर्गत ग्राम-औना, थाना-अतरौली, तहसील-सण्डीला में पुलिस प्रशासन की मिली भगत से अवैध शराब का निर्माण एवं बिक्री एवं कृषि योग्य भूमि पर किये जा रहे अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	37
जनपद बस्ती के तहसील रुधौली में संचालित बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल, अठदमा, रुधौली के द्वारा राजस्व अभिलेखों में हेरा-फेरी कर ट्रस्ट की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	38-39

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री यदुनाथ द्विवेदी, दफ्तरी (से0नि0), बी0एन0 इण्टर कालेज, भगवन्त नगर, हरदोई के रिटायरमेंट के बाद समस्त देयकों का भुगतान दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	39
प्रार्थी विनय कुमार मिश्र (लिपिक) शिव प्रसाद पाण्डेय, संस्कृत महाविद्यालय, कलेक्टरगंज, उन्नाव को वेतन दिलाने एवं अन्यत्र कहीं सम्बद्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	39-40
सहारनपुर नगर में दिनांक 30 जून 2020 को विद्युत विभाग की लापरवाही से हुई मौत में मृतक आशुतोष के परिवार को 25 लाख मुआवजा एवं मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत सैदपुर रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	40-41
जनपद झांसी के अन्तर्गत आराजी संख्या-1369 मि0 पर नगर निगम द्वारा की गई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	41
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत पूरब से पश्चिम बहुदा से गुमावा बार्डर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	41-42
प्रचलित उ0प्र0ज0वि0 व भू-लाभ अधिनियम, 1950 की धारा-143 के अन्तर्गत भूमि अकृषि घोषित होने के उपरान्त अनुसूचित वर्ग के लोगों के प्लाट विक्रय नियम के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के अन्तर्गत श्री सुनील कुमार के घर पर दबंग महिला द्वारा कब्जे किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42-43
जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत बालू खनन पट्टा धारकों के विरुद्ध विधि एवं नियमों के विपरीत गलत तरीकों से जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा वसूली अधिपत्र जारी किया गया है उसकी वसूली की कार्यवाही स्थगित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	43-44
जनपद कानपुर देहात में कानपुर शहर से सचेंडी होकर रूरा जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	44-45

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत डा0 संजय राय के घर से स्व0 श्री अली हुसैन के घर तक पोल तार, स्ट्रीट लाइट व 400 के0वी0 ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद बाँदा के अन्तर्गत बाईपास को नये सिरे से चौड़ीकरण कर ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45-46
दिनांक 22 अगस्त, 2020 की नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें ...	46-47
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत कतिपय ब्लाकों में पानी की टंकियों से पानी का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां को नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद मीरजापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत जिगना-मिश्रपुर का नाम शहीद रवि कुमार सिंह के नाम करने एवं विशेष मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	49-50
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत आवासीय भवनों/भू-खण्डों पर की जा रही उत्पीड़न की कार्रवाई को अविलम्ब रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50-51
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर के अन्तर्गत आडिटोरियम तथा कम्युनिटी सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत रमसगरा तालाब तथा बुद्धवन स्थित पक्का तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के अन्तर्गत गजरौला स्थित एम0डी0ए0 कालोनी की जर्जर सड़कों एवं जल-भराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	52

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के नगर पालिका परिषद लोनी में जल निकासी की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
उत्तर प्रदेश के बुनकारी व्यवसाय को फ्लैट रेट से बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53-54
जनपद श्रावस्ती के सभी विकास खण्डों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के कुल सचिव के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54-55
जनपद बरेली में एम्स स्तर का सरकारी अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56
स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं शासन के कतिपय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56-57
जनपद अयोध्या में किसानों को तत्काल ऋण मोचन योजना के धन आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
जनपद आगरा के आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत शिवम धाम कालोनी का रास्ता एवं गेट खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57-58
जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड नारखी अन्तर्गत ग्राम पंचायत नारखी ताल्लुका एवं नारखी धौंकल में मानक से अधिक फ्लोराइड युक्त भू-मार्ग जल के लिये पृथक-पृथक पाइप पेयजल योजना हेतु सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार के माध्यम से अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58-59
जनपद उन्नाव में लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	59-60
बुन्देलखण्ड में बिजली विभाग में किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन के अन्तर्गत मिलने वाली छूट व किसानों को कनेक्शन का सामान दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत लिपोलिक भिंड मार्ग का निर्माण कराये के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	60-61
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	61
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत मुसिंफ कोर्ट भवन का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर लघु सेतुओं का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62-63
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत राजेसुल्तानपुर एवं जहांगीरगंज को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत टोंस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ के समय कतिपय ग्राम सभाओं में ठोकर न होने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
कोरोना काल में सभी निजी स्कूलों के बन्द होने के कारण छात्र-छात्राओं के फीस माफ न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
आंगनबाड़ी कार्यकत्री का ब्लाक मल्लावां जनपद फतेहपुर से लखनऊ जनपद की परियोजना आलमनगर के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र, बरफखाना हरिजन पाठशाला, उदयगंज, लखनऊ में समायोजन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64-65
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	65-70
प्रदेश में ध्वस्त कानून-व्यवस्था विषयक नियम-311 की सूचना सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी)	71
उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा गया)	72

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया)	72
उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया)	72
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया)	72
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया)	72
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया)	72
उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया)	73
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया)	73
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया)	73
उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया)	73
उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया) ...	73
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया) ...	73
उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया)	73
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया)	73
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखे हुए माने गये)	73
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया)	74

विषय			पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020 (सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया)	...	...	74
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-403/ग्यारह-2-9(18)-2012-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश(98)-2020, दिनांक 27 मार्च, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	74
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-411/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(99)-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	74
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-412/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश(100)-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	74
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सैंतीसवाँ संशोधन) नियमावली 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	74
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-399/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (102)-2020, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	75
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-427/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (105)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	75
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-429/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (107)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	75
राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-466/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (108)-2020, दिनांक 05 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	75
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-424/ग्यारह-2-20-9(01)-2008-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (109)-2020, दिनांक 06 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	75
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-436/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (110)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, (सदन के पटल पर रखी गयी)	...	...	76

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-437/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (111)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	76
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-438/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (112)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	76
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-439/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (113)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	76
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-441/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (114)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	76
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-442/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (115)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	77
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-443/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (116)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	77
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-444/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (117)-2020, दिनांक 11 मई, 2020, (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	77
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-445/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (118)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	77
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अड़तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	77
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-469/ग्यारह-2-20-9(46)-20-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (120)-2020, दिनांक 13 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	78
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-467/ग्यारह-2-20-9(42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (121)-2020, दिनांक 15 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	78

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उन्तालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	78
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	78
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-489/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (124)-2020, दिनांक 26 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	78
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-490/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (125)-2020, दिनांक 26 मई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	79
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-662/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (126)-2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	79
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-663/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (127)-2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	79
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1532/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0अधि0 -1-2017-आदेश (72)-2019, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	79
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तैंतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी)	79
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-78/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (86)-2020, दिनांक पटल पर रखी गयी) ...	80
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-85/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (91)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	80
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौंतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	80
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-86/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (94)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	80

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-110/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (95)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	80
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (छत्तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	81
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-271/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (97)-2020, दिनांक 28 फरवरी, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	81
पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय) उत्तर प्रदेश का प्रतिवेदन अक्टूबर, 2018 एवं उ0प्र0 पंचम राज वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार की कार्यवाही-ज्ञापन (सदन के पटल पर रखा गया)	81
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् निर्माण कार्य (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	81
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की 38वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2017-2018 (सदन के पटल पर रखा गया)	81
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के स्थिति-पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2015-2016 (सदन के पटल पर रखा गया)	82
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी)	82
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2018 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	82
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	82
उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (अड़तालीसवां संशोधन) नियमावली 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	82
उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (उन्चासवां संशोधन) नियमावली 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	83
उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	83
उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	83

विषय	पृष्ठ-संख्या
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-10-2016 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	83
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ सत्ताइसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014 (सदन के पटल पर रखी गयी)	83
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ अट्ठाइसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	83
उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ उन्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 (सदन के पटल पर रखी गयी)	84
उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-2020 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	84
दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा तथा दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुनर्विचार हेतु लौटाये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश ...	84-85
व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (सदन के पटल पर रखा गया)	85-86
राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	86
उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	86
उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	86
राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	86-87
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	87
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	87
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 (विधान परिषद से वापसी की सूचना)	87

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	87-88
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	88
राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन (संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	88
उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	88
उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	88-89
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	89
राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	89
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	89
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	89
उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	90
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	90
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	90
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	90
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	91
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	91
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का छठवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	91

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	91
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	91
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	91-92
उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	92
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का पंचम प्रतिवेदन (खण्ड-2) (प्रस्तुत किया गया)	92
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का षष्ठम् प्रतिवेदन (खण्ड-3) (प्रस्तुत किया गया)	92
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का सप्तम् प्रतिवेदन (खण्ड-2) (प्रस्तुत किया गया)	92
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2019-2020) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	92
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की ''प्रतिनिहित विधायन समिति'' वर्ष (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	93
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	93
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का पंचम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	93
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का षष्ठम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	93
प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का सप्तम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	93
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 18 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	94-96
श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित 19 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	96-98
श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	98

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	98
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	98-99
प्रिंस वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 24 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	99-102
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं, जनपद झांसी से सम्बन्धित 05 याचिकाएं तथा जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयीं) ...	102
कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	103
श्री ओम प्रकाश राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	103
श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	103-104
श्रीमती सुषमा पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	104
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 14 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	104-105
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	106
डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित 02 याचिकाएं, जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं, जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं, जनपद चन्दौली से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयीं)	106-107
डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	107
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 16 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	107-109
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की गयी)	109

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	109-110
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना ...	110
व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 (वापस लेने की अनुमति)	110-111
उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	111
उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित) ...	111-112
कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित) ...	112
उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	112
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	112-113
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	113
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित) ...	113
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित) ...	114
उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्धन और निस्तारण) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	114
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	115
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	115
उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	115-116
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	116
उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित) ...	116
उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	116-117
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	117
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	117

विषय	पृष्ठ-संख्या
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त-विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)... ...	118
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित) ...	118-119
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	119-120
कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित) ...	120
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	120
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित) ...	121
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	121
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	121-122
उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	122
उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 (पुरःस्थापित)	122-123
आज सदन में पुरःस्थापित सभी विधेयकों के विचार एवं पारण की मदें, आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	123
उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित)	123-125
उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित) ...	125-127
कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित)	127-130
उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020 (पारित) ...	130-138
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित) ...	138-140
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित) ...	140-143
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 (पारित)	143-149
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित) ...	149-154
उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्धन और निस्तारण) विधेयक, 2020 (पारित)	154-159
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित) ...	159-161
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित)	161-163
उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 (पारित)	163-173
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित) ...	173-176
उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित) ...	176-180

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित)	180-183
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित)	183-185
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित)	185-187
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित)	187-189
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित) ...	189-191
उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित) ...	191-193
कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित) ...	193-195
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित)	195-197
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित) ...	197-199
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 (पारित)	199-201
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक, 2020 (पारित) ...	201-222
उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 (पारित)	222-226
उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 (पारित)	226-232
कोरोना महामारी से निपटने हेतु सरकार का अथक प्रयास ...	232-233
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	233
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पी0सी0एस0, 2015 की भर्ती की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बन्दना सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	233
जनपद अयोध्या के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य ...	233-234
जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत नेपाल बार्डर से भारी मात्रा में हो रही मटर की तस्करी रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य (स्थगित) ...	235

विषय			पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में कतिपय इण्टर कालेजों में शिक्षक/अन्य स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा उप मुख्य मंत्री का वक्तव्य			235-236
मुख्य मंत्री द्वारा सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शन एवं गणेश चतुर्थी की बधाई	...	...	236-252
श्री लाल जी वर्मा द्वारा उठाये गये व्यवस्था का प्रश्न	...	...	252-255
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	...	...	255-256
सदन का अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)		...	257
राष्ट्रगान	...	...	257-258

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

शनिवार, दिनांक 22 अगस्त, 2020 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-325

1-अगयश राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत	25-अर्चना पाण्डेय, श्रीमती	कन्नौज
2-अजय कुमार लल्लू, श्री	कुशीनगर	26-अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0)	वाराणसी
3-अजय कुमार सिंह		27-अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	खीरी
''अजय सिंह'', श्री	बस्ती	28-अविनाश त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
4-अजीत कुमार उर्फ		29-अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
राजू यादव, श्री	सम्भल	30-असलम अली, श्री	हापुड़
5-अजीत पाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद	31-आजाद अरिमर्दन, श्री	आजमगढ़
6-अजीत पाल सिंह, श्री	कानपुर देहात	32-आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री	बलिया
7-अदिति सिंह, सुश्री	रायबरेली	33-आनन्द शुक्ला, श्री	चित्रकूट
8-अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज	34-आर0के0 वर्मा, डॉ0	प्रतापगढ़
9-अनिल कुमार मौर्य, डा0	सोनभद्र	35-आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती	प्रतापगढ़
10-अनिल पाराशर, श्री	अलीगढ़	36-आशीष सिंह पटेल ''आशू'',श्री	हरदोई
11-अनिल राजभर, श्री	वाराणसी	37-आशुतोष उपाध्याय, श्री	देवरिया
12-अनीता, श्रीमती	अम्बेडकरनगर	38-इकबाल महमूद, श्री	सम्भल
13-अनीता लोधी राजपूत, डा0	बुलन्दशहर	39-इरफान सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
14-अनुपमा जायसवाल, श्रीमती	बहराइच	40-उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
15-अनुराग सिंह, श्री	मिर्जापुर	41-उदयभान सिंह, चौ0	आगरा
16-अनूप प्रधान, श्री	अलीगढ़	42-उपेन्द्र तिवारी, श्री	बलिया
17-अबरार अहमद, श्री	सुल्तानपुर	43-उमाशंकर सिंह, श्री	बलिया
18-अभिजीत सिंह सांगा, श्री	कानपुर नगर	44-उमेश मलिक, श्री	मुजफ्फरनगर
19-अमर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	45-ओमकुमार, श्री	बिजनौर
20-अमिताभ बाजपेई, श्री	कानपुर नगर	46-ओम प्रकाश राजभर, श्री	गाजीपुर
21-अम्बरीश सिंह पुष्कर		47-कपिल देव अग्रवाल, श्री	मुजफ्फरनगर
एडवोकेट, श्री	लखनऊ	48-कमलेश शुक्ल, श्री	देवरिया
22-अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	49-करण सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
23-अरुण कुमार, डॉ0	बरेली	50-कल्पनाथ पासवान, श्री	आजमगढ़
24-अरुण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़	51-कारिन्दा सिंह, श्री	मथुरा

52-काली प्रसाद, श्री देवरिया
53-किरत सिंह, श्री सहारनपुर
54-किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
55-कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
56-कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
57-कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
58-केसर सिंह, श्री बरेली
59-कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
60-कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
61-कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
62-गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
63-गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
64-गौरी शंकर, श्री जालौन
65-चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
66-चन्द्र प्रकाश उर्फ
सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
67-चन्द्रिका प्रसाद उपध्याय, श्री चित्रकूट
68-चेतराम, श्री शाहजहांपुर
69-छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
70-जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
71-जय देवी, श्रीमती लखनऊ
72-जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
73-जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
74-जय मंगल, श्री महाराजगंज
75-जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
76-जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
77-जी0एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
78-ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
79-ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
80-डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
81-डेनजिल जे0 गोडिन, डॉ0 नाम-निर्देशित
82-तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
83-तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
84-तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
85-त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
86-दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
87-दल बहादुर, श्री रायबरेली
88-दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
89-दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
90-दिग्विजय नारायण उर्फ
जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
91-दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
92-दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
93-देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
94-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
95-देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
96-देवेन्द्र सिंह लोधी
एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
97-धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
98-धर्मराज सिंह यादव उर्फ
सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
99-धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
100-धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
101-धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
102-नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
103-नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी' श्री इलाहाबाद
104-नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
105-नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
106-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
107-नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
108-नवाब जान, श्री मुरादाबाद
109-नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
110-नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
111-नाहिद हसन, श्री शामली
112-नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
113-निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात

114-नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
115-नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
116-नील रतन सिंह पटेल
नीलू, श्री वाराणसी
117-नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
118-पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
119-पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
120-पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
121-पवन कुमार उर्फ
पवन केडिया, श्री कुशीनगर
122-पल्टूराम, श्री बलरामपुर
123-पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
124-पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
125-प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
126-प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
127-प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
128-प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
129-प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
130-प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
131-प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
132-प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
133-प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
134-बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
135-बम्बा लाल, श्री उन्नाव
136-बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
137-बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
138-बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
139-बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
140-बावन सिंह, श्री गोण्डा
141-बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
142-बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
143-बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
144-बृजभूषण राजपूत उर्फ
गुड्डू भइया, श्री महोबा
145-बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
146-बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
147-बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
148-बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
149-ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
150-ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
151-भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
152-भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
153-मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
154-मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
155-मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
156-मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
157-मनोहर लाल, श्री ललितपुर
158-मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
159-ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
160-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
161-महबूब अली, श्री अमरोहा
162-महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
163-महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
164-महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
165-महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
166-माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
167-मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
168-मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
169-मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
170-मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
171-मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
172-मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
173-मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
174-यासर शाह, श्री बहराइच

175-युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
176-योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
177-योगेश धामा, श्री बागपत
178-योगेश वर्मा, श्री खीरी
179-रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
180-रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
181-रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
182-रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
183-रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
184-रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
185-रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
186-रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
187-रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
188-रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
189-रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
190-रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
191-राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
192-रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
193-राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
194-राकेश सिंह, श्री रायबरेली
195-राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
196-राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
197-रामकरन कबीर, श्री बांदा
198-राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
199-राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
200-राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
201-राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
202-राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
203-राजीव तरारा, श्री अमरोहा
204-राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
205-राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
206-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
207-राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
208-राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
209-राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
210-राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
211-राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
212-राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
213-राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
214-राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
215-रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
216-राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
217-राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
218-राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
219-रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
220-राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
221-राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
222-राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
223-रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
224-रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
225-राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
226-रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
227-रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
228-लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
229-लाखन सिंह, श्री औरैया
230-लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
231-लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
232-लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
233-विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
234-विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर

235-विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
236-विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
237-विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
238-विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
239-विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
240-विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
241-विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
242-विनोद कुमार कटियार श्री, कानपुर देहात
243-विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
244-विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
245-विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
246-विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
247-वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
248-वीरेन्द्र, श्री एटा
249-वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
250-शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
251-शशांक वर्मा, श्री खीरी
252-शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
253-शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
254-शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
255-शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
256-शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
257-शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
258-शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
259-शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
260-श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
261-श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
262-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
263-श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
264-श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
265-श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
266-संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
267-संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
268-संगीता बलवन्त, डॉ0 गाजीपुर
269-संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
270-संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
271-संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
272-संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
273-संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
274-संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
275-संजीव राजा, श्री अलीगढ़
276-संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
277-संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
278-सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
279-सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
280-सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
281-सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
282-सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
283-सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
284-सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
285-सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
286-सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
287-साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
288-सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
289-सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
290-सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
291-सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
292-सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
293-सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
294-सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
295-सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
296-सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
297-सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
298-सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर

299-सुरेश कुमार, श्री	शामली
300-सुरेश कुमार, श्री	अमेठी
301-सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
302-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
303-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
304-सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
305-सुरेश राही, श्री	सीतापुर
306-सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
307-सुशान्त सिंह, कुं0	बिजनौर
308-सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
309-सुषमा पटेल, श्रीमती	जौनपुर
310-सूर्यभान सिंह, श्री	सुल्तानपुर
311-सोमेन्द्र तोमर, डॉ0	मेरठ
312-सोवरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
313-सोहिल अख्तर अंसारी, श्री	कानपुर नगर
314-सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी
315-सौरभ सिंह, श्री	खीरी
316-स्वाती सिंह, श्रीमती	लखनऊ
317-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
318-हरगोविन्द भार्गव, डॉ0	सीतापुर
319-हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी
320-हरिओउम यादव, श्री	फिरोजाबाद
321-हरिशंकर माहौर, श्री	हाथरस
322-हरीराम, श्री	सोनभद्र
323-हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
324-हाकिम लाल बिन्द, श्री	इलाहाबाद
325-हृदय नारायण दीक्षित	उन्नाव

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), जल शक्ति मंत्री (डॉ0 महेन्द्र सिंह), अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00 बजे] प्रदेश में ध्वस्त कानून-व्यवस्था विषयक नियम-311 की सूचना सर्वप्रथम लिये जाने की मांग

(माननीय अध्यक्ष के पीठासीन होते ही विपक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर कानून व्यवस्था ध्वस्त है [x x x] के नारे लगाने लगे)

श्री उज्जवल रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी आज प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है।

[11:03 बजे] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष-

पहले शोक की सूचनाएं हैं उनको ले लें। आप लोग अपने-अपने आसन पर बैठ जाएं।

बड़े कष्ट के साथ माननीय सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री विवेक कुमार सिंह का निधन हो गया है वह लगभग 64 वर्ष के थे। वह बांदा से सम्बन्धित थे और उच्च शिक्षा प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता थे। इस आदरणीय सदन के सदस्य भी थे संसदीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा।

इसी प्रकार इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री कुंवर बहादुर मिश्र जो लगभग 92 वर्ष के थे हमीरपुर में उनका जन्म हुआ था। वर्ष 1974 में कांग्रेस के टिकट पर व वर्ष 1980 व 1985 में कांग्रेस (आई) के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र मौदहा हमीरपुर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वह इस आदरणीय सदन में अपनी प्रतिभा अपनी कर्मकुशलता और योग्यता के लिए विख्यात थे उनके निधन पर इस आदरणीय सदन को शोक हुआ है उनकी स्मृति में उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुये)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है।

श्री अध्यक्ष-

पहले नियम-300 ले लें।

(इसी मध्य विपक्ष के अनेक सदस्य वेल में आ गए)

(कानून व्यवस्था ध्वस्त है, [x x x] के नारे लगाने लगे। अनेक सदस्य हाथों में बैनर लहरा रहे थे। श्री अजय कुमार लल्लू डा0 कफील को रिहा करो लिखा बैनर लहरा रहे थे,

---

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

सदस्य आजम खां को रिहा करो, गन्ने का भुगतान करो, बिजली का बिल माफ करो के बैनर लहरा रहे थे।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कानून व्यवस्था पर नारा लगा रहे हैं यह आपका अधिकार है लेकिन कोरोना के समय में भौतिक दूरी बनाए रखें इसका पालन नहीं हो रहा है। देश और प्रदेश के लोग इसको देखेंगे।

(वेल में उपस्थित सदस्य कानून व्यवस्था ध्वस्त है, [x x x] गन्ने का भुगतान करो, बिजली बिल माफ करो के नारे लगाते रहे)

बेल में आने की यह परम्परा ठीक नहीं है। वेल से यह जो कहा जा रहा है यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा।

[11:06 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 में श्री उमाशंकर सिंह, श्री लाल जी वर्मा, श्री श्याम सुन्दर जी, श्री राकेश जी की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन सभी सूचनाओं को अग्राह्य किया जाता है।

[11:06 बजे] नियम-301 एवं नियम-51 की सभी सूचनायें स्वीकृत

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 और नियम-51 की सारी सूचनाएं हमने स्वीकार कीं।

(सदन की सहमति से संलग्न स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं)

दिनांक 21 अगस्त, 2020 की नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 अगस्त, 2020 को दिनांक 21 अगस्त, 2020 की नियम-301 के अन्तर्गत कुल 64 सूचनाएं प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्रीमती गरिमा सिंह की जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र अमेठी के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री विनय शंकर तिवारी की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड उरुवा के अन्तर्गत कतिपय गांवों की जल निकासी कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की कानपुर नगर की बिल्हौर और घाटमपुर का न्यायिक क्षेत्र कानपुर नगर लाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय प्रदेश में वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिसिया उत्पीड़न एवं अवैध वसूली के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री विजय कुमार राजभर की जनपद पीलीभीत के पुलिस थाना-हजारा के प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री बम्बा लाल की लोक निर्माण विभाग के राज्य सड़क निधि से सम्पर्क मार्ग के साथ-साथ लघु सेतु के निर्माण हेतु

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

स्वीकृत धनराशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की जनपद आजमगढ़ में ग्राम अमुवारी नरायनपुर, ब्लाक अजमतगढ़ के ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री दयाराम चौधरी की उ0प्र0 परिवहन विभाग के अवध डिपो में तैनात बस चालक स्व0 कृपाशंकर चौधरी की ऑन ड्यूटी सड़क दुर्घटना में मृत्योपरान्त पुत्र का लिपिक पद पर समायोजन एवं समस्त देयकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री त्रिवेणी राम की जनपद गाजीपुर के कतिपय ब्लाकों में पुल एवं सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित बालिका छात्रावास चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत नगराम-गंगागंज की जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाराहवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव की जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत कतिपय कालोनियों में जलभराव की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव की जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत वेंटीलेटर खरीद की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत टोंस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ के समय कतिपय ग्राम सभाओं में ठोकर न होने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री गौरी शंकर की जनपद जालौन के विकास खण्ड डकौर के ग्राम सौमई के अन्तर्गत नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अन्तर्गत सभी ग्राम सभाओं में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरहवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत एस0बी0डी0 जिला चिकित्सालय के जर्जर भवनों/नालियों/ शौचालयों का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाहरवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर के ग्राम कटराचुंगूपुर में निर्मित राजकीय महाविद्यालय को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्वीकृत के0जी0एम0यू0 का सेटीलाइट सेन्टर खुलवाये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार के प्रभारी को कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत बहगुल नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री मूल चन्द्र सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत मुंसिफ कोर्ट भवन का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री काली प्रसाद की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के अन्तर्गत भगलपुर से रेलवी चौराहा तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के अन्तर्गत निजी शिक्षा संस्थाओं में पॉलीटेक्निक के पाठ्यक्रम में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, पच्चसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी

में विश्व बैंक परियोजना के गरौठा से मोती कटारा मिसिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्रीमती अनीता की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत एनवां एवं मकरही में विद्युत केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्रीमती सरोज सोनकर की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री लाल बहादुर की जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर के अन्तर्गत सराय अकिल से महिला ग्राम तक निर्मित मार्ग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ग्राम बरानाबाग से चकरनगर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तीसवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की प्रदेश में शासनोदश सं0-632/एक-13-11-20 (29)2004 का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, तेंतसवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के परगना के अन्तर्गत ग्राम बरौत के राम खेलावन की भूमि पर ग्राम प्रधान द्वारा राजस्व अधिकारियों से अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौतीसवीं सूचना डॉ0 हरगोविन्द भार्गव की जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत कुलभास्कर आश्रम पी0जी0 कालेज में प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त विगत वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैतीसवीं सूचना श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी की उ0प्र0 के भूतपूर्व सैनिकों को 03/2016 ग्राम विकास अधिकारी के पद पर उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चयन होने के बावजूद तैनाती न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में क्षतिग्रस्त पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा-पीरपुर से मुंशीलाल निषाद के आवास तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लाक सठियांव के अन्तर्गत मुबारकपुर गैस एजेन्सी से एम0पी0 इण्टर कालेज तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नतालिसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत लिपोलिक भिंड मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालिसवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम हुमायूंपुर इद्दू में सदर से तहमुल के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालिसवीं सूचना श्री रवि कुमार सोनकर की प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र सहायता राशि उनके खातों में दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री विनोद कुमार कटियार की पूर्व विधान सभा सदस्य, विधान परिषद् एवं लोक

सभा सदस्यों के दिवंगत हो जाने पर उनकी अन्त्येष्टि के समय राजकीय सम्मान दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, तैतालिसवीं सूचना हाजी इरफान सोलंकी की श्री अमित मेहरोत्रा, इन्दिरानगर, लखनऊ के निवासी को मे0 याजदान कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा आवास आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत अवैध खनन सम्बन्धी अनुमति निरस्तीकरण, जुर्माना तथा जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैतालिसवीं सचूना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा शासनादेश संख्या-1428/ आठ-8-2018-194/2001, दिनांक 9 अगस्त, 2018 को लागू करने से इन्कार के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में प्रयुक्त हो रहे बांस बल्ली के स्थान पर स्थाई पोल लगाये जाने के सम्बन्ध में है, सैतालिसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विकास खण्ड कोतवाली के राजस्व ग्राम से सेखपुरा तुर्क में सम्मिलित नारंगीचक नगीना अकबराबाद पी0डब्ल्यू0डी0 मार्ग के किनारे नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत विजवाहा से जुगराजपुर तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री योगेश वर्मा की श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, चकबन्दी लेखपाल व श्री दयानन्द चौहान, बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्वानवीं सूचना डा0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद हरदोई के अन्तर्गत ग्राम-औना, थाना-अतरौली, तहसील-सण्डीला में पुलिस प्रशासन की मिली-भगत से अवैध शराब का निर्माण व बिक्री एवं कृषि योग्य भूमि पर किये जा रहे अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के तहसील रुधौली में संचालित बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल, अठदमा, रुधौली के द्वारा राजस्व अभिलेखों में हेरा-फेरी कर ट्रस्ट की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की श्री यदुनाथ द्विवेदी, दफ्तरी (से0नि0), बी0एन0 इण्टर कालेज, भगवंत नगर, हरदोई के रिटायरमेंट के बाद समस्त देयकों का भुगतान दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'' की प्रार्थी विनय कुमार मिश्र (लिपिक) शिव प्रसाद पाण्डेय, संस्कृत महाविद्यालय, कलेक्टरगंज, उन्नाव को वेतन दिलाने एवं अन्यत्र कहीं सम्बद्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री संजय गर्ग की सहारनपुर नगर में दिनांक 30-06-2020 को विद्युत विभाग की लापरवाही से हुई मौत में मृतक आशुतोष के परिवार को 25 लाख मुआवजा एवं मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत सैदपुर रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद झांसी के अन्तर्गत आराजी संख्या-1369 मि0 पर नगर निगम द्वारा की गई अनियमितता के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की जनपद

रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत पूरब से पश्चिम बहुदा से गुमावा बार्डर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्सठवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की प्रचलित उ0प्र0ज0वि0 व भू-लाभ अधिनियम, 1950 की धारा-143 के अन्तर्गत भूमि अकृषि घोषित होने के उपरान्त अनुसूचित वर्ग के लोगों के प्लाट विक्रय नियम के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के अन्तर्गत श्री सुनील कुमार के घर पर दबंग महिला द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्सठवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत बालू खनन पट्टा धारकों के विरुद्ध विधि एवं नियमों के विपरीत गलत तरीकों से जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा वसूली अधिपत्र जारी किया गया है। उसकी वसूली की कार्यवाही स्थगित कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद कानपुर देहात में कानपुर शहर से सचेंडी होकर रूरा जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'' की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत डा0 संजय राय के घर से स्व0 श्री अली हुसेन के घर तक पोल तार, स्ट्रीट लाइट व 400 के0वी0 ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में तथा चौसठवीं सूचना श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी की जनपद बांदा के अन्तर्गत बाईपास को नये सिरे से चौड़ीकरण कर ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है।

जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र अमेठी के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती गरिमा सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोकमहत्त्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ। मेरे जनपद एवं विधान सभा क्षेत्र अमेठी के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कों/पुलों का निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है जो निम्नलिखित हैं-

1. विकास खण्ड भादर के भोजपुर ग्राम पंचायत में घोरहवा से आसलदेव विद्यालय तक पक्की सड़क का निर्माण कार्य, दूरी लगभग 1 कि0मी0।

2. विकास खण्ड संग्रामपुर के ग्राम सभा भावलपुर में प्राइमरी पाठशाला भावलपुर से बवीन तिवारी के घर के बगल से होकर प्रतापगढ़ बार्डर तक, दूरी लगभग 1.5 कि0मी0।

3. विकास खण्ड अमेठी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नरैनी में ढसकहिया (नैनहा) से पूरब गाँव प्रा0पा0 तक, दूरी 3 कि0मी0।

4. विकास खण्ड भादर की ग्राम पंचायत अमटाही में मालती नदी पर पुल निर्माण कार्य।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में रखते हुए उपरोक्त कार्य के कराये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड उरूवा के अन्तर्गत कतिपय गांवों की जल निकासी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय शंकर तिवारी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड उरूवा के कतिपय गांव जैसे टाडी, मन्झरिया, अमोढा, परसा, बेलासपुर खरसरदेव, बिट्ठलपुर, पिपरा पाण्डेय आदि उरूवा चौराहे से पश्चिम में जल निकासी हेतु पुराना पुल पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त होने एवं पुल के दोनों तरफ हुए अतिक्रमण होने के कारण उरूवा ताल से निकलने वाले पानी से उपरोक्त गाँवों की फसल पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है, एवं जल भराव के कारण महामारी जैसी बीमारियां फैलती है। इस सम्बन्ध में उरूवा ताल जल निकासी संघर्ष समिति, गोरखपुर द्वारा स्थानीय अधिकारियों से पत्र व्यवहार भी किया जा रहा है, किन्तु कार्रवाई न होने से जनमानस में आक्रोश है।

अतः इस लोकमहत्व के प्रश्न पर उरुवा ताल की जल निकासी सुनिश्चित कराए जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

कानपुर नगर की बिल्हौर और घाटमपुर का न्यायिक क्षेत्र कानपुर नगर लाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमिताभ बाजपेई-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोकमहत्व के अत्यंत गंभीर विषय की ओर आकृष्ट कराते हुए कानपुर नगर की ग्रामीण तहसीलें बिल्हौर एवं घाटमपुर क्या न्याय क्षेत्र 20 जुलाई 2013 को कानपुर देहात स्थानान्तरित कर दिया गया था ?

मेरे द्वारा सदन में उठाए गए विषय के उपरांत सरकार ने यह अवगत कराया की बिल्हौर एवं घाटमपुर का न्याय क्षेत्र कानपुर नगर प्रशासनिक जिला में स्थापित कर दिया जाएगा। जिसकी अधिसूचना संख्या 527/2019/सात-न्याय-2-2019-191 जी/2017 जारी भी कर दी गई थी। परंतु अभी तक उक्त अधिसूचना का क्रियान्वयन नहीं किया गया है।

कानपुर का अधिवक्ता समाज लगातार आंदोलन कर रहा है। अतः वाद कार्यों एवं वकीलों की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुए सरकार से यह मांग करते हैं उक्त सूचना का तत्काल क्रियान्वयन कराते हुए घाटमपुर एवं बिल्हौर तहसील का न्याय क्षेत्र कानपुर नगर में स्थानांतरित करने का कष्ट करें।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिसिया उत्पीड़न एवं अवैध वसूली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशुतोष उपाध्याय-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोकमहत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता विगत समय में देखने में आया है वह जनता की शिकायत भी है कि पुलिस वाहन चेकिंग के नाम पर जबरदस्त उत्पीड़न एवं वसूली कर रही है, अक्सर इस प्रकार की वीडियो भी वायरल होते हैं जिसमें पुलिसकर्मी जनता के आम आदमी को गाली देता हुआ या मारता हुआ या पैसे लेता हुआ दिखाई पड़ता है। पुलिसिया उत्पीड़न से जनता का स्वाभिमान चकनाचूर हो जाता है। अनेक ऐसी घटनाएं भी होती है जिसे वीडियो नहीं बन पाता है वह कार्रवाई नहीं हो पाती है। जबकि अनेक मौकों पर स्वयं अधिकारियों द्वारा कार्रवाई पुलिस व कर्मियों के खिलाफ करी गई है। इस तरह की घटनाएं जब से जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है तब से बहुत बढ़ गई है।

अतः इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए निवेदन करते हैं कि पुलिस को सख्ती से आम जनता के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने का निर्देश दिया जाए व वाहन चेकिंग में जुर्माने की जो दरें बढ़ाई गई हैं उनको कम किया जाए। आम जनता में भय मुक्त वातावरण का संदेश जाए इसकी में सरकार से मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के पुलिस थाना-हजारा के प्रभारी निरीक्षक द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय कुमार राजभर-

[मान्यवर, दिनांक 05/06-05-2020 को सांयकाल पुलिस थाना-हजारा, जनपद-पीलीभीत के प्रभारी निरीक्षक दलबल के साथ श्री शैलेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 वी0एन0 सिंह ग्राम-मुरैना गाँधी नगर कां0-3 के घर आए, जबरन मारते हुए पुलिस वाहन पर बैठा ले गए। पुलिस वाहन में 05-05-2020 तथा 06-05-2020 को स्वयं व पुलिस कर्मियों द्वारा लाठी पट्टे से मारा गया जिससे गंभीर चोटें आयीं। घटना की सैकड़ों शिकायतें शासन प्रशासन स्तर पर की गयीं किन्तु दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रकरण से संबंधित शिकायतों, अभिलेखों, पुलिस उपाधीक्षक/क्षेत्राधिकारी, पूरनपुर, बीसलपुर, अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) शाहजहांपुर की जाँच रिपोर्ट, इन्जरी रिपोर्टस व फिरौती के झूठे-मनगढ़न्त से पुलिस की शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना प्रमाणित है। घटना को लेकर ट्रान्स शारदा क्षेत्र में पुलिस के विरुद्ध भारी जन आक्रोश व्याप्त है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस मामले को आप की अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए शारीरिक-मानसिक पुलिस प्रताड़ना के दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की माँग करता हूं।]

लोक निर्माण विभाग के राज्य सड़क निधि से सम्पर्क मार्ग के साथ-साथ लघु सेतु के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[मान्यवर, आपको सादर अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर सम्पर्क मार्ग के साथ-साथ लघु सेतु के निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। महोदय इस मार्ग पर जनता को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण न होने के कारण स्थिति भयावह बनी हुई है। यह लोकमहत्व का विषय है।

1- दौलतयारपुर मार्ग से ग्राम बहेलवा एंव नया खेड़ा होते हुए बन्दीमाता मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य लम्बाई 5.600 कि0मी0।

2- ग्राम मुरादपुर से कल्याणी नदी के ऊपर पुल निर्माण के साथ जमाल नगर दलदलहा सम्पर्क मार्ग तक के नवनिर्माण का कार्य लम्बाई-1.200 कि0मी0।

3-मिर्जापुर, अरेरकलां, चन्देलन खेड़ा, मवई ब्रम्हनान वाया लगलेसरा सम्पर्क माग छूटा भाग लम्बाई-2.100 कि0मी0।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोकमहत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत उपरोक्त वांछित स्थानों पर लोक निर्माण विभाग के राज्य सड़क निधि से सम्पर्क मार्ग के साथ-साथ लघु सेतु के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।]

जनपद आजमगढ़ में ग्राम अमुवारी नरायनपुर, ब्लाक आजमगढ़ के ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

[मान्यवर, इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राम सभा अमुवारी नरायनपुर तह0-सगड़ी, ब्लाक-अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़ के प्रधान द्वारा ग्राम सभा में विकास कार्यों हेतु जारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्राम सभा में कोई भी विकास कार्य मानक के अनुरूप न कराकर अधोमानक स्तर पर किया जा रहा है जिस कारण ग्राम सभावासी विकास कार्यों से वंचित हैं। ग्रामवासियों द्वारा अक्सर इस सम्बन्ध में आवाज उठायी जा रही है पर कोई सुनने वाला नहीं है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अस्तु इस लोक हित के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार से एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर प्रकरण की जांच कराकर दोषी प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अवध डिपो में तैनात बस चालक स्व0 कृपाशंकर चौधरी की ऑन ड्यूटी सड़क दुर्घटना में मृत्योपरान्त पुत्र का लिपिक पद पर समायोजन एवं समस्त देयकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दयाराम चौधरी-

[मान्यवर, श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व0 कृपाशंकर चौधरी ग्राम-गिधार, पोस्ट-भितेहरा, जनपद बस्ती के निवासी है, स्व0 कृपाशंकर चौधरी परिवहन निगम में नियमित चालक के पद पर तैनात थे, जिनका लखनऊ से दिल्ली जाने वाली अवध डिपो की बस का संचालन करते हुए आगरा के पास सड़क दुर्घटना में दिनांक 08/07/2019 को मृत्यु हो गयी जिसके कारण स्व0 श्री कृपाशंकर चौधरी के परिवार के जीवन यापन में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रु0 दिये जाने की घोषणा की गयी थी जो टी0वी0 चैनल पर उपलब्ध है परन्तु अभी तक मात्र 50 हजार रु0 का ही भुगतान कराया गया है।

विभाग द्वारा स्व0 श्री कृपाशंकर चौधरी के समस्त देयकों का भुगतान लगभग 1 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी नहीं कराया जा रहा है, न ही पेंशन ही दी जा रही है एवं मृतक आश्रित के रूप में स्व0 श्री कृपाशंकर चौधरी के पुत्र श्री संतोष चौधरी के लिपिक पद हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी है लेकिन विभाग द्वारा अभी तक इनके पुत्र की नियुक्ति नहीं की गयी है जिससे इनका परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है यह प्रकरण आर्थिक स्थिति से जुड़ा अति महत्व का है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के कतिपय ब्लाकों में पुल एवं सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिवेणी राम-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद गाजीपुर मे निम्न सम्पर्क मार्ग का निर्माण नही हो पाया है। कई वर्षों से मांग की निम्न सड़कों का निर्माण कराया जाय। जिससे गाड़ियों को आने जाने में काफी परेशानी होती है यह कि जिन सड़कों की मरम्मत/निर्माण कराया गया है। उनमें

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत एवं धांधली की गयी है। जोकि जाँच का विषय है। यह भी अवगत कराना है कि बरसात के दिनों में क्षेत्र में ग्रामवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो निम्न हैं :-

1. तहसील जखनियाँ ब्लाक सादात ग्राम हुरमुजपुर से परेवा नहर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सी0सी0 रोड लगभग 4 कि0मी0 तक निर्माण/मरम्मत का कार्य।

2. तहसील जखनियाँ ब्लाक सादात ग्राम हुरमुजपुर में राधेश्याम के घर से राधेश्याम के बगीचा तक सी0सी0 सड़क लगभग 1.5 कि0मी0 तक निर्माण/मरम्मत का कार्य।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त कार्य का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित बालिका छात्रावास चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद रेलवे स्टेशन के पास समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित 100 बेड का बालिका छात्रावास काफी समय से बना पड़ा है जोकि अभी तक संचालित नहीं किया गया है। जिससे क्षेत्र की बालिकाओं को बहुत ही असुविधा हो रही है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जानबूझकर छात्रावास को चालू नहीं कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त छात्रावास को चालू कराया जाना जनहित में आवश्यक है। यह विषय लोकमहत्व का है और जनहित से जुड़ा हुआ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत नगराम-गंगागंज की जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर (एडवोकेट)-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोकमहत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहनलाल गंज जनपद लखनऊ की नगराम-गंगागंज मार्ग जो अत्यंत खराब व जर्जर होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती हैं तथा अब लोगों ने आना-जाना छोड़ दिया है। कई बार ग्रामीणों द्वारा उक्त सड़क मार्ग के निर्माण के लिए कहा तो अधिकारियों ने पी0एम0जी0एस0वाई0 की सड़क होने की बात कहकर पांच वर्ष पूरे होने के बाद ही लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कराने की बात कही है, जबकि अब उक्त सड़क की

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पांच वर्ष से अधिक की अवधि पूरी हो चुकी है। उक्त जर्जर सड़क को अब लोक निर्माण विभाग द्वारा हस्तानांतरित कर निर्माण कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त नगराम-गंगागंज जर्जर व खराब सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत कतिपय कालोनियों में जल भराव की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत बाराबंकी नगर पालिका शहरी क्षेत्र के कालोनी दीनदयाल नगर विजयनगर, मौहारी और पैसार इत्यादि में भीषण जल भराव की समस्या बनी रहती है। इन कालोनियों में बारहों महीने पानी भरा रहता है जिसके कारण लोगों का आवागमन बाधित होता हैं। उक्त कार्य हेतु जिला स्तर पर धन भी सरकार द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है इसके बावजूद भी शहरी क्षेत्र की कालोनियों में जल भराव की समस्या का निदान नहीं कराया जा रहा है। जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में शहरी क्षेत्र की कालोनियों में जल भराव की समस्या का तत्काल निदान कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत वेंटीलेटर खरीद की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर मैनपुरी जनपद मैनपुरी में कोविड-19 महामारी में मैंने स्वयं जिला प्रशासन को महामारी से निपटने हेतु पच्चीस लाख रुपये तथा हमारे जनपद के माननीय सांसद श्री मुलायम सिंह यादव ने पच्चीस लाख तथा जनपद के अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पैसा वेंटीलेटर आदि खरीदने के लिए दिया था। उक्त पैसे का आज तक कोई सदुपयोग नहीं किया गया।

अतः इस जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जांच कराकर सभी जनप्रतिनिधियों की भावना के अनुरूप वेंटीलेटर आदि को खरीदने हेतु उक्त पैसा खर्च करवाने की मांग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत टोंस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ समय कतिपय ग्राम सभाओं में ठोकर न होने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा रसड़ा अन्तर्गत बहने वाली टोंस नदी के किनारे ठोकर न होने की वजह से प्रतिवर्ष सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो जाया करती है जिससे यहां के काश्तकारों में भारी रोष व्याप्त है।

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत टोंस नदी के किनारे ग्राम सभा तिराहीपुर, आमघाट बेसवान, जेवनिया एवं कोड़रा में ढोकर बनाये जाने हेतु शासन से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद जालौन के विकास खण्ड डकौर के ग्राम सौमई के अन्तर्गत नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरीशंकर-

[मान्यवर, जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र 221-उरई के अन्तर्गत विकास खण्ड डकोर के ग्राम सोमई के बीच में नत्थू सिंह रैकवार के मकान से रामशरन के घर से होते हुए किरिया तक नाला का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। उक्त गाँव की आबादी लगभग 2 हजार है। नाला के निर्माण न होने से आये दिन जल भराव की स्थिति बनी रहती है। जिससे ग्रामवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा बीमारी फैलने का भी भय बना रहता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।

जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अन्तर्गत सभी ग्राम सभाओं में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि शासनादेश अनुसार गाँव में होने वाली शादी विवाह आदि कार्यक्रम को प्राथमिक स्कूल में नहीं किया जा सकता है जिस कारण गांव में स्थानीय जनता को वर्षा ऋतु, शीतकालीन, गर्मी ऋतु के मौसम में अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए आप से आग्रह है कि जनपद महोबा की विधान सभा क्षेत्र चरखारी की प्रत्येक ग्राम सभा में बारात घर बनवाना जनहित में होना अति आवश्यक है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रशन पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत एस0बी0डी0 जिला चिकित्सालय के जर्जर भवनों/नालियों/शौचालयों का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि SBD जिला चिकित्सालय, सहारनपुर के जर्जर भवनों/नालियों/शौचालयों की स्थिति अत्यन्त जर्जर है, जिससे वहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनहित में SBD जिला चिकित्सालय, सहारनपुर के जर्जर भवनों/नालियों/शौचालयों का सुदृढ़ीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए SBD जिला चिकित्सालय, सहारनपुर के जर्जर भवनों/नालियों/शौचालयों का सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम कटराचुंगूपुर में निर्मित राजकीय महाविद्यालय को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सीताराम वर्मा-

[मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र 189-सदर के अन्तर्गत ग्राम कटराचुंगूपुर में निर्मित राजकीय महाविद्यालय कई वर्ष पूर्व बनकर तैयार है किन्तु बार-बार अनुरोध करने के बाद भी अभी तक उसका संचालन नहीं हो सका। जनहित में कई वर्षों पूर्व निर्मित उक्त राजकीय महाविद्यालय का संचालन अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत स्वीकृत के0जी0एम0यू0 का सेटीलाइट सेन्टर खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पल्टूराम-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि बलरामपुर मुख्यालय पर प्रदेश सरकार द्वारा अटल बिहारी बाजपेयी जी के नाम के0जी0एम0यू0 का सेटेलाइट सेन्टर खोलने का निर्णय लिया है। उक्त कार्य के लिए सरकार कब शिलान्यास के लिए तिथि निर्धारित कर रही है। लोकहित में उक्त कार्य बहुत आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोकमहत्व/जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार के प्रभारी को कार्य मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रजनी कान्त मणि त्रिपाठी-

[मान्यवर, जनपद कुशीनगर में निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश के क्रम में प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी कुशीनगर जो सितम्बर 2012 से कुशीनगर जिले में प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, का स्थानान्तरण 28 जून 2019 को स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत अमेठी को हो गया है व निदेशालय के 12 जुलाई 2019 के पत्र के क्रम में स्वतः कार्य मुक्त होने का आदेश दे दिया गया है परन्तु स्थानान्तरण होने के 1 साल बाद भी अपने पद पर बने हुए है और निदेशालय के आदेश में यह भी लिखा है कि किसी दशा में इनका वेतन उक्त तिथि के बाद जनपद से आहरित न किया जाये लेकिन पिछले 1 साल से वेतन आहरण का कार्य कर रहे हैं। श्री शशि कुमार सिंह प्रभारी जिला कार्यक्रम कुशीनगर से कार्य मुक्त किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनहित एवं लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर वक्तव्य दिलाये जाने कि मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर के अन्तर्गत बहगुल नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 122-फरीदपुर जनपद बरेली के अन्तर्गत विकास खण्ड फरीदपुर में ग्राम टिसुआ हाई-वे से हसनगंज (वि0ख0 भुता) मार्ग पर स्थित बहगुल नदी का पुल बनाया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। जिससे लाखों की आबादी को लाभ मिलेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत मुंसिफ कोर्ट भवन का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूल चन्द्र सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 219-माधौगढ़ जनपद जालौन के अन्तर्गत कोंच में मुंसिफ कोर्ट भवन जर्जर हालत में है। जनहित में मुंसिफ कोर्ट भवन का सुदृढ़ीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र सलेमपुर के अन्तर्गत भगलपुर से रेवली चौराहा तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली प्रसाद-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 341-सलेमपुर जनपद देवरिया के अन्तर्गत भागलपुर से रेवली चौराहा तक पक्की सड़क का चौड़ीकरण (2 लेन) कर नवनिर्माण किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा के अन्तर्गत निजी शिक्षा संस्थाओं में पॉलीटेक्निक के पाठ्यक्रम में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत निजी शिक्षण संस्थाओं के पॉलीटेक्निक पाठ्यक्रम में बिना मानक पूरी किये हुए निजी पॉलीटेक्निक विभागीय मिली-भगत से फर्जी तथ्यों (अनुमति-पत्र) प्राप्त कर कागजों में विद्यालयों का बड़े स्तर पर संचालित किये जा रहे हैं। इनमें शिक्षा माफियाओं के द्वारा अधिकारियों से सांठ-गांठ कर 4-4 एवं 5-5 निजी पॉलीटेक्निक अन्य विद्यालयों की फर्जी अनुमति-पत्र प्राप्त कर कागजों में संचालित किये जा रहे हैं। जिसकी कई बार शिकायतें हमारे द्वारा की जा चुकी हैं। परन्तु विभागीय एवं शिक्षा माफियाओं की मिली-भगत होने के कारण इस पर कोई भी रोक नहीं लगी है। कई पर भी इन निजी पॉलीटेक्निक विद्यालयों में मानकता (बिल्डिंग, लैब, अध्यापक स्टांप एवं अन्य) भी पूर्ण नहीं है। जनहित में इस गम्भीर प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद झांसी में विश्व बैंक परियोजना के गरौठा से मोती कटारा मिसिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-झांसी में विश्व बैंक परियोजना में चिरगांव से रामनगर बघेरा, गुरूसरांय, गरौठा तक सड़क का शुभारम्भ हो गया है लेकिन गरौठा से मौतीकटरा तक 10 कि0मी0 मिसिंग रोड अभी तक नहीं बनी है। चिरगांव से लेकर गरौठा होते हुए राठ, हमीरपुर तक उक्त परियोजना का कार्य चल रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत गरौठा से मोतीकटरा मिसिंग मार्ग 10 कि0मी0 का निर्माण जनहित में आवश्यक है।

अतः इस जनहित मामले को सदन में लाकर मैं सरकार से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत एनवां एवं मकरही में विद्युत केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अनीता-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकनगर के अन्तर्गत ऐनवा एवं मकरही क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु काफी समय से मांग चल रही है। यहॉ पर लो-वोल्टेज की समस्या के कारण किसानों के सामने सिंचाई की समस्या हो रही है तथा इस क्षेत्र के सभी उपभोक्ता परेशान है। लो-वोल्टेज एवं अत्यधिक दूरी से सप्लाई होने के कारण आये दिन विद्युत फाल्ट की समस्या रहती है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ऐनवा एवं मकरही में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलबीर सिंह-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ में निम्नलिखित मार्ग क्षतिग्रस्त हैं। जिससे क्षेत्र वासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनता इन मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग कर रही है।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	यूडिकोड संख्या	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	मरम्मत की अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1	दौरऊ मोड़ पिसावा मार्ग से देवपुर व गोरना मार्ग की मरम्मत का कार्य (ग्रामीण मार्ग)	121378	0.400	21.26

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	यूडिकोड संख्या	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	मरम्मत की अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
2	दौरऊ मोड़ पिसावा मार्ग से नूरूल्लापुर मार्ग की मरम्मत 120494 का कार्य (ग्रामीण मार्ग)	120494	0.950	19.30
3	गोरना रसीदपुर से देवपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य (ग्रामीण मार्ग)	120298	0.400	21.10
4	दौरऊ से चाँदपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य (ग्रामीण मार्ग)	120522	0.650	34.43
5	मंजूरगढ़ी रेलवे स्टेशन से सपेराभानपुर मार्ग की मरम्मत	120472	1.200	17.790
6	अलीगढ़ रामघाट मार्ग के कि0मी0 3 से 10 तक विशेष मरम्मत द्वारा क्रैक सीलिंग का कार्य।	120190	6.815	10.840
7	कासिमपुर इंटर कॉलेज से कासिमपुर मार्ग की मरम्मत	120451	1.500	20.150
8	एन0एच0-93 के कि0मी0 94 से नगला मार्ग की मरम्मत	120533	0.510	4.100
9	सी0टी0के0 मार्ग से मंजूरगढ़ी रेलवे स्टेशन मार्ग की मरम्मत का कार्य	120477	2.500	36.340
10	हरदुआगंज कासिमपुर मार्ग से जारौठी जटपुरा मार्ग की मरम्मत का कार्य	120405	0.350	17.230
11	सपेरा भानपुर तिराहे से पास ट्यूबवेल से धीमरपुरा मार्ग पर मरम्मत का कार्य	121370	1.200	12.220
12	जवां से कासिमपुर पावर हाउस मार्ग की मरम्मत	120460	0.220	10.900
13	अमृतपुर से इमलहरा व नगला बंजारा मार्ग की मरम्मत का कार्य (ग्रामीण मार्ग)	2.700	120026	86.87

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	यूडिकोड संख्या	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	मरम्मत की अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
14	सी0टी0के0 बाईपास मार्ग से बरहेती मार्ग की मरम्मत	1.800	120423	55.850
15	वीरमपुर से बसई मार्ग की मरम्मत का कार्य	3.300	121361	54.460
16	कंदौली से फतेह नगलिया वाया मीरपुर मार्ग की मरम्मत	4.500	121360	61.920

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में जनपद अलीगढ़ में उक्त वर्णित मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरोज सोनकर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र 282-बलहा जनपद बहराइच के अन्तर्गत विकास खण्ड-मिहींपुरवा में गायघाट या मिहींपुरवा में एक सरकारी डिग्री कालेज न होने के कारण छात्र-छात्राओं को काफी समास्याओं का सामना करना पड़ता है। जनहित तथा छात्रहित में विकास खण्ड-मिहींपुरवा के गायघाट या मिहींपुरवा में एक सरकारी डिग्री कालेज की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त डिग्री कालेज के बन जाने से लगभग 3 विधान सभाओं के छात्र-छात्राओं को सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए विकास खण्ड-मिहींपुरवा के गायघाट या मिहींपुरवा में एक सरकारी डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर के अन्तर्गत सराय अकिल से महिला ग्राम तक निर्मित मार्ग की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल बहादुर-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत विकास खण्ड कौशाम्बी में सराय अकिल से महिला ग्राम तक 15 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया गया

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है जिस पर अभी सड़क के किनारे मिट्टी डालने का कार्य चल रहा है परन्तु उक्त बनाया गया सम्पर्क मार्ग मानक के अनुरूप निर्माण कार्य न होने के कारण बनने के बाद ही गड्ढे में तब्दील हो रहा है। इसमें कार्यदायी संस्था एवं ठेकेदार द्वारा मानक के अनुसार सामग्री का प्रयोग न करके सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है जबकि सम्पर्क मार्ग का निर्माण होने के पश्चात 2 वर्ष की गारण्टी होती है। इस सम्पर्क मार्ग के निर्माण की टी0ए0सी0 अथवा किसी सक्षम संस्था से जांच कराकर कार्य का भुगतान रोककर पुनः निर्माण कराये जाने पर ही भुगतान किया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सराय अकिल से महिला ग्राम तक निर्मित सम्पर्क मार्ग का टी0ए0सी0 अथवा किसी सक्षम एजेन्सी से जांच कराकर कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ग्राम बरानाबाग से चकरनगर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सावित्री कठेरिया-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र भरथाना जनपद इटावा के चकरनगर ब्लाक अन्तर्गत बरानाबाग ग्राम के लिए सम्पर्क मार्ग जो कि चकरनगर-फूफ मार्ग को जोड़ता है बिल्कुल कच्चा मार्ग होने के कारण जगह-जगह गड्ढे होने से आये दिन दुर्घटनायें होती है। आम जनमानस को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर काफी प्रयास किये गये परन्तु अधिकारियों की उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्यवाही न होने से आम जनमानस में निराशा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए ग्राम बरानाबाग से चकरनगर-फूफ मार्ग से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र 131, कटरा के अन्तर्गत राजकीय आई0टी0आई0 कॉलेज न होने से यहाँ के छात्र-छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विकास खण्ड-खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम सूथा में ग्राम समाज की काफी भूमि खाली पड़ी है। यदि यहाँ

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पर राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना करा दिया जाए तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश इच्छुक छात्र-छात्राएं व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा विभाग के उच्चाधिकारियों को कई बार पत्र लिखा जा चुका है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में शासनादेश सं0-632/एक-13-11-20 (29) 2004 का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या-632/एक-13-11-20 (29) 2004, दिनांक 02 जून 2011 के अनुसार भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को प्रतिकर प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रदेश में नगद प्रतिकर की धनराशि की सीमा तक कृषि भूमि क्रय करते हैं, तो भूमि क्रय करने पर उन्हें देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क से उन्हें छूट प्रदान की जायेगी, परन्तु एन0 टी0 पी0 सी0 टाण्डा से प्रभावित कृषकों को, जिनकी प्रतिकर की धनराशि कोर्ट में जमा कर दी गयी थी। अब जब उनको प्रतिकर दिया जा रहा है तो प्रभावित किसानों को उस लाभ से वंचित किया जा रहा है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए उक्त शासनादेश का लाभ दिलाने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के परगना के अन्तर्गत ग्राम बरौत के राम खेलावन की भूमि पर ग्राम प्रधान द्वारा राजस्व अधिकारियों से अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाकिम लाल बिन्द-

[मान्यवर आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जिला-प्रयागराज के हण्डिया विधान सभा क्षेत्र की तहसील हण्डिया के परगना के अन्तर्गत ग्राम बरौत के राम खेलावन पुत्र राम सुन्दर की भूमि गाटा खसरा संख्या-1058, क्षेत्र 0.1420 हे0, मुन्नीलाल पुत्र राम किशोर, चम्पा देवी पत्नी राम किशोर की भूमि गाटा खसरा संख्या-1057, क्षेत्र 0.1510 हे0 और राम देवपुत्र राम सुन्दर की गाटा खसरा संख्या-1059, क्षे0 0.1690 हे0 आदि सक्रमणीय भूमिधरी है, उक्त भूमि के पूर्वी तरफ से खण्डजा मार्ग बना हुआ है, क्षेत्रीय लेखपाल के अनुसार राजस्व अभिलेखों में मार्ग दर्ज नहीं है, परन्तु ग्राम प्रधान

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा राजस्व अधिकारियों से सांठ-गांठ कर जबरन उक्त भूमिधरी की भूमि के बीच से रास्ता का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे भूमिधरी लोगों को अपूर्णनीय क्षति हो रही है जिससे उनमें रोष व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत कुलभास्कर आश्रम पी0जी0 कालेज में प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त विगत वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

[मान्यवर आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद प्रयागराज के कुलभास्कर आश्रम पी0जी0 कालेज प्रयागराज में प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्ति पर निर्धारित मानदेय पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत है व कार्य करते हुए कुछ लोग ओवर ऐज भी हो गये हैं कर्मचारीगण किसी तरह अपना व अपने परिवारजनों का भरण-पोषण कर रहे हैं। शिक्षा निदेशक (उ0शि0) शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 प्रयागराज को आज्ञा संख्या-डिग्री अर्थ-1 (विनि0)/360/2018-19 दिनांक 07-03-2019 कुलभास्कर आश्रम पी0जी0 कालेज, प्रयागराज में कार्यरत मानदेय शिक्षकों को आमेलन (विनियमितीकरण) किया गया है। उक्त कालेज में ग्रुप सी के 5 सहायक लेखाकार 01 पद, आशुलिपि 01 पद, कार्यालय अधीक्षक 01 पद, प्रयोगशाला सहायक 02 पद व ग्रुप डी 17 पद रिक्त हैं, उक्त महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से नैक ए ग्रेड प्राप्त है। मानदेय शिक्षकों को आमेलन की भांति तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के उक्त रिक्त पदों पर आमेलन (विनियमितीकरण) करने हेतु शिक्षा निदेशक (उ0शि0), शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक बनी हुई है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कर्मचारियों के हित में कार्रवाई कराये जाने की माँग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को 03/2016 ग्राम विकास अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चयन होने के बावजूद तैनाती न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। कृपया आपके संज्ञान में लाना है कि उ0प्र0 के

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

52 भूतपूर्व सैनिक विज्ञप्ति 03/2016 ग्राम विकास अधिकारी के पद पर अंतिम रूप से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित हुए हैं, जिनका संस्तुति आयोग द्वारा मूल आवेदन पत्र के साथ दिनाँक 06 सितम्बर 2016 को आयुक्त ग्राम विकास को योगदान के लिये भेजा गया लेकिन आयुक्त ग्राम विकास द्वारा योगदान नहीं कराया गया। पीड़ित भूतपूर्व सैनिकों ने मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट 1732/2019 प्रमोद कुमार व 16 अन्य ने दायर की, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय में 13 नवम्बर 2019 को उ0प्र0 सरकार को आदेशित करते हुए भूतपूर्व सैनिकों को 2 महीने के भीतर तैनाती के लिए आदेश किया, परन्तु आज तक भूतपूर्व सैनिकों को योगदान नहीं कराया गया है, इस प्रकार देश के भूतपूर्व सैनिकों के साथ प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है, इससे प्रतीत होता है कि प्रदेश में आला अधिकारियों की तानाशाही व्याप्त है, जिसकी सूचना प्रत्यावेदन के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को दिया जा चुका है पर अभी तक किसी भी प्रकार की उक्त के खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही भूतपूर्व सैनिकों का योगदान कराया गया है।

अतः लोक महत्व के विलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराते हुए 52 भूतपूर्व सैनिकों को न्याय दिलाते हुए ग्राम विकास अधिकारी के पद पर योगदान कराते हुए भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में क्षतिग्रस्त पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के वि0ख0-ठेकमा के ग्राम-हदिसा में रमेश राजभर की पोखरी पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण, वि0ख0-लालगंज के ग्राम-उमरी श्री (महगुपुर) में नहर पर बने जर्जर पुलिया का नव निर्माण, वि0ख0-लालगंज ग्राम चौकी देवगांव में नहर पर बनी पुलिया का नव निर्माण या चौड़ीकरण, वि0ख0 लालगंज के ग्राम रसूलपुर दुधरा (आसूपुर) के पास बनी नहर पर बनी पुलिया का चौड़ीकरण/नव निर्माण, वि0ख0 लालगंज के ग्राम उपेन्दा में बुद्धराम के घर के पास नहर पर बनी पुलिया का चौड़ीकरण, वि0ख0-ठेकमा के ग्राम बहादुरपुर के (चक नोनारी) डीह बाबा के स्थान पर नहर पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त पुलिया का नव निर्माण कार्य न होने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्गों के निर्माण हेतु मेरे द्वारा सम्बन्धित विभाग को अनेकों बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिसके कारण आम जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त पुलियों का निर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा-पीरपुर से मुंशीलाल निषाद के आवास तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[मान्यवर, जिला-अम्बेडकर नगर की विधान सभा क्षेत्र 281, अकबरपुर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा पीरपुर के गजराज यादव व धनीराम के खेत से मुंशीलाल निषाद के आवास तक (ल0 लगभग 700 मी0) सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है। जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का पिच निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का पिच निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लाक सठियांव के अन्तर्गत मुबारकपुर गैस एजेन्सी से एम0पी0 इण्टर कालेज तक मार्ग का निर्माण कराये के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली-

[मान्यवर, जिला-आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ब्लाक सठियांव के अन्तर्गत मुबारकपुर गैस एजेन्सी से एम0पी0 इण्टर कालेज तक का उक्त मुख्य मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो गया है। वर्षा के कारण वहाँ जल भराव हो गया है, उक्त मुख्य मार्ग पर प्रतिदिन लगभग पचास हजार लोगों का आवागमन होता है, उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन क्षेत्रीय जनता के साथ सड़क दुर्घटनायें हो रही हैं, गम्भीर चोट लगने के कारण राहगीरों की मौतें हो रही हैं। क्षेत्र की जनता एवं व्यापारियों, छात्रों को अत्यधिक कठिनाइ का सामना करना पड़ रहा है। जिससे जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय तत्कालीन प्रश्न पर उक्त क्षतिग्रस्त मुख्य मार्ग का निर्माण/चौड़ीकरण एवं शुद्धीकरण कराये जाने के संबंध में सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की माँग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत लिपोलिक भिंड मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर में लिपोलिक भिण्ड मार्ग स्टेट हाई-वे से नेशनल हाईवे में परिवर्तित किया गया है विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत उपरोक्त स्टेट हाई-वे पर शाहजहांपुर से खनका पुल जनपद पीलीभीत के वार्डर तक अनेकों जगह बड़े-बड़े गड्ढों में उपरोक्त सड़क तबदील हो गयी है जिस पर विभाग द्वारा पैच भरे जा रहे हैं एक तरफ पैच भरे जा रहे हैं दूसरी तरफ उखड़ जाते हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं क्योंकि इस सड़क से हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं जिस कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है यदि इस सड़क का अतिशीघ्र चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण नहीं किया गया तो कभी भी बड़ी संख्या में जनहानि हो सकती है उपरोक्त लिपोलिक भिण्ड मार्ग की भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण की संस्तुति की जा चुकी है लेकिन इस सड़क पर अभी तक कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। उपरोक्त मार्ग का अतिशीघ्र सही ढंग से मरम्मत/डामरीकरण कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्वनीय विषय पर उपरोक्त स्टेट हाई-वे की अतिशीघ्र मरम्मत/डामरीकरण कराये जाने की कार्रवाई करने को सदन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम हुमायूंपुर इद्दू में सदर से तहमुल के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत ग्राम-हुमायूंपुर इद्दू में मदरसे से तहमुल के घर तक लगभग 1200 मीटर सम्पर्क मार्ग पूरी तरह से कच्चा है। आज तक इस मार्ग में निर्माण के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। इस मार्ग से आस पास के लगभग 10 गावों के लोग आते जाते हैं। कच्चा मार्ग होने से आने-जाने वाले लोगों को बहुत कठिनाई होती है। बरसात के दिनों में जल भराव हो जाने से यहॉ के स्कूली बच्चों, किसानों एवं व्यापारियों का निकलना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों ने अपने स्तर से स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन से काफी अनुरोध एवं प्रयास किया किन्तु समस्या का निदान नहीं हो सका है।

मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र सहायता राशि उनके खातों में दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि कुमार सोनकर-

[मान्यवर, पूरे प्रदेश में इस समय बहुत से जिला बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित है। बहुत से जनपदों में बाढ़ का कहर इस कदर हुआ है कि किसानों की फसल और घर पूरी तरह बर्बाद हो गये हैं। बाढ़ प्रभावित जनपदों में किसानों एवं पीड़ितों के सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जनपद बस्ती में महादेवा विधान सभा क्षेत्र तीन नदियों-मनवर, कुवानों एवं घाघरा से घिरा हुआ है। इन नदियों के किनारे बसे ग्राम वासियों की फसलें पूरी तरह बाढ़ के प्रकोप से बर्बाद हो गयी हैं तथा बहुत से गाँव बाढ़ की चपेट में आने से बर्बाद हो गये हैं। जनहित में त्वरित राहत दिलाये जाने हेतु बाढ़ राहत राशि उनके खाते में दिलाया जाय।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बाढ़ पीड़ितों को शीघ्र सहायता राशि उनके खातों में किसान सम्मान निधि की भाँति दिलाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

पूर्व विधान सभा सदस्य, विधान परिषद् एवं लोक सभा सदस्यों के दिवंगत हो जाने पर उनकी अन्त्येष्टि के समय राजकीय सम्मान दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कुमार कटियार-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि पूर्व विधान सभा, विधान परिषद् एवं लोक सभा सदस्यों के दिवंगत हो जाने पर उनकी अन्त्येष्टि के समय राजकीय सम्मान नहीं दिया जाता है। सभी सदस्य राजनैतिक जीवन में सामाजिक कार्य से जुड़े होते हैं। इन्हें भी दिवंगत हो जाने के बाद राजकीय सम्मान मिलना चाहिए।

आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे प्रश्न पर विचार करते हुए चर्चा की अनुमति देने का कष्ट करें।]

श्री अमित मेहरोत्रा, इंदिरानगर, लखनऊ के निवासी को मे0 याजदान कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा आवास आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

हाजी इरफान सोलंकी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सरकार द्वारा बनाये गये नियम-कानूनों का कड़ाई से पालन न होने के कारण अराजकता का माहौल अपनी चरम सीमा पर है। रोज नये नियम-कानून बनाना आज आम बात हो गयी है, उनका पालन न होने से, उनका कोई मतलब नहीं रह गया है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आम आदमी की सबसे जरूरी चीजों में से एक उसका मकान होता है जिसके लिए वह अपनी मेहनत की जमा पूंजी लगाता है और वही पैसा बिल्डर द्वारा फंसा दिया जाता है और वह व्यक्ति दर-दर भटकता रहता है। ऐसा ही मामला इन्दिरा नगर, लखनऊ निवासी श्री अमित मेहरोत्रा का है जिन्होंने मैसर्स याजदान कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 को एक बड़ी राशि देकर मकान का पंजीकरण कराया था, परन्तु आज तक न मकान मिला और न ही पैसा वापस हुआ, जबकि निस्तारण हेतु सरकार द्वारा के लिए बनाया गया रेरा (भू सम्पदा विनियामक प्राधिकरण) द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2020 को जिलाधिकारी, लखनऊ को ब्याज सहित पैसा वसूल कराकर सम्पूर्ण धनराशि उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, परन्तु अधिकारियों की अकर्मण्डता का आलम यह है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है और पीड़ित दर-दर भटकने को मजबूर है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से मांग करता हूं कि श्री अमित मेहरोत्रा को पैसा दिलाने के साथ-साथ जनता की सहूलियत के लिए बनाये गये नियम-कानूनों का पालन कराये जाने सम्बन्धी अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का संज्ञान लिया जाय।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत अवैध खनन सम्बन्धी अनुमति निरस्तीकरण, जुर्माना तथा जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[मान्यवर, अवैध खनन के सम्बन्ध में निर्गत आदेशों के अनुसार प्रदत्त अनुमतियाँ दिनांक 17 जनवरी 2020 निरस्त की गयी। साथ ही साथ तहसील बीसलपुर के राजस्व गाँव राजूपुर कुँडरी एवं कर्रखेड़ा गाँव तथा तहसील पीलीभीत के गाँव मीरापुर एतमाली की गाँव पंचायत की भूमियों पर अवैध खनन के कारण जुर्माने किये गये तथा अभियोग संख्या-53/2020 व 54/2020 थाना बीसलपुर एवं अभियोग संख्या-56/2020 थाना कोतवाली पीलीभीत पंजीकृत किये गये परन्तु किसी भी आदेश का निष्पादन नहीं हो सका और न ही पंजीकृत अभियोगों में कोई प्रगति हुई। खनन माफियाओं द्वारा खनन सतत् किया जाता रहा। खनन माफियाओं के द्वारा बालू के पहाड़ जैसे ढेर लगा कर मँहगे दर पर बालू को बिक्री किया जा रहा है। बालू को लाने तथा ले जाने में पक्का मार्ग बीसलपुर-सितारगंज नवदिया मार्ग क्षतिग्रस्त हो कर दलदल बन गया है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाए तथा अवैध खनन सम्बन्धी अनुमति निरस्तीकरण, जुर्माना एवं अभियोगों के प्रगति सम्बन्धी कार्यवाहियाँ प्रभावी त्वरित सम्पन्न की जाएं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा शासनादेश संख्या-1428/आठ-8-2018-194/2001, दिनांक 09 अगस्त, 2018 को लागू करने से इन्कार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उक्त आदेश के निरीह नागरिकों को भू-विक्रेताओं तथा माफियाओं के चंगुल से बचाने के लिये निकाला था जिससे समस्त विकास प्राधिकरणों को ऐसी अनियोजित तथा बेतरतीब तरीके से बनाई कालोनियों का विकासकर्ताओं की सम्पत्ति जब्त करके तथा उसका विक्रय करके, उस धन से कालोनियों के विकास का जिम्मा उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को दिया गया था।

गोरखपुर शहर ऐसे फर्जी विकासकर्ताओं के गिरफ्त में पूरी तरह जकड़ चुका है और चारों और बिना सड़क, नाली, जल निकासी, विद्युत आपूर्ति कराये कालोनियां बेच दी गईं हैं। सब कुछ प्राधिकरण के अभियन्ताओं की आंखों के सामने हुआ है लेकिन मामूली नागरिक के नक्शे में खामी निकालकर दसियों हजार घूस लेने वाले अभियन्ता इन कालोनियों को रोकने का काम नहीं करता। स्वायचित से नगर निगम इनका विकास नहीं करता है और नागरिकों का जीवन नारकीय हो जाता है।

ऐसे कई कालोनियों के नागरिकों ने विधान सभा में हमारे द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण को आवेदन दिये लेकिन प्राधिकरण ने उन पर कार्यवाही करने की जगह उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया।

ऐसी ही एक कालोनी स्पोर्ट्स कालेज के बगल में हमीदुल्लाह नगर है। हमने उपाध्यक्ष, गो0वि0प्रा0 से बात की तो उन्होंने एक सिरे से उक्त शासनादेश को ही नकार दिया और हमसे कहा कि उक्त आदेश विकास प्राधिकरण पर लागू ही नहीं होता है, सिर्फ रेरा को इस पर कार्यवाही करनी है। नागरिकों के प्रतिनिधिमण्डल को भी उन्होंने हतोत्साहित किया। अधिकारियों के ऐसे कृत्य से शासन की छवि खराब होती है। अतः उक्त शासनादेश कम से कम मुख्य मंत्री के शहर में तो कड़ाई के साथ लागू कराया जाय।

अतः निवेदन है कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय तथा निश्चित विषय को नियम-301 के तहत सदन में उठाने तथा सदन पटल पर जवाब देने हेतु प्रदर्शित करें।]

जनपद लखनऊ के विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में प्रयुक्त हो रहे बांस बल्ली के स्थान पर स्थाई पोल लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[मान्यवर, लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अभी भी बड़े पैमाने पर बिजली की आपूर्ति बांस-बल्ली के सहारे की जा रही है जिससे जन-धन हानि का खतरा सदैव

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बना रहता है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि लखनऊ को बांस बल्ली मुक्त किया जाएगा किन्तु विभिन्न क्षेत्रों में घोषणा के अनुरूप कार्यवाही नहीं हो पायी है। बांस बल्ली हटाते हुए बिजली के खंभों द्वारा विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए लखनऊ उत्तर के विभिन्न क्षेत्रों में बांस-बल्ली के स्थान पर विद्युत पोल लगाये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विकास खण्ड कोतवाली के राजस्व ग्राम से सेखपुरा तुर्क में सम्मिलित नारंगीचक नगीना अकबराबाद पी0डब्ल्यू0डी0 मार्ग के किनारे नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर के अन्तर्गत विकास खण्ड कोतवाली के राजस्व ग्राम सेखपुरा तुर्क में सम्मिलित ग्राम नौरंगीचक नगीना-अकबराबाद पी0डब्लू0डी0 मार्ग के किनारे नाले की अत्यन्त आवश्यकता है क्योंकि नाला न होने की वजह से इनके पास में रहने वालों के घरों में पानी भर जाता है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं बरसात के मौसम मे जैसा की आज का मौसम चल रहा है इस मौसम में साँप आदि जहरीले जन्तु पानी के कारण घरों में आ जाते हैं जिससे लोगों की जान का खतरा भी बढ़ जाता है इस नाले की लम्बाई लगभग 250 मी0 से 300 मी0 होने की वजह से किसी योजना में सम्मिलित नहीं हो पाता। इस सम्बन्ध में मैंने पूर्व में भी नियम-301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान लोक महत्व की ओर दिलाया था परन्तु उसके उपरान्त भी आज तक इस नाले का निर्माण नहीं हो पाया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए, नाला बनवाने की माँग करता हूं।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत विजवाहा से जुगराजपुर तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह-

[मान्यवर, निवेदन है कि जालौन जनपद की मेरी विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम-विजवाहा से ग्राम-जुगराजपुर की पुलिया तक की सड़क जिसकी लम्बाई लगभग 2 कि0मी0 है, बहुत जर्जर और गड्ढायुक्त हो गयी हैं जिससे सम्बन्धित गांव वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः निवेदन है कि विजवाहा से जुगराजपुर की पुलिया तक की सड़क को गड्ढामुक्त करने व उसकी मरम्मत की स्वीकृति करने की कृपा करें।]

श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, चकबन्दी लेखपाल व श्री दयानन्द चौहान, बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री योगेश वर्मा-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि चकबन्दी लेखपाल श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा व एस0ओ0सी0 (बन्दोबस्त अधिकारी) श्री दयानंद चौहान द्वारा साठ-गाँठ कर के ग्राम बीरमपुर पो0 पिलकछा, परगना अंगुली, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर के ग्राम सभा की जमीन में धोखाधड़ी की गयी है। मौजा बरमपुर के खतौनी में बिना आदेश एवं बिना पत्रावली के ही 20-25 फर्जी अमलदरामद करके पूरे गाँव को उलझा करके रख दिया है, जिससे ग्रामवासियों का मानसिक तथा आर्थिक शोषण हो रहा है। इतना ही नहीं यह लेखपाल भूमाफियों की मिली भगत से ग्राम बीरमपुर का बन्दोबस्ती भूचित्र एवं कार्यवाही पुस्तिका को लाखों रुपये लेकर गायब कर दिया है।

उक्त विषय के अलावा संबंधित चकबन्दी लेखपाल अरूण कुमार विश्वकर्मा व एस0ओ0सी0 श्री दयानंद चौहान द्वारा आय से अधिक संपत्ति भी रखी गयी है।

कृपया कर के ग्राम वासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मौजा बीरमपुर में किये गये अनियमतिताओं की जांच कर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाए व नये सिरे से बन्दोबस्त कराया जाए।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नाहिद हसन-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र कैराना जनपद शामली के कस्बा कैराना व झिझाना व अन्य विधान सभा क्षेत्र कैराना जनपद शामली में स्थित सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 में विशेषज्ञ, डाक्टरों व जांच उपकरणों तथा एक्स-रे मशीन व अल्ट्रासाउण्ड मशीन व महिला रोग विशेषज्ञ की तैनाती न होने से क्षेत्रवासियों को बेहद असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र में आता है, क्षेत्रवासियों के लिए उचित स्वास्थ्य सुविधायें न होने से गैर पंजीकृत डाक्टरों अथवा बेहद महंगे प्राइवेट डाक्टरों के पास जाना पड़ता है। सी0एच0सी0 कैराना जो कि विधान सभा क्षेत्र कैराना के मुख्य क्षेत्र में स्थित है। तथा सी0एच0सी0 में भूमि भी उपलब्ध है जिस पर प्रसवोत्तर केन्द्र बनाये जाने की मांग बहुत पुरानी है, स्वास्थ्य सेवायें की बुनियाद, सुरक्षित जच्चा-बच्चा व सुरक्षित प्रसव पर है। परन्तु

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सी0एच0सी0 कैराना जो कि समस्त विधान सभा क्षेत्रवासियों की एकमात्र संस्था है, में भी प्रसवोत्तर केन्द्र विशेषज्ञ डाक्टर व जांच उपकरण न होने से क्षेत्रवासियों को बेहद असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अतः जनहित में उपरोक्त सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर विशेषज्ञ डाक्टर, जांच उपकरण आदि व महिला रोग विशेषज्ञ की तैनाती कराये जाने हेतु आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

जनपद हरदोई के अन्तर्गत ग्राम-औना, थाना-अतरौली, तहसील-सण्डीला में पुलिस प्रशासन की मिली भगत से अवैध शराब का निर्माण एवं बिक्री एवं कृषि योग्य भूमि पर किये जा रहे अवैध कब्जे को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनिल कुमार मौर्य-

[मान्यवर, नियम-301 के अन्तर्गत अवगत कराना है कि ग्राम-औना, थाना-अतरौली, स्थानीय पुलिस प्रशासन की सरपरस्ती में अवैध रूप से कच्ची शराब व बिक्री का धन्धा चल रहा है। इस कार्य में ग्राम प्रधान व उप ग्राम प्रधान की भी संलिप्तता है। आबकारी व पुलिस विभाग की टीमों द्वारा बार-बार कार्यवाही की जाती है, परन्तु आरोपीगण के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई।

विगत कुछ समय से अवैध शराब निर्माण कार्य में लिप्त उक्त आरोपियों के आस-पास के कृषकों की कृषि योग्य भूमियों पर अवैध कब्जे किये जा रहे संख्या-784/806, जो कि मा0 उप जिलाधिकारी, सण्डीला के आदेश 04-04-2018 के अनुसार राजेश, दिनेश व चन्दर पुत्रगण राम लाल के खतौनी में दर्ज हैं, पर जगन्नाथ पुत्र स्व0 कुन्दन, विशुनाथ पुत्र जगन्नाथ, राजेश, बाबूलाल पुत्रगण कढ़िले व श्रीमती विद्या पत्नी सिब्दू उर्फ सुनील पुत्र अयोध्या द्वारा जबरन अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अनेकों आपराधिक मुकदमें दर्ज है, परन्तु पुलिस प्रशासन की मिली भगत होने के कारण इनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है। इनके आतंक व दबंगई से क्षेत्र के गरीब, कमजोर वर्ग के लोग आतंकित हैं। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देना, प्रताड़ित करना आये दिन की घटना हो चुकी है।

अतः जनहित में लोक महत्व के प्रश्न पर मैं ग्राम-औना, थाना-अतरौली, तहसील सण्डीला, हरदोई में स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिली भगत से अवैध निर्माण व बिक्री एवं कृषि योग्य भूमियों पर किये जा रहे अवैध कब्जे को हटाने हेतु मा0 सदन में विस्तृत चर्चा/वक्तब्य की माँग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती के तहसील रूधौली में संचालित बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल, अठदमा, रूधौली के द्वारा राजस्व अभिलेखों में हेरा-फेरी कर ट्रस्ट की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, जनपद बस्ती के तहसील रूधौली में संचालित बजाज शुगर मिल अठदमा रूधौली के द्वारा जिला एवं तहसील प्रशासन रूधौली के द्वारा राजस्व अभिलेखों में हेरा-फेरी करके बड़े पैमाने पर अवैध रूप से 132 एवं सिलिंग भूमि, बंजर भूमि, नवीन परती तथा ट्रस्ट के जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। उदाहरण के लिए गाटा संख्या-133 में खाता संख्या-13 जो राजस्व अभिलेखों में कृष्ण कुमार सिंह पुत्र रंग बहादुर सिंह ग्राम सेमरिया के नाम 1.430 एयर भूमि, गाटा संख्या-133 में ही खाता संख्या-121 अतिरिक्त सिलिंग की भूमि रकबा 2.910 एयर भूमि गाटा संख्या-133 में ही खाता संख्या-122 झगरू पुत्र सुखराज रकबा 0.405 एयर भूमि गाटा संख्या-133 में ही खाता संख्या-123 रामकरन पुत्र राजकुमार रकबा 0.051 एयर भूमि तथा गाटा संख्या-133 में ही बजाज हिन्दुस्थान शुगर मिल अठदमा रकबा 14.292 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है परन्तु उपरोक्त सभी कास्तकारों अथवा सिलिंग की भूमि पर वर्तमान में बजाज अठदमा शुगर मिल का अवैध रूप से कब्जा है।

इसी प्रकार गाटा संख्या-251 जो सरकारी अभिलेख में नवीन परती के रूप में दर्ज है उसमें भी खाता संख्या-49 रकबा 0.405 पर भी बजाज शुगर मिल अठदमा का नाम दर्ज है, गाटा संख्या-251 में ही खाता संख्या-50 पर रविन्द्र कुमार पुत्र राम दुलारे निवासी गोलागोकरननाथ जनपद लखीमपुर के नाम रकबा 0.081 एयर भूमि, गाटा संख्या-251 में ही खाता संख्या-89 कृष्णा पुत्र चेतराम निवासी गोलागोकरननाथ लखीमपुर के नाम रकबा 0.405, 0.405, 0.324, एयर भूमि गाटा संख्या-251 में ही कास्तकार के रूप खाता संख्या-111 पर सुबास, मुनीष, अर्जुन के नाम रकबा 0.405 एयर दर्ज है जबकि गाटा संख्या-251 की नवीन परती पर पूर्ण रूप से बजाज हिन्दुस्थान शुगर मिल अठदमा का अवैध रूप से कब्जा है इसी प्रकार अधिकांश जमीनों नवईयत परिर्वतन कर सरकारी अभिलेखों में बड़े पैमाने पर हेर-फेर किया गया है।

उक्त प्रकरण में बजाज हिन्दुस्थान शुगर मिल अठदमा के पास वर्तमान में कुल जमीन जिसमें सिलिंग, नवीन परती, बंजर, कास्तकारों, ट्रस्ट आदि की जमीनें सम्मलित हैं किस नियम व किस सक्षम अधिकारी के आदेश से मिल को हस्तानान्तरित व नामात्रित की गयी अथवा मिल के द्वारा अवैध रूप से उपरोक्त सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया गया प्रकरण अति लोक महत्व से जुड़ा है जिसमें अभिलेखों में हेर-फेर एवं कूटरचना के भौतिक सत्यापन के साथ वैधानिक कार्यवाही किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

श्री यदुनाथ द्विवेदी, दफ्तरी (से0नि0), बी0एन0 इण्टर कालेज, भगवन्त नगर, हरदोई के रिटायरमेंट के बाद समस्त देयकों का भुगतान दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती मनीषा अनुरागी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि श्री यदुनाथ द्विवेदी, दफ्तरी (सेवानिवृत्त) बी0एन0 इण्टर कालेज, भगवंत नगर, हरदोई से जून 2005 में रिटायर हुए थे, इनके रिटायरमेंट के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग से इनके समस्त देयकों का भुगतान नहीं किया गया जी0आई0एस0 एवं सातवें पुनरीक्षिति वेतनमान के अन्तर्गत पेंशन भी प्राप्त नहीं हो पा रही है।

महोदय मैं आपके माध्यम से श्री यदुनाथ द्विवेदी को जी0आई0एस0 और सातवें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिलाये जाने के लिए ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव की मांग करता हूँ।]

प्रार्थी विनय कुमार मिश्र (लिपिक) शिव प्रसाद पाण्डेय, संस्कृत महाविद्यालय, कलेक्टरगंज, उन्नाव को वेतन दिलाने एवं अन्यत्र कहीं सम्बद्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया''-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि प्रार्थी विनय कुमार मिश्र (लिपिक) शिव प्रसाद पाण्डेय संस्कृत महाविद्यालय, कलक्टरगंज, उन्नाव में वर्ष 2005 से कार्यरत है। दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 से प्रार्थी अवकाश पर गया था, किन्तु जब विद्यालय में पुनः कार्यभार ग्रहण करने गया तो नवनियुक्त प्राचार्या श्रीमती नीरजा दीक्षित एवं उनके सहयोगियों द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया गया तथा प्रार्थी के साथ अभद्रता भी की गयी। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव को सूचित किया तथा कई बार स्मरण पत्र भी दिये। विद्यालय प्राचार्या श्रीमती नीरजा दीक्षित एवं प्रबन्धक श्री नीरज पाण्डेय द्वारा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दी गयी, साथ ही किसी षडयन्त्र के तहत फंसाने की धमकी देते हुए कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया गया। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्रों पर संज्ञान लेते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव ने अपने पत्रांक संख्या-6257-60/2019-20 दिनांक 24-09-2019 के द्वारा प्रार्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित भी किया था किन्तु महाविद्यालय प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्या के रसूख/प्रभाव के चलते प्रार्थी को विद्यालय में आज तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी को माह अगस्त, 2017 से आज तक का वेतन भी नहीं दिया गया।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं सदन से नियम-301 के तहत प्रार्थी को अगस्त, 2017 से अब तक का वेतन एवं न्याय दिलाने के लिए वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

सहारनपुर नगर में दिनांक 30 जून 2020 को विद्युत विभाग की लापरवाही से हुई मौत में मृतक आशुतोष के परिवार को 25 लाख मुआवजा एवं मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[मान्यवर, इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है, कि दिनांक 30 जून 2020 को सुबह लगभग 10 बजे सहारनपुर नगर स्थित चौ0 चरण सिंह चौक के समीप डबल पोल पर स्थापित एक 63 के0वी0ए0 ट्रांसफारमर विद्युत विभाग की लापरवाही से अचानक फट गया और उसका उबलता तेल गिरने से वहां से गुजर रहे आशुतोष शर्मा पुत्र चन्द्रमोहन शर्मा, निवासी रानी बाजार, सहारनपुर का शरीर पूरी तरह जल गया और मोटर साइकिल भी स्वाहा हो गई। उन्हें राहगीर प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय ले गये, वहां उन्हें पी0जी0आई0, चण्डीगढ़ रेफर कर दिया गया। जिन्दगी और मौत से जुझते हुए 20 दिन पश्चात 18/7/2020 को उनकी मृत्यु हो गई। परिवार में वह अकेला कमाने वाला था, उसके बूढ़े माता-पिता के अलावा 32 वर्षीय पत्नी एवं पांच वर्षीय पुत्री है। उक्त हादसे के बाद प्रार्थी का परिवार पूर्ण रूप से सदमें में एवं बदहवास हालत में है। विद्युत विभाग कोई कर्मचारी हादसे के पश्चात देखने नहीं गया। पूरी संवेदनहीनता का परिचय देते हुये विभाग द्वारा मात्र पाँच लाख रु0 की मदद की गई।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये मृतक के परिवार को पच्चीस लाख रु0 मुआवजा और पत्नी को सरकारी नौकरी दिये जाने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत सैदपुर रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र 374 सैदपुर में नगर पंचायत सैदपुर पड़ता है जो एन0एच0-29 के दोनों तरफ बसा हुआ है और इस मार्ग से जनपद-वाराणसी, जनपद-चन्दौली, जनपद-आजमगढ़, जनपद-जौनपुर से भारी मात्रा में वाहनों का आवागमन लगा रहता है लेकिन जबसे सैदपुर मारूफपुर गंगा नदी का पुल बना है तबसे आये दिन कई किलोमीटर तक जाम लग जाया करता है जिससे मरीजों को ले जाने वाले एम्बुलेन्स को काफी

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिक्कतों का सामना करना पड़ता है व साथ में क्षेत्रीय जनता व यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस जाम के कारण कई अप्रिय घटनायें भी हो चुकी हैं जिसका मूल कारण सैदपुर रेलवे क्रासिंग हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन की तरफ से वर्तमान सरकार से मांग करता हूँ कि जनता की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए सैदपुर रेलवे का ओवरब्रिज बनाने हेतु तत्काल निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद झांसी के अन्तर्गत आराजी संख्या-1369 मि0 पर नगर निगम द्वारा की गई अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य-

[मान्यवर, नियम-301 के माध्यम से मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत करना चाहता हूँ कि प्रार्थी की खाता सं0-0418 मौज़ा झाँसी खास के आराजी सं0 1369 मि0 में प्रार्थी की भूमिधरी आराजी है जिस पर नगर निगम के कर्मचारी/ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य करा लिया गया है जो की प्रार्थी की भूमि है। प्रार्थी ने कई बार नगर निगम के अधिकारियों से सम्पर्क किया पर मामले को गम्भीरता से नहीं लिया गया। महोदय उक्त मामले को राजस्व अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना करा कर प्रार्थी की ज़मीन पर नगर निगम द्वारा करे गए कब्जे को हटाया जाए।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन से वक्तव्य देने की मांग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत पूरब से पश्चिम बहुदा से गुमावा बार्डर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश रावत-

[मान्यवर, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बछरावां, जनपद रायबरेली के अर्न्तगत एक मार्ग पूरब से पश्चिम बहुदा से गुमावा बॉर्डर तक जिसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। उक्त मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिसके कारण आये दिन जलभराव की स्थिति बन जाती है। जलभराव हो जाने के कारण स्थानीय जनता को काफी दिक्कतों का सामना करने के साथ-साथ जान-माल की हानि भी उठानी पड़ती है। इसके साथ ही ग्राम भवानीगढ़ से शिवगढ़ तक के मार्ग का चौड़ीकरण तथा दोनों ओर नाली का निर्माण कार्य कराया जाना भी अत्यन्त आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में विधान सभा क्षेत्र बछरावाँ जनपद रायबरेली के पूरब से पश्चिम बहुदा से गुमावा बॉर्डर तक के मार्ग जिसकी दूरी लगभग

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

15 किलोमीटर है, की मरम्मत कराये जाने तथा ग्राम भवानीगढ़ से शिवगढ़ तक के मार्ग का चौड़ीकरण तथा दोनों ओर नाली का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

प्रचलित उ0प्र0ज0वि0 व भू-लाभ अधिनियम, 1950 की धारा-143 के अन्तर्गत भूमि अकृषि घोषित होने के उपरान्त अनुसूचित वर्ग के लोगों के प्लाट विक्रय नियम के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि प्रदेश में प्रचलित उत्तर प्रदेश भू0 लाभ अधिनियम 1950 की धारा-143 के अन्तर्गत किसी अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति के प्लाट/भूमि जिस पर बाउंड्री निर्मित होने की स्थिति में उस अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति को अपने उस प्लाट पर अलग से विक्रय किए जाने की अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता नियमों में नहीं है। अधिकांशतः सभी जनपदों में यह लागू व प्रचलित है परंतु कुछ अधिकारियों द्वारा इसके बावजूद जरूरत भेद एस0सी0 वर्ग के लोगों को उसके व्यवसायिक प्लाट के विक्रय किए जाने पर टोका-टाकी की जाती है।

अतः आपसे आग्रह है कि प्रचलित वि0 व भू0 लाभ अधिनियम 1950 की धारा-143 उप जिलाधिकारी के आदेश दिए जाने पर अनुसूचित वर्ग के लोगों को विक्रय की छूट का कड़ाई से पालन किए जाने का निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के अन्तर्गत श्री सुनील कुमार के घर पर दबंग महिला द्वारा कब्जे किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जयदेवी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि हमारे विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के श्री सुनील कुमार पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद ग्राम-कनार थाना-मलिहाबाद के निवासी हैं इनका एक पुस्तैनी मकान जिसका म0न0 290/22 व नया म0न0 290/108/1 पाण्डेय का तालाब, थाना-बाजार खाला, लखनऊ में है। इनके पिता की मृत्यु के बाद दादी छेदाना ने सुनील कुमार को वसीयत की थी जो उक्त मकान का अकेला वारिस है एवं मकान में अपने परिवार के साथ रह रहा था। पाँच वर्ष पूर्व फूलमती पत्नी प्रकाश गौतम नाम की महिला को एक कमरा एक माह के लिए किराये पर दिया था। खाली करने के लिए कहा गया तो वह झगड़ा करने लगी और फर्जी मुकदमें में फसाने की धमकी देने लगी प्रार्थी घबड़ा गया और बीमार हो गया। पैसे के आभाव में वह अपनी ससुराल ग्राम-कनार थाना-मलिहाबाद चला आया। ठीक होकर वह जब वापस गया तो वह परिवार को लेकर गालियाँ व मार पीट कर भगा दिया और घर का ताला तोड़कर

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सामान बाहर फेंक दिया, सम्बन्धित थाने में शिकायत करने पर कोई कार्यवाही भी नहीं की गयी। महिला द्वारा मिल एरिया चौकी इन्चार्ज श्री अरविन्द सिंह से साठ-गाँठ करके फर्जी तरीके से मकान का कुछ हिस्सा बेच दिया है। फूलमती द्वारा नगर निगम के ऐशबाग जोन-2 कार्यालय के कर्मचारी राशिद अकरम से मिली भगत कर मकान के फर्जी कागजात बनवाये थे। जिसे अपने पुस्तैनी अभिलेख दिखाने के बाद निरस्त कराया गया है जिसमें फूलमती ने अपने पति प्रकाश गौतम जो जीवित है को भी मृत घोषित कर दिया है। श्री सुनील कुमार का परिवार न्याय न मिलने के कारण आत्महत्या की कगार पर है।

अतः महोदय सदन के माध्यम से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में मिल एरिया चौकी इन्चार्ज श्री अरविन्द सिंह एवं नगर निगम कर्मचारी श्री राशिद अकरम तथा श्रीमती फूलमती के ऊपर कठोर कार्रवाई करते हुए दण्डित कर श्री सुनील कुमार एवं उनके परिवार को न्याय दिलाने का कष्ट करें। जिससे उनके परिवार को बचाया जा सके।

जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत बालू खनन पट्टा धारकों के विरुद्ध विधि एवं नियमों के विपरीत गलत तरीकों से जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा वसूली अधिपत्र जारी किया गया है उसकी वसूली की कार्यवाही स्थगित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उज्जवल रमण सिंह-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद प्रयागराज के समस्त पट्टाधारकों द्वारा जनपद प्रयागराज से बालू खनन पट्टा की वर्ष 2017 को विज्ञप्ति माह सितम्बर में उस समय निकाली थी जब सभी नदियां बरसात के पानी के खतरे के निशान के ऊपर बह रही थीं। बालू खनन क्षेत्र पूर्ण रूप से जलमग्न थे, न तो बालू खनन की मात्रा का आकलन किया जा सकता था न ही सर्वे रिपोर्ट (डी0एस0आर0) भी बनाया जा सकता था, परन्तु सभी नियमों को ताक में रखकर के नियमों के विपरीत विज्ञप्ति निकाली गयी।

2. यह कि श्रीमान निदेशक भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रयागराज जनपद के गंगा, यमुना, टोंस नदियों का दिनांक 24-06-2019 को मौके पर जाकर सर्वेक्षण किया गया और पाया गया कि सभी खनन पट्टे नियमों के विपरीत नदी के जलमग्न/जलधारा में दिये गये हैं और समस्त पट्टों को खनन कार्य तत्काल बंद करने व समस्त पट्टों को निरस्त करने का आदेश/रिपोर्ट दिनांक 24-06-2019 को दिया (उक्त रिपोर्ट की फोटो कापी संलग्न है)

3. यह कि जनपद प्रयागराज के अधिकतर पट्टेधारकों ने सूखें में खनन के लिए बालू उपलब्ध नहीं होने पर अपने-अपने बालू खनन पट्टों को निरस्त करने के लिए श्रीमान जिलाधिकारी प्रयागराज व श्रीमान जिला खनन अधिकारी प्रयागराज को प्रार्थना-पत्र दिया। परन्तु

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तत्कालीन खनन अधिकारी व जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा केवल अरूणेन्द्र यादव व दिनेश निषाद की फर्मों का बालू खनन पट्टा निरस्त किया गया। अन्य सभी पट्टेधारकों के प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं किया गया। जबकि सभी की स्थितियां एक समान थी व सभी पट्टेधारकों के साथ एक समान न्यायिक आदेश होना चाहिए था।

4. यह कि इसके पश्चात श्रीमान जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा नियमों के विपरीत सभी पट्टाधारकों से भिन्न-भिन्न धनराशियों की मांग करते हुए माह जून 2019 में नोटिस जारी किया। सभी पट्टेधारक इसके विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका दाखिल किया जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त नोटिसों को निरस्त कर दिया गया और पुनः बिना किसी प्रकार का खनन हुए ही समस्त पट्टेधारकों पर तीन-चार किश्तों की धनराशि बढ़ाकर के वसूली करने का आदेश श्रीमान जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध समस्त पट्टाधारकों द्वारा श्रीमान् प्रमुख सचिव/विशेष सचिव (भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग) लखनऊ के समक्ष निगरानी दाखिल किया है जो विचाराधीन है। जिले से आख्या मंगाई गयी है।

5. यह कि समस्त पट्टेधारकों द्वारा बालू के खनन में जितनी OTP/घन मी0 का खनन किया गया है उसके सापेक्ष जितनी धनराशियों को पट्टेधारकों द्वारा जमा किया गया है उसका हिसाब करके पट्टेधारकों द्वारा जो धनराशि अधिक जमा की गयी है उसे पट्टेधारकों को वापस किया जाना न्यायसंगत होगा।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए जनपद प्रयागराज के समस्त बालू खननधारकों के इस लोक महत्वपूर्ण विषय पर अविलम्बनीय चर्चा कराने की कृपा करें।]

जनपद कानपुर देहात में कानपुर शहर से सचेंडी होकर रूरा जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[मान्यवर, जनपद-कानपुर देहात में कानपुर शहर से सचेडी होकर रूरा जाने वाले मार्ग पर मैथा रेलवे स्टेशन से रोशनमऊ मड़ौली रेलवे स्टेशन तक का मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। स्थिति यह है कि सड़क में दो-दो फिट तक गहरे गड्ढे हो गये हैं जिन्हें मिट्टी डालकर वर्षा में ठीक किया जाता है जिसमें पानी भरने से कीचड़ और गाड़ी धंसने की स्थिति बन जाती है और निकलना दूभर हो जाता है और वह पुनः गड्ढों में बदल जाती है। इस सड़क को देखकर लगता ही नहीं है कि यहाँ पहले सड़क बनी भी थी केवल गड्ढे और ऊबड़-खाबड़ कच्ची सड़क दिखती है। वर्तमान में ट्रेन बंद हैं क्षेत्र के पचासों गांवों के लोगों का कानपुर आने-जाने का यही एक मात्र रास्ता है। किसान दूध, सब्जी आदि कानपुर शहर अपने वाहनों से ले जाकर पहुँचाते हैं। खराब गड्ढों में गिरकर प्रायः नुकसान उठाते हैं। किसानों को

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सड़क के कारण डेरी उद्योग का काफी नुकसान हो रहा है। क्षेत्र की जनता काफी दुःखी हैं तथा आक्रोशित है। सरकार की छबि खराब हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त सड़क का निर्माण शीघ्र कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत डा0 संजय राय के घर से स्व0 श्री अली हुसैन के घर तक पोल, तार, स्ट्रीट लाइट व 400 के0वी0 ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेश कुमार सिंह ''शैलू''-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद गाजीपुर मे सदर मो0 बंशी बाजार में डा0 संजय राय के घर से स्व0 श्री अली हुसैन के घर तक जिसके बीच मे कोई लाइट नहीं, कोई पोल नहीं लगा है। रात्रि में आने व जाने वाले मुहल्ले वासियों के साथ कई बार घटना घट चुकी है, विद्युत की आपूर्ति न होने से काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। मेरे द्वारा शासन प्रशासन को लिखित एवं मौखिक शिकायत की है लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए डा0 संजय राय के घर से स्व0 श्री अली हुसैन के घर तक पोल, तार, स्ट्रीट लाईट व 400 के0वी0ए0 का ट्रान्सफारमर लगाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बाँदा के अन्तर्गत बाईपास को नये सिरे से चौड़ीकरण कर ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

[मान्यवर, निवेदन के साथ मैं लोक महत्व के उपरोक्त सन्दर्भित प्रकरण पर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुये अवगत कराना चाहता हूं कि बांदा में बना बाईपास बरसात के कारण पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, इस वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। बाईपास केवल बिसन्डा रोड तक ही बना है। बिसन्डा रोड से नरैनी रोड अभी भी अवशेष है, जिसके कारण भारी वाहन शहर के अन्दर से ही गुजरते हैं और आये दिन हादसे होते रहते हैं और शहरवासियों को जाम का भी सामना करना पड़ता है। जो पूर्व में बाईपास बना था वह पूरी तरह से जर्जर व ध्वस्त हो चुका है और मध्य प्रदेश, महोबा, कबरई से आने वाले भारी वाहन शहर के अन्दर से गुजरते हैं, चूंकि अब बाईपास का मार्ग आने-जाने लायक नहीं बचा है, इस वजह से सभी भारी वाहन शहर के अन्दर से गुजरते हैं और शहरवासी जाम की वजह से परेशान होते हैं और हादसों की संख्या में भी इजाफा हुआ है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि लोक महत्व के उपरोक्त संदर्भित विषय में अपने स्तर से सम्बन्धित को यथा आवश्यक निर्देश प्रदान कर बाँदा में बाईपास को चौड़ा कर मरम्मत कराने और अवशेष बाईपास बिसन्डा रोड से नरैनी रोड को पूरा कराने की कृपा करें।]

दिनांक 22 अगस्त, 2020 की नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 22 अगस्त, 2020 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुई :-

पहली सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत कतिपय ब्लाकों में पानी की टंकियों से पानी का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में हैं, दूसरी सूचना श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' की जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावाँ को नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मीरजापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत जिगना मिश्रपुर का नाम शहीद रवि कुमार सिंह के नाम करने एवं विशेष मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री राजकुमार सहयोगी की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत आवासीय भवनों/भूखण्डों पर की जा रही उत्पीड़न की कार्यवाई को अविलम्ब रोके जाने के सम्बन्ध में है, छठीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर के अन्तर्गत आडिटोरियम तथा कम्युनिटी सेंटर बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सतवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत रमसगरा तालाब तथा बुद्धवन स्थित पक्का तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के अन्तर्गत गजरौला स्थित एम0डी0ए0 कालोनी की जर्जर सड़कों एवं जल-भराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री नन्द किशोर गुर्जर की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के नगर पालिका परिषद लोनी में जल निकासी की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री मो0 फईम इरफान की उत्तर प्रदेश के बुनकारी व्यवसाय को फ्लैट रेट से बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री मो0 असलम राइनी (एडवोकेट) की जनपद श्रावस्ती के सभी विकास खण्डों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री राकेश कुमार गोस्वामी की प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के कुलसचिव के विरुद्ध निष्पक्ष जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना डा0 अरूण कुमार की जनपद बरेली में एम्स

स्तर का सरकारी अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री अनिल कुमार दोहरे की स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं शासन के कतिपय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद अयोध्या में किसानों को तत्काल ऋण मोचन योजना के धन आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की जनपद आगरा के आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत शिवम धाम कालोनी का रास्ता एवं गेट खुलवाये जाने के सम्बन्ध मे है, सत्तरहवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड नारखी अन्तर्गत ग्राम पंचायत नारखी ताल्लुका एवं नारखी धौंकल में मानक से अधिक फ्लोराइड युक्त भू-मार्ग जल के लिए पृथक-पृथक पाइप पेयजल योजना हेतु सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार के माध्यम से अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री बम्बालाल की जनपद उन्नाव में लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी की बुन्देलखण्ड में बिजली विभाग में किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन के अन्तर्गत मिलने वाली छूट व किसानों को कनेक्शन का समान दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत लिपोलिक भिंड मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कसवीं सूचना मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री मूलचन्द्र सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत मुंसिफ कोर्ट भवन का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर लघु सेतुओं का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्रीमती अनीता की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत राजेसुल्तानपुर एवं जहांगीरगंज को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत टोंस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ के समय कतिपय ग्राम सभाओं में ठोकर न होने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की कोरोना काल में सभी निजी स्कूलों के बन्द होने के कारण छात्र-छात्राओं के फीस माफ न किये जाने के सम्बन्ध में है तथा अट्ठाइसवीं सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की आंगनबाड़ी कार्यकत्री का ब्लाक मलवां जनपद फतेहपुर से लखनऊ जनपद की परियोजना आलमनगर के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र बरफखाना हरिजन पाठशाला उदयगंज लखनऊ में समायोजन के सम्बन्ध में है।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत कतिपय ब्लाकों में पानी की टंकियों से पानी का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार -

[मान्यवर, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 164 मोहान, जनपद उन्नाव के ब्लाक हसनगंज, औरास एवं नवाबगंज में पूर्व निर्मित पीने के पानी की टंकियों से पानी का संचालन लंबे अरसे से बंद पड़ा हुआ है। उक्त टंकियों से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाने से तीनों ब्लाकों के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करने के साथ-साथ पेयजल का संकट भी पैदा हो गया है। पेयजल की समस्या के निदान हेतु तीनों ब्लाकों के स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार पानी के संचालन हेतु मांग की जा रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में विधान सभा क्षेत्र 164 मोहान, जनपद उन्नाव के ब्लाक हसनगंज, औरास एवं नवाबगंज के स्थानीय निवासियों की मांग व जल संकट जैसी गंभीर समस्या के दृष्टिगत पूर्व निर्मित पीने के पानी की टंकियों से पानी का संचालन कराये जाने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां को नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'-

[मान्यवर, नियम-301 के माध्यम से एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सादर अवगत कराना है कि जनपद हरदोई की विधान सभा का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है इसका तहसील मुख्यालय क्षेत्र एक सिरे पर बिलग्राम में है तथा क्षेत्र में बहुत बड़े भाग के निवासियों को अपनी तहसील सम्बन्धी समस्याओं के लिये लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है परिणामस्वरूप आम जनमानस परेशानियों के साथ-साथ अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता है। चूँकि आजादी के पूर्व मल्लावां जिला मुख्यालय के रूप में विकसित था और जिसकी सम्पूर्ण गतिविधियाँ यहाँ से संचालित होती थी। उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि जनपद की समस्याओं को देखते हुए जनपद के भ्रमण के दौरान उप मुख्य मंत्री डा0 दिनेश शर्मा जी ने जिले में दो नई तहसीलों के गठन का प्रस्ताव किया था।

आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जनपद हरदोई के विकास खण्ड-मल्लावाँ को तहसील बनाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की माँग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मीरजापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत जिगना-मिश्रपुर का नाम शहीद रवि कुमार सिंह के नाम करने एवं विशेष मरम्मत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल प्रकाश-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र छानबे जनपद मीरजापुर के ग्राम सभा गौरा के रवि कुमार सिंह दिनांक 17-08-2020 को कश्मीर के बारामूला में आतंकी मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए। उक्त गांव से सम्पर्क मार्ग जिगना-मिश्रपुर मुख्य मार्ग काफी जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। मेरी तथा क्षेत्रीय जनता की अपेक्षा है कि उक्त जिगना-मिश्रपुर मार्ग का नाम परिवर्तित करके शहीद रवि कुमार सिंह के नाम कर उक्त जर्जर मार्ग का विशेष मरम्मत कराया जाय। इस सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 सरकार के घोषणा के क्रम में नामकरण कराने एवं सड़क की विशेष मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है। जिससे देश के इस सपूत की बलिदान को याद किया जा सकें।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में जिगना-मिश्रपुर मार्ग का नाम परिवर्तित कर शहीद रवि कुमार सिंह के नाम तथा जर्जर मार्ग का विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकुमार सहयोगी-

[मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास जनपद अलीगढ़ में निम्नलिखित मार्ग कच्चे/क्षतिग्रस्त हैं। जिससे क्षेत्र वासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।

01	करुआ खेड़ा के सामने पेट्रोल पम्प से मुहरैनी पढ़ील मार्ग के बीच में	600 मीटर
02	नहर के पुल से नगला तलेसरा तक	900 मीटर
03	भैंमती नगला श्याम में गांव का बाईपास राना भैंमती गांव के लेखराज के घर तक	600 मीटर
04	ब्लॉक-लोधा के गांव मूसेपुर में सोमवीर के घर से रघुराज सिंह के घर तक	150 मीटर
05	लिंक रोड श्री हरपाल सिंह के खेत से श्री देवेन्द्र कुमार जी के घर तक	300 मीटर

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

06	लिंक रोड श्री पी0पी0 मास्टर साहब के स्कूल से श्री वीरेश के घर तक	300 मीटर
07	इगलास गोण्डा मार्ग बलरामपुर से करथला तक	200 मीटर
08	अतर्रा गोण्डा में सतीश के घर से गौरी शंकर मन्दिर तक	150 मीटर
09	गोण्डा गोरई मार्ग से बम्बा डेटा माईनर के0डी0 पब्लिक स्कूल रजावल तक	600 मीटर
10	जिरौली डोर में योगेन्द्र के मकान से प्राईमरी विद्यालय तक	150 मीटर
11	ग्राम पंचायत कीरतपुर निमाना से गांव मढ़ौला बाईपास तक	2 किलो मीटर
12	उत्तमपुर में काका हरदम सिंह के घर से पथवारी तक	225 मीटर
13	हृदय की नगरिया में नहर से कारी डीलर के घर तक	900 मीटर

क्षेत्र के निवासी इन मार्गों के निर्माण/मरम्मत की मांग वर्षों से कर रहे हैं।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में जनपद अलीगढ़ में उक्त वर्णित मार्गों का निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत आवासीय भवनों, भू-खण्डों पर की जा रही उत्पीड़न की कार्रवाई को अविलम्ब रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आवासीय भवनों के एक भाग व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोल रखे हैं और शेष वह अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में ऐसे लोग भी जिन्होंने आवासीय भूखण्ड पर निर्माण करके विवाह घर एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं किन्तु पिछले माह से आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरण ऐसे प्रतिष्ठानों को सील करने का काम कर रही हैं। बेरोजगारी के कारण अपने परिवार का किसी प्रकार से पालन-पोषण करने के लिए आज के महंगाई के दिनों में जब कोई भी सरकार भारी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार देने में असमर्थ है। मजबूर होकर जनता आवासीय भवनों/भूखण्डों पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को चला रही है। उपरोक्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया जाना जनता के साथ उत्पीड़न है। और इस बात की आवश्यकता है कि जनहित में कानून को संशोधित करके उपरोक्त वर्णित उत्पीड़न की कार्यवाही रोकी जाय और इनको नियमित कर दिया जाय।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवासीय भवनों/भूखण्डों पर की जा रही उत्पीड़न की कार्यवही को अविलम्ब रोके जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद नगर के अन्तर्गत आडिटोरियम तथा कम्युनिटी सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर के सिकन्द्राबाद नगर में जन सामान्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत आडीटोरियम तथा कम्यूनिटी सेन्टर बनना प्रस्तावित है। जिसके लिये जी0टी0 रोड निकट विकास खण्ड कार्यालय स्थित भू-खण्ड सं0-43 क्षेत्रफल 3446.80 वर्ग मी0 नजूल भूमि को फ्री-होल्ड कर निःशुल्क नगर पालिका परिषद सिकन्द्राबाद नगर विकास विभाग के पक्ष में स्थानान्तरित किया जाना है। मेरे द्वारा उक्त विषय में वर्ष 2018 से अनेक पत्र मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आवास, उ0प्र0 शासन तथा जिलाधिकारी बुलन्दशहर को लिखे गये हैं। लेकिन उक्त कार्य शासन से अभी तक नहीं किया गया है। जनहित में ऐसे कार्यों का 2 वर्ष तक लम्बित रहना प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों की उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जनहित में ऐसे उदासीन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रकरण को शीघ्र निस्तारित कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान प्रकरण को अविलम्ब निस्तारित कराये जाने हेतु कार्रवाई की जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के अन्तर्गत रमसगरा तालाब तथा बुद्धवन स्थित पक्का तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र खागा जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत प्राचीन कालखण्ड के पक्के दर्शनीय व ऐतिहासिक तालाब है जो कि कालान्तर में ध्वस्त होकर अपना सौन्दर्य खो चुका है। जैसे कि विकास खण्ड धाता अन्तर्गत ग्राम कारीकान स्थित रमसगरा तालाब का एवं विकास खण्ड ऐरायां अन्तर्गत ग्राम बुद्धवन स्थित पक्का तालाब, यह दोनों तालाब अपना ऐतिहासिक अस्तित्व खोने के कगार पर हैं। जनहित में इन तालाबों का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त दोनों तालाबों का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने हेतु कारवाई की मांग करती हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के अन्तर्गत गजरौला स्थित एम0डी0ए0 कालोनी की जर्जर सड़कों एवं जल-भराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला स्थित एम0डी0ए0 कालोनी की जर्जर सड़कों एवं जल-भराव की समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला स्थित एम0डी0ए0 कालोनी में मेरा स्वयं का भी आवास है। इस कालोनी में जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण यहाँ की सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। जल-जमाव के कारण विद्युत के पोल एवं पेड़ गिर रहे हैं। बरसात के समय जल-जमाव के कारण गन्दगी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है जिससे इस कालोनी के निवासियों का रहना दूभर हो गया है। इस समस्या के निराकरण हेतु जनपद स्तर पर अधिकारियों को कई बार पत्र लिखकर एवं मौखिक रूप से अवगत कराया गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से इस कालोनी के निवासियों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गजरौला स्थित एम0डी0ए0 कालोनी की समस्या के निराकरण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के नगर पालिका परिषद लोनी में जल निकासी की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्द किशोर गुर्जर-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र लोनी जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका परिषद लोनी की आबादी 16 लाख से अधिक है। पूरे नगर पालिका परिषद में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जल-भराव रहता है। गन्दे पानी के जल-जमाव के कारण संक्रामक बीमारी फैलती रहती है और मच्छरों की प्रकोप से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। जनहित में जल निकासी की अविलम्ब व्यवस्था करायी जाय।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए लोनी नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत जल निकासी की व्यवस्था किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश के बुनकारी व्यवसाय को फ्लैट रेट से बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 फईम इरफान-

[मान्यवर, समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के बुनकरों को वर्ष 2006 में लगभग मृत हो रहे बुनकारी व्यवसाय को फ्लैट रेट से बिजली प्रतिपूर्ति देकर जीवनदान प्रदान करने का कार्य किया था।

वर्तमान प्रदेश सरकार ने 01 जनवरी, 2020 से इस योजना को समाप्त कर कपड़ा मंत्रालय के एक प्रस्ताव के आधार पर विद्युत प्रतिपूर्ति को फ्लैट रेट आधा किलोवाट 65 रुपया व एक किलोवाट 130 रुपया से समाप्त कर मीटर रीडिंग के आधार पर आधा किलोवाट पर 120 यूनिट तक और एक किलोवाट पावर पर 240 यूनिट तक की दर प्रति यूनिट 3.50 (तीन रुपया पचास पैसा) के अनुसार विद्युत प्रतिपूर्ति निर्धारित कर दिया है। इसके अतिरिक्त उपभोग का विद्युत दर सामान्य होगा। जिससे बुनकरों पर प्रति लूम हजारों रुपये प्रति माह का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जो इस प्रतिस्पर्धा के युग में प्रदेश के बुनकरों को लगभग बन्दी के कगार पर पहुंचा देगा। जिसका समस्त प्रदेश में बुनकरों द्वारा अत्यधिक विरोध किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनवरी, 2020 में वाराणसी सर्किट हाउस में बुनकरों के एक प्रतिनिधि मण्डल को मौखिक अश्वासन दिया था कि बुनकरों को दी जा रही फ्लैट रेट विद्युत प्रतिपूर्ति यथावत जारी रहेगी। बुनकर अपना स्वयं एक प्रस्ताव सरकार को प्रेषित करे। सरकार उस पर विचार कर निर्णय लेगी। इसके बाद लाक डाउन के दौरान बुनकरों के किसी प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया और अब विद्युत विभाग अनाप-शनाप बिल भेज रहा है। जिससे बुनकरों में बेहद आक्रोश है। बुनकरों की एक मात्र डिमांड प्रदेश सरकार से यह है कि विद्युत मूल्य में आवश्यक वृद्धि कर ले परन्तु बिल भुगतान का तरीका मीटर रीडिंग के आधार पर न हो कर फ्लैट रहे ही हो। इस प्रस्ताव के बाद आज तक सरकार ने कोई फ्लैट रेट विद्युत मूल्य की घोषणा नहीं किया गया है। जिससे आज तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन के बाद भी फ्लैट रेट से विद्युत मूल्य लेने के बजाय मीटर रीडिंग से वसूलने और विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किये जाने से प्रदेश का बुनकर आक्रोशित है तथा यह उद्योग बंदी के कगार पर है। बिजली विभाग ने वाराणसी, मऊ के मुबारकपुर जनपद-सीतापुर में खैराबाद, टाण्डा, मउमा, मेरठ आदि बुनकर बाहुल्य क्षेत्रों की विद्युत काट दी गयी है। कोरोना महामारी में लाक डाउन में यह उद्योग पहले से दयनीय स्थिति में हैं।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं इस अति अविलम्बनीय महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से मांग करता हूं कि बुनकारी व्यवसाय को फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराया जाय।]

जनपद श्रावस्ती के सभी विकास खण्डों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

जनपद-श्रावस्ती के सभी विकास खण्डों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर भिनगा से राजपुर मोड़ जाने वाला मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त है तथा जोखवा बाजार से बलनपुर गाँव जाने वाला मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है एवं विकास खण्ड हरिहरपुर रानी के तिलकपुर मजगवा एवं भगहा मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है तथा नौबस्ता ग्राम के परसौरा भावलपुर, जौगढ़ में पानी भरा हुआ है जमुनहा विकास खण्ड के जोगिया, लौकिहा, सेमरहनिया आदि गांवों में पानी भरा हुआ है। सड़क एवं पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके है एवं भिनगा से लक्ष्मणपुर मार्ग, जमुनहां से बहराइच, जोगनी मार्ग, शंकरनगर पड़री मार्ग क्षतिग्रस्त है। लेकिन उक्त क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण/मरम्मत कार्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे आवागमन हेतु क्षेत्रीय एवं स्थानीय निवासियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के कुल सचिव के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश कुमार गोस्वामी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं (अध्यापक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम 2019 में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्था को इकाई मानते हुए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई जिसे प्रदेश सरकार (उच्च शिक्षा विभाग) द्वारा लागू करते हुए राज्य विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए सीधी भर्ती के पदों को भरे जाने के प्रक्रम पर लागू किए जाने का निर्णय (वर्ष 2019) में लिया जा चुका हैं। प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा अद्यतन आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियमों, जिसमें एससी/एसटी/ओबीसी के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रावधान करते हुए, कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 अगस्त 2019 को जारी किया गया है, जिसके द्वारा सीधी भर्ती के प्रक्रम पर 100 बिंदुओं का रोस्टर निर्धारित किया गया है। उक्त रोस्टर के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पदों की संख्या का निर्धारण कर सभी विभागों द्वारा चयन की कार्यवाही की जा रही है और यह निर्देश प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के सन्दर्भ में भी लागू किया गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा तथा कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किए गए 100 बिंदुओं के आरक्षण रोस्टर के संदर्भ में उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-1) द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 977/सत्तर-1-2019-16 (20)/2019, दिनांक 02 सितम्बर 2019 में यह निर्देश दिये गये हैं कि राज्य विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए आरक्षण लागू किया जाए तथा कार्मिक विभाग के द्वारा निर्गत 100 बिंदुओं के आरक्षण रोस्टर को विश्वविद्यालय के विभाग के नाम को हिंदी वर्णमाला के अनुक्रम में व्यवस्थित करते हुए लागू किया जाए, किंतु उपरोक्त प्रावधानों का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलसचिव द्वारा विभिन्न विषय हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु निर्गत विज्ञापन संख्या 01/2020 दिनांक 21 फरवरी 2020 के अन्तर्गत विज्ञापित पदों पर चयन की कार्यवाही में आरक्षण की उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया गया है तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 10 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नियम विरुद्ध तरीके से चयन की कार्यवाही पूरी की जा रही हैं। उक्त चयन की प्रक्रिया में आरक्षण सम्बन्धी नियमों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करने के साथ ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी किया जा रहा हैं। आरक्षण हेतु निर्धारित प्रतिशत के अनुसार पदों का चिन्हांकन नहीं करने एवं अनियमित रूप से चयन करने की कार्यवाही करने का यह दुष्परिणाम रहा है कि कई अभ्यर्थी पात्रता क्षेत्र से बाहर हो गये हैं।

नियम विरुद्ध चयन के कारण कई उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है जिससे अभ्यर्थियों में बहुत रोष व्याप्त है। अतः इस अनियमित चयन की कार्यवाही को तत्काल निरस्त कर आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पूर्णतः पालन कराते हुए नए सिरे से चयन की नियमानुसार कार्यवाही किया जाना तथा वर्तमान कुलसचिव, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कराया जाना जनहित व न्याय हित में बहुत ही आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस प्रकरण में सदन की कार्रवाई को रोक कर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली में एम्स स्तर का सरकारी अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि बरेली उ0प्र0 का एक प्रमुख नगर एवं महानगर है। यहां की आबादी लगभग 45 लाख से अधिक है। यहां पर कई प्राइवेट मेडिकल कालेज एवं नर्सिंग होम हैं। यह मेडिकल हब बन चुका है। यहाँ आस-पास बदायूँ, शाहजहाँपुर एवं हल्द्वानी (उत्तराखण्ड) में सरकारी मेडिकल कालेज है। लेकिन फिर भी जब तबियत ज्यादा खराब होती है या काम्पलीकेटेड केसेज में मरीजों को 250 कि0मी0 दूर लखनऊ या दिल्ली एस0जी0पी0जी0आई0 या ऐम्स ले जाना पड़ता है। अक्सर रास्ते में मरीजों की मृत्यु तक हो जाती है। बार-बार लखनऊ या दिल्ली आना-जाना और मरीज तथा तीमारदार के ठहरने आदि की व्यवस्था बहुत मुश्किल होती है तथा हर एक के बस की भी नहीं होती है। इस समय उ0प्र0 में लखनऊ, गोरखपुर एवं रायबरेली में ऐम्स स्तर के अस्पताल हैं। जनहित में पश्चिमी उ0प्र0 के प्रमुख शहर बरेली जो लगभग बीच में है में ऐम्स स्तर का सरकारी अस्पताल/संस्थान की स्थापना किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं शासन के कतिपय अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार दोहरे-

[मान्यवर, सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं शासन के कतिपय अधिकारी/कर्मचारी अपनी भ्रष्टाचारी एवं मनमानी नीति से बाज नहीं आ रहे हैं। जिला महिला चिकित्सालय बाराबंकी में तैनात रहे लैब टैक्नीशियन के विरुद्ध प्राप्त गंभीर शिकायतों के क्रम में उसे जनपद बाराबंकी से जिला संयुक्त चिकित्सालय सोनभद्र में स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव विशेष सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुभाग-7 उ0प्र0 शासन को स्वास्थ्य महानिदेशालय के पत्रांक-4डी (2)/4609/2000/ 169 दिनांक 15 जनवरी 2015 के द्वारा प्रेषित किया गया था। किन्तु उपरोक्त प्रस्ताव शासन के अभिलेखानुसार प्राप्त न होने का उल्लेख श्री अवस्थी बाला प्रसाद, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये विधान सभा के प्रथम सत्र-2020 के द्वितीय सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-16 के उत्तर में किया गया है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त कर्मचारी का शासन द्वारा जनपद सोनभद्र के स्थान पर बाराबंकी से लखनऊ के समीप जनपद उन्नाव में शासन के पत्र दिनांक 12 फरवरी 2015 के द्वारा स्थानान्तरण किया गया था। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है चूँकि उपरोक्त कर्मचारी

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को बाराबंकी से सुदूर सोनभद्र स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया था। इसलिए यह बिल्कुल सम्भव है कि शासन/स्वास्थ्य महानिदेशालय एवं उपरोक्त कार्मिक के मध्य गांठ हो गयी हो, तभी उपरोक्त पत्र गायब/नष्ट कर दिया गया। उपरोक्त पत्र स्वास्थ्य महानिदेशालय से निर्गत होने के बाद शासन में न प्राप्त होना, न केवल शासन, बल्कि स्वास्थ्य महानिदेशालय की भूमिका संदिग्ध है। इस प्रकरण की तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन में शिकायतें की जा चुकी हैं किन्तु शासन अपने को फॅसता देखकर अब तक कोई भी जांच नहीं करायी गयी है। अतएव उपरोक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय शासन स्तर पर जांच कमेटी गठित कर जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो सके।

अतः अविलम्बनीय जनहित एवं लोक महत्व के इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से प्रभावी कार्रवाई किये जाने हेतु वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अयोध्या में किसानों को तत्काल ऋण मोचन योजना के धन आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, प्रदेश के किसानों की समृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किसान ऋणमोचन योजना का शुभारम्भ किया गया जिससे प्रदेश के करोड़ों किसानों को फायदा मिल चुका है। जनपद अयोध्या अन्तर्गत लगभग 5000 किसान ऋणमोचन योजना से वंचित रह गये हैं। जनपद अयोध्या की रूदौली तहसील सहित सभी पाँचों तहसीलों के बहुत से किसानों को ऋणमोचन योजना का लाभ न मिलने पर किसानों ने आनलाइन शिकायत भी किया जिसकी जांच कराकर जिलाधिकारी अयोध्या ने अपनी संस्तुति प्रमुख सचिव, कृषि को भेज दी है, परन्तु अभी तक उनका बजट जारी नहीं हो सका है। जनपद अयोध्या के सभी पात्र किसानों को तत्काल ऋणमोचन योजना के धन आवंटन की आवश्यकता है जिससे जनपद के हजारों किसान ऋण से मुक्ति पा सकें।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सरकार से कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के आगरा विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत शिवम धाम कालोनी का रास्ता एवं गेट खुलवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा बनाये गये नियम-कानूनों और उनके द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन न होने के कारण अराजकता का माहौल अपनी चरम सीमा पर है। रोज नये नियम-कानून बन तो जाते हैं, परन्तु

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनका पालन न करना आम बात हो गयी है। अधिकारी और अपराधी अपना मनमाना खेल खेलते रहते हैं और पीड़ित दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है।

ऐसा ही एक मामला जनपद आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की मनमानी का संज्ञान में आया है। जिसमें आगरा के चमरौली गाँव के खसरा नम्बर 205 में बनी कालोनी शिवम धाम का 30 फीट चौड़ा रोड दो रास्तों को आपस में जोड़ता है, जिसे कालोनी में रहने वाले कुछ दबंगों द्वारा एक तरफ से 12 फीट तथा दूसरी तरफ से 05 फीट का गेट व दीवार लगाकर जबरन बन्द कर दिया है। जब किसी भी रास्ता पर अतिक्रमण गैर कानूनी होता है तो उसे कोई भी बहाना बनाकर रोका नहीं जा सकता और अधिकारियों से शिकायत करने पर उनके द्वारा गेट व दीवार को गैर कानूनी मानते हुये दिनांक 27-03-2018, 02-04-2018, 10-04-2018, 09-05-2018, 22-10-2019, 11-12-2019, 24-01-2020 तथा 28-02-2020 तारीखें गेट खुलवाने/तुड़वाने के लिए निश्चित की गयी। बिडम्बना देखिये इतनी तारीख लगने के बाद भी आज तक इस गैर कानूनी अतिक्रमण को हटाने में शासन-प्रशासन पंगु साबित हो रहा है। इससे सरकार की घोर बदनामी हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये सरकार से मांग करता हूं कि उक्त शिवम धाम कालोनी का रास्ता खोलने के लिए अवैध गेट को खुलवाने के साथ-साथ जनता की सहूलियत के लिए बनाये गये नियम-कानूनों/आदेशों का पालन कराये जाने के क्रम में अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्य प्रणाली का संज्ञान लिया जाय।]

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड नारखी अन्तर्गत ग्राम पंचायत नारखी ताल्लुका एवं नारखी धौंकल में मानक से अधिक फ्लोराइड युक्त भू-मार्ग जल के लिये पृथक-पृथक पाइप पेयजल योजना हेतु सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार के माध्यम से अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[मान्यवर, जनपद फिरोजाबाद में विकास खण्ड नारखी की ग्राम पंचायत नारखी ताल्लुका एवं नारखी धौंकल में मानक से अधिक फ्लोराइड पाये जाने के उपरांत पृथक-पृथक एकल पाइप पेयजल योजना का विस्तृत प्राक्कलन धनराशि क्रमशः रुपये 785.31 लाख एवं रुपये 731.20 लाख विचरित कर दिनांक 14/03/2020 को प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति में प्रस्तुत करे गये तथा दोनों परियोजनाओं की लागत रुपये 5 करोड़ से अधिक होने के कारण पुनः वेटिंग कराये जाने के निर्देशों के अनुपालन में इन दोनों प्राक्कलनों का अलीगढ़ मुस्लिम

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यूनीवर्सिटी अलीगढ़ से दिनांक 05/06/2020 को वेटिंग कराते हुये मुख्यालय उ0प्र0 जल निगम लखनऊ को प्रेषित किये जा चुके हैं।

वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत DWSM (डिस्ट्रिक वाटर एवं सीवरेज मिशन) के अन्तर्गत संबंधित ग्राम पंचायत के द्वारा परियोजना की कुल धनराशि का 10% अंशदान देने पर ही परियोजना स्वीकृति का प्रावधान करा गया है।

उल्लेखनीय है कि शासन के जिम्मेवार विभागों एवं ऐजेंसियों के द्वारा सर्वेक्षण/जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत नारखी ताल्लुका एवं नारखी धौंकल में भूगर्भ जल के अंदर फ्लोराइड एवं आर्सेनिक की मात्रा मानकों से अधिक है तथा यह जीवन के लिये अत्यंत घातक है। इन ग्राम पंचायतों को पूरे वर्ष भर में मिलने वाली सम्पूर्ण धनराशि से भी इन परियोजनाओं के 10% हिस्सों का अंशदान नहीं दिया जा सकता है।

ऐसी स्थिति में इस ग्राम पंचायतों में इस योजना के अन्तर्गत पेयजल योजना संचालित नहीं की जा सकती है, जिससे इन क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर बहुत गम्भीर संकट मंडराता रहेगा।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये मानकों से अधिक फ्लोराइड युक्त भूमार्ग जल वाली नारखी ताल्लुका एवं नारखी धौंकल ग्राम पंचायतों में पृथक-पृथक एकल पाइप पेयजल योजना हेतु सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार के माध्यम से अवमुक्त कराते हुये तत्काल प्रभाव में पेयजल योजना आरम्भ कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव में लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[मान्यवर, आपको सादर अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत निम्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की विशेष मरम्मत कराये जाने हेतु आगणन/प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ में विचाराधीन है। वांछित सड़कों का समय से निर्माण कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक है। महोदय इस मार्ग पर जनता को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस क्षेत्र में सडक का निर्माण न होने के कारण स्थिति भयावह बनी हुई है। यह लोक महत्व का विषय है।

1-कायमपुर निबरवारा सम्पर्क मार्ग की लम्बाई-4.400 कि0मी0 आबादी भाग सी0सी0 रोड, नाली एवं शेष भाग में विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-सफीपुर रसूलाबाद (अ0ज0मा0) के कि0मी0-05 से देवगांव सम्पर्क मार्ग के आबादी भाग में आर0सी0सी0 रोड, नाली एवं शेष भाग में विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य कराये जाने हेतु।

3-कुरसठ ग्रामीण सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण लम्बाई-5.5 कि0मी0 निर्माण कार्य कराये जाने हेतु।

4-देवगांव सम्पर्क मार्ग के कि0मी0-1 में 16.00 मी0 स्थान के लघु सेतु व पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु।

5-सण्डीला-रसूलाबाद-चकलवंशी मार्ग के कि0मी0-32 से बनौनी सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत उपरोक्त वांछित क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की विशेष मरम्मत कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग में प्रस्तावित आगणन/प्रस्ताव के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु आदेश देने का कष्ट करें।]

बुन्देलखण्ड में बिजली विभाग में किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन के अन्तर्गत मिलने वाली छूट व किसानों को कनेक्शन का सामान दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी-

[मान्यवर, निवेदन के साथ अवगत कराना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड अति पिछड़ा व संसाधन विहीन क्षेत्र है तथा यहां का किसान सदैव नाना प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त व पीड़ित रहता है, यहां के तमाम किसान गत वर्षों से बिजली विभाग में नलकूप कनेक्शन का पैसा जमा किये चक्कर लगा रहे हैं, न तो किसानों को अभी तक कनेक्शन दिये गये और न ही नलकूप कनेक्शन के अन्तर्गत मिलने वाली छूट मिली है। खरीफ की फसल का सीजन बीत गया लेकिन अभी तक बिजली विभाग द्वारा किसानों को न तो ट्यूबवेल कनेक्शन के अन्तर्गत मिलने वाली छूट दी गई और न ही ट्यूबवेल कनेक्शन का सामान उपलब्ध कराया गया है। बिजली विभाग का चक्कर काटते-काटते किसान परेशान हो चुका है।

अतः महोदय उपर्युक्त लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से अनुरोध सहित बुन्देलखण्ड के किसानों को बिजली विभाग द्वारा ट्यूवबेल कनेक्शन के अन्तर्गत मिलने वाली छूट व किसानों को ट्यूवबेल कनेक्शन का सामान उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत लिपोलिक भिंड मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर में लिपोलिक भिण्ड मार्ग स्टेट हाई-वे से नेशनल हाई-वे में परिवर्तित किया गया है विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त स्टेट हाई-वे पर शाहजहांपुर से खनका पुल जनपद पीलीभीत के बार्डर तक अनेकों जगह बड़े-बड़े गड्ढों में उपरोक्त सड़क तबदील हो गयी है जिस पर विभाग द्वारा पैच भरे जा रहे हैं एक तरफ पैच भरे जा रहे हैं दूसरी तरफ उखड़ जाते हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं क्योंकि इस सड़क से हजारों की संख्या में छोटे, बड़े वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं जिस कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है यदि इस सड़क का अतिशीघ्र चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण नहीं किया गया तो कभी भी बड़ी संख्या में जनहानि हो सकती है उपरोक्त लिपोलिक भिण्ड मार्ग की भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण की संस्तुति की जा चुकी है लेकिन इस सड़क पर अभी तक कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया उपरोक्त मार्ग का अतिशीघ्र सही ढंग से मरम्मत/डामरीकरण कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्वनीय विषय पर उपरोक्त स्टेट हाई-वे की अतिशीघ्र मरम्मत/डामरीकरण कराये जाने की कार्रवाई करने को सदन का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के अन्तर्गत वि0ख0-फूलपुर के ग्राम-सभा-लिलहट मुख्यमार्ग से गाँव तक (लम्बाई लगभग 1 कि0मी0) एवं ग्राम कोड़ापुर से दीवनगंज तक (लम्बाई लगभग 1 कि0मी0) बहुत ही जर्जर है। जिससे लोगों को आवागमन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उक्त वि0ख0 के दोनों मार्गों के निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से पत्राचार तथा अनुरोध किया गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है, स्थिति विस्फोटक है।

अतः इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त मार्गों का निर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने की कार्रवाई/वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत राजकीय आई0टी0आई0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रिंस वीर विक्रम सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र 131, कटरा के अन्तर्गत राजकीय आई0टी0आई0 कॉलेज न होने से यहाँ के छात्र-छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विकास खण्ड-खुदागंज के अन्तर्गत ग्राम सूथा में ग्राम-समाज की काफी भूमि खाली पड़ी है। यदि यहाँ पर राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना करा दिया जाए तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश इच्छुक छात्र-छात्राएं व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा विभाग के उच्चाधिकारियों को कई बार पत्र लिखा जा चुका है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रकरण पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत मुंसिफ कोर्ट भवन का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूल चन्द्र सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 219-माधौगढ़ जनपद जालौन के अन्तर्गत कोंच में मुंसिफ कोर्ट भवन जर्जर हालत में है। जनहित में मुंसिफ कोर्ट भवन का सुदृढ़ीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर लघु सेतुओं का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[मान्यवर, जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र एंव तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत ग्राम खरगपुर खुर्द एवं ग्राम रम्वोझा के मध्य अमेड़ी नदी पर तथा इसी प्रकार ग्राम पुरैनियां रामगुलाम एवं ग्राम मझाड़ा के मध्य भी अमेड़ी नदी पर ही उक्त दोनों स्थलों पर 'रपटा' लघु सेतुओं का निर्माण है। यह दोनों सेतु काफी पुराने होने के कारण जीर्ण-शीर्ण दशा में है तथा बरसात के दिनों में इन दोनों मार्गों पर आवागमन बन्द हो जाता है। यह दोनों ही मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 731 (क) से प्रारम्भ होकर इन पुलों से पृथक-पृथक होते हुए बीसलपुर, पूरनपुर मार्ग

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से मिलते हैं। इसलिए इन दोनों मार्गों पर आवागमन सघन रहता है। इन दोनों रपटा सेतुओं के स्थान पर लघु सेतुओं का निर्माण नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाय तथा उपरोक्त दोनों रपटा सेतुओं के स्थान पर लघु सेतुओं का निर्माण सुनिश्चित किया जाये।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत राजेसुल्तानपुर एवं जहांगीरगंज को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अनीता-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकनगर के अन्तर्गत राजेसुल्तानपुर और जहांगीरगंज प्रमुख कस्बा है। ये कस्बे विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। इन कस्बों को नगर पंचायत बनाकर विकास कार्य कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसकी काफी समय से मांग की जा रही है परन्तु जनपद स्तर के अधिकारियों की उदासीनता के कारण अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कस्बा राजेसुल्तानपुर एवं जहाँगीरगंज को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत टोंस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ के समय कतिपय ग्राम सभाओं में ठोकर न होने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत बहने वाली टोंस नदी के किनारे ठोकर न होने की वजह से प्रतिवर्ष सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो जाया करती है जिससे यहां के काश्तकारों में भारी रोष व्याप्त है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत टोंस नदी के किनारे ग्राम सभा तिराहीपुर, आमघाट बेसवान, जेवनिया एवं कोड़रा में ठोकर बनाये जाने हेतु शासन से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोरोना काल में सभी निजी स्कूलों के बन्द होने के कारण छात्र-छात्राओं के फीस माफ न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[मान्यवर, कोरोना काल में 25 मार्च से सभी स्कूल (प्राइमरी, अपर प्राइमरी तथा माध्यमिक) लगातार बन्द चल रहे हैं। इस दौरान नागरिकों की आय भी बुरी तरह प्रभावित हुई है तथा अधिकांश मध्यम वर्गीय तथा गरीब वर्ग के नागरिकों का जीवन आर्थिक रूप से दूभर हो गया है। बहुत से परिवारों का घरेलू-खर्च नहीं चल पा रहा है। ऐसे में इन परिवारों की सरकार से अपेक्षा है कि अगर विद्यालय बन्द हैं तो उनसे फीस न ली जाये।

शासन की ओर से बेसिक/माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि विद्यालय फीस के लिये अभिभावकों पर दबाव न बनायें, एक महीने से अधिक फीस न लें, मासिक शुल्क के अलावा अतिरिक्त फीस (वार्षिक, फर्नीचर, लाईब्रेरी, खेलकूद, परिवहन आदि) ने लें। लेकिन अधिकांश जिला विद्यालय निरीक्षकों तथा बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इन आदेशों का अनुपालन नहीं कराया और विद्यालयों ने 15-16 हजार क्वार्टरली फीस प्रति बच्चा 8-10 हजार फीस जबरन वसूली गई तथा महंगी पुस्तकें खरीदने के लिये बाध्य किया।

स्कूल एजुकेशन की जगह ऑन लाइन एजुकेशन देने की रस्म अदायगी की गई। जिसके पाठ्यक्रम गैर अनुभवी स्थानीय शिक्षकों द्वारा बनाये गये तथा अधिकांश बच्चों को यह ऑन लाइन शिक्षा नहीं के बराबर प्राप्त की। विद्यालयों का कहना था कि उन्हें शिक्षकों को वेतन देना है, इसलिये फीस लेना जरूरी है। यह पूरी तरह सुतार्किक है। शिक्षकों को वेतन देने का काम बच्चों के 25% फीस के हिस्से से किया जा सकता है। अतः सरकार से निवेदन है कि कृपया ये इस सन्दर्भ में पुनर्विचार करें।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय तथा निश्चित विषय पर नियम-301 के तहत जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

आंगनबाड़ी कार्यकत्री का ब्लाक मल्लावां जनपद फतेहपुर से लखनऊ जनपद की परियोजना आलमनगर के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केंद्र, बरफखाना, हरिजन पाठशाला, उदयगंज, लखनऊ में समायोजन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अनिल कुमार मौर्य-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री श्रीमती अनीता देवी ब्लाक मल्लावां जनपद फतेहपुर के ग्रा0 पंचायत भवन, मौहार केन्द्र-6 में कार्यरत हैं। जिनकी शादी लखनऊ में हुई है। प्रार्थिनी के 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं। घर में बच्चों की देख-रेख करने वाला कोई नहीं है जिनकी वजह से बच्चों की परवरिश में

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बड़ी समस्या आ रही है। महात्मा गांधी वार्ड के बरफखाना के हरिजन पाठशाला, उदयगंज, लखनऊ में आंगनबाड़ी केन्द्र जो कि सीमा (उर्फ) शारदा नाम की आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा चलाया जा रहा था जिसकी कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है, तब से आज तक उक्त केन्द्र का पद रिक्त चल रहा है।

अतः महोदय सदन के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकत्री श्रीमती अनीता देवी के ब्लाक मल्लावां जनपद फतेहपुर से लखनऊ जनपद की परियोजना आलमनगर के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र, बरफखाना, हरिजन पाठशाला, उदयगंज, लखनऊ में समायोजन करने की मांग करता हूँ।]

[11:06 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

दिनांक 21-08-2020 एवं 22-08-2020 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 103 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की प्रदेश में कोविड-19 की खरीद में हो रहे घोटाले के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री विनय शंकर तिवारी की जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड बड़हलगंज के ग्राम पंचायत राम नगर डेरवा में स्थित बाढ़ शरणालय एवं काजी हाउस पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरीं सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की कोविड-19 के इलाज में सरकारी विफलता के बाद प्राइवेट अस्पतालों द्वारा अवैध वसूली के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज में तहसील परिसर व गोसाईंगंज रोड सहित पूरे क्षेत्र में जल-भराव के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री अनिल दोहरे की जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम स्थित ग्राम बकखापुरवा निवासी खेमकरन पुत्र रामचन्द्र को न्याय दिलाते हुए जनपद उन्नाव में लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्त किये जाने एवं उक्त विषय में दोषी कर्मचारियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री त्रिवेणी राम की जनपद गाजीपुर के ग्राम हुरमुजपुर में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री दयाराम चौधरी की श्री अजय कुमार पाण्डेय वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिक कार्यालय, फाइलेरिया नियंत्रण इकाई, गोरखपुर को 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ग्रेड-पे 5400 की अनुमन्यता के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना हाजी इरफान सोलंकी की वित्त विभाग के अधीन आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, उ0प्र0, लखनऊ के अधीन प्रदेश के विभिन्न 93 विभागों के सहायक लेखाकारों की पदोन्नति के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव की जनपद बाराबंकी नगर पालिका शहरी क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली सकलडीहा घाट मार्ग के 10 कि0मी0 में मानक के विपरीत एवं चिन्हित स्थान से दूर नाली निर्माण के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव के अन्तर्गत ग्राम शिवसिंहपुर, ग्राम पंचायत मंछना, निवासी राम औतार सिंह द्वारा लेखपाल से सांठ-गांठ करके ग्राम पंचायत की सैकड़ों बीघा जमीन पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है,

बाराहवीं सूचना श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव की बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा जारी की गई निविदाओं में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की जनपद गाजीपुर में जिला पंचायत राज अधिकारी श्री अनिल कुमार सिंह द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री योगेश वर्मा की जनपद सीतापुर के ब्लाक सिधौली के ग्राम अहलादपुर में लगभग डेढ़ किलोमीटर की सड़क सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत स्थापित किसान सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद की गन्ना पेराई क्षमता बढ़ाने, अल्कोहल एवं बिजली प्लान्ट निर्माण, प्रेस मड से जैविक खाद बनाये जाने हेतु इकाई व बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवाबगंज के डाक्टर व अन्य स्टाफ की घोर लापरवाही के कारण हुए बच्चे की मौत की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के नगर पालिकाओं एवं ग्राम सभाओं में ट्रांसफार्मर उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाहरवीं सूचना श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की जनपद महोबा के प्रत्येक ग्राम सभा में आवारा पशुओं के खुले आम घूमने से हो रही समस्याओं का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय, रामपुर मनिहारन के निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री गौरी शंकर की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के ग्राम ऐर में नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कसवीं सूचना श्री पल्टूराम की जनपद बलरामपुर की विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर सदर में सीवर लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी की जनपद कुशीनगर के प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री शशि कुमार सिंह को स्थानान्तरण उपरान्त कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में एन0एच0-91 से टमकौली-बरौली मार्ग के अवशेष भाग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चसवीं सूचना डा0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री मूलचन्द्र सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के डूडा अधिकारियों के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री राजेश कुमार सिंह की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना डा0 विमलेश पासवान की जनपद जौनपुर के विकास खण्ड खुटहन के ग्राम पंचायत

गभीरन में श्री महेन्द्र यादव के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, 30वीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी के तहसील मोंठ में ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कतीसवीं सूचना श्रीमती सरोज सोनकर की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के विकास खण्ड मिहीपुरवा के खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री लाल बहादुर की जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर के ग्राम कनैली गांव में काली माता मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेंतसवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की राजकीय संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज, लखनऊ के सीनियर लैब टेक्नीशियन द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौतीसवीं सूचना श्री चेतराम की प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों के अवशेष वेतन एरियर, जी0पी0एफ0 आदि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैतीसवीं सूचना श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना प्रिंस वीर विक्रम सिंह जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के ग्राम पच्चड़ घाट में वैगुल नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की प्रदेश में बुनकरों को पावर लूम हेतु विद्युत बिल के भुगतान में हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्रीमती बन्दना सिंह की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में घाघरा नदी की बाढ़ से बचाने हेतु रिंग बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नतालिसवीं सूचना डा0 हरगोविन्द भार्गव की प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के प्रान खातों में अंशदान को अद्यतन कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालिसवीं सूचना श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी की जनपद लखनऊ के गोविन्द नगर, नरपतखेड़ा, पारा में क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्तालिसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैतालिसवीं सूचना श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की जनपद आजमगढ़ के एराइज इण्डिया क्रियेशन ग्रुप द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने एवं निवेशकों को बकाया भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम सभा चकिया गिर्दकोट में पुलिस उत्पीड़न की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैतालिसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में कटान रोकने हेतु ठोकरें लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री विनोद कटियार की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर में महापुरुष लकीशाह बंजारा की मूर्ति लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, सैतालिसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र मैथानी की जनपद कानपुर में नमक फैक्ट्री चौराहे से लेकर मसवानपुर (केसा) चौराहे तक मार्ग

का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना श्री हरीराम की जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में एन0सी0एल0 में काम कर रही आउटसोर्सिंग कम्पनियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं में विस्थापित एवं मूल निवासियों को रोजगार दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, उनचासवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में कोविड-19 के नियंत्रणार्थ उपलब्ध कराई गई धनराशि में हुए घोटाले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की पूरे गोरखपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में बांस, बल्ली पर खतरनाक ढंग से लटके तारों को विद्युत पोलों पर डालने, जर्जर तालों तथा पोलों को बदलने तथा मकानों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन वायर हटाने के सम्बन्ध में है, इक्वानवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ में शहरी क्षेत्र में अवैध कही जाने वाली आवासीय कालोनियों को वैध करने के लम्बित प्रस्ताव का निस्तारण तथा जनता को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री हरिओउम यादव की जनपद आजमगढ़ के क्षेत्र ठेकवा में सरायपल्टू के पास नवसृजित देशी शराब की दुकान को अन्यत्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद लखनऊ के राजनगर कालोनी के कंचनपुर, मटियारी में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल से लाये जाने वाले खनन (उप खनिज) से रोक हटाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की दिनांक 07 अगस्त, 2020 को केरल में हुए विमान दुर्घटना में शहीद जनपद मथुरा के पायलट श्री अखिलेश शर्मा को सरकार द्वारा शहीद का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री विजय कुमार राजभर की जनपद मऊ के विकास खण्ड कोपागंज में मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना डा0 अनिल कुमार मौर्य की उत्तर प्रदेश सचिवालय में वैयक्तिक सहायक के रिक्त पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से वर्ष 1998 में हुई नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्सठवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की कोविड-19 के संक्रमण काल में प्रवासी मजदूरों के सहायता हेतु जिला प्रशासन बस्ती को सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज वितरण हेतु धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री विनय शाक्य की मेसर्स अज्योर पावर नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में गैर कानूनी ढंग से सोलर प्लाण्ट लगाये जाने के सम्बन्ध में है, इक्सठवीं सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, फतेहपुर में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'' की जनपद लखनऊ थाना पी0जी0आई0 के अन्तर्गत खसरा सं0-1656/6 मि0जु0 पर अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में रेलवे ओवरब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, चौसठवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की जनपद झांसी में श्रीमती भारती

पत्नी श्री राकेश कुमार खिशनया निवासी 51 स्कूलपुरा थाना प्रेमनगर की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, पैसठवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद कानपुर नगर थाना बादशाही नाका के अन्तर्गत सब्जी मण्डी कुली बाजार गुलियाना में मकानों में चल रही अवैध डेयरियां हटाने के सम्बन्ध में है, छछठवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की प्रदेश में हथकरघा उद्योग के बुनकरों को मूल भूत सुविधायें प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में है, सरसठवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में हिण्डन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ में लालगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने एवं पदों का सृजन किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नसठवीं सूचना श्री राम नरेश रावत की नगरपालिका बाराबंकी में कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरहवीं सूचना श्रीमती जयदेवी की प्रदेश में चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत फार्मासिस्टों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कतहरवीं सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की श्री सिद्धार्थ कुमार सिंह, अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्यमण्डल प्रयागराज एवं अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड जौनपुर द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाहतरवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद लखनऊ बरगंवा बारा बिरवा, थाना कृष्णानगर स्थित देवा बिहार कालोनी की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिहतरवीं सूचना श्री शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'' की जनपद बस्ती की तहसील सदर में तैनात लेखपाल श्री अनिरुद्ध उपाध्याय एवं मनोज उपाध्याय द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच एवं तहसील सदर से स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौहतरवीं सूचना श्री आशीष सिंह पटेल ''आशू'' की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र बिलग्राम मल्लावां में गंगा तट पर बंधा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चतरहवीं सूचना श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी की जनपद बांदा के राजकीय जिला अस्पताल बांदा के नवीन भवन को संचालित करने के सम्बन्ध में है, छियत्तरहवीं सूचना श्री राजकुमार अग्रवाल की जनपद कानपुर में कतिपय अवैध कब्जों को हटाये जाने एवं आर0सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरहवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठतरहवीं सूचना श्री मोहम्मद असलम राइनी ''एडवोकेट'' की जनपद बहराइच के कतिपय ग्रामों को विकास खण्ड विशेसरगंज से हटाकर श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनासीवीं सूचना श्री रामवीर उपाध्याय की गौतमबुद्धनगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सवीं सूचना श्री विक्रम सिंह की एम0वी0 कालेज आफ एजूकेशन जनपद चन्दौली द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों से बी0एड0 में प्रवेश हेतु अवैध वसूली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यासवीं सूचना डा0 अरुण कुमार की जनपद बरेली में आई0टी0 पार्क की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, बायसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद

लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई संयुक्त अस्पताल को आधुनिक चिकित्सालय के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासवीं सूचना श्री संगीत सिंह सोम की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासवीं सूचना श्री बैजनाथ रावत की जनपद लखनऊ में सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चासीवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान जनपद फतेहपुर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा में निर्माण कार्य की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तासवीं सूचना श्रीमती राजबाला की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में है, अट्ठासवीं सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद जौनपुर में उषा उपवन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद मिर्जापुर में सड़क निर्माण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना पं0 राधा कृष्ण शर्मा की जनपद हरदोई की सण्डीला तहसील में भगवान बुद्ध इण्टर कालेज की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानबेवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना का सफल संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, बानबेवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के सी0एम0ओ0 कार्यालय में कार्यरत श्री अपूर्व शर्मा की मृत्यु उपरान्त अनुमन्य धनराशि एवं परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद महाराजगंज में वन टांगिया जनजाति के मजदूरों की बहुलता है जिनके विकास के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना हाजी इरफान सोलंकी की प्रदेश में बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चानबेवीं सूचना श्री अनिल कुमार दोहरे की जिला प्रशासन हरदोई के कर्मचारियों को टी0ए0, डी0ए0 प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, छियानबेवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की जनपद गोरखपुर के लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा नियम विरुद्ध किये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री राजेश कुमार सिंह की जनपद मुरादाबाद में उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठानबेवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में गौशालाओं के निर्माण सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, निन्यानबेवीं सूचना श्री मूलचन्द्र सिंह की जनपद जालौन में नलकूप कनेक्शन कराये जाने के सम्बन्ध में है, सौवीं सूचना श्री बम्बा लाल की पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना श्री मो0 मुजतबा सिद्दीकी की एस0सी0आर0टी0 के अधिकारियों की कार्यशैली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना श्री संजय गर्ग की पुलिस द्वारा अवैध चालान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा एक सौ तीनवीं सूचना श्री नन्द किशोर गुर्जर की जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है।

[11:09 बजे] प्रदेश में ध्वस्त कानून-व्यवस्था विषयक नियम-311 की सूचना सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)...

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

अध्यक्ष जी, इन लोगों के पास कोई काम नहीं है।

(विपक्ष के सदस्य कोरोना की महामारी है सरकार की लाचारी है का नारा लगाने लगे)

(घोर व्यवधान जारी)

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है मैं 31 जुलाई तक के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ सरकार की जो जीरो टालरेंस की पालिसी है इस सरकार ने इसको पूरी तरह से चरितार्थ किया हुआ है। चाहे वह पब्लिक परसेप्सन हो चाहे आंकड़ों की बात हो हर क्षेत्र में इस सरकार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। 31 जुलाई 2020 तक डकैती में 40 प्रतिशत की कमी आई है, लूट में 43 प्रतिशत की कमी है, गृहभेदन में 31 प्रतिशत की कमी है, हत्या में 8 प्रतिशत की कमी है, फिरौती हेतु अपहरण में 35 प्रतिशत की कमी है, मान्यवर, जहाँ तक महिला सम्बन्धी अपराध हैं, उसमें बलात्कार में 28 प्रतिशत की कमी है, दहेज मृत्यु में पाँच प्रतिशत की कमी है, शीलभंग में 21 प्रतिशत की कमी है, अपहरण में 36 प्रतिशत की कमी है, और छेड़खानी में 5 प्रतिशत की कमी है। पारिवारिक महिला उत्पीड़न के अपराध में 27 प्रतिशत की कमी है। पूरे प्रदेश में 31 जुलाई तक जो स्थिति है वह आपके सामने हमने रख दी। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इनके पास सिवाय शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं।

(वेल में उपस्थित सदस्य लगातार एक साथ नारे बाजी करते रहे जिस कारण घोर व्यवधान जारी रहा।)

आतंकवादियों का समर्थन कौन करता है। यह सब आतंकवादियों के समर्थक हैं।

(वेल में उपस्थित सदस्य इस सरकार में पुलिस वालों को मारा जा रहा है विधायक को पीटा जा रहा है, कह रहे थे)

इनकी जब सरकार बनी तो इन्होंने पूरे प्रदेश में आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमें वापस लेने का फरमान जारी किया।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने-अपने आसन पर चलें। मद संख्या-1 लें।

(वेल में उपस्थित सदस्य कानून व्यवस्था ध्वस्त है। [x x x] के नारे लगाने लगे)

नोट :-[x x x] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

[11:10 बजे] उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-02 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप सभी की सहमति हो तो मद संख्या-2 से लेकर मद संख्या-68 तक सभी विषय सदन के पटल पर रखे हुए माने जाएं।

(उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की)

मद संख्या 2 से मद संख्या 68 तक सभी विषयों को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-03 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-04 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-05 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-06 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-07 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

नोट :-† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-08 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-09 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-11 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-12 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-14 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

नोट :-† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-17 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020†

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-18 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-403/ग्यारह-2-9 (18) 2012-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश (98)-2020, दिनांक 27 मार्च, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-403/ग्यारह-2-9 (18) 2012-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश (98)-2020, दिनांक 27 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-5 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-411/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (99)-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-411/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (99)-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-412/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (100)-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-412/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (100)-2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 को (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सैंतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-362/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (101)-2020, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (सैंतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 को (उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

नोट :-† छापे नहीं गये।

नोट :-†† छापी नहीं गयी।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-399/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (102)-2020, दिनांक 24 अप्रैल, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-399/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (102)-2020, दिनांक 24 अप्रैल, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-427/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (105)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-427/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (105)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-429/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (107)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-429/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (107)-2020, दिनांक 30 अप्रैल, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-466/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (108)-2020, दिनांक 05 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 के शुद्धि-पत्र संख्या-466/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (108)-2020, दिनांक 05 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-424/ग्यारह-2-20-9(01)-2008-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश (109)-2020, दिनांक 06 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-424/ग्यारह-2-20-9(01)-2008-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश (109)-2020, दिनांक 06 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-5 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

नोट :-†† छापी नहीं गयी।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-436/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (110)-2020, दिनांक 11 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-436/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (110)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-437/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (111)-2020, दिनांक 11 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-437/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (111)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-438/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (112)-2020, दिनांक 11 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-438/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (112)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-439/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (113)-2020, दिनांक 11 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-439/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (113)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-441/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (114)-2020, दिनांक 11 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-441/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (114)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

नोट :-†† छापा नहीं गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-442/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (115)-2020, दिनांक 11 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-442/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (115)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-443/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (116)-2020, दिनांक 11 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-443/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (116)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-444/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (117)-2020, दिनांक 11 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-444/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (117)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-445/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (118)-2020, दिनांक 11 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-445/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (118)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अड़तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-435/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (119)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (अड़तीसवाँ संशोधन) नियमावली 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

नोट :-†† छापा नहीं गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-469/ग्यारह-2-20-9(46)-20-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (120)-2020, दिनांक 13 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-469/ग्यारह-2-20-9(46)-20-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश (120)-2020, दिनांक 13 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन् 2008) की धारा-5 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-467/ग्यारह-2-20-9 (42)-17-उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (121)-2020, दिनांक 15 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-467/ग्यारह-2-20-9 (42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (121)-2020, दिनांक 15 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उन्तालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-440/ग्यारह-2-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (122)-2020, दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उन्तालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-488/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (123)-2020, दिनांक 26 मई, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चालीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-489/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (124)-2020, दिनांक 26 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-489/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (124)-2020, दिनांक 26 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

नोट :-†† छापा नहीं गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-490/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (125)-2020, दिनांक 26 मई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-490/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (125)-2020, दिनांक 26 मई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-662/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (126)-2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-662/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (126)-2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-663/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (127)-2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-663/ग्यारह-2-20-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (127)-2020, दिनांक 01 जुलाई, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1532/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (72)-2019, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019††

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1532/ग्यारह-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (72)-2019, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तैंतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1763/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (84)-2019, दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तैंतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

नोट :-†† छापा नहीं गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-78/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (86)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-78/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (86)-2020, दिनांक 14 जनवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-85/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (91)- 2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-85/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (91)- 2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौंतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-159/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियमावली-2017-आदेश (92)-2020, दिनांक 28 जनवरी, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (चौंतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-86/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (94)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-86/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (94)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-110/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (95)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-110/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (95)-2020, दिनांक 05 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

नोट :-†† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (छत्तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-111/ग्यारह-2-9 (42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम-2017-आदेश (96)-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (छत्तीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-271/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (97)-2020, दिनांक 28 फरवरी, 2020††

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-271/ग्यारह-2-9 (47)-17-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (97)-2020, दिनांक 28 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय) उत्तर प्रदेश का प्रतिवेदन अक्टूबर, 2018 एवं उ0 प्र0 पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार के कार्यवाही ज्ञापन††

पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय) उत्तर प्रदेश का प्रतिवेदन अक्टूबर, 2018 एवं उत्तर प्रदेश पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार के कार्यवाही-ज्ञापन को संविधान के अनुच्छेद-243 (झ) (4) व 243 (म) (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् निर्माण कार्य (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020††

पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना-1425/33-2-2020-80 जी-2000, दिनांक 14 जुलाई, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् निर्माण कार्य (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की 38वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2017-2018††

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की 38वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2017-2018 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) की अपेक्षानुसार टिप्पणी सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

नोट :-†† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के स्थिति-पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2015-16†

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के स्थिति-पत्रक एवं लाभ-हानि खाता 2015-16 को दि वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, 1962 की धारा-31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली, 2018††

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4685/बत्तीस-2-2018-16-2008, दिनांक 14 अगस्त, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) नियमावली, 2018 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 की धारा-11 (2) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2018†

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या-1 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019†

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या-2 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (अड़तालीसवां संशोधन) नियमावली, 2020††

भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-310/86-2020-51 (सा0)-2019, दिनांक 05 फरवरी, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (अड़तालीसवां संशोधन) नियमावली, 2020 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28 (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

नोट :-†† छापी नहीं गयी।

नोट :-† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (उन्चासवां संशोधन) नियमावली, 2020††

भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-560/86-2020-55-08, दिनांक 18 मार्च, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (उन्चासवां संशोधन) नियमावली, 2020 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020††

भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-436/86-2020-132-2016 टी0सी0-II दिनांक 18 मार्च, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (प्रथम संशोधन) नियमावली 2020 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020†

भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग की अधिसूचना संख्या-729/86-2020-183-2011, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2020 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-10-2016 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)††

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-10-2016 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ सत्ताइसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2013-2014††

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ सत्ताइसवीं वार्षिक रिपोट 2013-2014 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखेंगे।

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ अट्ठाइसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015††

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ अट्ठाइसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-2015 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

नोट :-†† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ उन्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016†

उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ उन्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2015-2016 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-69 भी सदन के पटल पर रखा हुआ माना जाता है।

[11:10 बजे] उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-20†

उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 के अधीन गठित) के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-20 को उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा-28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा हुआ माना गया।

[11:11 बजे] दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा तथा दिनांक 21 दिसम्बर, 2017 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित तथा दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को पुनर्विचार हेतु लौटाये जाने के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश

श्री अध्यक्ष-

माननीय राज्यपाल ने इस आदरणीय सदन के लिए एक संदेश भेजा है। व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 राज्य विधान मण्डल से पारित कराये जाने के दौरान उसे राष्ट्रपति महोदय के विचारार्थ आरक्षित कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा गया था इसे पढ़ा हुआ मान लीजिए।

(वेल में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी के सदस्य, 'कानून व्यवस्था ध्वस्त है, [x x x] गन्ने का भुगतान करो, यूरिया की कालाबाजारी बन्द करो, दलित की हत्या बन्द करो, कोरोना की रोकथाम करो, गुन्डा गर्दी की सरकार, नहीं चलेगी-नहीं चलेगी' आदि नारे लगातार लगाते रहे, जिसके दौरान घोर व्यवधान होता रहा।)

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूँ कि यह संदेश पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

नोट :-† छापी नहीं गयी।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संदेश

चूंकि, व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 राज्य विधान मण्डल से पारित कराये जाने के उपरान्त उसे राष्ट्रपति महोदय के विचारार्थ आरक्षित कर भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा गया था;

और चूंकि, उक्त विधेयक में व्यवस्था की गयी थी कि रजिस्ट्रीकरण हेतु सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आवेदन पत्र-प्राप्त किये जाने के दिनांक से 90 दिन की अवधि के भीतर व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करेगा या रजिस्ट्रीकृत करने से इन्कार करेगा या रजिस्ट्रीकृत करने से आपत्ति करेगा;

और चूंकि, भारत सरकार द्वारा सुझाव दिया गया है कि उक्त सीमा को 90 दिन के बजाय 45 दिन किया जाय;

और चूंकि, भारत सरकार के उक्त सुझाव के अनुसार व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को संशोधित करने का मंत्रि-परिषद् द्वारा विनिश्चय किया गया है, जिसके लिये यह आवश्यक है कि उक्त विधेयक को भारत सरकार से वापस लेकर उसके स्थान पर भारत सरकार के उक्त सुझाव में अन्तर्विष्ट संशोधन को सम्मिलित करते हुये व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 राज्य विधान मण्डल से पारित कराकर उसे राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भारत सरकार को सन्दर्भित किया जाय;

और चूंकि, उक्त नया विधेयक लाये जाने के साथ-साथ व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को वापस लिये जाने का भी विनिश्चय मंत्रि-परिषद् द्वारा लिया जा चुका है;

अतएव मैं, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भारत का संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड (2) सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन उक्त विधेयक की मूल पार्चमेण्ट प्रतियां सदन को वापस करते हुये यह सन्देश देती हूं कि व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को वापस लिये जाने की वांछनीयता पर राज्य विधान मण्डल के दोनों सदन यथोचित समय पर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब हम अगली मद लेते हैं।

[11:12बजे] व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-200

के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था और जो संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड (2) सपठित अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-169 (2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

[11:12बजे] राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन (संशोधन) विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 02 मार्च, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 02 मार्च, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 02 मार्च, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 02 मार्च, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 02 मार्च, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 02 मार्च, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 02 मार्च, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2020 को पारित किया गया था,

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 21 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 02 मार्च, 2020 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन (संशोधन) विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से यह घोषित करता हूं कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 फरवरी, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 फरवरी, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 फरवरी, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 फरवरी, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 05 मार्च, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 फरवरी, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति

दिनांक 05 मार्च, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 फरवरी, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 02 मार्च, 2020 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 मार्च, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से यह घोषित करता हूं कि राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 फरवरी, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 मार्च, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का छठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 फरवरी, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 मार्च, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 फरवरी, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 मार्च, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से यह घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 28 फरवरी, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 28 फरवरी, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 मार्च, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

(वेल में उपस्थित विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाये जाने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग अपनी सीट पर वापस चलें।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 74 में कुछ नहीं है, अब मद संख्या-75।

[11:19 बजे] उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का प्रथम प्रतिवेदन†

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का प्रथम प्रतिवेदन, जो जल शक्ति विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-76 से मद संख्या-80 तक सभी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हुए माने जायें।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन†

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन†

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन, जो परिवहन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत हुआ माना गया।

नोट :-† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का पंचम प्रतिवेदन†

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का पंचम प्रतिवेदन, जो चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का छठवां प्रतिवेदन†

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का छठवां प्रतिवेदन, जो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-81 से लेकर मद संख्या-87 तक लोक लेखा समिति (2019-2020) के प्रतिवेदन, मद संख्या-88 से लेकर मद संख्या-89 तक प्रतिनिहित विधायन समिति (2019-2020) के प्रतिवेदन तथा मद संख्या-90 से लेकर मद संख्या-93 तक प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-20) के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हुए माने जाते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का प्रथम प्रतिवेदन†

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का प्रथम प्रतिवेदन, जो आडिट रिपोर्ट 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन†

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन†

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का तृतीय प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

नोट :-† छापा नहीं गया।

प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित खेल कूद विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित उद्यान विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का पंचम प्रतिवेदन (खण्ड-2)†

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का पंचम प्रतिवेदन (खण्ड-2), जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में उल्लिखित चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का षष्ठम् प्रतिवेदन (खण्ड-3)†

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का षष्ठम् प्रतिवेदन (खण्ड-3), जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में उल्लिखित खाद्य एवं रसद (बांट एवं माप) विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।)

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का सप्तम् प्रतिवेदन (खण्ड-2)†

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2019-2020) का सप्तम् प्रतिवेदन (खण्ड-2), जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में उल्लिखित वन विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।]

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की 'प्रतिनिहित विधायन समिति' वर्ष (2019-2020) का प्रथम प्रतिवेदन†

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की 'प्रतिनिहित विधायन समिति' वर्ष (2019-2020) का प्रथम प्रतिवेदन जो गृह (पुलिस) विभाग, वित्त विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग व ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।]

नोट :-† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की 'प्रतिनिहित विधायन समिति' वर्ष (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन†

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की 'प्रतिनिहित विधायन समिति' वर्ष (2019-2020) का द्वितीय प्रतिवेदन जो संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का चतुर्थ प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2010-2011, 2011-2012 2012-2013 एवं 2013-2014) में उल्लिखित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, बाबू शिवनाथ महाविद्यालय मथुरा, एम0एम0एच0 डिग्री कॉलेज गाजियाबाद, आर्यकन्या डिग्री कॉलेज हापुड़, मुलतानीमल मोदी महाविद्यालय, मोदीनगर गाजियाबाद, बैकुन्ठी देवी कन्या महाविद्यालय, आगरा, एम0एम0एस0वी0 डिग्री कॉलेज गाजियाबाद, प्राच्य दर्शन महाविद्यालय वृन्दावन मथुरा, किशोरी रमण महाविद्यालय मथुरा, आर0सी0ए0 महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मथुरा एवं श्री बृज बिहारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोसीकलां मथुरा से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का पंचम प्रतिवेदन†

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का पंचम प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2015-2016) में उल्लिखित नगर विकास विभाग के अधीन नगर निगम प्रयागराज से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का षष्ठम् प्रतिवेदन†

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का षष्ठम् प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2013-2014) में उल्लिखित चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

नोट :-† छापा नहीं गया।

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का सप्तम् प्रतिवेदन†

प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति (2019-2020) का सप्तम् प्रतिवेदन जो स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा विभाग के प्रतिवेदन वर्ष (2012-2013) में उल्लिखित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत किया हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-94 से लेकर मद संख्या-110 तक की सभी याचिकायें प्रस्तुत की हुई मानी जाती हैं।

(प्रस्तुत की हुई मानी गयी सभी याचिकायें संलग्न हैं)

[11:21 बजे] श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 18 याचिकाएं††

(01) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत सफीपुर नगर पंचायत की सीमा का विस्तार करके सफीपुर नगरपालिका परिषद का गठन करने के सम्बन्ध में श्री अन्नू गुरू निवासी सफीपुर जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(02) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत चकलवंशी मियाँगंज सण्डीला रोड से तीयर मोड़ के माइनर के किनारे-किनारे पतेली तकिया पुल तक (लम्बाई 20 कि0मी0) का चौड़ीकरण/उच्चीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अन्नू गुरू निवासी मियाँगंज, जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(03) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में महिला अस्पताल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रवण कुमार निवासी आसीवन, जनपद उन्नाव द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(04) जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज की ग्राम पंचायत क्षेत्र बिरसिंगपुर में आई0टी0आई0 केन्द्र की स्थापना कराने के सम्बन्ध में श्री सुधीर शुक्ला निवासी बिरसिंगपुर, उन्नाव की याचिका,

(05) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा मियाँगंज की सीमा का विस्तार करके मियाँगंज नगर पंचायत का गठन करवाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन कुमार रावत निवासी बरहाकला मियाँगंज उन्नाव की याचिका,

---

नोट :-† छापा नहीं गया।

नोट :-†† छापी नहीं गयीं।

(06) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में डिग्री कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में श्री प्रेम कुमार निवासी सफीपुर उन्नाव की याचिका,

(07) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के चकलवंशी में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में श्री रत्नेश सिंह चन्देल निवासी लहबरपुर सफीपुर, उन्नाव व अन्य की याचिका,

(08) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत मवई बृम्हनान में मण्डी परिषद द्वारा प्रस्तावित फल मण्डी व सब्जी मण्डी का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेहरू गौड़ निवासी सफीपुर उन्नाव की याचिका,

(09) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत 50 नग आर0ओ0 आधारित मिनी पेयजल योजना के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में पानी की टंकी अधिष्ठापित किये जाने हेतु प्राक्कलन के अनुसार (रुपये 476.63 लाख) धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर शुक्ला निवासी बिरसिंगपुर, उन्नाव की याचिका,

(10) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत मियाँगंज में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बध में श्री अन्नू गुरू निवासी बिरसिंगपुर जनपद उन्नाव की याचिका,

(11) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत रायपुरगढ़ी ब्लाक-नवाबगंज में नवीन राजकीय हाई स्कूल बिल्डिंग का अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तारा सिंह व अन्य निवासीगण रायपुरगढ़ी जनपद उन्नाव की याचिका,

(12) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत उन्नाव ग्रामीण क्षेत्र में उ0प्र0रा0 सड़क परिवहन विभाग की बस चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर शुक्ला निवासीगण जनपद उन्नाव व अन्य की याचिका,

(13) जनपद उन्नाव के अन्तर्गत बेलसी मांखी चौराहे से बिरसिंहपुर होते हुए परेन्दा तक सड़क का डामरीकरण/सुदृढ़ीकरण/मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर शुक्ला निवासी बिरसिंगपुर, जनपद उन्नाव व अन्य की याचिका,

(14) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत अति पिछड़े/अनुसूचित जाति के बाहुल्य क्षेत्र में इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आगणन के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में श्री विशाल विमल निवासी परेन्दा, जनपद उन्नाव व अन्य की याचिका,

(15) जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर जल निगम द्वारा निर्मित पुरानी पानी की टंकी खराब पड़ी है, की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम सिंह व अन्य निवासीगण रायपुरगढ़ी, जनपद उन्नाव की याचिका,

(16) जनपद उन्नाव के सफीपुर के अन्तर्गत नरहरपुर से अलाउद्दीन खेड़ा तक नवीन सड़क का डामरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरूण अग्निहोत्री व अन्य निवासीगण नरहरपुर, जनपद उन्नाव की याचिका,

(17) जनपद उन्नाव में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत अतहा से सकहन तक मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप अग्निहोत्री निवासी अतहा, जनपद उन्नाव व अन्य की याचिका तथा

(18) जनपद उन्नाव के अन्तर्गत सहजनपुर सम्पर्क मार्ग के नाले पर नवनी पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार निवासी अहमदपुर जनपद उन्नाव व अन्य की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

श्री विजय कुमार राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ से सम्बन्धित 19 याचिकाएं†

(01) जनपद मऊ के तहसील सदर के नगर क्षेत्र के अन्तर्गत मो0 सहादतपुरा में लगभग 20 वर्षों से बन्द पड़ी स्वदेशी काटन मिल की लगभग (19 एकड़) अहातेदार भूमि का उपयोग कर नये उद्योग लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री भवानी शंकर व अन्य की याचिका,

(02) जनपद मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा इंदारा में खाली पड़े (50) बीघा सरकारी भूमि पर मेडिकल कालेज निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीनबन्धु व अन्य की याचिका,

(03) जनपद मऊ के तहसील मुहम्मदाबाद के विकास खण्ड रानीपुर के अन्तर्गत स्थित अति प्राचीन (देई स्थान) मन्दिर की भूमि का संरक्षण, सौन्दर्यीकरण व आम जनता की मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में श्री सुमित कुमार व अन्य की याचिका,

(04) जिला मऊ के तहसील घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा नदवा सराय में स्थित पुलिस चौकी को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय राजभर व अन्य की याचिका,

(05) जिला मऊ के तहसील घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत विधान सभा के गरीब अनुसूचित वनवासी विद्यार्थियों के शिक्षा ग्रहण हेतु हास्टल निर्माण के सम्बन्ध में श्री कपिल देव व अन्य की याचिका,

(06) जनपद मऊ के तहसील घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा घोसी में स्थित जर्जर हालत में रोडवेज परिसर व भवन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अतुल विश्वकर्मा व अन्य की याचिका,

(07) जिला मऊ के तहसील घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत स्थित वृहद् जलाशय (पिऊवां ताल) की भूमि का सीमांकन कराकर संरक्षण के सम्बन्ध में श्री रामजीत निषाद निवासी ग्राम सभा पिऊवां, विकास खण्ड घोसी, जिला मऊ व अन्य की याचिका,

---

नोट :-† छापी नहीं गयीं।

(08) जिला मऊ के तहसील घोसी के विकास खण्ड घोसी के अन्तर्गत ग्राम सभा मझवारा में स्थित पुलिस चौकी को थाना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री उत्तम यादव निवासी ग्राम सभा मझवारा, विकास खण्ड घोसी, जिला मऊ व अन्य की याचिका,

(09) जिला मऊ के तहसील सदर के नगर क्षेत्र के अन्तर्गत मुं0 परदहां में लगभग 20 वर्षों से बन्द पड़ी स्वदेशी काटन मिल की खाली पड़ी भूमि का उपयोग कर नये उद्योग लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश पाण्डेय व अन्य की याचिका,

(10) जिला मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा मसिना में छोटी सरयू घाट पर आम जनमानस के आवागमन हेतु पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री दिनेश नंदन व अन्य की याचिका,

(11) जिला मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा कसारा में दशरथ राजभर के घर से समग्गन राजभर के घर तक रास्ते पर नाली, आर0सी0सी0 पटिया व इण्टरलॉकिंग के सम्बन्ध में श्री दिवाकर व अन्य की याचिका,

(12) जिला मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत इंदारा शहीद रोड से यादव बस्ती, कटवांस, राजभर बस्ती होकर देईथान स्कूल तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र राजभर व अन्य की याचिका,

(13) जिला मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा बीबीपुर में छोटी सरयू नदी पर आमजन के आवागमन हेतु पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामाश्रय एडवोकेट व अन्य की याचिका,

(14) जिला मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा फतहपुर में छोटी सरयू नदी पर आमजन के आवागमन हेतु पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में श्री रामकरन राजभर व अन्य की याचिका,

(15) जिला मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा के मुख्य मार्ग पर पुलिया के पास प्रवेश द्वार के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अनूप सिंह व अन्य की याचिका,

(16) जिला मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत महुआर में सुरेश सिंह के घर के सामने नहर पर पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री मनोज राजभर व अन्य की याचिका,

(17) जिला मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत इंदारा शहीद मार्ग से मनोज राजभर के घर तक डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में श्रीमती गीता राजभर व अन्य की याचिका,

(18) जिला मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा रईसा चट्टी से डान वास्को स्कूल तक के रास्ते पर हाट मिक्स प्लान्ट से डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुग्गन राजभर व अन्य की याचिका तथा

(19) जिला मऊ के तहसील सदर के विकास खण्ड कोपागंज के अन्तर्गत ग्राम सभा महुआर में बसगितिया नहर से गीता राजभर का घर होकर अशोक राजभर के सामने तक इण्टरलॉकिंग/आर0सी0सी0 पटीया निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्रीमती गीता राजभर व अन्य की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 याचिका एवं जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 01 याचिका†

(01) जनपद लखनऊ के गोविन्द नगर, नरपतखेड़ा पारा स्थित मुख्य मार्ग (नाला पुलिया से पहले) से श्री नरेश सिंह (बेकरी वाले) के आवास तक दूरी लगभग 50 मीटर तक क्षतिग्रस्त कच्चे मार्ग में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार पाण्डेय (अध्यक्ष) जन कल्याण समिति गोविन्द नगर पारा जनपद लखनऊ की याचिका तथा

(02) जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड हण्डिया के ग्राम झिरिहिरी के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे एन0एच0-2 से रहीम पट्टी प्रधानमंत्री सड़क तक लगभग 04 कि0मी0 जो कि अत्यन्त क्षतिग्रस्त मार्ग के नव निर्माण/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण ग्राम झिरिहिरी व पोस्ट हण्डिया, विकास खण्ड हण्डिया, जनपद प्रयागराज की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कुशीनगर से सम्बन्धित 06 याचिकाएं†

(01) जनपद बहराइच से जनपद कुशीनगर तक बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-730 पर स्थित रामकोला नगर क्षेत्र तहसील कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मैप एवं मानक के विपरीत निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवाकान्त मिश्र निवासी ग्राम मठियाधीर पो0 रामकोला जनपद कुशीनगर व अन्य की याचिका,

(02) जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत कस्तुरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सखवानिया में शिक्षण हेतु आयोग से शिक्षक की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार मल्ल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

(03) जनपद कुशीनगर की तहसील कसया को अबाध विद्युत आपूर्ति हेतु अलग से 33 के0वी0 लाइन से जोड़े जाने व भुजौली तथा हेतिमपुर फीडर को अलग-अलग करने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

---

नोट :-† छापी नहीं गयीं।

(04) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में शन्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत सपहा, शिवपुर, परवरपार व कुडवा दिलीपनगर में पुलिस चौकी स्थापित कराये जाने हेतु जनार्दन मद्धेशिया व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

(05) जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के अन्तर्गत कुशीनगर वाया मण्डेरा रतनपटी होते हुए मंलगपुर तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

(06) जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत बुद्ध की पावन निर्वाण स्थली/बौद्ध सर्किट हेतु एन0एच0 28 बी से नरसर सम्पर्क मार्ग तक पिच मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री लहरी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिकाएं प्रस्तुत की हुईं मानी गयीं।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

(01) जनपद कानपुर नगर की नमक फैक्ट्री चौराहे से लेकर मसवानपुर (केसा) चौराहा तक जुड़ने वाला डबलरोड (मुख्य मार्ग) के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री समित सरोज निवासी मसवानपुर, कानपुर व अन्य की याचिका,

(02) जनपद कानपुर के गोविन्द नगर के अन्तर्गत स्थित वार्ड-9 तात्या टोपे नगर, में बाला जी प्रापर्टी डीलर से लेकर तात्या टोपे नगर बाई पास तक और अम्बेडकर नगर नहर से मयंक स्वीट हाउस तक मुख्य सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आरती गौतम व अन्य की याचिका तथा

(03) जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा के अन्तर्गत एच ब्लॉक गुजैनी स्थित बड़ा पार्क में एवं दादानगर स्थित रामलीला पार्क में स्थित नलकूप की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घनश्याम गुप्ता निवासी विजय नगर काकादेव व अन्य की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

प्रिन्स वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 24 याचिकाएं†

(01) जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131 कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनापुर में सहमापुर सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश शर्मा निवासी सहमापुर, विकास खण्ड मदनापुर, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(02) जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र-131 कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड मदनापुर में उस्मानपुर टिसुई सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री मनमोहन शर्मा निवासी टिसुई, विकास खण्ड मदनापुर, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(03) जिला शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर में रतनपुर से नगरिया तक छूटी हुई कड़ी तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंचू गंगवार निवासी नगरिया विकास खण्ड मदनापुर, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

---

नोट :-† छापी नहीं गयीं।

(04) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के परौर में पानी की टंकी का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यवीर त्यागी निवासी परौर विकास खण्ड मिर्जापुर, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(05) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के ग्राम दहेलिया में रामगंगा नदी से बाढ़ राहत का कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश शुक्ला निवासी दहेलिया, विकास खण्ड मिर्जापुर, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(06) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मदनापुर में समसीपुर घाट पर पुल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री जगतदेव सिंह निवासी मंगटोरा, विकास खण्ड मदनापुर, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(07) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-जैतीपुर के ग्राम जैतीपुर में दीपक सिंह के यहां सरकारी नलकूप का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह निवासी जैतीपुर, विकास खण्ड जैतीपुर, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(08) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-जैतीपुर के ग्राम सिमरा में सरकारी नलकूप का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री जगतभान सिंह निवासी सिमरा, विकास खण्ड जैतीपुर, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(09) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-जैतीपुर के ग्राम अमईपुर में सरकारी नलकूप का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह निवासी अमईपुर, विकास खण्ड जैतीपुर, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(10) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-खुदागंज के अन्तर्गत पच्चड़ घाट पर पुल का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र सिंह उर्फ बिन्द्र निवासी पच्चड़, विकास खण्ड-खुदागंज, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(11) जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड-कलान के चपरा से रठैली तक सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह निवासी रठैली विकास खण्ड कलान, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(12) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-जैतीपुर के ग्राम-गढ़ियारंगीन में 33 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सतपाल गुर्जर निवासी गढ़ियारंगीन, विकास खण्ड-जैतीपुर शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(13) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-खुदागंज के अन्तर्गत कटरा से रमापुर सम्पर्क मार्ग का मरम्मतीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश प्रसाद निवासी रमापुर, विकास खण्ड खुदागंज, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(14) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-खुदागंज में भुड़िया सम्पर्क मार्ग के नवीनीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अवनेश गंगवार निवासी ग्राम भुड़िया खुदागंज, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(15) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-मदनापुर के ग्राम रसीदपुर की बिजली की लाइन को मदनापुर फीडर से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री धीरपाल सिंह निवासी ग्राम रसीदपुर, विकास खण्ड मदनापुर, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(16) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-मदनापुर के ग्राम-रसीदपुर में पानी की टंकी की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में श्री जयवीर सिंह निवासी ग्राम रसीदपुर, विकास खण्ड मदनापुर, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(17) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-खुदागंज के ग्राम लिधौआ में सरकारी नलकूप स्वीकृत कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अंसुल गुप्ता निवासी ग्राम लिधौआ, विकास खण्ड खुदागंज, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(18) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-मिर्जापुर के परौरा में 33 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह निवासी परौर, विकास खण्ड मिर्जापुर, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(19) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-खुदागंज में बाबूपुर बुजुर्ग सम्पर्क मार्ग की छूटी हुई कड़ी का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्हें सिंह निवासी ग्राम बाबूपुर बुजुर्ग, खुदागंज, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(20) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-जैतीपुर के ग्राम-ताहरपुर से खेड़ा बझेड़ा तक डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर सिंह निवासी ग्राम ताहरपुर, विकास खण्ड जैतीपुर, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(21) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-कलान में कुण्डरिया से नौगवां सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र गुप्ता निवासी कुण्डरिया, विकास खण्ड कलान, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(22) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-कलान के ग्राम कुण्डरिया में पीने के पानी की टंकी का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सिंह निवासी ग्राम कुण्डरिया, विकास खण्ड कलान, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका,

(23) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-खुदागंज में भुड़िया से अलियापुर सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष गंगवार निवासी ग्राम अलियापुर खुदागंज, शाहजहांपुर व अन्य की याचिका तथा

(24) जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड-मिर्जापुर में ककोड़ा से भूड़ी तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर सिंह निवासी ककोड़ा, विकास खण्ड मिर्जापुर, शाहजहांपुर व अन्य की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं, जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका एवं जनपद झांसी से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

(01) मृतक आश्रित पर नौकरी दिलवाने के सम्बन्ध में श्री विनीत कुमार निवासी 5 शाहनजफ रोड, हजरतगंज, लखनऊ की याचिका,

(02) उ0प्र0 पुलिस (असाधारण पेन्शन) नियमावली-1961 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों को अधिवर्षता आयु से पूर्व एवं अधिवर्षता आयु के पश्चात् मिलने वाली असाधारण एवं साधारण पेन्शन को निर्धारण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती शिवप्यारी देवी, पत्नी स्व0 उ0नि0 श्री दफेदार दुबे, निवासिनी म0न0-73, अलीशानगर, सेक्टर आई, जानकीपुरम, लखनऊ की याचिका,

(03) जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र के मोंठ ब्लाक के ग्राम बेलमा में 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरजीत राजपूत निवासी ग्राम बेलवा, ब्लाक मोंठ, जनपद झांसी व अन्य की याचिका,

(04) जनपद झांसी के चिरगांव ब्लॉक के ग्राम बकवां में 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह बुन्देला ग्राम बकवां, ब्लाक चिरगांव, जनपद झांसी व अन्य की याचिका,

(05) जनपद झांसी के बामौर ब्लॉक के ग्राम कैरोखर में 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भैया राजा सोनकिया निवासी ग्राम कैरोखर, ब्लाक-बामौर, जनपद झांसी व अन्य की याचिका,

(06) जनपद उन्नाव की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में मिनी स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप विक्रम निवासी ग्राम रम्माखेड़ा, ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर तहसील बीघापुर भगवन्तपुर उन्नाव व अन्य की याचिका,

(07) जनपद झांसी के मोंठ कस्बे के आस-पास वेयरहाउस का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल मुदगिल निवासी लालनपुरा तहसील-मोंठ, जनपद झांसी व अन्य की याचिका तथा

(08) जनपद झांसी के गुरसराय ब्लाक के ग्राम बिजौरा में 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवेन्द्र पटेल निवासी ग्राम बिजौरा, ब्लाक-गुरसराय, जनपद झांसी व अन्य की याचिकाएं प्रस्तुत की हुईं मानी गयीं।

नोट :-† छापी नहीं गयीं।

कुँ0 नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

जनपद जालौन के विकास खण्ड कदौरा के ग्राम उसरगांव में जल निकासी के सम्बन्ध में श्री गंगाराम विश्वकर्मा निवासी उसरगांव जालौन व अन्य की याचिका प्रस्तुत की हुईं मानी गयीं।

श्री ओम प्रकाश राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

(01) जनपद गाजीपुर के ग्राम धरिहा, मरदहा में वीरेन्द्र यादव के घर के सामने से (शंकर जी के मन्दिर तक) गोपालपुर मार्ग तक 200 मीटर इण्टरलॉकिंग रोड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

(02) जनपद गाजीपुर के ग्राम कासिमाबाद, मरदह में दुरखुशी चट्टी से अम्बेडकर मूर्ति स्थल तक सड़क से ग्राम में एक चकरोड आया है उक्त चकरोड पर बदन के घर से अमरनाथ तथा त्रिभुवन के घर तक इण्टरलॉकिंग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अच्छे लाल निवासी दुरखुर्शी, जनपद गाजीपुर व अन्य की याचिका,

(03) जनपद गाजीपुर के ग्राम सरार उर्फ हैदरमंच ब्लाक प्रभारी मरदह (1.00 कि0मी0) तक जर्जर रोड का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री हरिन्द्र राजभर निवासी शहबाजपुर, पो0 व ब्लाक कासिमाबाद, जनपद गाजीपुर व अन्य की याचिका तथा

(04) जनपद गाजीपुर के ग्राम व पोस्ट रेंगा, थाना बरेसर, ब्लाक कासिमाबाद के गोधनी में छोटा पुल बनाने के सम्बन्ध में श्री सुदगा प्रसाद निवासी जगदीशपुर, पोस्ट रेंगा, जनपद गाजीपुर व अन्य की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

श्री गौरी शंकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

(01) जनपद जालौन के अन्तर्गत नगर पंचायत एट (नव सृजित) में मैंने बाजार में दोनों तरफ नाला बनवाने के सम्बन्ध में श्री लखन लाल गुप्ता व अन्य निवासीगण नगर पंचायत एट जनपद जालौन की याचिका,

(02) जनपद जालौन के विकास खण्ड कोंच के ग्राम पिरौना में 400 के0वी0 ट्रान्सफार्मर लगाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश गुप्ता व अन्य निवासीगण ग्राम पिरौना, जनपद जालौन की याचिका,

(03) जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के ग्राम चौरसी के निकला मलंगा नाला पर रपटा के निर्माण के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम जलालपुर चिरगुवा, जनपद जालौन व अन्य की याचिका,

(04) जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के ग्राम बघौली में हनुमान मन्दिर के पास पिचिंग बनाने के सम्बन्ध में श्री जहार राजपूत व अन्य निवासीगण ग्राम बघौली, जनपद जालौन की याचिका तथा

नोट :-† छापी नहीं गयीं।

(05) जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के ग्राम ऐर के खरका के आस-पास 33 के0वी0 के पावर हाउस की स्थापना के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र कुमार राजपूत निवासी ग्राम ददरी जनपद जालौन व अन्य की याचिकाएं प्रस्तुत की हुईं मानी गयीं।

श्रीमती सुषमा पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

(01) जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मछलीशहर के ग्राम सभा भरहूपुर में सबरजीत के घर से बबुरा पिच रोड तक पिच मार्ग (ल0 लगभग 2.5 कि0मी0) का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री शोभनाथ पटेल निवासी विकास खण्ड मछलीशहर जौनपुर व अन्य की याचिका तथा

(02) जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज के बाजार में स्थित राज्य परिवहन निगम के सुजानगंज डिपो की जीर्ण-शीर्ण एवं जर्जर दशा में सुधार कराए जाने के सम्बन्ध में श्री लालमणि विश्वकर्मा निवासी सुजानगंज, जौनपुर व अन्य की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित 14 याचिकाएं†

(01) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम बडागांव में पानी की टंकी निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी गुप्ता निवासी ग्राम बडागांव विकास खण्ड चित्तौरा जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(02) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम सुसरौली में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामराज (प्रधान) निवासी ग्राम सुसरौली विकास खण्ड चित्तौरा जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(03) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम बड़ागांव में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवीबख्श सिंह निवासी ग्राम बड़ागांव विकास खण्ड हुजूरपुर जनपद बहराइच व अन्य की याचिका,

(04) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम बरावा भदौली में बारातघर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम निवासी ग्राम बराव भदौली विकास खण्ड चित्तौरा जनपद बहराइच व अन्य की याचिका,

(05) जनपद बहराइच के विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम बड़ागांव में बारातघर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवीबख्श सिंह निवासी ग्राम बड़ागांव विकास खण्ड हुजूरपुर जनपद बहराइच व अन्य की याचिका,

---

नोट :-† छापी नहीं गयीं।

(06) जनपद बहराइच के विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम बरावा भदौली में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम निवासी ग्राम बरावां भदौली विकास खण्ड चित्तौरा जनपद बहराइच व अन्य की याचिका,

(07) जनपद बहराइच के विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर में बारातघर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील ग्राम प्रधान निवासी ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड चित्तौरा जनपद बहराइच व अन्य की याचिका,

(08) जनपद बहराइच के विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम रसूलपुर में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंजनी वर्मा निवासी ग्राम रसूलपुर विकास खण्ड चित्तौरा जनपद बहराइच व अन्य की याचिका,

(09) जनपद बहराइच के विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम बड़ागांव में बारातघर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी गुप्ता निवासी ग्राम बड़ागांव विकास खण्ड चित्तौरा जनपद बहराइच व अन्य की याचिका,

(10) जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम बरागुन्नू में अमिरका प्रसाद यादव के घर के पश्चिम पुलिया तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकेवल गुप्ता निवासी ग्राम बरागुन्नू विकास खण्ड चित्तौरा जनपद बहराइच व अन्य की याचिका,

(11) जनपद बहराइच के विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम बरागुन्नू में बारातघर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकेवल गुप्ता निवासी ग्राम बरागुन्नू विकास खण्ड चित्तौरा जनपद बहराइच व अन्य की याचिका,

(12) जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम खुटेहना में बारातघर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रदेव त्रिपाठी निवासी ग्राम खुटेहना विकास खण्ड पयागपुर जनपद बहराइच व अन्य की याचिका,

(13) जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम खुटेहना में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रदेव त्रिपाठी निवासी ग्राम खुटेहना विकास खण्ड पयागपुर जनपद बहराइच व अन्य की याचिका तथा

(14) जनपद बहराइच के विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत मो0 सूफीपुरा (निकट-सरस्वती विद्या मन्दिर स्कूल के पीछे) वेद प्रकाश चौधरी के मकान से लेकर रंजीत सिंह के मकान होते हुए व चन्द्रकान्ती श्रीवास्तव (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के मकरल होते हुए इन्द्र बहादुर के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकरन सिंह निवासी मोहल्ला सफीपुर विकास खण्ड सदर जनपद बहराइच व अन्य की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

(01) जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम पहाड़पुर में भूरी सिंह के ट्यूबवेल से आम वाली ठार होकर प्राथमिक पाठशाला तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री भोलेराम निवासी ग्राम पहाड़पुर जिला फिरोजाबाद व अन्य की याचिका,

(02) जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम कबीरपुरा में कबीरपुरा चौराहे के पास विद्युत डी0पी0 स्थापित कराने के सम्बन्ध में श्री रामप्रकाश निवासी ग्राम कबीरपुरा जिला फिरोजाबाद व अन्य की याचिका,

(03) जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम गाजीपुर में गाजीपुर से नगला उदी पीपल वाली ठार तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री हरीगोपाल निवासी ग्राम गाजीपुर जिला फिरोजाबाद व अन्य की याचिका,

(04) जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम उस्मानपुर में दाताराम के घर से चामुण्डा देवी के मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मकरध्वज निवासी ग्राम उस्मानपुर जिला फिरोजाबाद व अन्य की याचिका तथा

(05) जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम उस्मानपुर में लक्ष्मी के घर से माया सिंह के घर होते हुए कबीरपुरी की ठार धाराजीत के घर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल व अन्य की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

डा0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से, जनपद हमीरपुर से एवं जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 2-2 याचिकाएं, जनपद चंदौली एवं जनपद लखनऊ से संबंधित याचिका†

(01) जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन के अन्तर्गत ग्राम मोहनखेड़ा मजरा पहाड़पुर में विद्युत लाइन के तार बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम निवासी ग्राम मोहनखेड़ा पोस्ट छतिहरामपुर जनपद हरदोई की याचिका,

(02) जनपद हरदोई के विकास खण्ड भरावन के अन्तर्गत ग्राम पवायां से कटियार फार्म तक डामर रोड की मरम्मत/नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम निवासी ग्राम मोहनखेड़ा पोस्ट छतिहरामपुर जनपद हरदोई की याचिका,

(03) जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के ग्राम गढ़ा से कुटी डेरा तक मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट गढ़ा जनपद हमीरपुर की याचिका,

---

नोट :-† छापी नहीं गयीं।

(04) जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के ग्राम गढ़ा में पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट गढ़ा जनपद हमीरपुर की याचिका,

(05) जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील बांसी थाना खेसरहा साकिन दनियावार में खलिहान व खाद गड्ढे की भूमिओं में अतिक्रमण अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार यादव पुत्र रामआसरे निवासी साकिन दनियावार तप्पा खेसरहा थाना खेसरहा तहसील बांसी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका,

(06) औद्यानिक उत्पादन एवं विपणन सहकारी समिति (हाफेड) की संस्थाओं को उर्वरक की आपूर्ति कराये जाने विषयक श्री विवेकानन्द पाण्डेय पपौरा, चन्दौली की याचिका,

(07) जनपद लखनऊ के थाना कृष्णानगर में मु0अ0सं0-299/2020 ल0वि0प्र0 की कानपुर रोड योजना भाग -3 में अर्जित ग्राम औरंगाबाद खालसा में हुए भूमि प्रतिकर भुगतान प्रकरण की जांच में निर्दोषों को फसांये जाने विषयक श्रीमती अमिता श्रीवास्तव निवासी टिकैतराय कालोनी जनपद लखनऊ की याचिका तथा

(08) जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड भवनापुर के ग्राम भनवापुर से ग्राम सोहना तक लगभग 8 कि0मी0 मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

(01) जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर महिला महाविद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राममिलन निवासी ग्राम मथुरा उर्फ पारनडीह ब्लाक बहरिया जनपद प्रयागराज व अन्य की याचिका तथा

(02) जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र सोरांव में स्थापित कम क्षमता वाले विद्युत ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र मौर्या निवासी ग्राम मसूरपुर ब्लाक बहरिया जनपद प्रयागराज व अन्य की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 16 याचिकाएं†

(01) जनपद लखनऊ के निकट गोमती नदी में बनाये गये अस्थायी निर्माण को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामूदास कनौजिया निवासी ग्राम दाउदनगर, फैजुल्लागंज जनपद लखनऊ व अन्य की याचिका,

(02) जनपद लखनऊ के नहर रोड जानकीपुरम के निकट सौरभ तिवारी के घर के सामने वाली सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सौरभ तिवारी व अन्य निवासीगण जानकीपुरम जनपद लखनऊ की याचिका,

---

नोट :-† छापी नहीं गयीं।

(03) जनपद लखनऊ के मड़ियांव गांव जानकीपुरम में अजय यादव के घर से सुमेर प्रजापति के घर के सामने वाली सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुमेर प्रजापति व अन्य निवासीगण मड़ियांव गाव जानकीपुरम जनपद लखनऊ की याचिका,

(04) जनपद लखनऊ के कतिपय मोहल्लों में जलभराव से निजात दिलाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग पाण्डेय निवासी राधाग्राम ठाकुरगंज जनपद लखनऊ व अन्य की याचिका,

(05) जनपद लखनऊ के एल0डी0ए0 स्टेडियम अलीगंज को खेल विभाग को हस्तान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय यादव निवासी अलीगंज जनपद लखनऊ व अन्य की याचिका,

(06) जनपद लखनऊ वार्ड फैजुल्लागंज चतुर्थ अन्तर्गत सड़क नाली आदि मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार शुक्ला निवासी 537घ/13, भरतनगर, फैजुल्लागंज, जनपद लखनऊ व अन्य की याचिका,

(07) जनपद लखनऊ के जानकीपुरम इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से पुरनिया चौराहे तक सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री रूपाली गुप्ता, निवासिनी ई0एस0 1-365, से0-ए, जानकीपुरम, सीतापुर रोड योजना, जनपद लखनऊ व अन्य की याचिका,

(08) जनपद लखनऊ के अलीगंज के कपूरथला बाजार के निकट स्थित लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के जर्जर काम्प्लेक्स को हटा कर पार्किंग एवं बाजार स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पृथवी गुप्ता निवासी सी0-8, सेक्टर-ई, अलीगंज, जनपद लखनऊ व अन्य की याचिका,

(09) जनपद लखनऊ नगरिया झब्बन की बगिया, ठाकुरगंज में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पम्प हाउस निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुराग पाण्डेय निवासी राधाग्राम ठाकुरगंज जनपद लखनऊ व अन्य की याचिका,

(10) जनपद लखनऊ पुराना हनुमान मन्दिर अलीगंज के परिसर एवं आस-पास के क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में श्री पृथवी गुप्ता निवासी सी0-8, सेक्टर-ई, अलीगंज, जनपद लखनऊ व अन्य की याचिका,

(11) जनपद लखनऊ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड एस0बी0आई0 कालोनी, बी-1, बी-2 की सड़क एवं नाली निर्माण के सम्बन्ध में सुश्री रूपाली गुप्ता निवासिनी ई0 एस 1 से 365 सेक्टर-ए, जानकीपुरम, सीतापुर रोड योजना, लखनऊ व अन्य की याचिका,

(12) जनपद लखनऊ के नहर रोड से मड़ियांव गांव जानकीपुरम को जोड़ने वाले मुख्य सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री दीपू रावत व अन्य निवासीगण मड़ियांव गांव जानकीपुरम जनपद लखनऊ की याचिका,

(13) जनपद लखनऊ के निराला नगर सेक्टर-सी की जर्जर सड़कों के मरम्मत लेयरिंग के सम्बन्ध में श्री अतुल सिंह व अन्य निवासीगण निराला नगर जनपद लखनऊ की याचिका,

(14) जनपद लखनऊ के डालीगंज में रेलवे स्टेशन के सामने वाली सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुनील अग्रवाल व अन्य निवासीगण डालीगंज जनपद लखनऊ की याचिका,

(15) जनपद लखनऊ में चौक स्थित स्टेडियम में तरण ताल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अन्नू मिश्रा निवासी चौक जनपद लखनऊ व अन्य की याचिका,

(16) जनपद लखनऊ प्रियदर्शिनी कालोनी एवं अलीगंज में फायर स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार शुक्ला निवासी 537घ/13 भरतनगर फैजुल्लागंज जनपद लखनऊ व अन्य की याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†

जनपद रायबरेली की तहसील ऊंचाहार में महाविद्यालय हेतु श्री बैजनाथ मौर्या द्वारा जमीन को कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरायण व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-111 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-112

[11:21 बजे] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें मैं सदन के समक्ष रखता हूँ।

20 गुरुवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।
21 शुक्रवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना।
22 शनिवार	1. औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों। 2. विधायी कार्य 3. अन्य कार्य, यदि कोई हों।
23 रविवार	बैठक नहीं होगी।
24 सोमवार	1. विधायी कार्य। 2. अन्य कार्य, यदि कोई हों।

(घोर व्यवधान)

नोट :-† छापी नहीं गयीं।

***वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा रखा गया है, इससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मुझे इस आदरणीय सदन को एक सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम-63/64 के अधीन श्री विनोद कटियार, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्राइवेट चैनल भारत समाचार, समाचार प्लस, एनडीटीवी एवं इण्डिया न्यूज के मालिकों/संवाददाताओं के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना दिनांक शून्य के सन्दर्भ में सम्बन्धित न्यूज चैनलों के मालिकों/संवाददाताओं के स्पष्टीकरण से मा0 सदस्य के सहमत न होने एवं मा0 सदस्य द्वारा पुनः कार्रवाई की मांग किये जाने के कारण प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु दिनांक 19 मार्च, 2020 को विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दिया है।

उपर्युक्त मामले में दी गयी सूचना आज दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग मानी जायेगी।

(कई सदस्यों के एक साथ वेल में खड़े होकर सरकार विरोधी नारेबाजी करने पर व्यवधान)

[11:23 बजे] व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन श्री राज्यपाल के सन्देश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, 'भारत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का संविधान' के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन श्री राज्यपाल के सन्देश सहित वापस प्राप्त हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा में लम्बित व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि विधान सभा में लम्बित व्यवसाय संघ (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2017 को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

नोट :-† दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

नोट :-† दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

नोट :-† दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्धन और निस्तारण) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्धन और निस्तारण) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्धन और निस्तारण) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्धन और निस्तारण) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

[समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य वेल में आ गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे कि 'कानून-व्यवस्था ध्वस्त है, [x x x] गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करो, [x x x] पिछड़ा विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।' नारेबाजी के कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया। घोर व्यवधान के मध्य।]

नोट :-† दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

[11:30 बजे] उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नोट :-† दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वंतत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वंतत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

नोट :-† दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वंतत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

नोट :-† दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूं।

नोट :-† दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार वेल में नारेबाजी करते रहने के कारण घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही पंद्रह मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 38 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित कर दी।)

मार्शल, विधान सभा-

मा0 अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया है।

(11 बज कर 53 मिनट पर मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट तक बढ़ा दिया है।)

(इसी मध्य अपराह्न 12 बजकर 03 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य सदन के वेल में आ गये और सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे कि ''कानून-व्यवस्था ध्वस्त है, [x x x] गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करो, [x x x]यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पिछड़ा विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।'' नारेबाजी के कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।
नोट :-† दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूँ।

नोट :-† दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

नोट :-† दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नोट :-† दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित करता हूँ।

[12:09 बजे] आज सदन में पुरःस्थापित सभी विधेयकों के विचार एवं पारण की मदें, आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि आज दिनांक 22 अगस्त, 2020 को विधान सभा में पुरःस्थापित सभी विधेयकों के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि आज दिनांक 22 अगस्त, 2020 को विधान सभा में पुरःस्थापित सभी विधेयकों के विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[12:10 बजे] उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन)

विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) इस अधिनियम की धारा 3 का उपबन्ध, गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा और शेष उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन्1981 की धारा-3 में संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा, की धारा-3 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह कि मुख्यमंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री, माह अप्रैल, 2020 से माह मार्च, 2021 तक प्रतिमाह संदेय वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा सचिवीय भत्ता का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिए हकदार होंगे।''

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

निरसन और व्यावृत्ति

4-(1) उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा;

(2) यह दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 में नई धारा 29क का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

विशेष परिस्थितियों में समय बढ़ाने की सरकार की शक्ति

"29क–(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती है अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनायी गयी नियमावली में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा अधिसूचित समय सीमा में वृद्धि कर सकती है।

2–इस धारा की शक्ति में ऐसे दिनांक, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व का न हो, से ऐसी अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजन के लिए पद 'अपरिहार्य घटना' का तात्पर्य युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकम्प अथवा प्रकृति के कारण या, इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन को अन्यथा रूप में प्रभावित करने वाली किसी अन्य आपदा से है।"

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कारागार अधिनियम, 1894 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और विस्तार

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 9 सन् 1894 की धारा 3 का संशोधन

2–कारागार अधिनियम, 1894 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में –

(क) खण्ड (1) में, उप खण्ड (ख) में शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1882 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1882)" की धारा 541" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 417" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (3) में शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1882 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1882)" अथवा "बन्दी अधिनियम, 1871 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1871) के अधीन" के स्थान पर शब्द और अंक "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) या बन्दी अधिनियम, 1900 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1900) के अधीन" रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (7) में शब्द "उप महानिरीक्षक, कारागार में ऐसा उप महानिरीक्षक सम्मिलित है," के स्थान पर शब्द "अपर महानिरीक्षक, कारागार, और उप महानिरीक्षक, कारागार में, ऐसे अपर महानिरीक्षक कारागार और उप महानिरीक्षक, कारागार सम्मिलित हैं" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 5 में उपधारा (2) में शब्द "उप महानिरीक्षक, कारागार" के स्थान पर शब्द "अपर महानिरीक्षक कारागार" और उप महानिरीक्षक, कारागार" रख दिये जायेंगे।

नई धाराओं 42क एवं 42ख का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 42 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

बन्दी द्वारा कतिपय युक्ति अथवा किसी प्रतिरूपधारक के प्रवेश का प्रतिषेध

"42क–इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी बन्दी द्वारा 'बेतार संचार युक्ति' धारित किया जाना या उसे प्रचालित किया जाना और किसी "प्रतिरूपधारक" का कारागार में प्रवेश प्रतिषिद्ध होगा।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजनार्थ,–

(क) शब्द "बेतार संचार युक्ति" में मोबाइल फोन, वाई–फाई, ब्लूटूथ, निकट क्षेत्र संचार (एन0एफ0सी0), टैबलेट, वैयक्तिक कम्प्यूटर, कम्प्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, जिनका प्रयोग शाब्दिक, अशाब्दिक जैसे संचार हेतु किया जाय, इण्टरनेट, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जी0पी0आर0एस0), ई–मेल, शार्ट मैसेज सर्विस (एस0एम0एस0), मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस (एम0एम0एस0) या अन्य कोई उपस्कर यथा मोबाइल सिम (अधिदाता पहचान मोड्यूल या चिप आदि) जिन्हें किसी समान प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जा सके, सम्मिलित होंगे।

(ख) शब्द "प्रतिरूपधारक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो किसी कारागार के परिसर में फोटो, नाम, पता या किसी अन्य पहचान विवरणों के साथ प्रवेश करता है और जिसके सत्यापन पर समस्त अथवा इनमें से कोई एक विवरण गलत पाये जाते हैं/पाया जाता है।

42ख–जो कोई धारा 42–क के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह दोषसिद्ध होने पर ऐसे कारावास, जो तीन वर्ष तक होगा और ऐसे जुर्माने, जो पच्चीस हजार रुपये तक होगा या दोनों से दण्डित किये जाने का भागी होगाः

धारा 42 क के उल्लंघन के लिए दण्ड

परन्तु यह कि यदि कोई बन्दी किसी कारागार परिसर के अन्दर अथवा उसके बाहर कोई अपराध करने का प्रयास करने, दुष्प्रेरित करने, षड़यन्त्र करने अथवा कारित करने के लिये किसी बेतार संचार युक्ति का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तथा जिसके परिणामस्वरूप कोई अपराध कारित किया जाता है तो दोषसिद्ध होने पर उसे ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी और पाँच वर्ष तक हो सकती है या ऐसे जुर्माने, जो बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा और जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।''

5–मूल अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :– धारा 43 का संशोधन

''43–धारा 42–ख के अधीन अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना;

संज्ञेय और अजमानतीय अपराध

धारा 42–ख के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-29 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020

सम्पत्ति के सम्बन्ध में हड़ताल, बन्द, दंगों, तत्सम्बन्धी लोक अशान्ति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और इसकी निरन्तरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने और लोक या निजी सम्पत्ति की क्षति की वसूली का उपबन्ध करने और हुई क्षतियों का अनुसंधान करने और तत्सम्बन्धी प्रतिकर अधिनिर्णीत करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 15 मार्च, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:–

(क) 'दावा आयुक्त' का तात्पर्य अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न ऐसे किसी अधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा अभिहित किया जायेगा।

(ख) 'दावा अधिकरण' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन गठित किसी दावा अधिकरण से है।

(ग) 'क्षति' का तात्पर्य अन्य व्यक्ति व उसकी सम्पत्ति के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा कृत किसी कार्य या चूक के कारण हुई हानि, आघात या क्षय से है।

(घ) 'रिष्टि' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–425 में है।

(ङ) 'व्यक्ति' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–11 में है।

(च) 'निजी सम्पत्ति' का तात्पर्य किसी व्यक्ति या किसी धार्मिक निकाय, सोसाइटी या न्यास या वक्फ के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी चल या अचल सम्पत्ति से है जो इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (छ) के अधीन लोक सम्पत्ति न हो या ऐसे फर्मों, जिन पर उनके स्वामियों का अनन्य, आत्यांतिक, विधिक अधिकार हो।

(छ) 'लोक सम्पत्ति' का तात्पर्य किसी चल या अचल सम्पत्ति से है और जिसमें ऐसी कोई मशीनरी सम्मिलित है जो निम्नलिखित के स्वामित्वाधीन या उसके कब्जाधीन या नियंत्रणाधीन हो:–

(एक) केन्द्र सरकार; या

(दो) राज्य सरकार; या

(तीन) कोई स्थानीय प्राधिकरण; या

(चार) कोई निगम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या तत्धीन स्थापित कम्पनी अधिनियम, 2013 में यथा परिभाषित कोई कम्पनी; या

(पाँच) कोई संस्था, समुत्थान या उपक्रम, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु, यह कि राज्य सरकार किसी अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम को इस उपखण्ड के अधीन तब तक विनिर्दिष्ट नहीं करेगी जब तक कि ऐसी संस्था समुत्थान या उपक्रम का पूर्णतः या पर्याप्त वित्त पोषण, राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अथवा राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से और केन्द्र/राज्य सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप में उपबन्धित निधियों द्वारा नहीं किया जाता है।

अध्याय–दो

दावा याचिका, वाद पुनरीक्षण और अनुसंधान

लोक या निजी सम्पत्ति के लिए दावा याचिका

3–सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट, जो घटना के प्रथम सूचना रिपोर्ट पर आधारित हो और इस दौरान एकत्रित की गयी अन्य सूचना प्राप्त किये जाने पर जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या कार्यालय प्रमुख को लोक सम्पत्ति के प्रति क्षति किये जाने के दिनांक के अधिमानतः तीन माह के भीतर प्रतिकर हेतु दावा अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दाखिल करने के लिए तुरन्त कदम उठाना होगा।

वादों का पुनरीक्षण

4–यथास्थिति जिला कलेक्टर या आयुक्त त्रैमासिक आधार पर प्रतिकर हेतु दाखिल किये गये दावा वादों के संचालन का पुनरीक्षण करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

वादों का अनुश्रवण

5–विभागाध्यक्ष प्रतिकर हेतु दाखिल किये गये दावा के संचालन और निस्तारण का अनुश्रवण करेगा और कार्यालयाध्यक्ष को समय समय पर आवश्यक निदेश देगा।

निजी सम्पत्ति हेतु दावा याचिका

6–निजी सम्पत्तियों के स्वामी, जिनकी सम्पत्ति भी ऐसी घटना में क्षतिग्रस्त हो चुकी हो, सम्बन्धित थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी से ऐसी रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिकर हेतु अपनी दावा याचिकायें नियमानुसार दाखिल करेंगे।

अध्याय–तीन

दावा अधिकरण, कृत्य और शक्तियॉ

दावा अधिकरण का गठन

7–(1)राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा किसी लोक सम्पत्ति या निजी सम्पत्ति या दोनों की क्षतियों के सम्बन्ध में प्रतिकर हेतु दावों का न्यायनिर्णयन करने और उसे इस अधिनियम के अधीन समानुदेशित कृत्यों का सम्पादन करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए एक या उससे अधिक सम्पत्ति क्षय दावा अधिकरणों का गठन करेगी, जिसे आगे दावा अधिकरण कहा गया है।

(2) दावा अधिकरण में नियुक्ति हेतु उतनी संख्या में सदस्य होंगे जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे और जहॉ उसमें दो या दो से अधिक सदस्य हों वहॉ उनमें से एक सदस्य की नियुक्ति उसके अध्यक्ष के रूप में की जायेगी।

(3) कोई व्यक्ति दावा अधिकरण में नियुक्ति हेतु तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वहः–

(एक) सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश न रहा हो (अध्यक्ष के रूप में),

या

(दो) अपर आयुक्त की श्रेणी का अधिकारी न हो (सदस्य के रूप में)

(4) जहॉ दो या उससे अधिक दावा अधिकरण किसी क्षेत्र के लिए गठित किये जायें वहॉ राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उनके मध्य कार्य आवंटन का विनियमन कर सकती है।

दावा अधिकरण के कृत्य और शक्तियाँ

8–(1) धारा–3 या धारा–4 के अधीन घटित घटनाओं में किसी लोक या किसी निजी सम्पत्ति के कारण हुई क्षतियों का अवधारण करना और तत्सम्बन्ध में समुचित प्रतिकर अधिनिर्णीत करना दावा अधिकरण का कर्तव्य होगा।

(2) दावा अधिकरण, यदि उचित समझे जॉच आयोजित करने में अपनी सहायता हेतु क्षतियों का आकलन करने और दायित्व का अनुसंधान करने के लिए एक दावा आयुक्त नियुक्त कर सकता है।

(3) दावा अधिकरण यथास्थिति प्रत्येक जिले में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पैनल से दावा आयुक्त, जो ऐसी क्षति का आकलन करने में प्राविधिक रूप से अर्ह हो, की सहायता करने के लिए एक आकलनकर्ता भी नियुक्त कर सकता है।

(4) उपधारा(2) और उपधारा(3) के अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों को संदाय किये जाने वाले पारिश्रमिक का अवधारण प्रत्येक दशा में राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(5) दावा आयुक्त और आकलनकर्ता क्षतियों को इंगित करने और क्षति करने वालों के मध्य गठजोड़ स्थापित करने हेतु निजी और लोक स्रोतों से विद्यमान वीडियो या अन्य रिकार्डिंग एकत्रित करने के लिए दावा अधिकरण से अनुदेश प्राप्त कर सकते हैं।

(6) दावा आयुक्त तीन माह की अवधि के भीतर अथवा बढ़ाई गयी अवधि यदि कोई हो, जो दावा अधिकरण द्वारा प्रदान की गयी हो, के भीतर दावा अधिकरण को रिपोर्ट देगा। दावा अधिकरण पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् दायित्व का निर्धारण करेगा।

(7) दावा अधिकरण इस निमित्त बनाये जाने वाले किन्हीं नियमों के अध्यधीन ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं जैसा कि वे उचित समझें।

दावा अधिकरण के पास शपथ पूर्वक साक्ष्य ग्रहण करने और साक्षीगण की उपस्थिति को प्रवर्तित करने और दस्तावेज तथा सारवान वस्तुओं का पता लगाने और उन्हें प्रस्तुत किये जाने के प्रयोजनार्थ और यथाविहित अन्य प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियॉ होंगी और दावा अधिकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–2 सन् 1974) की धारा–175 और अध्याय 26 के समस्त प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय के रूप में समझा जायेगा।

दावा अधिकरण की प्रक्रिया

प्रतिकर हेतु आवेदन/दावा याचिका

9–(1) प्रतिकर हेतु प्रत्येक आवेदन/दावा याचिका तीन माह के भीतर दाखिल की जायेगी, जिसके साथ न्यायालय फीस स्टाम्प के रूप में पच्चीस रूपये की फीस संलग्न होगी।

(2) दावा अधिकरण के समक्ष खण्ड (एक) में उल्लिखित आवेदन से भिन्न, समस्त आवेदन पचास रूपये के न्यायालयीय फीस स्टाम्प के साथ स्टाम्पित होगें। एक सौ रूपये की प्रक्रिया फीस, समन किये गये प्रत्येक साक्षी या पक्षकार के लिए संदत्त न्यायालयीय फीस स्टाम्प के रूप में होगी।

(3) इस धारा के अधीन कोई आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जबतक कि उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के पर्याप्त कारण से रोका न जाय, जिस मामले में इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

सम्पत्ति क्षति दावा का वाद हेतुक

10–लोक और निजी सम्पत्ति को क्षति पहुॅचाने वाले कार्यों के उपाय प्रारम्भ करने के लिए वाद हेतुक होगा।

लोक तथा निजी सम्पत्ति हेतु प्रतिकर का दावा करने की कार्यवाही कौन प्रारम्भ कर सकता है और उसकी समय सीमा

11–जहाँ कहीं हड़ताल, बन्द, दंगों, लोक उपद्रव, उसके प्रतिवादों के कारण लोक तथा निजी सम्पत्ति का विनाश या हानि या क्षति होती है वहॉ इस अधिनियम के अधीन गठित सक्षम अधिकारिता वाले दावा अधिकरण के समक्ष घटना घटित होने के तीन माह के भीतर प्रतिकर का दावा करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा तथापि दावा अधिकरण तीस दिन के विलम्ब को माफ कर सकता है, यदि आवेदक युक्तियुक्त कारण दर्शाता है।

(1) लोक सम्पत्ति के लिए बन्द, हड़ताल, दंगा लोक उपद्रव और प्रतिवादों आदि के दौरान अथवा उसके परिणाम फलस्वरूप नष्ट हुई सम्पत्ति पर नियंत्रण रखने वाले कार्यालयाध्यक्ष में निहित होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामलें में कार्यालयाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यपालकगण या विभागाध्यक्ष या मुख्य कार्यपालक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रतिकर हेतु दावा याचिका दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे।

(2) निजी सम्पत्ति के लिए, निजी सम्पत्ति का स्वामी, प्राधिकृत प्रतिनिधि या न्यासी जिसके पास अनन्य और आत्यंतिक विधिक अधिकार हो और जो क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का अतिचारी न हो, प्रतिकर के भुगतान के लिए दावा याचिका दाखिल कर सकते हैं।

कौन प्रतिवादी के

12–सम्पत्ति क्षति के किसी दावा याचिका में यथास्थिति कार्यालयाध्यक्ष या

रूप में सम्मिलित हो सकता है

निजी सम्पत्ति का स्वामी ऐसे व्यक्तियों को जो उनके ज्ञान में उक्त कार्यो का आह्वान किये हों अथवा उसे किये हों, ऐसे व्यक्तियों को जो पुलिस की रिपोर्ट में इस प्रकार नामित हो, उन व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम जिन्होंने विनाश या क्षति करने वाले कार्यों का आह्वान किया है या किया है, जिसने विरोध प्रदर्शन प्रयोजित किया हो, आह्वान किया हो या आहूत किया हो, को प्रतिवादियों के रूप में सम्मिलित कर सकता है।

पक्षकारों को नोटिस

13–दावा अधिकरण प्रतिवादियों को आवेदन की प्रति के साथ आवेदन पर सुनवाई करने की तिथि की नोटिस भेजेगा।

अधिकरण ऐसे प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करेगा जो अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने में विफल हो गया हो और अधिकरण सम्पत्ति को कुर्क कर लेगी और प्राधिकारियों को निदेशित करेगा कि वे प्रतिवादी की सम्पत्ति क्रय न करने के लिए सार्वजनिक रूप में वृहद पैमाने पर चेतावनी सहित नाम, पता और फोटोग्राफ प्रकाशित करें।

पक्षकारों का उपस्थित होना और लिखित विवरण दाखिल किया जाना

14–प्रतिवादी प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व या दावा अधिकरण द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले ऐसे अग्रतर समय के भीतर, जो नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से तीस दिन के बाद की नहीं होगी। दावा याचिका में दावाकृत क्षतियों को व्यवहृत किये जाने के सम्बन्ध में लिखित विवरण दाखिल करेंगे और ऐसा कोई लिखित विवरण अभिलेख का अंग होगा।

साक्ष्य अभिलिखित किये जाने की पद्धति

15–दावा अधिकरण प्राकृतिक न्याय के सम्यक् अनुपालन के साथ उक्त मामले में विनिश्चय करेगा और शपथपूर्वक साक्ष्य भी प्राप्त कर सकता है तथा यथा अपेक्षित रूप में दस्तावेज की माँग कर सकता है।

स्थानीय निरीक्षण

16–दावा अधिकरण अपने समक्ष किसी जाँच के किसी प्रक्रम पर और पक्षकारों को सम्यक नोटिस के पश्चात् ऐसे घटना स्थल या किसी अन्य स्थल या ऐसी वस्तु का निरीक्षण कर सकता है जो उसकी राय में दावा याचिका के समुचित विनिश्चय के लिए अवलोकन हेतु आवश्यक हो।

सुनवाई का स्थगन

17–दावा अधिकरण समय–समय पर किसी पक्षकार के आवेदन पर अथवा अन्य रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से सुनवाई स्थगित कर सकता है। जब आवेदन पर स्थगन स्वीकृत किया जायेगा तो दावा अधिकरण स्थगन से सम्बन्धित लागतों के सम्बन्ध में ऐसा आदेश दे सकता है जैसाकि वह उचित समझे। किसी भी स्थिति में एक पक्षकार को तीन से अधिक स्थगन नहीं दिया जायेगाः

परन्तु यह कि दावा अधिकरण वाद बिन्दु विरचित किये जाने के एक वर्ष के भीतर तत्परतापूर्वक दावा याचिका पर विनिश्चय करेगा।

विधि व्यवसायी के माध्यम से उपस्थिति

18–दावा अधिकरण स्व-विवेक से मामले की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को स्वयं अथवा विधि व्यवसायी के माध्यम से अपने समक्ष प्रस्तुत होने की अनुज्ञा दे सकता है।

निर्णय और प्रतिकर का अधिनिर्णय

19–(1) दावा अधिकरण आदेश पारित करने में अपने निर्णय में प्रत्येक विरचित बिन्दु का निष्कर्ष और ऐसे निष्कर्ष का कारण संक्षिप्त रूप में अभिलिखित करेगा और संदत्त की जाने वाली प्रतिकर की धनराशि को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिनिर्णय करेगा और व्यक्ति या व्यक्तियों को यथा-स्थिति संयुक्त या अलग-अलग प्रतिकर संदाय करने के लिए भी विनिर्दिष्ट करेगा :

परन्तु यह कि दावा अधिकरण अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से संदत्त

किये जाने योग्य प्रतिकर की दुगुनी धनराशि की अनधिक सीमा तक ''अनुकरणीय क्षति'' अधिनिर्णीत कर सकता है:

परन्तु अग्रतर यह कि यदि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या बीमा कम्पनी या इस निमित्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा घटना में क्षतिग्रस्त निजी सम्पत्ति के स्वामी को प्रतिकर के रूप में किसी धनराशि का भुगतान किया गया हो तो दावा अधिकरण ऐसी धनराशि का समायोजन इस प्रकार अधिनिर्णीत प्रतिकर की धनराशि से करेगा:

परन्तु यह भी कि प्रतिकर की धनराशि घटना के दिनांक को क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के बाजार मूल्य से कम नहीं होगी।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन दो या उससे अधिक व्यक्तियों को प्रतिकर अधिनिर्णीत किया जाय वहाँ दावा अधिकरण को उनमें से प्रत्येक के लिए संदेय धनराशि को भी विनिर्दिष्ट करना होगा।

जैसे ही क्षति हेतु वसूली का आदेश पारित किया जाय, वैसे ही प्रतिवादी की सम्पत्ति कुर्क कर ली जाय और प्राधिकारियों को निदेशित किया जायेगा कि वे कुर्क की गयी सम्पत्ति क्रय न करने के लिए वृहद पैमाने पर सार्वजनिक रूप में चेतावनी सहित नाम, पता तथा फोटोग्राफ प्रकाशित करें।

(3) प्रतिकर हेतु दावा का निस्तारण करते समय दावा अधिकरण कार्यवाही में उपगत लागतों और व्ययों से सम्बन्धित ऐसे आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

ब्याज का अधिनिर्णय, जहाँ कोई दावा अनुज्ञात हो

20—जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई दावा अधिकरण, प्रतिकर हेतु किसी दावा की अनुज्ञा प्रदान करे वहाँ ऐसा अधिकरण यह निदेश दे सकता है कि प्रतिकर की धनराशि के अतिरिक्त साधारण ब्याज भी इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दावा के दिनांक के पश्चात् के दिनांक से संदत्त किया जायेगा।

सम्पत्ति की क्षति की मात्रा को निर्धारित करने के सम्बन्ध में सिद्धान्त एवं उसके उत्तरदायित्व

21—(1) एक बार घटना के साथ अन्तर्सम्बन्ध, जिसके कारण क्षति हुई हो, स्थापित हो जाने पर आत्यंतिक दायित्व के सिद्धान्त लागू होगें।

(2) दायित्व का वहन, वास्तविक अपराध करने वालों के द्वारा किया जायेगा अथवा जो दुष्प्रेरित करेगा या उत्प्रेरित करेगा, दायित्व के लिए भागीदार होगा, जैसा कि दावा अधिकरण द्वारा अन्तिम रूप से अवधारित किया जायेगा।

(3) क्षतियों का निर्धारण निम्नलिखित के लिए किया जायेगा—

(एक) लोक सम्पत्ति की क्षति,

(दो) निजी सम्पत्ति की क्षति,

(तीन) निरोधात्मक तथा अन्य कार्यवाहियाँ करने हेतु प्राधिकारियों तथा पुलिस द्वारा कृत कार्यवाहियों की लागत।

अन्तिम अधिनिर्णय

22—दावा अधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश या अधिनिर्णय अन्तिम होगा और ऐसे आदेश के विरूद्ध किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील संपोषणीय नहीं होगी।

भू-राजस्व के बकाये के रूप में धनराशि की वसूली

23—जहाँ कोई धनराशि किसी अधिनिर्णय के अधीन किसी व्यक्ति के लिए देय हो वहाँ दावा अधिकरण, धनराशि के लिए हकदार व्यक्ति द्वारा उसे किये गये आवेदन के आधार पर कलेक्टर को धनराशि हेतु प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है और कलेक्टर उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में करने के लिए कार्यवाही करेगा।

24—जहाँ किसी क्षेत्र के लिए कोई दावा अधिकरण गठित किया गया हो सिविल न्यायालयों

वहाँ किसी सिविल न्यायालय के पास कोई ऐसी अधिकारिता नहीं होगी कि वह प्रतिकर के किसी दावे से सम्बन्धित किसी प्रश्न को अंगीकृत करे जो कि उस क्षेत्र के दावा अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णीत किया जाना हो और प्रतिकर हेतु दावा के सम्बन्ध में दावा अधिकरण के समक्ष या उसके द्वारा कृत या किये जाने हेतु किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई व्यादेश सिविल न्यायालय द्वारा नहीं प्रदान किया जायेगा। की अधिकारिता पर रोक

25–दावा याचिका की कार्यवाहियाँ दाण्डिक कार्यवाही, यदि कोई हो जो सम्बन्धित घटना से उत्पन्न हुयी हो, द्वारा अवरुद्ध नहीं होगीं। दाण्डिक कार्यवाहियों द्वारा रोक नहीं

अध्याय–चार

प्रकीर्ण

26–राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

27–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार किसी अधिसूचित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। कठिनाई दूर करने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा–(1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा–(1) के अधीन किया गया कोई आदेश और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा–23क की उपधारा–(1) के उपबन्ध यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेगें।

(4) जहाँ अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के किसी विषय में यह अधिनियम मूक हो वहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध तत्सम्बंध में लागू होंगें।

28–(1) इस अधिनियम के प्रख्यापन के साथ कोई अन्य विद्यमान विधि या इस अधिनियम के अनुरूप शासनादेश एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं और निष्प्रभावी घोषित किये जाते हैं: निरसन और व्यावृत्तियाँ

परन्तु यह कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन निरसन से निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,

(क) किन्हीं ऐसे शासनादेशों या विधि या तद्धीन सम्यक रूप से कृत या उपभुक्त किसी बात का पूर्ववर्ती प्रवर्तन;

(ख) ऐसे शासनादेश या विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार विशेषाधिकार, दायित्व या देनदारी;

(ग) ऐसे शासनादेश या विधि के विरुद्ध कृत किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड;

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देनदारी, शास्ति, समपहरण या दण्ड के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान, विधिक कार्यवाही या उपाय और कोई ऐसा अनुसन्धान, विधिक कार्यवाही या उपाय संस्थित या प्रवर्तित किया जा सकता है और कोई ऐसी शास्ति समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकता है, मानों, ऐसा शासनादेश या ऐसी विधि निरसित न की गयी हो।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा–(1) द्वारा निरसित किसी शासनादेश या विधि के अधीन कृत कोई बात या कोई कार्यवाही इस अधिनियम के सहवर्ती उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी और तद्नुसार तब तक निरन्तर प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन कृत किसी बात या कृत किसी कार्यवाही द्वारा अधिक्रमित न हो जाय।

निरसन और व्यावृत्ति

29–(1) उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-29 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017 में नई धारा 168क का बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"168क–(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी कार्यवाहियों, जो अपरिहार्य घटना के कारण पूर्ण नहीं की जा सकती है, अथवा जिनका अनुपालन नहीं किया जा सकता है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट अथवा विहित अथवा अधिसूचित समय सीमा में वृद्धि कर सकती है।

विशेष परिस्थितियों में समय बढ़ाने की सरकार की शक्ति

(2) इस धारा की शक्ति में ऐसे दिनांक, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व का न हो, से ऐसी अधिसूचना में भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करने की शक्ति सम्मिलित होगी।

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजन के लिए पद 'अपरिहार्य घटना' का तात्पर्य युद्ध, महामारी, बाढ़, सूखा, अग्नि, चक्रवात, भूकम्प अथवा प्रकृति के कारण या, इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन को अन्यथा रूप में प्रभावित करने वाली किसी अन्य आपदा से है।"

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7, सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-14 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा;

(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, खण्ड (114) में, उपखण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(ग) दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव;

(घ) लद्दाख";

धारा 10 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख), (ग) और (घ) में, शब्द "माल" के पश्चात् शब्द "या सेवाओं" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (4) में, शब्द "से सम्बन्धित बीजक" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(ग) करांधेय व्यक्ति अब धारा 22 या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं है या धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छा से किए गए रजिस्ट्रीकरण से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है"।

धारा 30 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि ऐसी अवधि, पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए निम्नलिखित व्यक्ति द्वारा बढ़ाई जा सकती है,–

(क) संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), अनधिक तीस दिन की अवधि के लिये;

(ख) अपर आयुक्त ग्रेड–एक, खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि से आगे अग्रतर अनधिक तीस दिन की अवधि के लिये"।

धारा 31 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 31 में उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,–

(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों की श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जिनके सम्बन्ध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसा कि विहित किया जाये, एक कर बीजक जारी किया जाएगा;

(ख) उसमें उल्लिखित शर्त के अध्यधीन ऐसी सेवा श्रेणियाँ विनिर्दिष्ट कर सकती हैं जिसके सम्बन्ध में,–

(i) पूर्ति के सम्बन्ध में जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज, कर बीजक के रूप में जायेगा; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकता है।"

धारा 51 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 51 में,–

(क) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(3) स्रोत पर कर कटौती का प्रमाण पत्र, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा जैसा विहित किया जाये।";

(ख) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी।

धारा 122 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(1क) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के खण्ड (i), (ii), (vii) या खण्ड (ix) से आच्छादित संव्यवहार की प्रसुविधा प्रतिधारित करता है और जिसकी प्रेरणा पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभुक्त या अन्तरित इनपुट कर प्रत्यय के बराबर की धनराशि की शास्ति के लिये दायी होगा।"

धारा 132 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 132 में, उपधारा (1) में,–

(i) शब्द "जो निम्नलिखित में से किसी अपराध को कारित करता है", के स्थान पर शब्द "जो कोई निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है, या करवाता है और उससे होने वाली प्रसुविधाओं को प्रतिधारित करता है" रख दिये जायेंगे;

(ii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट बीजक या बिल का प्रयोग करते हुए इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है अथवा बिना किसी बीजक या बिल के इनपुट कर प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग करता है";

(iii) खण्ड (ङ) में शब्द, "कपट से इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति" को निकाल दिया जाएगा।

धारा 140 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 140 में, दिनांक 1 जुलाई, 2017 से –

(i) उपधारा (1) में, शब्द "विद्यमान विधि के अधीन" के पश्चात्, शब्द "तथा ऐसी समयावधि के भीतर और" बढ़ा दिये जायेंगे और बढ़ा दिये गये समझे जायेंगे;

(ii) उपधारा (2) में, शब्द "नियत दिन के तत्काल पूर्ववर्ती दिन" के पश्चात्, शब्द "तथा ऐसी समयावधि के भीतर" बढ़ा दिये जायेंगे और बढ़ा दिये गये समझे जायेंगे;

(iii) उपधारा (3) में, शब्द "स्टाक में धारित अर्द्धनिर्मित माल या निर्मित मालों में अन्तर्विष्ट इनपुटों के सम्बन्ध में नियत दिन को मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिये" के स्थान पर शब्द "स्टाक में धारित अर्द्धनिर्मित माल या निर्मित मालों में अन्तर्विष्ट इनपुटों के सम्बन्ध में नियत दिन को मूल्य संवर्धित कर, यदि कोई हो, के प्रत्यय के लिये, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये" रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे;

(iv) उपधारा (5) में, शब्द "विद्यमान विधि" के स्थान पद शब्द "विद्यमान विधि के अधीन ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जैसा विहित किया जाये" रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे;

(v) उपधारा (6) में, शब्द "नियत दिन को अपने स्टाक में अन्तर्विष्ट अर्द्धनिर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टाक में धारित स्टाक और निवेश के सम्बन्ध में पात्र शुल्क" के स्थान पर शब्द "नियत दिन को अपने स्टाक में अन्तर्विष्ट अर्द्धनिर्मित या निर्मित मालों के निवेश को स्टाक में धारित स्टाक और निवेश के सम्बन्ध में पात्र शुल्क, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में जैसा कि विहित किया जाये" रख दिये जायेंगे और रख दिये गये समझे जायेंगे।

धारा 172 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 172 में, उपधारा (1) में, परंतुक में, शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर, शब्द "पाँच वर्ष" रख दिये जायेंगे।

अनुसूची दो में संशोधन

13–मूल अधिनियम की अनुसूची–दो में, पैरा 4 में, उन दोनों स्थानों पर, जहाँ पर वे आये हों शब्द "चाहे वह किसी प्रतिफल के लिए हो या न हो" निकाल दिये जायेंगे और वे दिनांक 1 जुलाई, 2017 से निकाल दिये गये समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2020

निरसन और व्यावृत्ति

14–(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-14 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-19 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश राज्य में व्यक्तियों व प्रतिष्ठानों की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु विनिर्दिष्ट रूप से प्रशिक्षित पुलिस बल जहां इसे अभिनियोजित किया जायेगा, का गठन तथा विनियमन करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 06 अगस्त, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "समादेष्टा", "उप समादेष्टा" और "सहायक समादेष्टा" का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जो विशेष सुरक्षा बल का गठन किये जाने पर या उसके पश्चात् इस रूप में नियुक्त हों;

(ख) "पुलिस महानिदेशक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त हों ;

(ग) "अधिष्ठान" का तात्पर्य शैक्षिक, वाणिज्यिक, मनोरंजन सम्बन्धी, परोपकारी और सांस्कृतिक प्रयोजनों हेतु कार्य करने वाले किसी संगठन के मामलों में प्रयुक्त किये जा रहे किसी सार्वजनिक या निजी भवन, भू-गृहादि या परिसर से है जिसमें कोई जन समूह स्थल या कोई सामूहिक अभिवहन तन्त्र सम्मिलित है , जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय;

(घ) "बल" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल से है;

(ङ) "औद्योगिक उपक्रम" का तात्पर्य किसी अनुसूचित उद्योग, [उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,1951 की धारा-3 के खण्ड (एक) में यथा परिभाषित] से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी उपक्रम सै है जिसमें किसी अन्य उद्योग या किसी व्यापार, व्यवसाय या सेवा में संलग्न कोई उपक्रम सम्मिलित है जो संसद या राज्य विधान मण्डल द्वारा विधि के माध्यम से विनियमित हो ;

(च) "प्रतिष्ठापन" का तात्पर्य किसी संगठन के मामले में प्रयुक्त किये जा रहे किसी मूर्ति, स्मारक, भवन, भू-गृहादि या परिसर से है जिसमें कार्यालय सम्बद्ध भवन, आवासीय क्षेत्र और उस भू-गृहादि या परिसर में विद्यमान उस संगठन की सम्पत्ति सम्मिलित है जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय;

(छ) "बल का सदस्य" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो बल में नियुक्त हो;

(ज) "निजी" का तात्पर्य ऐसे किसी प्रतिष्ठान या अधिष्ठान से है जो केन्द्रीय या राज्य सरकार या उनके अभिकरणों से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित या व्यवस्थित हो;

(झ) "अधीनस्थ अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो बल में निरीक्षक या उप निरीक्षक रैंक में नियुक्त हो;

(ञ) उक्त बल के किसी अधिकारी के संबंध में "पर्यवेक्षण अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे किसी रैंक के अधिकारी से है जो ऐसे अधिकारी से उच्चतर रैंक के रूप में विहित हो;

(ट) "उत्तर प्रदेश पुलिस" का तात्पर्य पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश राज्य के बल से है ;

(ठ) "उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र रक्षीदल " का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सशस्त्र रक्षीदल अधिनियम, 1948 के अधीन गठित बल से है;

(ड) "उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड" का तात्पर्य शासनादेश संख्या-1256/6-पु-10-2008-27(7)/08 द्वारा भर्ती एवं प्रोन्नति के लिए गठित बोर्ड से है ;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु भारतीय दण्ड संहिता,1860 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 में परिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो उसमें क्रमश: उनके लिए समनुदेशित हैं।

बल का गठन

3–(1) किसी निकाय या किसी व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा किसी नाम, नामावली या श्रेणी द्वारा अधिसूचित उसके आवासीय परिसर, मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ, जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई अन्य न्यायालय, प्रशासनिक कार्यालय परिसर, पूजा स्थलों, मेट्रोरेल, हवाई अड्डों, बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं, औद्योगिक उपक्रमों और इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों सहित सामरिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की उत्तम संरक्षा तथा सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नामक बल का गठन तथा उसका अनुरक्षण किया जायेगा।

(2) उक्त बल का गठन ऐसी रीति से किया जायेगा और उसमें ऐसी संख्या में पर्यवेक्षण अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी तथा उक्त बल के ऐसे नामांकित सदस्य सम्मिलित होंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।

(3) बल के सदस्यगण यथा विहित वेतन और अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(4) बल की संरचना, वाहिनियों की संख्या तथा प्रत्येक वाहिनी की संरचनात्मक सदस्य संख्या वही होगी जैसा कि विहित किया जाय। इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर प्रथम चरण में पांच वाहिनियां और अग्रतर यथा विहित ऐसी वाहिनियां भी गठित की जायेंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

(5) बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा और उसके अधीनस्थ कार्यालय ऐसे स्थानों पर होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियाँ

4–(1)राज्य सरकार किसी व्यक्ति को बल का अपर महानिदेशक और अन्य व्यक्तियों को महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, समादेष्टा, उपसमादेष्टा और अन्य अधीनस्थ अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है जैसा कि अपेक्षा की जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार नियुक्त अपर महानिदेशक और प्रत्येक अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी के पास ऐसी शक्तियां होंगी और वे ऐसी शक्तियों तथा प्राधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं जैसा कि इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित हों।

बल के लिए भर्ती

5–बल के अधीनस्थ अधिकारियों तथा सदस्यों की भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तथा प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जायेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि धारा 17 के अधीन बनायी गयी नियमावली में विहित किया जाय, जो राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा बनायी गयी सामान्य नियमावली के अनुसार होगी।

बल का अधीक्षण और प्रशासन

6–(1) बल का अधीक्षण इस अधिनियम तथा तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन पुलिस महानिदेशक में निहित होगा और बल का समादेश, पर्यवेक्षण तथा प्रशासन, धारा 4 में निर्दिष्ट अपर महानिदेशक में निहित होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन ऐसी स्थानीय सीमाओं, जैसा कि विहित किया जाय, के भीतर बल का प्रशासन, इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसार पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा और व्यक्ति (व्यक्तियों) के निकाय तथा /या राज्य सरकार द्वारा किसी नाम, नामावली या श्रेणी द्वारा अधिसूचित उसके आवासीय परिसर, मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा लखनऊ खण्डपीठ, जिला न्यायालयों तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले किसी अन्य न्यायालय, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, पूजा स्थलों, प्रशासनिक परिसरों, मेट्रो, हवाई अड्डों, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, ऐसे किसी निदेश, जो राज्य सरकार या अपर महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्रदान किया जा सकता है, के अध्यधीन इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा उस रूप में अधिसूचित किन्हीं अन्य प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों की संरक्षा तथा सुरक्षा के प्रभार में रखे गये प्रत्येक पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन जिला पुलिस अधीक्षक को बल के पर्यवेक्षण अधिकारी के समन्वय में उसकी अधिकारिता के भीतर बल की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी।

निजी अधिष्ठानों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए बल का अभिनियोजन

7–ऐसे किन्हीं सामान्य निदेशों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है, के अध्यधीन किसी निजी औद्योगिक अधिष्ठान या किसी अन्य निजी क्षेत्र के अधिष्ठान के प्राधिकृत व्यक्ति से प्राप्त अनुरोध के आधार पर ऐसे अधिष्ठान को ऐसी रीति से और ऐसे शुल्क संदाय पर, जैसा कि विहित किया जाय, इस अधिनियम के अधीन सेवाएं प्रदान करने के लिए बल के सदस्यों को निदेश देना पुलिस महानिदेशक के लिए विधि सम्मत होगा।

बल के सदस्यों के कर्तव्य

8–बल के प्रत्येक सदस्य का निम्नलिखित कर्तव्य होगा-

(क) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा विधि सम्मत रूप से जारी किये गये समस्त आदेशों का पालन करना और निष्पादन करना;

(ख) किसी निकाय या किसी व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा किसी नाम, नामावली या श्रेणी द्वारा अधिसूचित उसके आवासीय परिसर, मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ, जिला न्यायालयों, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य न्यायालय, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, औद्योगिक उपक्रमों, पूजा स्थलों, प्रशासनिक परिसरों, मेट्रो, हवाई अड्डों, बैंको और अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किन्हीं अन्य प्रतिष्ठानों या अधिष्ठानों की संरक्षा और सुरक्षा करना;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिष्ठानों के कर्मचारियों की संरक्षा तथा रक्षोपाय करना;

(घ) ऐसे किसी अन्य कर्तव्य का निष्पादन करना जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपा जाय।

बल का संवर्धन

9–किसी मामले में अभिनियोजन के दौरान बल को संवर्धित किये जाने के प्रयोजनार्थ पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, बल के समन्वय में प्रादेशिक सशस्त्र रक्षीदल अभिनियोजित करा सकते हैं।

बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति

10–(1) बल का कोई सदस्य, किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वारण्ट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है-

(क) जो धारा 8 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी या बल के किसी अन्य सदस्य को यथा स्थिति ऐसे कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का निष्पादन करने में या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का निष्पादन करने में या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से उसे रोकने या भयोपरत करने के आशय से या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य का विधि सम्मत रूप में निर्वहन करने में उसके द्वारा कृत या किये गये प्रयास के फलस्वरूप जानबूझकर उपहति करेगा या उपहति करने का प्रयास करेगा या सदोष अवरोध करेगा या सदोष अवरोध कारित करने का प्रयास करेगा या हमला करेगा, हमला करने की धमकी देगा या अपराधिक बल का प्रयोग, धमकी देने या धमकी देने का प्रयास करने के लिए करेगा;

(ख) जो धारा 8 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किन्हीं अधिष्ठानों या सम्बन्धित अन्य प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित या उनके परिसर की सम्पत्ति या उसके प्रभार के अधीन अन्य प्रतिष्ठानों के परिसर की सम्पत्ति से सम्बद्ध रहा हो या जिसके विरुद्ध उसमें उसके सम्बद्ध होने का युक्तियुक्त संदेह विद्यमान हो या जो ऐसी परिस्थितियों, जिसके निमित्त यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता हो कि वह तत्संबंध में संज्ञेय अपराध करने की दृष्टि से ऐसी सावधानियां बरत रहा है, के अधीन अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए सावधानियां बरतते हुए पाया गया हो;

(ग) जो ऐसा संज्ञेय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है जिसमें धारा 8 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किन्हीं अधिष्ठानों से सम्बन्धित कोई कार्य करने में संलग्न किसी व्यक्ति के जीवन के प्रति खतरा अंतर्वलित हो या अंतर्वलित होना संभाव्य हो।

(2) यदि कोई व्यक्ति धारा 8 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी अधिष्ठान के परिसर का अतिचार करते हुए पाया जाता है तो उसे ऐसे किसी अन्य कार्यवाही, जो उसके विरुद्ध की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बल के किसी सदस्य द्वारा ऐसे परिसर से हटाया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति इस निमित्त विहित नियमावली द्वारा शासित होगी।

वारण्ट के बिना तलाशी लेने की शक्ति

11–(1) जब कभी बल के किसी सदस्य के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 10 में निर्दिष्ट कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है और यह कि अपराधी को निकल भागने का, या अपराध के साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिये बिना तलाशी वारण्ट प्राप्त नहीं किया जा सकता है तब वह उक्त अपराधी को निरुद्ध कर सकता है और तत्काल उसकी एवं उसके माल-असबाब की तलाशी ले सकता है और यदि वह उचित समझे तो ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसे उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उसने अपराध किया है।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 का तलाशियों से सम्बन्धित उपबन्ध, इस धारा के अधीन आवश्यक परिवर्तन सहित तलाशियों के लिए प्रयुक्त होगा।

(3) इस धारा के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति इस निमित्त विहित नियमावली द्वारा शासित होगी।

गिरफ्तारी के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

12–इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार करने वाले बल के किसी सदस्य को अविलम्ब गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को सौंपना होगा या किसी पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में गिरफ्तारी की परिस्थितियों को वर्णित करती हुई रिपोर्ट रिर्पोट के साथ निकटस्थ पुलिस थाना पर ले जायेगा अथवा ले जाने की व्यवस्था करेगा।

बल के सदस्य सदैव ड्यूटी माने जायेंगे और राज्य में कहीं भी नियोजित किये जा सकेंगे

13–(1) बल का प्रत्येक सदस्य, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सदैव ड्यूटी पर माना जायेगा और राज्य के भीतर किसी स्थान पर किसी भी समय नियोजित किये जाने योग्य होगा।

(2) बल का कोई सदस्य इस अधिनियम के अधीन अपने ड्यूटी से भिन्न किसी नियोजन या कार्यालय में स्वयं संलग्न नहीं होगा।

सेवा की निबंधन एवं शर्तें

14–बल का प्रत्येक सदस्य समस्त अधिनियमों, सुसंगत अनुशासन व अपील नियमावलियों, आचरण नियमावलियों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के सदस्यों के लिए यथाप्रयोज्य सेवा की समस्त निबंधन एवं शर्तों को शासित करने वाली समस्त अन्य नियमों तथा शासनादेशों के अध्यधीन होगा।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

15–इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी किसी नियमावली के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए बल के किसी अधिकारी या सदस्य के आदेश या निदेश के अधीन बल के किसी अधिकारी या सदस्य के विरुद्ध या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अभियोग नहीं किया जायेगा।

अपराध का संज्ञान

16–राज्य सरकार के पूर्व स्वीकृति के बिना अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने में कृत किसी बात या कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी कार्यवाही के संबंध में कोई न्यायालय बल के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

नियम बनाने की शक्ति

17–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में समस्त या कोई मामला उपबन्धित हो सकता है, अर्थात्:–

(क) बल के सदस्यों के वर्गों, रैंकों, ग्रेडों, वेतन और पारिश्रमिक तथा बल में उनकी सेवा शर्तों और भर्ती को विनियमित करना;

(ख) इस अधिनियम द्वारा या तदधीन किन्हीं कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत बल के सदस्यों की शक्तियों और उनके कर्तव्यों को विनियमित करना;

(ग) ऐसी रीति को विहित करना जिसमें अधिष्ठापन तथा आधारभूत प्रशिक्षण और सेवा विशिष्टीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना हो;

(घ) आयुधों, साजसज्जा, वस्त्रों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं, बल के सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने वाले यानों, उपस्करों तथा अन्य आवश्यक संसाधनों के प्रकार तथा उनकी मात्रा को विहित करना;

(ङ) बल के सदस्यों के आवास स्थलों को विहित करना;

(च) जांच आयोजित करने और दण्ड की प्रक्रिया को विहित करना और ऐसे प्राधिकारियों को विहित करना, जिन्हें दण्ड के आदेशों से अपील की जा सकती है और ऐसे अपील के निस्तारण के लिए अनुसरण की जानी वाली प्रक्रिया;

(छ) ऐसी रीति जिसमें और ऐसा शुल्क जिसका संदाय किये जाने पर निजी संगठनों को सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

18–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे आवश्यक उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जो उसे कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

अधिनियम

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश इसे किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

19–(1) उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-19 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-13 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में उपधारा (10) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

(10) किसी भू–खातेदार के सम्बन्ध में 'परिवार' का तात्पर्य यथास्थिति स्वयं पुरूष या स्त्री और उसकी पत्नी या उसका पति या थर्ड जेण्डर पत्नी या पति (न्यायिक रूप से पृथक पत्नी या पति या थर्ड जेण्डर पति या पत्नी से भिन्न), विवाहित पुत्रियों और थर्ड जेण्डर अवयस्क संतानो से भिन्न अवयस्क पुत्रों तथा अवयस्क पुत्रियों से है।

स्पष्टीकरण–थर्ड जेण्डर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो पुरूष अथवा स्त्री लिंग से भिन्न लिंग का हो।

धारा 59 का संशोधन

3– मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) में–

(1) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

(क) (एक). उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है;

(दो). किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गयी या अंतरित की गई किसी ऐसी भूमि, जो धारा–77 की उपधारा (1) के अधीन आच्छादित नहीं है, को धारा–77 की उपधारा (1) के अधीन आच्छादित भूमि में परिवर्तित कर सकती है।

(2) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

(ग) (एक). किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को इस प्रकार सौंपी गयी या सौंपी हुयी समझी गई या अन्तरित की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी निबन्धन एवं शर्तों, जैसा कि विहित किया जाय, पर वापस ले सकती है।

(दो) खण्ड (एक) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है या उसे निरस्त कर सकती है;

धारा 60 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 60 की उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

(ख) वनों, वृक्षों और चारागाहों का संरक्षण, अनुरक्षण और विकास।

धारा 77 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 77 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

(2) इस संहिता के अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, जहां, इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कोई भूमि अथवा उसका कोई भाग, लोक प्रयोजन के लिए क्रय, अर्जित, या पुनर्ग्रहीत किये गये भू–खण्ड या भू–खण्डों से घिरा है अथवा उसके या उनके मध्य में है, अथवा किनारे है एवं लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है, वहां राज्य सरकार, ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी को परिवर्तित कर सकेगी, और यदि ऐसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी परिवर्तित की जाती है, तो पूर्वोक्त लोक उपयोगिता की भूमि के बराबर या उससे अधिक कोई अन्य भूमि, उसी प्रयोजन के लिए यथास्थिति उसी अथवा किसी निकटवर्ती ग्राम पंचायत अथवा स्थानीय प्राधिकरण, में आरक्षित कर दी जायेगी या राज्य सरकार इस संहिता की धारा 101 के अधीन, उसके विनिमय की अनुज्ञा, विहित रीति से दे सकेगी:

परन्तु यह कि किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी आपवादिक प्रकरणों में ही ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर परिवर्तित की जा सकेगी, जैसा कि विहित की जाय। लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन किये जाने के कारण को लिखित रुप में अभिलिखित किया जायेगा।

धारा 80 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 80 की उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

परन्तु यह कि यदि घोषणा करने के आवेदन के साथ विहित शुल्क संलग्न हो तथा संयुक्त जोत होने के मामलें में सह भू–धृति धारकों की अनापत्ति सह भू–धृति धारक होने की स्थिति में संलग्न हो और यदि उपजिलाधिकारी द्वारा यथा पूर्वोक्त पैंतालिस दिन के भीतर घोषणा नही की जाती है तो घोषण की गयी समझी जायेगी और तहसीलदार ''उपजिलाधिकारी के आदेश अध्यधीन'' टिप्पणी सहित राजस्व अभिलेंखों में अभिलिखित करेगा।

यदि कोई प्रभावित पक्षकार उक्त घोषणा के सम्बन्ध में कोई आपत्ति दाखिल करना चाहे, तो वह सक्षम न्यायालय में आपत्ति दाखिल कर सकता है।

धारा 89 का संशोधन

7–(एक) मूल अधिनियम की धारा 89 में उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्पष्टीकरण– इस उपधारा में पद ''किसी व्यक्ति'' का तात्पर्य प्राकृतिक या विधिक व्यक्ति से है।

(दो) उपधारा (3) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

परन्तु यह कि जहां भूमि, किसी रजिस्ट्रीकृत फर्म, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति अथवा किसी अन्य शैक्षिक या किसी पूर्त संस्था द्वारा इस उपधारा या निरसन के पूर्व यथा अधिनियमित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 154 की उपधारा (3) के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना अर्जित अथवा क्रय की गई हो, वहां राज्य सरकार अथवा इस अधिनियम के अधीन इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कोई अधिकारी, जुर्माना स्वरूप ऐसी धनराशि, जो आवेदन करते समय प्रचलित सर्किल दर के अनुसार आगणित उपधारा (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक भूमि की लागत की पच्चास प्रतिशत होगी, का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे अर्जन अथवा क्रय को विनियमित करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान कर सकती/सकता है।

धारा 101 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 101 में खण्ड (ख) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

परन्तु यह कि विनिमय की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है, भले ही विनिमय हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का मूल्यांकन सार्वजनिक मूल्य से दस प्रतिशत से अधिक हो।

खण्ड (ग) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

परन्तु यह कि विनिमय की अनुज्ञा प्रदान की जा सकती है, भले ही विनिमय हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का क्षेत्र, सार्वजनिक भूमि के क्षेत्र से पचीस प्रतिशत से अधिक हो।

धारा 108 का संशोधन

9 (1) मूल अधिनियम की धारा 108 में, उपधारा (1) में शब्द ''किसी'' के पश्चात् शब्द ''थर्ड जेण्डर'' बढ़ा दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन पुरूष थर्ड जेण्डर भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार के निम्नलिखित नातेदार उत्तराधिकारी हैं, अर्थात्–

(क) विधवा, थर्ड जेण्डर पति या पत्नी, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेण्डर संतान और पुत्र–पौत्रादिक क्रम में पुंजातीय वंशज, प्रति शाखा के अनुसारः

परन्तु यह कि विधवा, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेण्डर संतान, और पुत्र, चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हों, को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्वमृत पुत्र को, यदि वह जीवित होता, न्यागत होता;

(ख) माता और पिता ;

(ग) विवाहित पुत्री ;

(घ) भाई, अविवाहित बहिन, थर्ड जेण्डर सहोदर भाई या बहिन जो क्रमशः उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री थर्ड जेण्डर संतान हों और पूर्व मृत भाई का पुत्र, अविवाहित पुत्री, थर्ड जेण्डर संतान जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो;

(ङ) पुत्र की पुत्री और थर्ड जेण्डर संतान;

(च) पिता की माता और पिता के पिता;

(छ) पुत्री का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;

(ज) विवाहित बहिन;

(झ) सौतेली बहिन जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ञ) बहिन का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;

(ट) सौतेली बहिन का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री, जहॉ बहिन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो;

(ठ) भाई के पुत्र का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;

(ड) पिता के पिता का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;

(ढ) पिता के पिता के पुत्र का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;

(ण) माता की माता का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री।

धारा 109 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 109 में शब्द 'पुरूष' जहॉ कही आया हो के पश्चात शब्द ''थर्ड जेण्डर'' बढ़ा दिया जायेगा।

धारा 110 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा–110 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

110–जहां इस संहिता के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी स्त्री भूमिधर, असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाय, वहां किसी जोत या उसके आंशिक भाग में उसका हित, धारा 107 से 109 के उपबन्धों के अध्यधीन, नीचे दिए गए उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यागत हो जाएगाः–

(क) पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान, अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान, और अविवाहित पुत्री, पुत्र के पुत्र का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान, और अविवाहित पुत्री, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा, प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में;

परन्तु यह कि प्रथमतः उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देगा;

परन्तु द्वितीयतः यह कि कोई विधवा, जिसने पुनर्विवाह कर लिया है, अपवर्जित हो जायेगी।

(ख) पति या विवाहित थर्ड जेण्डर पति या पत्नी ;

(ग) विवाहित पुत्री;

(घ) पुत्री का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री;

(ङ) पिता;

(च) विधवा माता;

(छ) भाई, जो उसी मृत पिता का पुत्र हो या थर्ड जेण्डर संतान सहोदर भाई या बहिन हो, जो उसी मृत पिता की संतान हो, और भाई का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री प्रतिशाखा अनुसार;

(ज) अविवाहित बहिन;

(झ) विवाहित बहिन;

(ञ) बहिन का पुत्र, थर्ड जेण्डर संतान और अविवाहित पुत्री।

धारा 126 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 126 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

परन्तु यह कि विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को अधिमान प्रदान किया जायेगा ।

धारा 128 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 128 की उपधारा (1–क) के स्थान पर निम्नलिखित उप–धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात किये गये भूमि के आवंटन या कृत पट्टा के मामले में ऐसे पट्टा आवंटन के दिनांक से पॉच वर्ष के भीतर आवेदन किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-13, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबंधन और निस्तारण) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबंधन और निस्तारण) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबंधन और निस्तारण) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-16 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्धन और निस्तारण) विधेयक, 2020

सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 का निरसन किये जाने से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी सम्पत्तियों का प्रबन्धन और निस्तारण करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबंधन और निस्तारण) विधेयक, 2020 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

परिभाषाएँ

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(1) 'सरकारी सम्पत्ति' का तात्पर्य ऐसी प्रत्येक सम्पत्ति से है जो किसी भी रूप में राज्य सरकार में निहित हो उसके द्वारा अर्जित या प्रबंधकृत हो या उसके स्वामित्वाधीन हो जो निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है :–

(एक) देश की स्वतंत्रता के समय राज्य सरकार की स्वामित्वाधीन भूमियाँ तथा अन्य सम्पत्तियाँ, इसमें भूमि व्यवस्था आयुक्त के अधीन प्रबंधकृत भूमि, नजूल भूमि (ग्रामीण एवं नगरीय), जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय निकायों की प्रबन्धाधीन भूमि, वन या अन्य विभागों की प्रबन्धाधीन भूमि और पर्वतीय क्षेत्रों की सिविल तथा मृदा भूमि सम्मिलित है;

(दो) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 के प्रसार के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार में निहित भूमि;

(तीन) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन राज्य सरकार में निहित भूमि;

(चार) भूमि अर्जन से सम्बंधित किसी विधि के अधीन सरकार द्वारा अर्जित भूमि;

(पाँच) सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट विधि के अधीन स्वामित्व प्राप्त या प्रबंधकृत भूमि, भवन या सम्पत्तियाँ;

(2) 'कलेक्टर' का तात्पर्य जिला के कलेक्टर से है;

(3) 'परिषद' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् से है;

(4) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(5) 'पट्टा' का तात्पर्य इस अधिनियम में उल्लिखित पट्टा के प्रबंधन से है;

(6) 'विहित प्राधिकारी' का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(7) 'नजूल' का तात्पर्य ऐसी भूमि, भवन या सम्पत्ति से है जो नजूल नियम–संग्रह में परिभाषित हो।

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किये गये कार्य

3–सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के अधीन कृत किसी कार्य की विधिमान्यता, अविधिमान्यता या उसके परिणाम अथवा अधिकार, स्वामित्व या देयता या किसी ऋण, मांग, देयता अथवा किसी प्रकार के प्रतिकर को अथवा पूर्व में कृत किसी कार्य या बात को इस प्रकार माना जायेगा, मानो यह अधिनियम पारित न किया गया हो।

सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 सरकारी अनुदानों/पट्टों पर लागू नही होगा

4–सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की कोई बात जो भी हो, जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से उक्त अधिनियम के पूर्व या उसके पश्चात् कृत किसी अनुदान के पक्ष में लागू हो, अथवा कोई सम्पत्ति अंतरण या उसमें निहित कोई हित कभी भी लागू नही होगा और ऐसा प्रत्येक अनुदान और अंतरण इस रूप में किया जायेगा कि मानो सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 पारित न किया गया हो।

कतिपय अधिनियमों से इस अधिनियम के अधीन कृत कार्यवाही की विधि–मान्यता प्रभावित नही होगी

5–उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम, 1939 या आगरा काश्तकारी अधिनियम, 1926 या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध से, इस अधिनियम को पारित किये जाने के पूर्व या पश्चात् सरकार द्वारा या सरकार की ओर से किसी व्यक्ति के पक्ष में भूमि के पट्टा के माध्यम से सृजित, अनुदत्त या प्रदत्त कोई अधिकार प्रभावित नही होगा और उसे तद्निमित्त कभी भी प्रभावी नही माना जायेगा।

सरकारी सम्पत्ति का प्रबंधन

6–राज्य सरकार निम्नलिखित प्रयोजनार्थ सरकारी सम्पत्ति का प्रबंधन कर सकती है :–

(1) सरकार उपयोग के लिये :– सरकार या उसके किन्हीं विभागों द्वारा धारित सरकारी सम्पत्ति का उपयोग सरकारी कार्यालय या सरकारी उपयोग या भावी उपयोग हेतु आरक्षित की जा सकती है। किसी सरकारी विभाग द्वारा धारित अंतर विभागीय भूमि/सम्पत्ति का अंतरण, राज्य सरकार की अनुज्ञा से किया जा सकता है;

(2) लोक प्रयोजनार्थ पट्टा द्वारा :– सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा धारित सरकारी भूमि/सम्पत्ति, लोक प्रयोजन या अवसंरचनात्मक सुविधाएँ सृजित करने के लिये राज्य या केन्द्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निगमों को पट्टे पर दी जा सकती है किन्तु पट्टा स्वीकृत किये जाने के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसे किसी पट्टे से व्यापक लोक हित में या प्रचुर रूप में रोजगार सृजन हो;

(3) स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों को भूमि का आवंटन :– राज्य सरकार की चालू आवश्यकताओं की पूर्ति करने और भावी संभाव्यताओं को आरक्षित करने के पश्चात् स्थानीय निकायों को अपेक्षा अनुसार भूमि पट्टे या आवंटन पर दी जा सकती है। यदि भूमि फिर भी अवशिष्ट रह जाती है तो राज्य सरकार, उक्त भूमि स्थानीय विकास प्राधिकरणों को पट्टा पर दे सकती है या आवंटित कर सकती है, यदि वह ऐसा चाहे;

(4) इस अधिनियम या इसकी अधिनियमिति के पूर्व सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 या किसी अन्य अधिनियम या नियमावली के अधीन किये गये किसी सरकारी पट्टा/अनुदान/आवंटन की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा ऐसी भूमि या सम्पत्ति का नवीन प्रबंधन यथाविहित शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार किया जायेगा;

(5) राज्य सरकार इस अधिनियम या सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 या किसी अन्य अधिनियम या नियमावली के अधीन जारी किसी सरकारी भूमि के पट्टा या आवंटन के निबंधनों का उल्लंघन करके ऐसी भूमि या सम्पत्ति के पट्टे या आवंटन को नवीकृत करती है तो प्रबंध तंत्र ऐसी शर्तों और निबंधनों के साथ ऐसा कर सकता है जैसाकि विहित किया जाय।

राज्य सरकार द्वारा विहित निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित किये जाने वाले लोक प्रयोजनार्थ किया गया पट्टा या आवंटन

7–इस अधिनियम के अधीन लोक प्रयोजनार्थ सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अन्य विभाग, निगम या उपक्रम या स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण के लिये जारी पट्टा या आवंटन ऐसी निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।

सरकार द्वारा या उसकी ओर से लोक प्रयोजनार्थ कृत पट्टा या आवंटन विभागीय नियमों के अनुसार प्रभावी होगा

8–(1) इस अधिनियम के अधीन लोक प्रयोजनार्थ सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अन्य विभाग, निगम या उपक्रम या स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण के लिये जारी पट्टा या आवंटन ऐसी निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किया जाय।

(2) विहित उप धारा (1) के अधीन जारी किये गये पट्टा या आवंटन के सम्बन्ध में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा बनाये गये अपने–अपने नियमों के अनुसार उनका अग्रतर प्रबन्धन एवं पारदर्शी निस्तारण किया जायेगा।

अवैध कब्जा हटाये जाने की प्रक्रिया

9–सरकारी भूमि के अवैध कब्जा को हटाये जाने की समस्त कार्यवाहियां राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागीय अधिनियमों/नियमों में दी गई व्यवस्था के अनुसार की जायेगी। यदि कोई विभागीय अधिनियम/नियम न हो तो कब्जा हटाये जाने की प्रक्रिया वही होगी जैसा सरकारी आस्तियां (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में विहित हों।

पट्टा या आवंटन का निरस्तीकरण

10–इस अधिनियम या सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 या किसी अन्य अधिनियम या नियम के अधीन आवंटित किसी सरकारी भूमि का पट्टा या आवंटन, आवंटन अवधि समाप्त होने पर स्वतः रद्द हुआ समझा जायेगा। पट्टे या आवंटन के निबंधनों का उल्लघंन किये जाने पर या किसी अन्य कारण से राज्य सरकार या उसके द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कोई अधिकारी ऐसी प्रक्रिया द्वारा पट्टे को निरस्त कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाय।

सरकारी सम्पत्ति पर पुनः प्रवेश

11– इस अधिनियम या सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 या किसी अन्य अधिनियम या नियमावली के अधीन जारी किसी सरकारी भूमि की पट्टा अवधि समाप्त होने पर यदि पट्टाधारक पट्टा या आवंटन के निबंधनों का उल्लघंन करता है या किसी अन्य कारण से रद्दकरण के पश्चात् राज्य सरकार या उसके द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त कोई अधिकारी, पट्टाकृत भूमि/सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है/ले सकता है और उसे ऐसी अन्तरिम अवधि के लिये ऐसे व्यक्ति को सौंप सकती/सकता है जैसा कि राज्य सरकार या इस कार्य के लिए नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा उसके नियंत्रण एवं निदेश के अधीन प्राधिकृत किया जाय।

पट्टा या आवंटन का संशोधन

12– इस अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार या उसके किसी विभाग द्वारा बनायी गयी नियमावली के अधीन किसी विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये किसी आदेश या अनुदेश को राज्य सरकार की अनुज्ञा से संशोधित, परिवर्तित या निरसित किया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा निदेश जारी करने की शक्ति

13– राज्य सरकार इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों तथा प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिये अधिसूचना द्वारा निदेश जारी कर सकती है।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

14 (1) राज्य सरकार का कोई अधिकारी या सेवक इस अधिनियम के अधीन किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित किसी कार्य के संबंध में किन्हीं सिविल या दाण्डिक कार्यवाहियों के लिये दायी नहीं होगा, यदि उक्त कार्य सद्भावनापूर्वक और इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अधिरोपित कर्तव्यों के निवर्हन या कृत्यों के निष्पादन के प्रक्रम में किया गया हो;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के आधार पर हुई या सम्भाव्य रूप में होने वाली किसी क्षति अथवा उठायी गयी या सम्भाव्य रूप में उठायी जाने वाली किसी हानि के लिये या उक्त अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार के विरूद्ध कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जायेगी;

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के परिणामस्वरूप कृत या उद्भूत होने वाली किसी क्षति के लिये या इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक कृत किसी बात के लिये राज्य सरकार के विरूद्ध कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जायेगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

15–(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई, विनिर्दिष्ट रूप से निरसन और संशोधन (द्वितीय) अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 4 सन् 2018) द्वारा निरसित सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में अधिसूचित कठिनाई को दूर करने के लिये निदेश दे सकती है। आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि में इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे अनुकूलनों, चाहें वे उपान्तरणों, परिवर्धनों या लोपों के रूप में हों जिन्हें वह आवश्यक समझे के अध्यधीन प्रभावी होंगे; परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा;

(3) उप धारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उक्त उप धारा में विनिर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

नियम बनाने की शक्ति

16–राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-16 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबंधन और निस्तारण) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबंधन और निस्तारण) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 28 जुलाई, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976 की धारा 7 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 7 में निम्नलिखित 'परन्तुक' बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु जहाँ इस प्रकार आवंटित की गई किसी भूमि का उपयोग कब्जा के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि, अथवा आवंटित किये जाने की शर्त के अन्तर्गत ऐसे उपयोग के लिए नियत अवधि, जो भी अधिक हो, के भीतर नहीं किया जाता है वहाँ आवंटन और पट्टा विलेख रद्द हुआ माना जायेगा और उक्त भूमि प्राधिकरण के पास रहेगी।

परन्तु यह और कि जहाँ पूर्वोक्त अवधि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व पहले ही व्यपगत हो गयी हो वहाँ प्राधिकरण आवंटी को ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह आवंटित की गयी थी, के लिए एक वर्ष की अवधि के भीतर उक्त भूमि का प्रयोग करने के लिए नोटिस देगा और यदि उपर्युक्त एक वर्ष की अवधि के भीतर आवंटी भूमि का उपयोग नहीं करता है तो आवंटन और पट्टा विलेख स्वतः रद्द हुआ माना जायेगा।"

निरसन एवं व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 16 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये।

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 19 जून, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 4 में, उपधारा (3) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

"(ग) वित्तीय वर्ष 2020–2021 में राजकोषीय घाटा, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनधिक पाँच प्रतिशत पर बनाये रखेगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-34 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण
विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश राज्य में लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि करने, महामारी रोगों या अन्य संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण करने से सम्बंधित विधि को समेकित करने तथा उसमें संशोधन करने के लिए

विधेयक

चूँकि वर्तमान कोविड–19 महामारी और ऐसे अन्य रोग जैसी परिस्थितियों में लोक स्वास्थ्य के संरक्षण के प्रति सरकार तथा लोक स्वास्थ्य प्राधिकरणों के समक्ष गम्भीर चुनौती उत्पन्न हो जाती है; और

चूँकि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की किसी परिस्थिति का पूर्णतः तथा प्रभावी रूप में सामना करने के लिए विधिक और प्रशासनिक ढाँचा अपर्याप्त है; और

चूँकि पीड़ित व्यक्तियों की प्रभावी जाँच, पृथक्करण और उपचार के लिए उपबंध करना आवश्यक है; और

चूँकि राज्य द्वारा कृत महामारी तथा ऐसे अन्य रोग नियंत्रण संबंधी उपायों के निमित्त विभिन्न प्रकार के कार्य करने या उनमें चूक करने एवं व्यवधान डालने हेतु प्रभावी तथा भयकारी शास्तियों का उपबंध करना आवश्यक है; और

चूँकि ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रभावी तंत्र तथा अन्य ढाँचा सृजित करने का उपबंध करना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष मे निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 11 मई, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा प्रकट न हो, इस अधिनियम में :–

(1) (क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 2020 से है;

(ख) 'पीड़ित व्यक्ति' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो महामारी या ऐसे अन्य रोग से पीड़ित हो;

(ग) 'सशर्त मुक्त किया जाना' का तात्पर्य संचलन करने, लोक बैठक करने, सामाजिक दूरी बनाये रखने, कतिपय मध्यस्थता ग्रहण करने अथवा ऐसी अन्य शर्तों, जैसा कि प्राधिकरण या उपचारकर्ता चिकित्सक अधिरोपित करने हेतु उचित समझे, के सम्बन्ध में अनिवार्य उपचार के पश्चात किसी व्यक्ति को मुक्त किये जाने से है;

(घ) 'अनिवार्य उपचार' वह उपचार है जो उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा परिनिश्चित किया जाय और जो सरकार द्वारा समय–समय पर जारी प्रोटोकॉल के अनुसार हो;

(ङ) 'जिला प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 5(2) के अधीन गठित जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण से है;

(च) 'महामारी' रोग का तात्पर्य ऐसे रोग से है जो सांसर्गिक या संक्रामक है, और जिससे सम्पूर्ण राज्य या उसका आंशिक भाग पीड़ित हो या उसमें व्याप्त हो;

(छ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(ज) 'स्वास्थ्य सेवा कर्मी' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो महामारी से संबंधित उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अपना कर्तव्य करने के दौरान प्रभावित रोगियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों के सीधे सम्पर्क में आ सकता है और जिसके कारण वह ऐसे रोग से प्रभावित होने के जोखिम के अंतर्गत हो, जिसमें कोई साधारण व्यक्ति तथा नैदानिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता यथा चिकित्सक, नर्स, पराचिकित्सीय कर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी, रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव का रोकथाम करने का उपाय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त कोई अन्य व्यक्ति, और सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से इस रूप में घोषित कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;

(झ) 'पृथक्करण' का तात्पर्य महामारी या ऐसे अन्य रोग से प्रभावित किसी व्यक्ति के पृथक्करण से है जिससे कि रोग या संक्रमण को फैलने से रोका जा सके;

(ञ) 'लाक डाउन' में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(1) कतिपय शर्तों सहित प्रतिबन्ध अथवा सड़कों या प्रदेश के भीतर जलमार्गों पर किसी प्रकार के परिवहन के संचालन पर पूर्ण प्रतिषेध;

(2) किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर व्यक्तियों के संचलन या एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध;

(3) ऐसी शर्तों, जैसा कि आवश्यक समझा जाय, के साथ कारखानों, संयत्रों, खनन या निर्माण या कार्यालयों या शैक्षिक संस्थाओं/बाजार स्थलों सम्बन्धी कार्यों को प्रतिषिद्ध करना या प्रतिबन्धित करना;

(ट) 'संगरोध' का तात्पर्य किसी संदिग्ध या बीमार व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को पृथक करना है, जिससे कि अन्य व्यक्तियों को संक्रमण के किसी संचरण से रोका जा सके;

(ठ) 'विनियमावली' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन बनायी गयी महामारी नियंत्रण विनियमावली से है;

(ड) 'परिक्षेत्र के बंदी' का तात्पर्य संक्रमण को अन्य परिक्षेत्रों में फैलने से रोकने और उपचार तथा अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने की दृष्टि से ऐसे किसी क्षेत्र को पृथक करने से है जिसके लिए यह विश्वास किया जाता है कि सक्रिय रूप से संक्रमित व्यक्ति घर में रहेंगे;

(ढ) 'सामाजिक दूरी' का तात्पर्य अन्य व्यक्तियों से ऐसी शारीरिक दूरी बनाये रखने से है, जैसा कि यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण, आदेश द्वारा निदेश दे अथवा जैसा कि धारा 4 के अधीन बनायी गयी महामारी नियंत्रण विनियमावली के अधीन विहित किया जाय;

(ण) 'राज्य प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 5(1) के अधीन गठित राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण से है;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या 45 सन् 1960), महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897), दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) और आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः ऐसे अधिनियमों में उनके लिए समनुदेशित हैं।

महामारी के प्रादुर्भाव होने की उद्घोषणा

3–(1) यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि किसी महामारी का प्रादुर्भाव हो गया है और यह कि विधि तथा चिकित्सा व्यवसाय के सामान्य उपबन्ध, रोग के प्रसार को रोकने या उस पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त न हों तो वह गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु यह उद्घोषणा जारी कर सकती है कि राज्य या उसका आंशिक भाग महामारी से प्रभावित हो गया है।

(2) ऐसी उद्घोषणा प्रारम्भिक रूप में तीन माह की अवधि के लिए रहेगी किन्तु उसमें ऐसी अन्य अवधि तक के लिए वृद्धि की जा सकती है जैसा कि सरकार लोकहित में उचित समझे।

उद्घोषणा के दौरान सरकार की शक्तियाँ

4–(1) सरकार महामारी के प्रसार के प्रभावी रोकथाम, नियंत्रण या उपचार के लिए महामारी नियंत्रण विनियमावली बना सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्मित विनियमावली, धारा 3 के अधीन उद्घोषणा के अस्तित्व में रहने के दौरान प्रवृत्त रहेगी।

(3) विनियमावली में ऐसे समस्त आकस्मिक व्ययों को उपबन्ध किया जा सकता है जो महामारी के रोकथाम तथा नियंत्रण अथवा पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के दौरान उद्भूत हो सकते हैं।

(4) सरकार, आदेश द्वारा, महामारी रोग के प्रसार की रोकथाम तथा नियंत्रण रखने अथवा प्रभावी उपचार को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थिति के अनुसार पृथक्करण, संगरोध, परिक्षेत्र बंदी, लाक डाउन प्रकृति के प्रतिबंध अथवा समान प्रकृति के ऐसे कोई प्रतिबंध, जैसा कि वह उचित समझे, विहित कर सकती है।

(5) विशेष रूप से और पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार रेल द्वारा या अन्यथा रूप में यात्रा करने वाले अथवा विमानपत्तनों पर पहुँचने वाले व्यक्तियों के निरीक्षण के लिए और ऐसे किसी रोग से संक्रमित होने के संबंध में निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा संदिग्ध माने गये व्यक्तियों के चिकित्सालय में पृथक्करण, अस्थायी वास या अन्यथा के लिए कदम उठा सकती है, और विनियमावली विहित कर सकती है।

राज्य तथा जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण

5–(1) एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

1–माननीय मुख्यमंत्री,	अध्यक्ष
2–माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,	उपाध्यक्ष
3–मुख्य सचिव,	संयोजक
4–पुलिस महानिदेशक,	सदस्य
5–प्रमुख सचिव (गृह),	सदस्य
6–प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य),	सदस्य सचिव
7–प्रमुख सचिव (वित्त),	सदस्य
8–राहत आयुक्त,	सदस्य
9–महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,	सदस्य

(2) एक जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

1– जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2– जिला पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस आयुक्त की श्रेणी से अन्यून कोई अधिकारी जिसे पुलिस आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा	सदस्य
3– मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य सचिव

राज्य तथा जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य

6–(1) राज्य प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य निम्नवत् हैं:–

(क) यह महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण से सम्बन्धित मामलों में सरकार को परामर्श देगी;

(ख) यह महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य या उसके किसी भाग में उठाये जाने वाले एक समान उपायों के लिए आदेश दे सकती है;

(ग) यह केन्द्र सरकार अथवा उसके प्राधिकारियों और अन्य राज्य सरकारों तथा उनके प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा ;

(घ) यह जिला प्राधिकरण या चिकित्सालयों अथवा महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण या पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के संबंध में नियोजित अन्य व्यक्तियों द्वारा अनुसरण किये जाने वाले आदेश या प्रोटोकॉल को जारी कर सकता है।

(ङ) यदि राज्य प्राधिकरण पूर्वोक्त विषय में कोई आदेश पारित किया हो तो जिला प्राधिकरण द्वारा पारित प्रतिकूल आदेश, असंगति की सीमा तक निष्प्रभावी होगा।

(2) किसी जिला प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य निम्नवत् होंगेः–

(क) महामारी के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिला में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करना;

(ख) जब प्रतिबन्ध प्रवर्तित हों तब उस अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सामुदायिक कार्य के लिए आवश्यक सेवायें सुगमतापूर्वक तथा पर्याप्त रूप में की जायं;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि जिला में लोक व्यवस्था अनुरक्षित है;

(ङ) समस्त सरकारी या राज्य प्राधिकरण के आदेशों को सुगमतापूर्वक क्रियान्वित किया जाय;

(च) जिला प्राधिकरण के पास ऐसी शक्तियाँ होंगी कि वह गृह परिदान सेवाओं, रसद भण्डारों अथवा आवश्यक वस्तुओं के अन्य व्यापारियों, सब्जी के थोक विक्रेताओं या स्थानीय सब्जी विक्रेताओं के साथ आपूर्तियाँ बनाये रखने के लिए व्यवस्था करे;

(छ) जिला प्राधिकरण सामाजिक दूरी बनाये रखने अथवा सार्वजनिक स्थलों पर अथवा संगरोध के दौरान अन्य सावधानियाँ रखने के लिए निर्देश जारी कर सकता है;

(ज) जिला प्राधिकरण महामारी के रोकथाम, नियंत्रण अथवा पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के प्रयोजनार्थ कोई भूमि या भवन अधियाचित कर सकता है;

(झ) जिला प्राधिकरण टेण्ट निर्माण या स्थायी संरचना उतनी संख्या में, जितना ऐसे अधियाचन में विनिर्दिष्ट किया जाय, परिनिर्मित करने हेतु टेण्ट निर्माण या स्थायी संरचना का व्यवसाय करने वाले किसी व्यक्ति या संगठन से अपेक्षा कर सकता है;

(ञ) जिला प्राधिकरण किसी व्यक्ति या संगठन से, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, मोटरयान, अन्य चल सम्पत्ति या संसाधनों को अधियाचित कर सकता है और इस प्रकरण का अपेक्षित व्यक्ति को तत्परतापूर्वक अनुपालन करना होगा;

(ट) जिला प्राधिकरण निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों की सेवायें अधियाचित कर सकता है;

(ठ) जिला प्राधिकरण महामारी के रोकथाम, नियंत्रण अथवा पीड़ित व्यक्तियों के उपचार के प्रयोजनार्थ निजी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें अधियाचित कर सकता है;

(ड) जिला प्राधिकरण, उक्त प्रयोजनार्थ स्वयंसेवी सामाजिक कर्मियों की सेवायें ग्रहण कर सकता है तथा उन्हें संचालित कर सकता है।

लाक डाउन आदेश जारी करने की शक्ति

7–(1) सरकार या राज्य प्राधिकरण ऐसी शर्तों पर लाक डाउन निदेशित करते हुए एक उद्घोषणा जारी कर सकता है जैसा कि उद्घोषण में विनिर्दिष्ट किया जाय।

(2) कोई जिला प्राधिकरण जिला में पूर्णतः या आंशिक रूप में प्रभावी करने के लिए उपधारा (1) में यथा उल्लिखित लाक डाउन आदेश भी जारी कर सकता है।

(3) इस धारा के अधीन किसी आदेश के लिए निदेश, किसी विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों या सामान्यतः किसी विशिष्ट स्थान या क्षेत्र में प्रायः आने वाले या यात्रा करने वाले लोगों को दिया जा सकता है।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश, धारा 3 के अधीन महामारी की उद्घोषणा की अवधि से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा।

अफवाह आदि के संबंध में सरकार की शक्ति

8–सरकार अफवाह, मिथ्या खबर या मिथ्या सूचना या संत्राश की रोकथाम करने के उद्देश्य से महामारी के सम्बन्ध में सूचना प्रकाशित करने संबंधी मार्गदर्शी–सिद्धान्त जारी कर सकती है।

किसी पीड़ित व्यक्ति का पता लगाने का उपाय करने की शक्ति

9–(1) सरकार, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण ऐसे किसी पीड़ित व्यक्ति का पता करने के लिए पुरस्कार घोषित कर सकता है, जो खोज से भाग रहा हो या अन्यथा रूप में अपनी उपस्थिति को छुपा रहा हो।

(2) प्राधिकरण, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह पीड़ित व्यक्ति की खोज करे और उसे उपचार केन्द्र पर लाये।

(3) जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति की खोज करने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे, जिसमें सम्भावित परिक्षेत्रों में घोषणा किया जाना और ऐसे प्रमुख स्थानों पर अथवा ऐसे स्थानों पर जहाँ पर उसका विद्यमान होना संभाव्य हो, अथवा रेलवे स्टेशन, बस अड्डों या विमानपत्तनों पर उसके बचने से रोकथाम के लिए फोटोग्राफ और अन्य विवरण चिपकाया जाना सम्मिलित है।

(4) यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त किसी पीड़ित व्यक्ति के संबंध में ऐसे व्यक्ति पर समुचित कार्यवाही करने के लिए विमानपत्तन प्राधिकरणों या अन्य राज्य सरकारों को उद्घोषणा जारी कर सकता है।

पीड़ित व्यक्ति को उपचार आदि के लिए ले जाना

10–प्राधिकरण द्वारा अधियाचन या उद्घोषणा की नोटिस के अनुपालन में खोज किये गये किसी व्यक्ति को उपचार केन्द्र पर लाया जा सकता है और इस प्रकार खोज किया जाना या उपचार केन्द्र में प्रतिधारित किया जाना, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के प्रयोजनार्थ गिरफ्तारी नहीं मानी जायेगी।

किसी स्थान में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति

11–(1) यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या पुलिस आयुक्त किसी अधियाचन के अनुपालन में किसी व्यक्ति की तलाशी लेने या उसका पता लगाने हेतु किसी स्थान पर स्वयं प्रवेश कर सकता है अथवा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(2) ऐसा अधिकारी किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ या उसकी अतिशय सन्निकटता में पाये गये किसी व्यक्ति से यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक के लिए घर या संगरोध केन्द्र पर स्वयं को संगरोधित करने के लिए कह सकता है।

मृत शरीरों का निस्तारण

12–अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, सरकार पीड़ित व्यक्तियों के मृत शरीरों का निस्तारण करने की रीति को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

क्षति या नुकसानों की वसूली

13–(1) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों के अतिरिक्त सरकार यह आदेश दे सकती है कि सरकार द्वारा उपगत व्यय अथवा किसी व्यक्ति अथवा किसी संगठन के जानबूझकर या उपेक्षापूर्ण आचरण या व्यवहार के कारण हुई क्षति या नुकसान की वसूली ऐसे व्यक्ति या संगठन से की जायेगी।

(2) तदोपरान्त ऐसी जांच, जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, करने के पश्चात जिला मजिस्ट्रेट के लिए निम्नलिखित कार्य करना विधि सम्मत होगा:–

(क) ऐसे व्यक्तियों की घोषणा करना, जिन्हें ऐसे दुराचरण से या के कारण चोट लगी हो, क्षति या नुकसान हुआ हो;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के लिए संदत्त किये जाने हेतु प्रतिकर की धनराशि और उनके मध्य आवंटित की जाने वाली धनराशि की रीति को नियत करना; और

(ग) उस अनुपात का निर्धारण करना जिस अनुपात में उक्त धनराशि का संदाय क्षति या नुकसान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों या संगठन द्वारा किया जायेगा;

(3) कृत प्रत्येक या निर्धारण अथवा उपधारा (2) के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश मण्डलायुक्त द्वारा पुनरीक्षण के अध्याधीन होगा किन्तु यथापूर्वोक्त के सिवाय अन्तिम होगा।

(4) उपधारा (1) में यथाउल्लिखित कृत्य करने के परिणामस्वरूप जब कोई मृत्यु हो तो उक्त क्षति मृतक के सगे–सम्बन्धी को सरकार द्वारा दिये गये किसी अनुग्रह धनराशि के संदाय के बराबर होगी।

(5) इस धारा के अधीन अधिनिर्णीत प्रतिकर या क्षतियों का संदाय करने में विफल रहने पर ऐसी धनराशि की वसूली, राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अधीन भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जायेगी।

व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक सहायता

14–पीड़ित व्यक्तियों अथवा नियंत्रण सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण अन्य पीड़ित व्यक्तियों को सारभूत सहायता या वैयक्तिक सहायता प्रदान करने के इच्छुक कोई व्यक्ति या संगठन अभिकरण के माध्यम से और जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से की गयी व्यवस्थाओं के अनुसार ऐसा कर सकता है और वह ऐसा स्वतंत्र रूप से या सीधे तौर पर नहीं करेगा।

छिपाव आदि के लिए दण्ड

15–जो कोई पीड़ित व्यक्ति स्वयं को छिपायेगा या पता लगाये जाने से बचेगा, ऐसी अवधि तक के लिए कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती, से और ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।

सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा के लिए दण्ड

16–जो कोई स्वयं को पीड़ित व्यक्ति जानते हुए अथवा किसी पीड़ित या संदिग्ध व्यक्ति की सन्निकटता में स्वयं होते हुए साशय हवाई, रेलवे या सार्वजनिक सड़क परिवहन या किसी अन्य सामान्य परिवहन द्वारा यात्रा करेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से और ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।

पृथक्करण आदेश का उल्लंघन करने के लिए दण्ड

17–जो कोई संगरोध, पृथक्करण या चिकित्सालय में उपचार से सम्बन्धित किसी आदेश का उल्लंघन करेगा वह ऐसी अवधि तक के लिए कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा और वह ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

चिकित्सालय से भाग जाने के लिए दण्ड

18–किसी चिकित्सालय में महामारी रोग उपचार के अधीन होते हुए जो कोई व्यक्ति चिकित्सालय से भाग जायेगा वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो एक वर्ष सें कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

अश्लील या अभद्र आचरण

19–जो कोई उपचार, पृथक्करण या संगरोध के अधीन होते हुए जान–बूझकर किसी अन्य अश्लील या अभद्र कृत्य या अशिष्ट कृत्य या हाव–भाव में लिप्त होगा, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

उद्दीपन के लिए दण्ड

20—ऐसा कोई संगठन या निकाय या व्यक्ति, जो अधिनियम या विनियमावली के किसी उपबन्ध अथवा यथास्थिति किसी प्राधिकरण या जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त या इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति या उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा जारी किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उपदेश देगा या अन्यथा उद्दीप्त करेगा, ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

दोषपूर्ण प्रचार के लिए दण्ड

21—जो कोई किसी समुदाय या व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को दिग्भ्रमित करने या अन्यथा रूप में नुकसान पहुँचाने के आशय से मिथ्या प्रकाशन करेगा या मिथ्या सूचना फैलायेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो छः माह से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

प्राधिकारियों या अधिकारियों पर आक्रमण करना या उन्हें व्यवधान पहुँचाना

22—(1) जो कोई, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों या कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, शुद्धता, सफाई या स्वच्छता में संलग्न व्यक्तियों या अधिनियम के अधीन रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव को रोकने का उपाय करने के लिए सशक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों या रोकथाम करने, खोज करने या पता लगाने में संलग्न व्यक्तियों या उपचार करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध कोई हिंसात्मक कार्य करेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो तीन माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकती है, से और वह ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई हिंसात्मक कार्य करने के दौरान स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों या कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, शुद्धता, सफाई या स्वच्छता में संलग्न व्यक्तियों या इस अधिनियम के अधीन रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव की रोकथाम करने का उपाय करने के लिए सशक्त किसी अन्य व्यक्ति, और खोजबीन करने, खोज करने या पता लगाने में संलग्न समस्त व्यक्तियों या उपचार करने या संगरोध करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों को गम्भीर क्षति पहुँचायेगा, जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 320 में परिभाषित है, तो वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो छः माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा और वह ऐसे जुर्माना, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

(3) जो कोई किसी सम्पत्ति की क्षति करेगा या हानि पहुँचायेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास, जो तीन माह से कम नहीं होगी, किन्तु पाँच वर्ष तक हो सकती है, से और ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।

द्वेषपूर्ण आचरण

23—जो कोई इस बात के आशय से या उसकी जानकारी होते हुए कि इससे अन्य व्यक्तियों को संक्रमण या रोग फैल सकता है, कोई कृत्य करेगा या अविधिमान्य चूक करेगा, ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा और वह जुर्माना से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—जो कोई किसी चिकित्सक पर, या खोज करने या पता लगाने में, उपचार ग्रहण करने में संगरोध करने में, पृथक्करण करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों पर थूकेगा या किसी प्रकार की गन्दगी, मूत्र या मलमूत्र फेंकेगा, वह इस धारा के अधीन अपराध किया हुआ समझा जायेगा।

साशय उत्पीड़न के लिए दण्ड

24—जो कोई किसी व्यक्ति को किसी संक्रामक रोग से, साशय उत्पीड़ित करेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो दो वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा और वह ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

सामूहिक उत्पीड़न

25—जो कोई पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का साशय उत्पीड़न करेगा, ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

यदि मृत्यु का कारण साशय उत्पीड़न हो

26—जो कोई धारा 24 या 25 के अधीन उत्पीड़न से मृत्यु का कारण बनेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास, जो सात वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक के लिए हो सकती है, से दण्डित किया जायेगा, और वह ऐसे जुर्माना, जो तीन लाख रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, से भी दण्डित किए जाने का भागी होगा।

विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्ध न किये गये कृत्यों के लिए दण्ड

27—जो कोई इस अधिनियम या विनियमावली के किसी उपबन्ध अथवा इस अधिनियम के उद्देश्यों, जिनके लिए अधिनियम में कोई विनिर्दिष्ट दण्ड उपबन्धित न किया गया हो, को अग्रसर करने के लिए पारित आदेशों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो छः माह तक हो सकती है, से या ऐसे जुर्माना, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपये तक हो सकता है, से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

दुष्प्रेरण

28—(क) जो कोई, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, जिला प्रशासन के अधिकारियों या कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, शुद्धता, सफाई या स्वच्छता में संलग्न व्यक्तियों या इस अधिनियम के अधीन रोग के प्रादुर्भाव या उसके फैलाव की रोकथाम करने का उपाय करने के लिए सशक्त व्यक्तियों या रोकथाम करने, खोज करने और उपचार करने में या अन्यथा रूप में संलग्न व्यक्तियों के विरुद्ध कोई हिंसात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा;

(ख) किसी सम्पत्ति की क्षति या नुकसान करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, तो ऐसी अवधि के लिए कारावास, जो तीन माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकती है, से और ऐसे जुर्माना, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य अपराध के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह दुष्प्रेरित अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

अपराध करने का प्रयास

29—जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का प्रयास करेगा, वह अपराध करने के लिए उपबन्धित न्यूनतम अवधि से अन्यून आधी अवधि की न्यूनतम अवधि तक के लिए कारावास से दण्डित किया जायेगा किन्तु जो तीन वर्ष अथवा उपबन्धित की गयी अधिकतम आधी अवधि, जो भी अधिक हो, तक हो सकती

संज्ञेय और अजमानतीय अपराध

30—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

31—(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी विनियमावली या नियमावली या आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(2) इस अधिनियम या तद्धीन किये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात द्वारा हुई या संभावित रूप में होने वाले किसी क्षति के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अन्य रोग या महामारी के संबंध में शक्ति

32—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी महामारी रोग या जानवरों, पौधों के जीवन या फसल या जलीय प्राणियों को प्रभावित करने वाली महामारी या ऐसे अन्य रोगों के संबंध में यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

33—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उन्हें बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

34—(1) उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-34 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 11 मई, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (चच) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (छछ) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

(छछ) "उपभोक्ता प्रभारों" का तात्पर्य वस्तु अथवा सेवा के प्रतिफल में संदत्त धनराशि से है।

धारा 7 का संशोधन

3–मूल अधिनियम में, धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के प्रतिबंधात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के उपबन्ध का कोई प्रभाव, निम्नलिखित पर नहीं होगा:–

1–मण्डी उप स्थल;

2–सीधा विपणन;

3–निजी मण्डी स्थल;

4–एकीकृत लाइसेन्स के माध्यम से व्यापार;

5–न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अधीन क्रय केन्द्र;

6–निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा अनुमोदित डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से व्यापार :

प्रतिबन्ध यह है कि मण्डी समिति अथवा निदेशक, कृषि विपणन द्वारा जारी लाइसेन्स, घोषित एवं निर्मित प्रधान मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल से विनिर्दिष्ट दूरी के अन्तर्गत नहीं होंगे, जैसा कि निदेशक, मण्डी परिषद द्वारा अवधारित किया जाय।

धारा 7-क का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 7-क में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

(3) घोषित मण्डी उप स्थल में ऐसे भाण्डागार/साइलो/शीतगृह या अन्य संरचना या स्थान पर संव्यवहृत करने वाले व्यक्ति को, संव्यवहृत अधिसूचित कृषि उत्पाद के मूल्य पर मण्डी समिति को लागू मण्डी शुल्क के 75 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। मण्डी उप स्थल का स्वामी/लाइसेंसधारी, विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर प्रयोक्ता प्रभार के रूप में ऐसे मण्डी शुल्क के पच्चीस प्रतिशत तक की धनराशि उद्ग्रहीत और संग्रहीत कर सकता है जिसे उक्त स्थल के अनुरक्षण तथा विकास के लिये व्यय किया जा सकता है।

नई धारा 7-ङ का बढ़ाया जाना

5–मूल अधिनियम में, धारा 7–घ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

धारा 7-ङ उत्पादक–उपभोक्ता मण्डी स्थल की स्थापना (उत्पादक द्वारा उपभोक्ता को फुटकर सीमा के अन्तर्गत कृषि उत्पाद का विक्रय किया जाना)–

(1) विहित शुल्क, शर्तों एवं निर्बन्धनों के अध्यधीन शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे सम्बन्धित व्यक्ति को लाइसेंस जारी कर सकता है, जो उत्पादक–उपभोक्ता मण्डियाँ स्थापित करें, जिनमें विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का फुटकर व्यापार हो सके।

(2) लाइसेंसधारी यथा विहित रूप में उत्पादक एवं उपभोक्ता के पहुँच के भीतर उत्पादक–उपभोक्ता मण्डी में अवसंरचना स्थापित एवं विकसित कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपभोक्ता फुटकर सीमा के अन्तर्गत क्रय करेगा।

धारा 9-क का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 9-क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

(1) कोई मण्डी समिति, जो मुख्य मण्डी समिति होगी, कृषकों एवं व्यापारियों से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए उपविधियों में यथाविहित रीति से, सम्पूर्ण राज्य में पूर्व संसूचित स्थलों पर, निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रयोजनों के लिए एकीकृत लाइसेंस स्वीकृत कर सकती है –

(क) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण;

(ख) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का व्यापार;

(ग) विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन करके अन्य रीति से ग्रेडिंग, पैकिंग और संव्यवहरण।

धारा 17 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 17 में, खण्ड (तीन) में, उपखण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

(ग) राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रूप में प्रधान मण्डी स्थल/उप मण्डी स्थल/मण्डी उप स्थल में प्रदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप मण्डी समिति द्वारा प्रयोक्ता प्रभार उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत किया जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2020

8—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(वेल में आए हुए विपक्ष के सदस्य बैनर दिखाते हुए लगातार नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गो–वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश गो–वध निवारण अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गो–वध निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 11 जून, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1956 की धारा 5क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गो–वध निवारण अधिनियम, 1955 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5क में उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

(6) जहाँ उक्त वाहन इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा गोमांस से सम्बन्धित होना पुष्टिकृत कर दिया गया हो, वहाँ तब तक चालक, आपरेटर तथा परिवहन से सम्बन्धित स्वामी को इस अधिनियम के अधीन अपराध से आरोपित किया जायेगा, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि परिवहन के साधन की समस्त सावधानियों के होते हुए और उसकी जानकारी के बिना अपराध में प्रयुक्त परिवहन के साधन का प्रयोग अपराध करने के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है।

(7) इस अधिनियम और सुसंगत नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन करके गोमांस या गाय और उसके वंशज का परिवहन करने वाला यान, विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अधिहृत तथा जब्त कर लिया जायेगा। सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त अधिहरण तथा निर्मुक्ति की समस्त कार्यवाहियाँ करेगा।

(8) अभिग्रहीत यान द्वारा परिवहन किये गये गाय तथा गोवंश या गोमांस, विधि प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अधिहृत एवं अभिग्रहीत किये जायेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/आयुक्त यथास्थिति अधिहरण तथा निर्मुक्ति की समस्त कार्यवाहियाँ करेगा।

(9) अभिग्रहीत गायों तथा उसके गोवंश के भरण–पोषण पर व्यय की वसूली अभियुक्त से एक वर्ष की अवधि तक अथवा गाय या गोवंश को निर्मुक्त किये जाने तक, जो भी पहले हो, स्वामी के पक्ष में की जायेगी।

(10) जहाँ कोई व्यक्ति, इस अधिनियम की धारा 3, 5 तथा 8 के अधीन कोई अपराध करने, उसका दुष्प्रेरण करने या प्रयास करने के लिये अभियोजित किया जाता है और अभियुक्त के पास गोमांस या गाय के होने की पुष्टि अभियोजन द्वारा कर दी गयी है और सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा परिवहन की गई चीजों का गोमांस होना पुष्टि कर दिया गया हो वहाँ न्यायालय की यह उपधारणा होगी कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, ऐसा अपराध किया है या ऐसा अपराध करने का प्रयास या दुष्प्रेरण किया है, जब तक अन्यथा सिद्ध न हो जाये।

(11) जहाँ तलाशी, अधिग्रहण, व्ययन एवं जब्तीकरण के संबंध में इस अधिनियम अथवा सम्बन्धित नियमावली के उपबंध मौन हो, वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के सुसंगत उपबन्ध प्रभावी होंगे।

धारा 5ख का बढ़ाया जाना

3–मूल अधिनियम की धारा 5क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

5 ख–जो कोई किसी गाय या उसके गोवंश को ऐसी शारीरिक क्षति कारित करता है जो उसके जीवन को संकटापन्न करे यथा गोवंश का अंग–भंग करना, उनके जीवन को संकटापन्न करने वाली किसी परिस्थिति में उनका परिवहन करना, उनके जीवन को संकटापन्न करने के आशय से भोजन पानी आदि का लोप करना, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास, जो अन्यून एक वर्ष होगी और जो सात वर्ष तक हो सकती है, से और ऐसे जुर्माना, जो अन्यून एक लाख रुपये होगा, और जो तीन लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डित किया जायेगा।

धारा 7क का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

7 क–(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किसी दाण्डिक अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, अभिरक्षा में रहने के दौरान जमानत पर या उसके स्वयं के बन्धपत्र पर तब तक निर्मुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि–

(क) विशेष लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है, और

(ख) जहॉ विशेष लोक अभियोजक, आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय का यह विश्वास न हो जाय कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत के दौरान कोई अपराध करना असम्भव है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जमानत प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्बन्धन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन निर्बन्धनों के अतिरिक्त होंगे।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य अभियोजन सेवा का ऐसा प्रत्येक अभियोजक, जिसने सात वर्ष तक अभियोजन कार्य किया हो, चाहे वह जिस भी नाम से ज्ञात हो, विशेष लोक अभियोजक समझा जायेगा।

धारा 8 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

8 (1)–जो कोई धारा 3, धारा 5 या धारा 5 क के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रेरित करता है वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास, जो अन्यून तीन वर्ष होगी और जो दस वर्ष तक हो सकती है, से, और ऐसे जुर्माना, जो अन्यून तीन लाख रूपये होगा और जो पाँच लाख रुपये तक हो सकता है, से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी होगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की दोषसिद्धि के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पुनः दोषी हो तो वह द्वितीय दोष सिद्धि हेतु उक्त अपराध के लिये उपबंधित दोहरे दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

(3) धारा–5 क के उपबन्ध के उल्लघंन के अभियुक्त व्यक्ति का नाम तथा फोटोग्राफ मुहल्ला में ऐसे किसी महत्वपूर्ण स्थान पर जहाँ अभियुक्त समान्यतः निवास करता हो अथवा ऐसे किसी सार्वजनिक स्थल पर जहाँ वह विधि प्रवर्तन अधिकारियों से स्वयं को छिपाता हो, प्रकाशित किया जायेगा।

धारा 9 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

9–दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी धारा 5 ख एवं धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध, संज्ञेय तथा अजमानतीय होगा।

निरसन और व्यावृत्ति

7–(1) उत्तर प्रदेश गो–वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2020

(2) ऐसें निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन)
(संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा;

(2) यह दिनांक 9 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2018 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2018, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,–

(क) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

(च च) "स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालयों के मण्डलीय अपीलीय प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय के प्राधिकरण से है;

(ख) खण्ड (य) निकाल दिया जायेगा।

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में, निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:–

(3) "इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, असाधारण स्थितियों या आपात जैसी परिस्थितियों, जो दैवीय कृत्यों, महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों या क्रांतियों, जनान्दोलनों, बाढ़ों आदि तक सीमित न हों, में राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष हेतु विद्यमान छात्रों व नव प्रवेशित छात्रों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा ऐसे समय तक जब तक पूर्वोक्त संभाव्यताएं विद्यमान हों या ऐसे समय तक जैसा कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन प्रतीत हो, प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का विनियमन कर सकती है।

धारा 8 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

(11) जहाँ मान्यता प्राप्त विद्यालय या कोई व्यक्ति, जिला शुल्क नियामक समिति के विनिश्चय से व्यथित हो,वहाँ वह ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर यथा विहित रीति से अपील, धारा 9 में निर्दिष्ट मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण को कर सकता है।

धारा 9 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 9 में,–

(क) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्षक रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

"मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण";

(ख) उपधारा (1), (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थातः–

(1)राज्य के समस्त मण्डलों में एक स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय प्राधिकरण होगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः–

1–मण्डलीय सभापति–आयुक्त

2–अपर निदेशक, कोषागार–सदस्य

3–मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक–सदस्य सचिव

उपरोक्त अपीलीय प्राधिकारी अपेक्षानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट की सहायता ले सकते हैं;

(2) उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और शुल्क का नियतन) अधिनियम, 2006 की धारा 11 में उपबन्धित कोई अपीलीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण के रूप में तब तक कार्य करेगा, जब तक कि सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना के माध्यम से राज्य के समस्त मण्डलों में मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण का गठन न कर दिया जाय;

(3) अपीलीय प्राधिकरण के पास अपील की सुनवाई के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन उपबन्धित सिविल न्यायालय और अपील न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित विनिश्चय अन्तिम होगा।

धारा 11 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 11 में शब्द "राज्य स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "मण्डलीय स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय अपीलीय प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2020

निरसन और व्यावृत्ति

7—(1) उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2020 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की अनुसूची का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की अनुसूची में क्रम संख्या 1 और 3 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :–

"1-लखनऊ विश्वविद्यालय	हरदोई, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और रायबरेली जिले।
3-छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर	औरैया, इटावा, फर्रूखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव जिले।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध
(संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश राजकोषीय **उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004** का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के **इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम** बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम **उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध** (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा **जायेगा।**

(2) यह दिनांक 31 मार्च, **2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।**

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 4 में, उपधारा (3) में,–

(क) खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह भी कि वित्तीय वर्ष 2019–2020 में राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा में, वित्तीय वर्ष 2019–2020 हेतु प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी अतिरिक्त ऋण की धनराशि रुपये 10,570 करोड़ की वृद्धि की जायेगी।";

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि वित्तीय वर्ष 2019–2020 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टॉक में, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत से अधिक, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी अतिरिक्त ऋण की धनराशि रुपये 10,570 करोड़ की वृद्धि की जायेगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन)
(उत्तर प्रदेश संशोधन), विधेयक, 2020

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

अधिनियम संख्या 27 सन् 1996 की धारा 22 का संशोधन

(2) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) 1996, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-22 में खण्ड (ग) में, शब्द "ऋण और अग्रिम" के स्थान पर शब्द **"ऋण अग्रिम और वित्तीय सहायता"** रख दिये जायेंगे।

धारा 49क का बढाया जाना

3–मूल अधिनियम की धारा-49 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थातः–

"49–क (1) इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी ऐसे अपराध का शमन, जो अधिकतम छः मास के कारावास से या जुर्माना सहित अधिकतम छः मास के कारावास से दण्डनीय हो, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने से पूर्व या पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, यथा विहित रीति से ऐसे अपराध के लिये उपबन्धित अधिकतम जुर्माने अथवा उसके किसी भाग, जो राज्य सरकार विहित करे, के साथ किया जायेगा।

परन्तु इस धारा के उपबन्ध, केवल प्रथम अपराध के लिये उपलबध होंगे।

(2) किसी अपराध का शमन किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, किसी अपराध का शमन किये जाने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा।

(4) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरूद्ध जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया हो, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

(5) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है, वहाँ ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जायेगा, जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित हो और इस प्रकार अपराध शमन को संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध, इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जायेगा।"

धारा 62 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा 2 में:–

(क) खण्ड (ढ) में शब्द **"ऋण या अग्रिम" के स्थान पर शब्द "ऋण, अग्रिम या वित्तीय सहायता"** रख दिये जायेंगे।

(ख) खण्ड (यच) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् "(यचक) ऐसे मामलें, जो धारा 49क में विहित किये जाने अपेक्षित हैं।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पर पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियम) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020

संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 28 सन् 1947 की धारा 2-क का संशोधन

(2) संयुक्त प्रान्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में, धारा 2-क के अंत में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिये जायेंगे:-

"परन्तु उस कर्मकार ओर उसके नियोक्ता के बीच ऐसे उन्मोचन, पदच्युति छटनी या पर्यावसान से संबंधित या उसके कारण उठने वाला ऐसा विवाद या मतभेद, औद्योगिक विवाद नही समझा जायेगा, यदि ऐसा विवाद ऐसे उन्मोचन, पदच्युति, छटनी या पर्यावसान के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर सुलह कार्यवाही में न उठाया गया हो:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी उक्त एक वर्ष की अवधि को बढ़ाने के लिये तब विचार कर सकेगा, जब कर्मकार के आवेदन से उस प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उसके पास उस विवाद को एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं उठने का पर्याप्त कारण था।"

धारा 6–ञ का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 6–ञ में, शब्द "पचास से कम मजदूर" के स्थान पर शब्द "सौ से कम मजदूर" रख दिये जायेंगे।

नई धारा 14–ग का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 14–ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थातः–

अपराधों का शमन

"14–ग (1) इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी ऐसे अपराध का शमन, जो अधिकतम छः मास के कारावास से या जुर्माना सहित अधिकतम छः मास के कारावास से दण्डनीय हो, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने से पूर्व या पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, यथा विहित रीति से ऐसे अपराध के लिये उपबन्धित अधिकतम जुर्माने अथवा उसके किसी भाग, जो राज्य सरकार विहित करे, के साथ किया जायेगा। परन्तु इस धारा के उपबन्ध केवल प्रथम अपराध के लिये उपलब्ध होंगे।

(2) किसी अपराध का शमन किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन यथा विहित प्रपत्र में और रीति से किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, किसी अपराध का शमन किये जाने की शक्ति का प्रयोग, राज्य सरकार के निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन करेगा।

(4) जहाँ किसी अपराध का शमन किसी, अभियोजन के संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाता है वहाँ ऐसे अपराधी के विरूद्ध जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया हो, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा।

(5) जहाँ किसी अपराध का शमन, किसी अभियोजन के संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाता है, वहाँ ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के संज्ञान में लिखित रूप में लाया जायेगा, जिसमें ऐसा अभियोजन लम्बित हो और इस प्रकार अपराध शमन को संज्ञान में लाये जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरूद्ध, इस प्रकार अपराध का शमन किया गया हो, उन्मोचित कर दिया जायेगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम एवं विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

अधिनियम संख्या 28 सन् 1947 की धारा 3–ख के पश्चात् धारा 3–ग का बढ़ाया जाना

2–उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में धारा 3 ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ी दी जायेगी, अर्थात्:–

नये उद्योगों को छूट प्रदान करने की शक्ति

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक गतिविधियाँ तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिये लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वहाँ वह गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे नये उद्योग अथवा नये उद्योगों के वर्ग, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक हजार (1000) दिवसों की अवधि के भीतर स्थापित किया गया हो/किये गये हों, को अधिनियम के समस्त अथवा किसी उपबंध से सशर्त अथवा बिना किसी शर्त के, ऐसे उद्योग या उद्योगों के वर्ग की स्थापना के दिनांक से एक हजार (1000) दिवसों की अवधि के लिये छूट प्रदान कर सकती है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020

कारखाना अधिनियम, 1948 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अध्यादेश बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम एवं विस्तार

1-(1) यह अधिनियम कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

अधिनियम संख्या 63 सन् 1948 की धारा 5 के पश्चात् धारा 5क का बढ़ाया जाना

2—कारखाना अधिनियम, 1948 में, धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

लोक हित में छूट प्रदान की शक्ति

जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक गतिविधियाँ तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिये लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है वहाँ वह गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे नये कारखाने अथवा नये कारखानों के वर्ग, जो कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारम्भ होने के पश्चात् एक हजार (1000) दिवसों की अवधि के भीतर स्थापित किया गया हो/किये गये हों, तथा जिसमें/जिनमें वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया हो, को अधिनियम के समस्त अथवा किसी उपबंध से सशर्त अथवा बिना किसी शर्त के, ऐसे उत्पादन प्रारम्भ होने के दिनांक से एक हजार (1000) दिवसों की अवधि के लिये छूट प्रदान कर सकती है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि पूर्वोक्त सदस्य, माह अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक उपर्युक्त वेतन का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिए हकदार होगा।"

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि पूर्वोक्त सदस्य, माह अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिए हकदार होगा।"

धारा 15–क का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 15–क में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि पूर्वोक्त सदस्य, माह अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक उपर्युक्त सचिवीय भत्ता का मात्र सत्तर प्रतिशत के लिए हकदार होगा।"

निरसन और व्यावृत्ति

5–(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रेदश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 11 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1950 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 की धारा 4, में उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(14) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार, राज्य की संचित निधि से छः सौ करोड़ रुपये की और धनराशि निकालेगी और उसे उक्त निधि में जमा कर देगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्किता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन)(संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 22 मई, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की नई धारा 8-ख का बढ़ाया जाना

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 8-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"8-ख (1) यथा विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी गन्ना विकास परिषद के सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रकट करने का प्रस्ताव किया जायेगा तथा उस पर कार्यवाही की जायेगी।

सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

(2) जब सभापति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जायेगा, तब वह तत्काल पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा और उसका उत्तरवर्ती, निर्वाचित उत्तराधिकारी होगा, जो इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3-क) के अनुसार निर्वाचित किया जाएगा।"

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-25 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020

विधि के क्षेत्र में विद्या, अध्यापन एवं अनुसंधान का सम्वर्द्धन करने और उसमें ज्ञान का प्रसार करने तथा वकालत, न्यायिक सेवा करने के इच्छुक व्यक्तियों, विधायी आलेखन को अपना व्यवसाय बनाने वाले विधि अधिकारियों/प्रबंधकों की वृत्तिक कौशलों को विकसित कर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज नामक एक राज्य विधि विश्वविद्यालय की स्थापना तथा उसका निगमन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज अधिनियम, 2020 कहा जायेगा;

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2—जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(एक) "विद्या परिषद" का तात्पर्य धारा 21 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;

(दो) "भारतीय विधिज्ञ परिषद्" का तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 25 सन् 1961) के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद् से है;

(तीन) "कुलाधिपति" का तात्पर्य धारा 10 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति से है;

(चार) "कार्य परिषद" का तात्पर्य धारा 19 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से है;

(पांच) "महापरिषद" का तात्पर्य धारा 17 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की महापरिषद से है;

(छः) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(सात) "विहित" का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से है;

(आठ) "कुलसचिव" का तात्पर्य धारा 12 के अधीन यथा निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कुलसचिव से है;

(नौ) "नियमावली" का तात्पर्य इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन तथा उनके अनुसार विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा बनायी गयी विश्वविद्यालय की नियमावली से है;

(दस) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची से है;

(ग्यारह) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज से है;

(बारह) "कुलपति" का तात्पर्य धारा 11 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति से है;

(तेरह) "कुलाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 8 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से है।

अध्याय—दो

विश्वविद्यालय की स्थापना, उसके उद्देश्य और कृत्य

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन

3—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से, उत्तर प्रदेश राज्य में, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज नामक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेगा, जिसमें कुलाधिपति, कुलपति, महापरिषद्, कार्य परषिद्, विद्या परिषद् और कुलसचिव होंगे।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचन, कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किये जायेंगे और ऐसे वादों तथा कार्यवाहियों की समस्त प्रक्रियाएं कुलसचिव को जारी की जायेंगी और उस पर तामील की जायेंगी।

(4) विश्वविद्यालय का मुख्यालय प्रयागराज में होगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4—(1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे—

राष्ट्रीय विकास में विधि की समुचित भूमिका को सुनिश्चित करने की दृष्टि से विधि की विद्या एवं ज्ञान तथा तत्सम्बन्धी अनुसन्धान की अभिवृद्धि और प्रसार करना;

छात्रों और अनुसन्धानविदों में वकालत, न्यायिक और अन्य विधिक सेवाओं, विधिक आलेखन, विधि सुधारों तथा वृत्तिक शिक्षा का प्रसार करने जैसे सुधारों के संबंध में कौशल विकास करके विधि के क्षेत्र में समाज सेवा करने के उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना और न्यायिक अधिकारियों तथा न्यायिक प्रशासन में लगे हुए अन्य अधिकारियों को पर्याप्त अभिन्यास तथा प्रशिक्षण का उपबन्ध करना;

विधि अध्यापकों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं तथा विधिक क्षेत्र में लगे हुए या हितबद्ध अन्य व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करना;

ऐसे समस्त अन्य कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आनुषंगिक, आवश्यक या साधक हों;

(2) विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग के सभी व्यक्तियों के लिये उनके वंश, पंथ, जाति, वर्ग या धर्म पर ध्यान दिये बिना होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति पर विश्वविद्यालय में अध्यापक या छात्र के रूप में प्रवेश दिये जाने हेतु या उसमें कोई पद धारण करने या उसमें स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग करने या उसका प्रयोग करने हेतु उसे हक प्रदान करने के उद्देश्य से कोई धार्मिक विश्वास या वृत्ति सम्बन्धी शर्त, जो भी हो, अधिरोपित करे।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य

5–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे –

(एक) अनुसंधान, शिक्षा और अनुदेश के लिये विश्वविद्यालय और ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्ध करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हों;

(दो) विधि से संबंधित ज्ञान या विद्या की ऐसी शाखाओं, जिनमें विश्वविद्यालय उचित समझे, में अनुदेश का उपबन्ध करना और अनुसन्धान के लिये तथा विधिक ज्ञान की अभिवृद्धि तथा प्रसार के लिये उपबन्ध करना;

(तीन) अतिरिक्त नैतिक अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना तथा उनका दायित्व ग्रहण करना;

(चार) परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी शर्तों, जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, के अध्यधीन व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करना और उन्हें उपाधियां एवं विद्या सम्बन्धी अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदत्त करना और किन्हीं ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण पत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियों को उचित व पर्याप्त कारणों से वापस लेना;

(पांच) विनियमावली में निर्धारित रीति से मानद उपाधियां या अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदत्त करना;

(छः) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(सात) हालों और छात्रावासों को संस्थित करना और उनका अनुरक्षण करना तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना और किसी ऐसे निवास स्थल को प्रदान की गयी ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(आठ) विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु आवश्यक अनुसन्धान तथा अनुदेश के लिये विशेष केन्द्र, विशिष्ट अध्ययन केन्द्र या अन्य इकाइयां स्थापित करना;

(नौ) निवास स्थल का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करना तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना तथा उनके स्वास्थ्य के उन्नयन के लिये व्यवस्था करना;

(दस) महिला विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिये विशेष व्यवस्था करना;

(ग्यारह) सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनियमित करना तथा प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनिक उपाय करना, जो आवश्यक समझे जायें;

(तेरह) आचार्य पदों, सह आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों, अंशकालिक प्राध्यापक पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित किन्हीं अन्य अध्यापन, शैक्षणिक या अनुसन्धान सम्बन्धी पदों को संस्थित करना;

(चौदह) आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों, अंशकालिक प्राध्यापकों के रूप में या विश्वविद्यालय के अन्य अध्यापकों तथा अनुसंधानकर्ताओं के रूप में व्यक्तियों को नियुक्त करने की नियमावली तथा विनियमावली बनाना;

(पन्द्रह) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पारितोषिक और पदक संस्थित करना;

(सोलह) अनुसंधान और अन्य कृतियों के मुद्रण, प्रतिलिपिकरण और प्रकाशन का उपबन्ध करना और प्रदर्शनियां आयोजित करना;

(सत्रह) विधि, न्याय तथा सामाजिक विकास के समस्त क्षेत्रों में अनुसंधान प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व ग्रहण करना;

(अठ्ठारह) विधि, न्याय तथा सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मामले में किसी अन्य संगठन से ऐसे प्रयोजनों, जिसके संबंध में स्वीकृति प्रदान की गयी हो, के लिये निबंधन और शर्तों, जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, पर सहकार करना;

(उन्नीस) अध्यापकों के आदान प्रदान द्वारा और सामान्यतः ऐसी रीति, जो सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल हो, से विश्व की ऐसी उच्चतर विद्या की ऐसी संस्थाओं, जिनके उद्देश्य पूर्णतः या अंशतः विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के सदृश हों, से सहकार करना;

(बीस) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना और लेखाओं का प्रबन्ध करना;

(इक्कीस) न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायिक प्रशासन से जुड़े अन्य व्यक्तियों के लिये वृत्तिक शिक्षा का उन्नयन करना और पर्याप्त अभिन्यास तथा प्रशिक्षण प्रदान करना;

(बाईस) विधि अध्यापकों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं विधि के क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करना;

(तेईस) नगरीय तथा ग्रामीण स्तर पर नागरिकों के मध्य विधिक साक्षरता तथा विधिक जागरूकता का प्रसार व सम्बर्द्धन करना;

(चौबीस) जरूरतमंद व्यक्तियों को मुकदमा से पूर्व एवं मुकदमा के दौरान विधिक सहायता प्रदान करना;

(पच्चीस) भारत के पुरातन धर्म ग्रन्थों एवं प्राचीन न्यायिक प्रणाली पर अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना और आधुनिक भारत की न्यायिक प्रशासन में उनकी उपयोगिता का पता लगाना;

(छब्बीस) ऐसे धर्मग्रन्थों, जिन पर आधुनिक विधि तथा अहिंसा एवं शांति की अवधारणा आधारित है, के अध्ययन तथा अनुसंधान का विकास करना और आधुनिक भारत के न्यायिक प्रशासन में उनकी उपयोगिता का पता लगाना;

(सत्ताईस) अनुसंधान संबंधी अध्ययन, कृतियों, पुस्तकों, सामयिक पत्रिकाओं, रिपोर्टों तथा विधि एवं अन्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य साहित्यों का प्रकाशन करना;

(अठ्ठाईस) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी कक्षाओं तथा अध्ययन हालों की स्थापना और अनुरक्षण करना, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे और उनकी पर्याप्त रूप से साज–सज्जा करना और ऐसे पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना, जो विश्वविद्यालय के लिये सुविधाजनक और आवश्यक प्रतीत हों;

(उन्तीस) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये और उन उद्देश्यों, जिनके लिये विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी हो, के सुसंगत अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, दान और उपहार प्राप्त करना;

(तीस) किसी ऐसी भूमि या भवन या निर्मिति को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये आवश्यक या सुविधाजनक हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह उपयुक्त व उचित समझे, क्रय करना, पट्टे पर लेना अथवा उपहार के रूप में या अन्यथा रूप में ग्रहण करना और ऐसे किसी भवन या निर्मिति का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना या उसका अनुरक्षण करना;

(इक्तीस) विश्वविद्यालय के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे निबन्धनों पर, जैसा कि विश्वविद्यालय उपयुक्त और उचित समझे, विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों या उनके किसी भाग, चाहे वे चल हों या अचल हो, का विक्रय करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या अन्यथा निस्तारण करना;

(बत्तीस) वचनपत्रों, विनिमय पत्रों, चैकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करना, तैयार करना और पृष्ठांकित करना, मितिकाटे पर भुगतान करना और परक्रामण करना;

(तैंतीस) सम्पत्ति के संबंध में चाहे वह चल हो या अचल हो, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिये अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियां भी सम्मिलित हैं, हस्तान्तरणों, अन्तरणों, प्रतिहस्तान्तरणों, बन्धकों, पट्टों, लाईसेन्सों और करारों का निष्पादन करना;

(चौंतीस) किसी लिखत को निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी कारबार को संव्यवहृत करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझे, नियुक्त करना;

(पैंतीस) अनुदान प्राप्त करने के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य व्यक्तियों और समितियों के साथ कोई करार करना;

(छत्तीस) अनुदान धनराशि, प्रतिभूति या किसी प्रकार की सम्पत्ति ऐसे निबन्धनों, जैसा कि वह समीचीन समझे, को ग्रहण करना;

(सैंतीस) बन्धपत्रों, बन्धकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, जो विश्वविद्यालय की किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर आधारित हों या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, धन जुटाना और उधार लेना तथा विश्वविद्यालय की निधियों से ऐसे समस्त व्ययों, जो धन जुटाने से आनुषंगिक हों, का भुगतान करना और उधार लिये गये किसी धन का भुगतान और मोचन करना;

(अड़तीस) विश्वविद्यालय की निधियों या विश्वविद्यालय की न्यस्त धनराशियों का, ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से, जैसा कि वह उचित समझे, विनिधान करना और समय–समय पर किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना;

(उन्तालीस) विश्वविद्यालय के मामलों और उसके प्रबन्धन को विनियमित करने के लिये ऐसी विनियमावली बनाना, जैसा कि समय–समय पर आवश्यक समझा जाये और ऐसी विनियमावली को परिवर्तित, उपान्तरित या विखण्डित करना;

(चालीस) शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय एवं अन्य कर्मचारिवर्ग की प्रसुविधा के लिये पेंशन, बीमा, भविष्य निधि एवं उपदान का विनियमावली में उचित समझी गयी विहित रीति से तथा शर्तों के अध्यधीन उपबन्ध करना और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की प्रसुविधा हेतु ऐसा अनुदान प्रदान करना, जैसा कि वह उचित समझे और संघों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और विश्वविद्यालय के कर्मचारिवर्ग तथा छात्रों की प्रसुविधा हेतु आगणित हस्तान्तरण को स्थापित एवं सहायता करने में अनुदान प्रदान करना;

(इकतालीस) विश्वविद्यालय के कुलपति या किसी समिति या किसी उपसमिति या उसके निकाय के किसी एक सदस्य या अधिक सदस्यों या उसके अधिकारियों को अपनी समस्त शक्तियां या कोई शक्ति प्रतिनिधानित करना; तथा

(बयालीस) ऐसे सभी कृत्यों एवं बातों को करना, जैसा कि विश्वविद्यालय उपर्युक्त उद्देश्यों के या उनमें से किसी एक की प्राप्ति या अभिवृद्धि के लिये आवश्यक या अनुकूल या आनुषंगिक समझे।

विश्वविद्यालय में अध्यापन

6–(1) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण पत्रों के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त अध्यापन, विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा कार्य परिषद के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन और विनियमावली के माध्यम से कार्य परिषद द्वारा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किये जायेंगे।

(2) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या एवं ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिये उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाये।

अध्याय तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

7–विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(क) कुलाध्यक्ष;

(ख)कुलाधिपति;

(ग)कुलपति;

(घ) कुल सचिव;

(ड.) वित्त नियंत्रक;

(च) परीक्षा नियंत्रक, और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी, जो विनियमावली द्वारा विहित किये जाएं।

विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष

8–(1) भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायामूर्ति अथवा उसका नामनिर्देशती, जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाध्यक्ष को, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी मामले की रिपोर्ट मांगने का अधिकार होगा।

कुलाध्यक्ष की शक्तियां

9–(1) कुलाध्यक्ष के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:–

(क) इस अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबन्धों की अपेक्षानुसार निदेश देना, कार्यवाही करना या कोई अन्य कार्य करना;

(ख) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या क्षेत्रीय केन्द्रों के किसी कार्य, क्रियाकलाप या परीक्षा का ऐसे व्यक्ति, जैसा कि वह निदेश दे, द्वारा निरीक्षण करना;

(ग) ऐसे मामलों में, जिनमें खण्ड (ख) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच की गयी हो, कुलपति को अपनी राय का परामर्श देना।

(2) जहां उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष ने किसी निरीक्षण या जांच का आदेश दिया हो, वहां विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों में से किसी अधिकारी को ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व करने के लिये प्रतिनियुक्त कर सकता है।

(3) कुलाध्यक्ष, निरीक्षण अथवा जांच के परिणामों तथा अपनी सलाह को, कुलपति को संसूचित करेगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट परिणाम एवं परामर्श की संसूचना, कुलपति द्वारा ऐसी कार्यवाही, जैसा कि कार्य परिषद करने के लिये प्रस्तावित करे, पर अपनी टिप्पणियों सहित कार्य परिषद को प्रदान की जायेगी और इस प्रकार कृत कार्यवाही की संसूचना कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को प्रदान की जायेगी।

(5) जहां कार्य परिषद युक्तियुक्त समय में, कुलाध्यक्ष के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे, वहां कार्य परिषद द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण या प्रत्यावेदन पर विचार करने के पश्चात कुलाध्यक्ष ऐसे निदेश, जैसा कि वह उचित समझे, जारी कर सकता है और कार्य परिषद को ऐसे निदेशों का अनुपालन करना होगा।

विश्वविद्यालय की कुलाधिपति

10–(1) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति को वही शक्तियां होंगी, जैसा कि कुलाध्यक्ष द्वारा विहित या समनुदेशित किया जाये।

कुलपति की नियुक्ति एवं शक्तियां

11–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी होगा। इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् कुलपति की नियुक्ति, महापरिषद् द्वारा विख्यात शिक्षाविदों या शिक्षाशास्त्रियों या न्यायाधीशों या विधि के क्षेत्र के विख्यात आचार्यों में से की जाएगी, जिनके नाम, उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा महापरिषद को प्रेषित किये जायेंगेः

परन्तु यह कि प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी महापरिषद् के अध्यक्ष का, यदि समाधान हो जाये, तो पद पर कार्यरत कुलपति को चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् पाँच वर्ष की दूसरी अवधि के लिए सेवा विस्तार प्रदान कर सकता है और उक्त मामले की सूचना महापरिषद् की आगामी बैठक में प्रदान की जायेगी।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(एक) एक ऐसा व्यक्ति, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(दो) एक ऐसा व्यक्ति, जो महापरिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(तीन) एक ऐसा व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(4) उपधारा (5) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से यथाशक्य कम से कम छः माह पूर्व और जब कभी भी महापरिषद द्वारा अपेक्षा की जाये ऐसे दिनांक के पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति, महापरिषद् को अन्यून तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति महापरिषद् के नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षणिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमानी क्रम उपदर्शित नहीं करेगी।

(5) यदि कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण या त्याग–पत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, जिसकी सूचना कुलसचिव द्वारा महापरिषद के अध्यक्ष को तुरन्त दी जायेगी, तो महापरिषद का अध्यक्ष किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलपति के पद पर अनधिक छः माह की अवधि के लिये नियुक्त कर सकता है।

(6) कुलपति अपना पद ग्रहण के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि, जिस दिनांक से वह अपना पद धारित करता है, अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण करता है, जो भी पहले हो, तक पदधारण करेगा :

परन्तु यह कि महापरिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग कर सकता है और महापरिषद द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा।

(7) (एक) निवर्तमान कुलपति तब तक पद पर कार्य करेगा जब तक कि नवनियुक्त कुलपति पदभार ग्रहण नहीं कर लेता है।

(दो) यदि कुलपति का पद, त्यागपत्र, बीमारी या किसी अन्य कारणवश रिक्त हो जाता है तो कुलाधिपति कुलपति का कार्य जारी रखने के लिये ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन कुलपति की परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाये।

(9) कुलपति किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि की प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा।

(10) यदि महापरिषद की राय में कुलपति जानबूझकर इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इनकार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि महापरिषद को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो महापरिषद ऐसी समूचित जांच, जिसे अधिमानतः छः माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, करने के पश्चात् सुनवाई का अवसर देकर, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकती है।

कुलसचिव

12–(1) कुलसचिव की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा राज्य के ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में से की जायेगी। वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगाः

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति सरकार के परामर्श से कार्यपरिषद् द्वारा की जायेगी;

(2) कुलसचिव, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् और संकायों का पदेन सचिव होगा, किन्तु उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं समझा जायेगा।

(3) कुलसचिवः–

(क) कार्य परिषद और कुलपति के समस्त निदेशों और आदेशों का अनुपालन करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा एवं ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा, जिन्हें कार्य परिषद उसके भारसाधन में सुपुर्द करे;

(ग) महापरिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद्, वित्त समिति, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठकें बुलाने वाली समस्त नोटिसें जारी करेगा;

(घ) महापरिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति के समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा;

(ङ) कार्य परिषद और विद्या परिषद का शासकीय पत्र व्यवहार करेगा;

(च) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची, जैसे ही वह जारी की जाती है, तथा प्राधिकरणों की बैठकों के कार्यवृत्त की प्रतियां, सामान्यतः बैठक आयोजित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाध्यक्ष को भेजेगा;

(छः) किसी आपात स्थिति में, जब न तो कुलपति न सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने में सक्षम हो, कार्य परिषद का तत्काल बैठक बुलायेगा और विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिये उसका निदेश प्राप्त करेगा;

(ज) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिये कुलपति के प्रति सीधे उत्तरदायी होगा;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा, जैसा कि कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय–समय पर समनुदेशित किया जाये; और

(ञ) किसी कारण से कुलसचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा के किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है, जैसा कि कुलपति उचित समझे।

वित्त नियंत्रक

13–एक वित्त नियंत्रक/लेखा अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति उस रीति से की जाएगी, जैसा कि कुलसचिव के मामले में की जाती है तथा उसकी अर्हताएं वही होंगी, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जायेः

परन्तु यह कि प्रथम वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी की नियुक्ति, राज्य सरकार के परामर्श से कार्य परिषद द्वारा की जायेगी।

परीक्षा नियंत्रक

14–एक परीक्षा नियंत्रक होगा, जो कुलपति द्वारा विद्या परिषद के अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा।

अन्य अधिकारी

15–अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां एवं कर्तव्य ऐसे होंगे, जैसा कि विहित किया जाये।

अध्याय चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

16–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:–

(1) महापरिषद;

(2) कार्य परिषद;

(3) विद्या परिषद;

(4) वित्त समिति; और

(5) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो विहित किये जायें।

महापरिषद

17–(1) विश्वविद्यालय की एक महापरिषद होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

एक–पदेन सदस्यः–

(एक) मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश;

(दो) मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश;

(तीन) मंत्री, विधि एवं न्याय, उत्तर प्रदेश सरकार;

(चार) मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार;

(पाँच) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश;

(छः) अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद्;

(सात) अध्यक्ष, राज्य विधिज्ञ परिषद्, उत्तर प्रदेश;

(आठ) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(नौ) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(दस) प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय का कुलपति।

दो–नामनिर्दिष्ट सदस्यः–

(1) (एक) उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति, जो महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(दो) भारतीय विधिज्ञ परिषद के सदस्यों में से एक नामनिर्देशिती;

(तीन) विधि क्षेत्र में प्रख्यात ऐसे पाँच व्यक्ति, जो महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे।

(2) उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री महापरिषद का अध्यक्ष होगा और विश्वविद्यालय का कुलपति महापरिषद का सचिव होगाः

परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा महापरिषद की बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ रहने की स्थिति में वह उत्तर प्रदेश के किसी कैबिनेट मंत्री को महापरिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नामनिर्दिष्ट करेगा।

महापरिषद के सदस्यों की पदावधि

18–(1) महापरिषद के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उपधारा (2) और (3) के अध्यधीन तीन वर्ष होगी।

(2) जब कोई व्यक्ति महापरिषद के सदस्य के रूप नामनिर्दिष्ट कर लिया जाये तो वह ऐसा सदस्य होने से तब प्रविरत हो जायेगा, यदि इस रूप में उसका नामनिर्देशन यथास्थिति नामनिर्देशक निकाय या व्यक्ति द्वारा प्रतिसंहृत कर लिया जाये।

(3) महापरिषद का कोई सदस्य, सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि वह त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाये या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य, संस्था में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह अध्यक्ष से छुट्टी स्वीकृत कराये बिना महापरिषद् की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।

(4) महापरिषद् का कोई सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत करते ही तत्काल प्रभावी हो जायेगा।

(5) महापरिषद् में, ऐसे सम्बन्धित प्राधिकारी, जो नियुक्ति या नामनिर्देशन करने के लिए हकदार हो, द्वारा किसी व्यक्ति की कोई रिक्ति, यथास्थिति, या तो नियुक्ति द्वारा या नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा, जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया हो, यदि नियुक्ति न हुई होती, पद पर बना रहता।

(6) महापरिषद की अन्य शक्तियां और कृत्य वही होंगे, जैसा कि विहित किया जाए।

कार्य परिषद

19–(1) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय की मुख्य कार्य निकाय होगी।

(2) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंधन एवं नियंत्रण कार्य परिषद में निहित होंगे, जो विश्वविद्यालय की संपत्ति एवं निधियों को नियंत्रित एवं प्रशासित करेगी।

(3) कार्य परिषद की पदावधि, शक्तियां एवं कृत्य वही होंगे जैसा कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट हों।

कार्य परिषद की संरचना

20–(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित होंगे :–

(एक) कुलपति;

(दो) महापरिषद का एक सदस्य, जो महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट हो;

(तीन) महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश;

(चार) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो अपर विधि परामर्शी की श्रेणी से नीचे का न हो;

(पांच) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश की श्रेणी से नीचे का न हो;

(छः) सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव, वित्त विभाग, की श्रेणी से नीचे का न हो;

(सात) अध्यक्ष, राज्य विधिज्ञ परिषद, उत्तर प्रदेश;

(आठ) दो ज्येष्ठतम संकाय सदस्य,जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट हों;

(नौ) दो प्रख्यात शिक्षाविद अथवा न्यायविद, जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट हों;

(दस)उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का एक जिला न्यायाधीश, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हो; और

(ग्यारह) अध्यक्ष, भारतीय विधिज्ञ परिषद।

(2) कुलपति, कार्य परिषद का अध्यक्ष होगा और कुलसचिव उसका सचिव होगा।

विद्या परिषद

21–(1) विद्या परिषद विश्वविद्यालय पर नियंत्रण रखेगी तथा उसका सामान्य विनियमन करेगी और वह विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी तथा इस अधिनियम एवं विनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अनुदेश, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को अनुरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग [illegible] ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जैसा कि उसे इस अधिनियम या विनियमावली द्वारा प्रदत्त किया जाये या उस पर अधिरोपित किया जाये। उसके पास कार्यपरिषद को समस्त शैक्षणिक मामलों में परामर्श देने का अधिकार होगा।

(2) विद्या परिषद के पास, अनुसूची के खण्ड 12 में विनिर्दिष्ट समस्त मामलों में विनियमावली एवं उससे आनुषंगिक तथा संबंधित मामलों को प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।

विद्या परिषद की संरचना

22–(1) विद्या परिषद में निम्नलिखित होंगे:–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या, विद्वान वृत्तिक के सदस्यों में से तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ग) प्रभारी सचिव, न्याय और विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन अथवा उसका नामनिर्देशिती;

(घ) एक ऐसा व्यक्ति, जो भारतीय विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(ङ) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष;

(च) समस्त आचार्य (विभागाध्यक्ष से भिन्न);

(छ) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य, जो कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के सह और सहायक आचार्यों में से चक्रानुक्रम द्वारा ज्येष्ठता क्रम में नामनिर्दिष्ट होंगे;

(ज) भारतीय विधिज्ञ परिषद के विधिक शिक्षा समिति का एक सदस्य, जो समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा; और

(झ) तीन प्रख्यात आचार्य/न्यायविद्/अधिवक्ता, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे:

परन्तु यह कि ऐसे सह–आचार्य अथवा सहायक आचार्य, जो कुलपति द्वारा कार्यपरिषद के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किये गये हों, कुलपति द्वारा विद्या परिषद के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय का शिक्षणेत्तर कर्मचारी नामनिर्देशन हेतु पात्र नहीं होगा;

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

वित्त समिति

23–(1) कार्यपरिषद द्वारा गठित एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) कुलपति;

(ख) कार्य परिषद् द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य;

(ग) वित्त विभाग और उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में से प्रत्येक का एक अधिकारी (जो उप सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो);

(घ) विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक;

(ङ) एक ऐसा ज्येष्ठ अध्यापक, जो अधिमानतः वित्त या लेखा मामलों का विशेषज्ञ हो, जिसे कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;

(च) तीन वित्तीय विशेषज्ञ, जिनका विश्वविद्यालय से कोई संबंध न हो एवं जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हों;

(छ) वित्त नियंत्रक, वित्त समिति का सदस्य सचिव होगा।

(2) वित्त समिति के सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

(3) वित्त समिति के कृत्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) विश्वविद्यालय के वार्षिक आय–व्ययक का परीक्षण करना तथा उसकी संवीक्षा करना और वित्तीय मामलों में कार्य परिषद् को संस्तुतियां करना;

(ख) नये व्यय के समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद् को संस्तुतियां करना;

(ग) लेखा के सावधिक विवरणियों पर विचार करना एवं समय–समय पर विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था की समीक्षा करना तथा पुनर्विनियोजन विवरणों तथा लेखा–परीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और कार्यपरिषद् को संस्तुतियां करना।

(घ) विश्वविद्यालय पर प्रभाव डालने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर या तो स्वप्रेरणा से या कार्य परिषद् अथवा कुलपति की ओर से निर्देश किये जाने पर कार्य परिषद् को अपना विचार एवं संस्तुतियां देना।

(4) वित्त समिति प्रत्येक वर्ष दो बार बैठक करेगी। वित्त समिति के पाँच सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(5) कुलपति वित्त समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। सदस्यों के मध्य मतभेद होने की स्थिति में सदस्यों के बहुमत की राय अभिभावी होगी।

अन्य प्राधिकरण

24–अन्य प्राधिकरणों, यदि कोई हों, के गठन और उनकी शक्तियां एवं कृत्य वही होंगे, जैसा कि विहित किया जाये।

अध्याय पांच

परिनियमावली, अध्यादेश और विनियमावली

परिनियमावली

25–(1) विश्वविद्यालय की परिनियमावली में ऐसे अनुदेश, निदेश, प्रक्रियाएं और विवरण अन्तर्विष्ट होंगे, जो इस अध्यादेश के उपबंधों के अधीन और उनके अनुसार विहित किये जाने हेतु आवश्यक हों।

(2) इस अधिनियम की अनुसूची में यथा अन्तर्विष्ट तथा समय–समय पर यथा संशोधित परिनियमावली, विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों, अधिकारियों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों और विश्वविद्यालय से संबद्ध व्यक्तियों के लिये बाध्यकारी होगी।

(3) कार्य परिषद के पास इस अधिनियम की अनुसूची में अन्तर्विष्ट परिनियमावली में कोई संशोधन करने की समस्त शक्तियां होंगी:

परन्तु यह कि कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के गठन, उसकी प्रास्थिति या शक्ति को प्रभावित करने वाली परिनियमावली में ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में प्रत्यावेदन देने का कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना संशोधन नहीं करेगी।

(4) परिनियमावली में परिवर्धन एवं निरसन द्वारा या किसी अन्य रीति से किये जाने वाले कोई संशोधन तब तक प्रवृत्त नहीं होंगे, जब तक कि महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा इस पर कार्य परिषद की संस्तुति पर अपनी सहमति न दे दी गयी हो। महापरिषद का अध्यक्ष उक्त परामर्श/संस्तुति के पश्चात् और इस बात का समाधान हो जाने पर कि सहमति नहीं दी गयी है, सहमति रोक सकता है या संशोधन के प्रस्ताव को अपने विचार, यदि कोई हो, के आलोक में पुनर्विचार के लिए कार्य परिषद् को वापस कर सकता है।

(5) उपधारा (3) या उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष के पास अनुसूची में अन्तर्विष्ट परिनियमावली में, राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात्, परिवर्धन एवं निरसन द्वारा या अन्य किसी रीति से, संशोधन करने की शक्ति होगी।

(6) परिनियमावली में कोई संशोधन, गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

विश्वविद्यालय के अध्यादेश

26–(1) इस अधिनियम और समय–समय पर यथा संशोधित अनुसूची में अन्तर्विष्ट परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेश, निम्नलिखित समस्त या किसी मामले में बनाये जा सकते हैं, अर्थात्:–

(क) कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवं अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक अध्ययन पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश, शुल्क, आर्हताएं;

(ख) परीक्षकों की नियुक्तियों और उनकी निबंधन एवं शर्तों सहित परीक्षा का आयोजन;

(ग) महाविद्यालयों, संस्थाओं, अनुसंधान निकायों और विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों हेतु अनुज्ञात अन्य अभिकरणों का प्रबंधन; और

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यादेशों द्वारा व्यवहृत किये जाने वाली परिनियमावली द्वारा अपेक्षित कोई अन्य मामला।

(2) विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा, यथाशक्य शीघ्र निर्मित किये जायेंगे, और ऐसी रीति से, जैसे इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित हों या जैसे परिनियमावली में विनिर्दिष्ट हों, किसी भी समय संशोधित किये जा सकते हैं।

(3) उपधारा (2) में उपबंधित अन्यथा के सिवाय, विश्वविद्यालय में प्रवेश या उसकी परीक्षाओं, अध्ययन पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं की योजना, उपस्थिति एवं परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित किन्हीं अध्यादेशों पर कार्य परिषद् द्वारा तब तक विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे अध्यादेश के आलेख, विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित न किये गये हों।

(4) कार्य परिषद् तब तक विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश के आलेख को संशोधित नहीं करेगी, जब तक कि विद्या परिषद उक्त संशोधन पर सहमति नहीं दे देती है, किन्तु कार्य परिषद् के पास, आलेख को अस्वीकृत करने या ऐसे किन्हीं संशोधनों, जिनके लिये कार्य परिषद् सुझाव दे, के साथ या तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को वापस करने की शक्ति होगी।

(5) (एक) कार्य परिषद् द्वारा निर्मित अध्यादेशों का आलेख, महापरिषद् को प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर महापरिषद् द्वारा अगली बैठक में विचार किया जाएगा और वह उस दिनांक से प्रवृत्त होगा जिस दिनांक को महापरिषद् संकल्प द्वारा उसे अनुमोदित कर देगी;

(दो) महापरिषद् के पास कार्य परिषद् द्वारा निर्मित किसी अध्यादेश को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के अन्यून दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा रद्द करने की शक्ति होगी और वह ऐसे संकल्प के दिनांक से शून्य हो जायेगा।

विनियमावली

27–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, कार्य परिषद् के पास, उसमें निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रशासन और प्रबंधन हेतु उपबन्ध करने के लिये विनियमावली बनाने की शक्ति होगी:

परन्तु यह कि कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाली कोई विनियमावली तब तक नहीं बनायेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में लिखित में राय अभिव्यक्त करने का कोई अवसर न दे दिया जाये और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार न कर लिया जाये:

परन्तु यह और कि विद्या परिषद् की पूर्व सहमति के सिवाय कार्यपरिषद निम्नलिखित समस्त या किसी मामले को प्रभावित करने वाली कोई विनियमावली नहीं बनायेगी, उसमें संशोधन नहीं करेगी या उसे निरस्त नहीं करेगी, अर्थात्:–

(क) विद्या परिषद् का गठन, उसकी शक्तियां और उसके कर्तव्य;

(ख) अध्ययन पाठ्यक्रम और संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में अध्यापन कार्य करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति;

(ग) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण–पत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों को वापस लेना;

(घ) संकायों, विभागों, हालों एवं संस्थाओं की स्थापना और उनका समापन;

(ङ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदक एवं पुरस्कार संस्थित किया जाना;

(च) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें एवं ढंग या परीक्षाओं का आयोजन या मानक या कोई अन्य अध्ययन पाठ्यक्रम;

(छ) छात्रों के नामांकन या प्रवेश की रीति; और

(ज) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समकक्ष मान्यता प्रदान की जाने वाली परीक्षाएं।

(2) विद्या परिषद् के पास उपरोक्त (क) से (ज) तक में विनिर्दिष्ट समस्त मामलों और उनसे आनुषंगिक या संबंधित मामलों में विनियमावली प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।

प्राधिकरणों की विनियमावली बनाने की शक्ति

28–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के पास अपने कार्यों तथा ऐसे प्राधिकरण द्वारा गठित समितियों के कार्यों के संचालन हेतु परिनियमावली द्वारा विहित रीति से विनियमावली बनाने की शक्ति होगी। ऐसी विनियमावली, इस अधिनियम और विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के उपबन्धों से असंगत नहीं होगी।

अध्याय छः

पुनरीक्षण आयोग

विश्वविद्यालय पुनरीक्षण आयोग का गठन

29–(1) कुलाधिपति, प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार अथवा जैसा और जब अपेक्षित हो, विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करने एवं संस्तुति करने हेतु एक आयोग का गठन करेगा।

(2) आयोग में अन्यून तीन प्रख्यात शिक्षाविद होंगे, जिनमें से एक शिक्षाविद राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा गठित ऐसे आयोग का अध्यक्ष होगा।

(3) सदस्यों की नियुक्ति की निबन्धन और शर्तें वही होंगी, जैसा कि कुलाधिपति अवधारित करेगा।

(4) आयोग ऐसी जांच, जैसा कि वह उचित समझे, आयोजित करने के पश्चात् अपनी संस्तुति कुलाधिपति को उपलब्ध करायेगा।

(5) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली तथा विकास के लिए पुनरीक्षण आयोग द्वारा की गयी संस्तुति पर राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे।

गठना, सिविल आदि में त्रुटि के आधार पर कृत कार्यवाही को अविधिमान्य न किया जाना

30—इस बात के होते हुए भी कि:—

(एक) महापरिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद या विश्वविद्यालय का कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्यक् रूप से गठित नहीं है या इसके गठन अथवा पुनर्गठन में किसी सामग्य कोई त्रुटि हुई है; और

(दो) ऐसे किसी प्राधिकरण या निकाय की सदस्यता में रिक्ति है, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का कोई कार्य या नियम या कार्यवाहियां ऐसे किसी आधार या आधारों पर अविधिमान्य नहीं होंगी।

कठिनाइयों का दूर किया जाना

31—यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रथम बैठक के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम और विनियमावली के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकरणों का गठन किये जाने से पूर्व किसी समय, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकता है; या जहां तक हो सकें इस अधिनियम और विनियमावली के उपबन्धों से संगत कोई बात कर सकता है, जो उन्हें कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और ऐसा प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा, मानो ऐसी नियुक्ति या कार्यवाही इस अधिनियम और विनियमावली में उपबन्धित रीति से की गयी हो:

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के कुलपति और ऐसे समुचित प्राधिकरण, जैसा कि गठित किया गया हो, की राय पर अभिनिश्चय तथा विचार करना होगा।

अस्थायी उपबन्ध

32—इस अधिनियम और विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी कुलपति, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन इस अधिनियम और विनियमावली के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय के समस्त या किसी कृत्य का सम्पादन कर सकता है और उस प्रयोजन के लिये किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या किन्हीं कर्तव्यों का निष्पादन कर सकता है, जिनका प्रयोग और निष्पादन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा तब तक इस अधिनियम और विनियमावली द्वारा किया जाना है, जब तक कि ऐसा प्राधिकरण इस अधिनियम या विनियमावली द्वारा यथा उपबन्धित रूप से अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

क्षतिपूर्ति

33—कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां, विश्वविद्यालय, कुलाधिपति, कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं की जायेगी, और उनसे किसी क्षतिपूर्ति का दावा नहीं किया जायेगा, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी विनियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी हो या किया जाना तात्पर्यित हो।

निरसन और व्यावृत्ति

34(1) उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या—17 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा(1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

(धारा 25 देखें) महापरिषद की परिनियमावली

दाता सदस्य

1–ऐसा कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय को एक करोड़ से अधिक की धनराशि एकमुश्त दान देगा, जीवन पर्यन्त दाता सदस्य होगा और उसे किसी एक प्रतिनिधि को बैठकों में सम्मिलित होने के लिए नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।

महापरिषद के सदस्यों की पदावधि

2–(1) उपधारा (2) एवं (3) के अध्यधीन दाता सदस्यों, यदि कोई हो, को छोड़कर महापरिषद के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी:

परन्तु यह कि प्रथम महापरिषद की अवधि, इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन नियमित महापरिषद का गठन होने पर समाप्त हो जायेगी।

(2) जहाँ महापरिषद का कोई सदस्य धारित पद या नियुक्ति के कारण ऐसा सदस्य हो जाय अथवा कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य हो वहाँ उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी, जब वह यथास्थिति ऐसा पद या नियुक्ति धारित करने से प्रविरत हो जाय अथवा उसका नामनिर्देशन प्रतिसंहृत हो जाय या रद्द हो जाये।

(3) महापरिषद का कोई सदस्य, सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा,–

(क) यदि वह त्याग-पत्र दे दे अथवा विकृत मष्तिष्क का हो जाय अथवा दिवालिया हो जाये अथवा नैतिक अधमता सहित किसी दाण्डिक अपराध का सिद्धदोषी हो;

(ख) यदि कुलपति से भिन्न कोई अन्य सदस्य विश्वविद्यालय में एक पूर्ण कालिक नियुक्ति प्रतिग्रहीत कर ले;

(ग) यदि वह कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य हो और अध्यक्ष से छुट्टी प्राप्त किये बिना महापरिषद की तीन निरन्तर बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है।

(4) महापरिषद के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है, और ऐसा त्याग–पत्र तभी प्रभावी हो जायेगा जैसे ही ऐसा त्याग-पत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है।

(5) महापरिषद में कोई रिक्ति, नियुक्ति या नामनिर्देशन करने के लिए हकदार सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की यथास्थिति नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त अथवा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा, जब तक कि ऐसा सदस्य जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया हो, पद धारित करता, यदि रिक्ति न हुई होती।

प्रशासन एवं प्रबन्धन के लिए महापरिषद की शक्तियाँ

3–(1) महापरिषद के पास विश्वविद्यालय के प्रशासन एवं प्रबन्धन के लिए तथा उसके कार्यों को संचालित करने के लिए आवश्यक समस्त शक्तियां, जिनमें प्राधिकरणों की कार्यवाही का पुनरीक्षण करने की शक्ति सम्मिलित है और कार्य परिषद द्वारा बनायी गयी विनियमावली का पुनरीक्षण करने की शक्तियाँ होंगी और वह इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय विश्वविद्यालय की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(2) उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना महापरिषदः–

(क) विश्वविद्यालय की विस्तृत नीतियों तथा कार्यक्रमों की संस्तुति करेगी और विश्वविद्यालय के सुधार एवं विकास के लिये उपाय सुझायेगी;

(ख) वार्षिक रिपोर्ट, आर्थिक प्राक्कलन और ऐसें लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करेगी एवं संकल्प पारित करेगी;

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों से संगत ऐसे अन्य कृत्य सम्पादित करेगी, जैसा कि वह विश्वविद्यालय की उत्तम कार्यप्रणाली एवं प्रशासन के लिये आवश्यक समझे।

महापरिषद की बैठक

4–(1) महापरिषद, वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी और अपनी बैठकों के लिए कम से कम दस दिन की सूचना प्रदान करेगी।

(2) महापरिषद का अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगाः

परन्तु यह कि कुलाधिपति महापरिषद के अध्यक्ष को पूर्व सूचना देकर महापरिषद की किसी बैठक में सम्मिलित हो सकता है।

(3) विश्वविद्यालय की पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कार्य प्रणाली की प्राप्ति एवं व्यय–विवरण सहित रिपोर्ट तथा लेखा–परीक्षित तुलनपत्र एवं वित्तीय प्राक्कलन, कुलपति द्वारा महापरिषद की बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

(4) महापरिषद की बैठक कुलपति द्वारा स्वयं अथवा महापरिषद के अन्यून दो तिहाई सदस्यों, जिनमें पदेन सदस्य सम्मिलित हैं, के अनुरोध पर आहूत की जायेगी।

(5) महापरिषद की प्रत्येक बैठक के लिये कम से कम 15 दिन की सूचना दी जायेगी।

(6) महापरिषद के एक तिंहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(7) प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि महापरिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हों, तो अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के पास एक निर्णायक मत होगा।

(8) सदस्यों की राय में भिन्नता की स्थिति में बहुमत की राय अभिभावी होगी।

(9) यदि महापरिषद द्वारा आत्ययिक कार्यवाही आवश्यक हो जाये तो अध्यक्ष महापरिषद के सदस्यों को पत्र परिचालित करके कारोबार को संव्यवहृत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। तथापि किये जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि महापरिषद के सदस्यों के बहुमत द्वारा सहमति न दे दी जाय। इस प्रकार कृत कार्यवाही के संबंध में महापरिषद के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जाएगा और पुष्टिकरण हेतु कागज–पत्रों को महापरिषद की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा।

कार्य परिषद

कार्य परिषद की पदावधि

5–(1) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्य परिषद का सदस्य हो, वहाँ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(2) कार्य परिषद का कोई सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाय या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दाण्डिक अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोषसिद्ध हो जाय या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले अथवा यदि वह पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य हो और कार्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा छुट्टी स्वीकृत कराये बिना कार्य परिषद की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहे।

(3) जब तक उपरोक्त उपखण्ड में यथा उपबंधित रूप में कार्य परिषद की उनकी सदस्यता पहले से ही समाप्त न कर दी जाये, कार्य परिषद के सदस्य ऐसे दिनांक, जिस दिनांक को वे कार्य परिषद का सदस्य बने हों, से तीन वर्ष समाप्त होने पर सदस्य नहीं रह जायेगा परन्तु यह कि कार्य परिषद के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद का कोई सदस्य, कार्य परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग–पत्र कार्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत करते ही यथाशक्य शीघ्र प्रभावी हो जाएगा।

(5) कार्य परिषद में कोई रिक्ति, नियुक्ति या नामनिर्देशन करने के लिए हकदार सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नामनिर्देशन प्रभावी नहीं रह जायेगा।

(6) पूर्वगामी उपबन्धों में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी दो ज्येष्ठतम संकाय सदस्य, जो कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के माध्यम से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे स्थायी रूप से कार्य परिषद का सदस्य बने रहेंगे।

कार्य परिषद की शक्तियां और कृत्य

6–अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्य परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(1) समय–समय पर सरकार के अनुमोदन से संकाय पद सृजित करना और उस पर नियुक्ति करना। विश्वविद्यालय की विनियमावली के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर स्कूलों के आचार्य–निदेशक, पूर्वस्नातक व स्नातकोत्तर अध्ययन के अध्यक्ष, आचार्यों सह आचार्यों, सहायक आचार्यों और संकाय के अन्य अध्यापन कर्मचारिवृंद की उस निमित्त नियुक्ति करना।

(2) विनियमावली द्वारा जैसा अवधारित किया जाये, ऐसी निबन्धन और शर्तों पर अवधि एवं गैर अवधि के आधार पर प्रशासनिक, अध्यापन, अनुसंधान और अधीनस्थ प्रबंधन कर्मचारिवृंद के पद, सरकार के अनुमोदन से विनियमावली द्वारा अवधारित की जाने वाली निबंधन एवं शर्तों के आधार पर सृजित करना और ऐसे पदों पर विनियमावली के अधीन अवधारित की जाने वाली रीति से कार्मिकों की नियुक्ति करना। कार्य परिषद ऐसे कृत्यों को कुलपति को भी विनियमावली में निर्धारित की जाने वाली रीति से प्रतिनिधानित कर सकती है।

(3) विनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को आकस्मिक छुट्टी से भिन्न अनुपस्थिति संबंधी छुट्टी स्वीकृत करना और ऐसे अधिकारी के, उसकी अनुपस्थिति के दौरान, कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना।

(4) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, अन्य मामलों तथा समस्त अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ताओं को नियुक्त करना जैसा कि वह उचित समझे।

(5) विश्वविद्यालय के किसी धन को, जिसके अन्तर्गत कोई अप्रयुक्त आय भी हो, ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर उपयुक्त समझे या भारत में अचल सम्पत्ति के क्रय करने में विनिधान करना और समय–समय पर ऐसे विनिधानों में समान शक्ति के साथ परिवर्तन करना।

(6) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण को स्वीकार करना।

(7) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना, और रद्द करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(8) विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचरों तथा साधित्रों और अन्य साधनों का उपबंध करना।

(9) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय हेतु पुस्तकें उपलब्ध करवाना, क्रय करना अथवा दान द्वारा प्राप्त करना।

(10) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों तथा विश्वविद्यालय कर्मचारियों, जो किसी कारण से न्यायालय के किसी कार्य से भिन्न रूप में ऊबे हुए हों, क्षुब्ध हों, की शिकायतें ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और यदि वह उचित समझे तो उनका निराकरण करना।

(11) विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात् परीक्षकों और परिसीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस परिलब्धियों, यात्रा एवं अन्य भत्तों को निर्धारित करना।

(12) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और मुहर की अभिरक्षा के लिये उपबंध करना तथा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जो इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन प्रदत्त या अधिरोपित किये जायें।

कार्य परिषद की बैठक

7–(1) कार्य परिषद छः माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और बैठक के लिए अन्यून पन्द्रह दिन की नोटिस दी जायेगी।

(2) कार्य परिषद के पांच सदस्यों से इसकी किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) सदस्यों के मध्य मत भिन्नता होने की स्थिति में, बहुमत वाला मत अभिभावी होगा।

(4) कार्य परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होगा और यदि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर समान मत हो तो कुलपति या उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(5) कार्य परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, कुलपति द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गये किसी सदस्य द्वारा की जायेगी।

(6) यदि कार्य परिषद द्वारा आत्ययिक कार्यवाही आवश्यक हो जाय तो कुलपति कार्य परिषद के सदस्यों को पत्रजात परिचालित करके संव्यवहृत किये जाने वाले कारबार की अनुज्ञा दे सकता है। किये जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक कार्य परिषद के सदस्यों क़े बहुमत द्वारा सहमति न प्रदान की जाय। तथापि इस प्रकार कृत कार्यवाही की सूचना तत्काल कार्य परिषद के समस्त सदस्यों को दी जायेगी। उक्त पत्रजात कार्य परिषद की अगली बैठक में सूचनार्थ रखे जायेंगे।

कार्य परिषद द्वारा स्थायी समिति का गठन किया जाना और तदर्थ समितियों की नियुक्ति किया जाना

8–इस अधिनियम तथा इस निमित्त बनायी गयी विनियमावली के उपबंधों के अध्यधीन कार्य परिषद ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शक्तियों के साथ, जिन्हें कार्य परिषद विश्वविद्यालय की किसी शक्ति का प्रयोग करने या उसके किसी कृत्य का निस्तारण करने या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले में जांच करने, रिपोर्ट करने या सलाह देने के लिए उपयुक्त समझे, संकल्प द्वारा ऐसी स्थायी समितियों का गठन या तदर्थ समितियों की नियुक्ति क़र सकती है।

सीटों का आरक्षण

9–कार्य परिषद, विनियमावली द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए उतनी संख्या में सीटें, जैसा कि विनियमावली में उपबन्धित हों, विश्वविद्यालय में पूर्वस्नातक व स्नातकोत्तर छात्रों को प्रवेश में अतिविशिष्ट पाठ्यक्रमों को छोड़कर आरक्षण का उपबन्ध कर सकती है:

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय, किसी वर्ष में ऐसी श्रेणियों के आवेदकों, जो उस वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए ऐसे किसी एक वर्ष के तैयारी पाठ्यक्रम में सम्मिलित न हों, को नामांकित कर सकता है, जिसके अन्त में उन्हें, इस प्रयोजनार्थ उपबन्धित विनियमावली के अनुसरण में, नियमित पाठ्यक्रम में अगले वर्ष प्रवेश दिया जा सकता है।

सह–योजन

10–कार्य परिषद ऐसे व्यक्ति को किसी स्थायी समिति या किसी तद्र्थ समिति में सहयोजित कर सकती है, जैसा कि वह उपयुक्त समझे और उन्हें कार्य परिषद की बैठकों में सम्मिलित होने की अनुज्ञा प्रदान कर सकती है।

कार्यपरिषद द्वारा शक्तियों का प्रतिनिधायन

11–कार्य परिषद कुलपति या किसी समिति को इस शर्त के अध्यधीन, संकल्प द्वारा अपनी ऐसी शक्तियां, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, प्रतिनिधानित कर सकती है कि कुलपति या ऐसी समिति द्वारा इस प्रकार प्रतिनिधानित शक्तियों का प्रयोग करके, की गयी कार्यवाही के संबंध में सूचना कार्य परिषद की अगली बैठक में प्रदान की जायेगी।

विद्या परिषद

विद्या परिषद की शक्तियां और कर्त्तव्य

12–इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों के अध्यधीन विद्या परिषद के पास, उसमें निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) महापरिषद या कार्य परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रतिनिधानित किसी विषय पर रिपोर्ट करना;

(ख) विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों को अनुदेश और परीक्षा के लिये विनियमावली के माध्यम से व्यवस्था करना;

(ग) विश्वविद्यालय के भीतर अनुसंधान को बढ़ावा देना और ऐसे अनुसंधान पर समय–समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(घ) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(ङ) विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु समितियाँ नियुक्त करना;

(च) डिप्लोमाओं, उपाधियों, अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय के डिप्लोमाओं तथा उपाधियों के सम्बन्ध में उनकी समानता अवधारित करना;

(छ) महापरिषद द्वारा स्वीकृत किन्ही शर्तों के अध्यधीन अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों एवं अन्य पारितोषिकों के लिये प्रतियोगिता के समय का तरीका और शर्तें नियत करना और उन्हें प्रदान करना ;

(ज) परीक्षकों को नियुक्त किये जाने और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाये जाने तथा उनकी फीस, परिलब्धियों और यात्रा एवं अन्य व्ययों को नियत किये जाने के सम्बन्ध में कार्य परिषद को संस्तुतियाँ करना ;

(झ) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उन्हें आयोजित करने के लिये दिनांक नियत करना ;

(ञ) विभिन्न परीक्षा परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों को नियुक्त करना और उपाधियां, सम्मान, डिप्लोमा, आभिधान और सम्मान–चिन्ह प्रदत्त करने या प्रदत्त करने के संबंध में संस्तुतियाँ करना ;

(ट) वृत्तिका, छात्रवृत्ति पदक और पुरस्कार प्रदान करना और विनियमावली तथा ऐसी अन्य शर्तों, जो पुरस्कारों से सम्बंधित हों, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना ;

(ठ) विहित या संस्तुत पाठ्य पुस्तकों की सूचियां प्रकाशित करना और विहित पाठ्यक्रम या पाठ्य–विवरण प्रकाशित करना ;

(ड) ऐसे प्रपत्र और पंजियाँ तैयार करना, जो विनियमावली द्वारा समय–समय पर विहित किये जायें; और

(ढ) शैक्षणिक मामलों में ऐसे समस्त कर्तव्य सम्पादित करना और ऐसे समस्त कार्य करना, जो इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिये आवश्यक हों।

विद्या परिषद की बैठकों की प्रक्रिया

13–(1) विद्या परिषद किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान बहुधा, जब आवश्यक हो, किन्तु अन्यून दो बार बैठक करेगी।

(2) विद्या परिषद की बैठक के लिए विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(3) विद्या परिषद के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता, विद्या परिषद के अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्यों द्वारा चयनित किसी सदस्य द्वारा की जायेगी।

(4) यदि विद्या परिषद द्वारा आत्ययिक कार्यवाही की जानी आवश्यक हो तो विद्या परिषद का अध्यक्ष, विद्या परिषद के सदस्यों को पत्रजात परिचालित करके संव्यवहृत किये जाने वाले कारबार का सम्पादन कर सकता है। की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि विद्या परिषद के सदस्यों के बहुमत से सहमति न हो जाये। इस प्रकार की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल विद्या परिषद के समस्त सदस्यों को दी जाएगी। पत्रजात विद्या परिषद की अगली बैठक में सूचनार्थ रखे जाएंगे।

अध्यापकों का चयन तथा उन्हें हटाया जाना

चयन समिति

14–नियमित अथवा आवधिक आधार पर अध्यापन एवं अध्यापनेत्तर समस्त नियुक्तियाँ, विश्वविद्यालय की नियमावली एवं विनियमावली और विनियमावली के अधीन यथा विहित रीति से गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जायेंगी।

भविष्य निधि, उपदान, पेंशन

भविष्य निधि, उपदान, पेंशन एवं अन्य प्रसुविधाजनक योजना

15–विश्वविद्यालय के समस्त स्थायी कर्मचारी, कार्य परिषद द्वारा इस निमित्त यथा निर्मित विनियमावली के अनुसार, भविष्य निधि एवं अन्य प्रसुविधाजनक योजना के लिए हकदार होंगे।

विश्वविद्यालय की निधि

16–(1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी, जिसमें निम्न सम्मिलित होंगे :–

(क) राज्य सरकार द्वारा कृत कोई अभिदान या अनुदान;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा कृत कोई अभिदान अथवा अनुदान ;

(ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा कृत कोई अभिदान;

(घ) भारतीय न्यास विधिज्ञ परिषद द्वारा कृत कोई अभिदान ;

(ङ) राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा कृत कोई अभिदान ;

(च) किसी निजी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कृत कोई वसीयत, दान, विन्यास या कोई अन्य अनुदान ;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय; और

(ज) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि।

2–उक्त निधि की धनराशि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या किसी बैंककारी कम्पनी (उपक्रम, अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5 सन् 1970) और बैंककारी कम्पनी (उपक्रम, अर्जन एंव अंतरण) अधिनियम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 40 सन् 1980) के अधीन गठित किसी तत्समान नवीन बैंक में रखी जायेगी अथवा भारतीय न्याय अधिनियम, 1982 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1982) द्वारा प्राधिकृत ऐसी प्रतिभूतियों, जैसा कि कार्य परिषद द्वारा विनिश्चित किया जाये, में विनिधानित की जायेगी।

3–उक्त निधि का उपयोग, विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए तथा ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाये।

वार्षिक लेखा, लेखा–परीक्षा एवं वित्तीय प्राक्कलन

17–(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा, कार्य परिषद के निदेशों के अधीन लेखा–तैयार किये जायेंगे;

(2) परन्तु यह कि विशेष लेखा-परीक्षा, जब कभी कार्य परिषद द्वारा आवश्यक समझा जाय, ऐसे लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे।

(3) लेखा, जब लेखा परीक्षित किये जायेंगे, कार्य परिषद द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे और लेखा–परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक प्रति, कार्य परिषद के समक्ष रखी जायेगी और कुलाधिपति तथा राज्य सरकार के समक्ष भी प्रस्तुत की जाएगी।

(4) वार्षिक लेखाओं पर, महापरिषद द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में विचार किया जाएगा और महापरिषद तत्संबंध में संकल्प पारित कर सकती है तथा तत्संबंध में कार्य परिषद को संसूचित कर सकती है। कार्य परिषद महापरिषद द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी और तत्संबंध में ऐसी कार्यवाही कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझे। कार्य परिषद अपने द्वारा की गयी समस्त कार्यवाहियों के संबंध में महापरिषद को उसकी आगामी बैठक में सूचित करेगी और कार्यवाही न करने के कारणों के संबंध में भी सूचित करेगी।

(5) कार्य परिषद, ऐसे दिनांक, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाए, के पूर्व आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी एवं उसे महापरिषद के समक्ष रखेगी। कार्य परिषद उन मामलों में, जहाँ व्यय, आय–व्ययक में उपबंधित धनराशि से अधिक उपगत किया जाना हो या लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आत्यायिकता की स्थिति में ऐसे निर्बंधनों एवं शर्तों, जैसा कि विनियमावली में विहित किया जाये, के अध्यधीन व्यय उपगत कर सकती है। जहाँ ऐसे अधिक व्यय के संबंध में आय–व्ययक में कोई उपबंध न किया गया हो वहाँ महापरिषद के समक्ष उसकी अगली बैठक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

18–(1) कार्य परिषद, महापरिषद द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाली प्रत्येक वित्तीय वर्ष को सम्मिलित करती हुई वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाये, महापरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। महापरिषद उस पर संकल्प पारित कर सकती है तथा कार्य परिषद तद्नुसार उस पर कार्यवाही करेगी। कृत कार्यवाही की सूचना महापरिषद को दी जाएगी।

(2) वार्षिक रिपोर्ट और उस पर महापरिषद के संकल्प की प्रतियाँ, राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। राज्य सरकार उन्हें अपने अगले निकटतम सत्र में राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

प्रकीर्ण

संविदा का निष्पादन

19–विश्वविद्यालय के प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित समस्त संविदाएं, कार्य परिषद् द्वारा सुस्पष्ट रूप में की जाएंगी तथा इस प्रयोजनार्थ अलग से बनायी गयी विनियमावली के उपबंधों के अनुसार निष्पादित की जाएंगी।

छात्रों के प्रवेश के लिए पात्रता

20–कोई छात्र, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह ऐसी अर्हताएं जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाए, धारित नहीं करता है।

छात्रों का निवास

21–विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त किसी छात्रावास में ऐसी शर्तों, जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाए, के अधीन निवास करेगा।

मानद उपाधियाँ

22–यदि विद्या परिषद के अन्यून दो–तिहाई सदस्य, यह संस्तुति करें कि मानद उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधि, इस आधार पर किसी व्यक्ति को प्रदत्त किया जाये कि वह उनकी राय में, श्रेष्ठ उपलब्धि एवं स्थिति के कारण ऐसी उपाधि या विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधि प्राप्त करने हेतु ठीक एवं उपयुक्त है तो महापरिषद एक संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकती है कि उक्त उपाधि संस्तुत व्यक्ति को प्रदत्त की जा सकती है।

उपाधि या डिप्लोमा का प्रत्याहरण किया जाना

23–(1) महापरिषद, कार्य परिषद की संस्तुति पर महापरिषद के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और महापरिषद के उपस्थित अन्यून दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से, किसी व्यक्ति को प्रदत्त या प्रदान किये गये किसी विशिष्ट सम्मान, उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को प्रत्याहृत कर सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति घोर कदाचार का दोषी रहा हो।

(2) इस परिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि उसे किये जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय।

(3) महापरिषद द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति तत्काल सम्बन्धित व्यक्ति को प्रेषित की जाएगी।

(4) महापरिषद द्वारा किये गये विनिश्चय से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसा संकल्प प्राप्त करने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर कुलाध्यक्ष को अपील कर सकता है।

(5) ऐसी अपील में कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।

अनुशासन

24–(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा। समस्त विभागों, छात्रावासों तथा संस्थाओं के प्रमुख, इस निमित्त उसके निदेशों का पालन करेंगे।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी छात्र को परीक्षा देने से रोकने अथवा विश्वविद्यालय या छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड पर कुलपति की रिपोर्ट के आधार पर, कार्य परिषद द्वारा विचार किया जायेगा तथा अधिरोपित किया जाएगा:

परन्तु यह कि ऐसी रिपोर्ट पर विचार करने के पूर्व, कुलपति सम्बन्धित छात्र को उसके विरुद्ध किये जाने हेतु प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

प्रायोजित योजना

25–विश्वविद्यालय द्वारा उपक्रमित प्रायोजित की जाने वाली परियोजनाओं, अध्ययन एवं परामर्शों का, विश्वविद्यालय के अध्यापक या प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृत किये जाने से पूर्व विद्या परिषद द्वारा विधीक्षण किया जायेगा। तथापि विश्वविद्यालय सरकारी विभागों, प्रख्यात निजी संगठनों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य शैक्षणिक तथा अनुसंधान संगठन के लिये ऐसे स्ववित्त पोषण वाली अनुसंधान परियोजनाओं, जैसा कि वह उचित समझे, को ग्रहण एवं उपक्रमित करने के लिए स्वतंत्र है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-25 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तथा अनुसूची के क्रमांक-1 से 62 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2020 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2-नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं। कतिपय अधिनियमितियों का निरसन

व्यावृत्ति

3–इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,–

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रभा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे।

अनुसूची

(धारा–2 देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

1-	उत्तर प्रदेश किशोरबन्दी अधिनियम, 1938	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन 1938)
2-	उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1951	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1952)
3-	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1972	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1972)
4-	उत्तर प्रदेश पशुक्रय कर अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन 1976)
5-	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन 76)
6-	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1977	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन 1977)
7-	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1978	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन 1978)
8-	उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1978	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन 1978)
9-	उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन 1979)
10-	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1983	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन 1983)
11-	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन 1983)
12-	उत्तर प्रदेश सहँकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1984	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन 1984)
13	उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1983	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1985)
14	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1985	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 1985)
15	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1986	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1986)
16	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन 1986)
17	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1987	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन 1987)

18	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1987	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 1987)
19	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1987	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन 1988)
20	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1988	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 1988)
21	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1989	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन 1989)
22	उत्तर प्रदेश चल–चित्र और कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन 1989)
23	उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1989	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन 1989)
24	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1989	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन 1989)
25	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1990	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1990)
26	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1990	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन 1990)
27	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1991	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन 1991)
28	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन 1991)
29	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1994	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन 1994)
30	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1994	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन 1994)
31	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1994	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन 1994)
32	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1995	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन 1995)
33	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1997	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 1997)
34	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1998	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1998)
35	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1998	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन 1998)
36	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1998	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन 1998)
37	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1999	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन 1999)
38	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2000	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन 2000)
39	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2002	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन 2002)
40	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2003	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन 2003)
41	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन 2003)
42	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2006	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 2006)
43	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2007	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन 2007)
44	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन 2007)

45	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 46 सन 2007)
46	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2007	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 47 सन 2007)
47	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2008	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन 2008)
48	उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल (निरसन) अधिनियम, 2009	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन 2009)
49	डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2009	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन 2009)
50	उत्तर प्रदेश विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2009	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन 2009)
51	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2010	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2010)
52	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2010	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन 2010)
53	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2011	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन 2011)
54	दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2011	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन 2011)
55	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन 2011)
56	डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2011	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन 2011)
57	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 2013)
58	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2014	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 2014)
59	डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन 2014)
60	उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधनियम, 2015	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 2016)
61	उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2016	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन 2016)
62	उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) (संशोधन) अधिनियम, 2016	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 2016)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तथा अनुसूची के क्रमांक-1 से 62 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-17 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020

राज्य में स्थापन एवं संचालन के प्रारम्भिक वर्षों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्थापन एवं संचालन हेतु अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों तथा निरीक्षणों से छूट प्रदान करने और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

उद्देशिका : चूंकि राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को चिन्हित करके समावेशी आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के स्थापन तथा संचालन को सरलीकृत करने के लिए अपेक्षित कतिपय अनुमोदनों तथा निरीक्षणों और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों से छूट प्रवर्तित करना समीचीन है;

अतएव, भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिभाषाएं

2–जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम, 2020 से है;

(ख) "अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र से है;

(ग) "अनुमोदन" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य में किसी उद्यम के स्थापन या संचालन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के किसी विधि के अधीन अपेक्षित किसी अनुज्ञा, अनापत्ति, सहमति, अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, लाईसेंस आदि से है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य सरकार के किसी विभाग या अधिकरण अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण, सांविधिक निकाय, राज्य का स्वामित्वाधीन निगम, पंचायती राज्य संस्था, नगर पालिका, नगर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या उत्तर प्रदेश के किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण या अभिकरण से है, जिसे राज्य में किसी उद्यम के स्थापन या संचालन के लिये अनुमोदन प्रदान करने या जारी करने की शक्तियाँ या उत्तरदायित्व सौंपे गये हों;

(ङ) "आशय घोषणा-पत्र" का तात्पर्य अपेक्षित दस्तावेजों सहित अनुलग्नक–1 के रूप में इसके साथ यथा संलग्न प्रारूप में (भौतिक या इलेक्ट्रानिक प्रारूप में) सूचना उपलब्ध कराकर तथा प्रस्तुत करके अभिव्यक्त कोई उद्यम स्थापित करने/उसे विस्तारित करने/विविधकरण करने के आशय से है;

(च) "उद्यम" का तात्पर्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से है;

(छ) "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम" का तात्पर्य समय–समय पर यथा संशोधित "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं विकास अधिनियम, 2006" (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 27 सन् 2006) में यथा परिभाषित किसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से है;

(ज) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(झ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(ञ) "वाणिज्यिक संचालन का प्रारम्भ" का तात्पर्य ऐसे दिनांक से है जिस दिनांक को कोई उद्यम, इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराये गये आशय घोषणा-पत्र से सम्बन्धित विनिर्मित माल या प्रदत्त सेवाओं की प्रथम आपूर्ति देयक/बीजक/कर बीजक जारी करता है;

(ट) "नवीन उद्यम" का तात्पर्य ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम से है जिसके वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने का दिनांक, अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् हो। इसमें विद्यमान उद्यमों द्वारा विस्तारीकरण/विविधीकरण किया जाना सम्मिलित है जिसमें वे नवीन पूँजी विनिधान के माध्यम से सकल खण्ड में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करते है;

(ठ) "नोडल अभिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्थापित नोडल अभिकरण से है;

(ड) "अधिसूचना" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के गजट में प्रकाशित किसी अधिसूचना से है और तद्नुसार शब्द अधिसूचित का तात्पर्य होगा।

अधिकार प्राप्त समितियाँ

3–सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित दो अधिकार प्राप्त समितियाँ गठित करेगी:–

(1) **उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त समिति:–** मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में उतने सदस्य होंगे जैसा कि समय–समय पर अधिसूचित किया जाय। एम0एस0एम0ई0 एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश का अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उक्त समिति का सदस्य सचिव होगा;

(2) **जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समितिः–** सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

(1) उप जिला मजिस्ट्रेट (सम्बन्धित)–	सदस्य
(2) क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड–	सदस्य
(3) अधिशाषी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड–	सदस्य
(4) उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त	सदस्य
(5) क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम–	सदस्य
(6) सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय	सदस्य
(7) जिला अग्निशमन अधिकारी	सदस्य
(8) उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र	सदस्य–सचिव

अधिकार प्राप्त समितियों के कृत्य

4–(1) उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त समिति ऐसे अन्तर विभागीय नीति स्तरीय बिन्दुओं को चिन्हांकित करेगी जो अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने हेतु आवश्यक है। उक्त बिन्दु, राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण द्वारा उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त समिति को निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति, अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ जिला उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र को प्रस्तुत किये गये आशय घोषणा पत्र (चाहें वह भौतिक प्रारूप में या इलेक्ट्रानिक प्रारूप में हों) को स्वीकृत/अस्वीकृत करेगी।

नोडल अभिकरण

5–इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नोडल अभिकरण होगेंः–

(1) राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण :– सरकार और उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त समिति के अधीक्षण निदेश और नियत्रंण के अध्यधीन उद्योग निदेशालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण होगा;

(2) जिला स्तरीय नोडल अभिकरण :– सरकार और जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के अधीक्षण, निदेश और नियत्रंण के अध्यधीन जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ जिला स्तरीय नोडल अभिकरण होगा।

नोडल अभिकरण के कृत्य

6–नोडल अभिकरण की शक्तियां और कृत्य निम्नवत होगेंः–

(1) राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण, जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति/जिला स्तरीय नोडल अभिकरण द्वारा स्वयं के लिये निर्दिष्ट बिन्दुओं को चिन्हित करेगा यदि कोई बिन्दु, नीति निर्माण या अन्तर विभागीय स्तर के बिन्दु से सम्बन्धित हो तो राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण इसे मार्गदर्शन हेतु उच्च स्तरीय राज्य अधिकार प्राप्त समिति को निर्दिष्ट करेगा;

(2) जिला स्तरीय नोडल अभिकरण, अधिनियम की धारा–8 में यथा परिभाषित जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की संस्तुतियों पर अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी करके राज्य में उद्यम स्थापन के लिये सहायता करेगा और उसे सरलीकृत करेगा। जिला स्तरीय नोडल अभिकरण, प्राप्त आशय घोषणा–पत्र के अभिलेख और इस अधिनियम के अधीन जारी अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र को भी अनुरक्षित करेगा;

(3) सरकार, गजट में अधिसूचना, द्वारा नोडल अभिकरणों को ऐसी अन्य शक्तियाँ और कृत्य समनुदेशित कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिये उचित समझे।

आशय घोषणा–पत्र का भरा जाना

7–(1) इस अधिनियम के अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र चाहने वाले प्रत्येक नवीन उद्यम को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक संख्या–1 के साथ यथा संलग्न प्रारूप में जिला स्तरीय नोडल अभिकरण को सम्यक रूप से भरा गया आशय घोषणा–पत्र उपलब्ध कराना होगा :–

(क) भूमि से संबंधित आवेदन–पत्र [उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012 के अनुसार)];

(ख) विद्युत सुरक्षा से संबंधित आवेदन–पत्र;

(ग) प्रदूषण से संबंधित आवेदन–पत्र;

(घ) श्रम से संबंधित आवेदन–पत्र;

(ङ) अग्नि सुरक्षा से संबंधित आवेदन–पत्र;

(2) आशय घोषणा–पत्र, सांपत्तिक उद्यम के मामले में प्रबंधन भागीदार द्वारा, भागीदार उद्यम के मामले में प्राधिकृत भागीदार द्वारा और अन्य प्रकार के उद्यमों के मामले में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। यदि उक्त उद्यम का एक से अधिक भू–गृहादि में वाणिज्यिक संचालन हो तो आशय घोषणा–पत्र ऐसे प्रत्येक भू–गृहादि के लिये पृथक–पृथक प्रस्तुत किया जायेगा;

(3) समस्त रूप में पूर्ण किये गये आशय घोषणा–पत्र प्राप्त होने पर उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के सचिव के रूप में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन उक्त घोषणा का विश्लेषण करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों से संबंधित आशय घोषणा–पत्र के साथ प्राप्त प्रपत्र संबंधित विभागों को ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने के 72 घंटे के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की जायेगी। यदि जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आवेदन–पत्र प्राप्त किये जाने के 72 घंटे के भीतर आयोजित नहीं की जाती है तो आशय घोषणा–पत्र का अनुमोदन परिपत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाना

8–(1) समस्त संबंधित दस्तावेजों सहित उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र/सदस्य सचिव, जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन–पत्र, अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने पर विचार किये जाने तथा विनिश्चय किये जाने के लिये जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखे जायेंगे;

(2) अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में इसके साथ यथा संलग्न प्रारूप में जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की संस्तुतियों पर उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी किये जायेंगे;

(क) समस्त अभिस्वीकृतियां राज्य सरकार के निवेश–मित्र पोर्टल पर अपलोड की जायेंगी;

(ख) विकास प्राधिकरणों द्वारा अपनी महायोजना के अनुसार विहित प्रपत्र में आवेदक/उद्यम के भवन योजना अनुमोदन अनुरोध की प्राप्ति पर निर्धारित समय के भीतर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी;

(ग) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) के अनुसार भूमि के संबंध में जिला स्तरीय नोडल अभिकरण, कृषि भू–उपयोग परिवर्तन और भूमि सीमा–विस्तार संबंधी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिये समस्त रूप में पूर्ण आवेदन–पत्र प्राप्त किये जाने के 72 घंटे के भीतर अपेक्षित अनुमोदन जारी करेगा। यह जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के पश्चात किया जायेगा। यदि आवेदन–पत्र प्राप्त किये जाने के 72 घंटे के भीतर जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित नहीं की जाती है तो आशय घोषणा–पत्र पर अनुमोदन परिपत्र के माध्यम से प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा।

स्पष्टीकरण :– ऐसा कोई आवेदक/उद्यम, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित समस्त या कोई अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास गया हो, इस धारा के अधीन कोई उद्यम प्रारम्भ करने हेतु आशय घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने हेतु भी विकल्प प्राप्त कर सकता है।

अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र का प्रभाव और उसकी विधिमान्यता

9–(1) इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी कोई अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र, सभी प्रयोजनों के लिए इस रूप में प्रभावी होगा, मानो वह जारी किये जाने के दिनांक से 1000 दिवस की अवधि के लिए धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित अनुमोदन प्राप्त किया हो, और उक्त 1000 दिवस की समाप्ति के पश्चात उक्त उद्यम को ऐसी समाप्ति के दिनांक से 100 दिवसों के भीतर धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा;

परन्तु यह कि महायोजना, जहाँ कहीं प्रवृत्त हो, में यथा विनिर्दिष्ट भू–उपयोग के बदले में किसी भूमि का उपयोग करने हेतु किसी व्यक्ति या उद्यम को अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र हक नहीं प्रदान करेगा। यह सरकार के विभिन्न विधियों के अधीन प्रतिषिद्ध श्रेणी में आने वाली भूमि का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति या किसी उद्यम को हक नहीं प्रदान करेगा। जहाँ उक्त भूमि ग्रामीण क्षेत्र में हो और महायोजना की अधिसूचित क्षेत्र के बाहर हो वहाँ 1000 दिवस की अवधि, जिसमें अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र विधिमान्य हो, के लिए कोई कृषि भू–उपयोग संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होगा, और भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1000 दिवस की अवधि जिसमें अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र विधिमान्य हो, के लिए कोई उद्यम प्रारम्भ करने हेतु ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी नहीं होगा;

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट 1000 दिवस की अवधि के दौरान कोई सक्षम प्राधिकारी धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित किसी अनुमोदन के प्रायोजनार्थ या तत्सम्बन्ध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा;

(3) औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 8 और 15 के सिवाय समस्त अन्य धारायें इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रभावी होंगी।

छूट प्रदान किया जाना

10. जहॉ सरकार या तत्धीन कोई प्राधिकारी किसी उद्यम को किसी अनुमोदन या निरीक्षण अथवा किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन उससे सम्बन्धित किसी उपबन्ध से छूट प्रदान करने में समर्थ हो, वहाँ यथास्थिति सरकार या कोई ऐसा प्राधिकारी ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन धारा 8 के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के दिनांक से अन्यून 1000 दिवस की अवधि के लिए राज्य में स्थापित किसी उद्यम को ऐसी छूट प्रदान करने की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

छूट

11. निम्नलिखित मदों का विनिर्माण करने हेतु आशय घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने वाले उद्यमों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगाः–

(एक) तम्बाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला इत्यादि;

(दो) अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेटेड उत्पाद आदि;

(तीन) पटाखों का विनिर्माण;

(चार) 40 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिषिद्ध श्रेणी में यथावर्गीकृत मोटाई के प्लास्टिक बैग;

(पाँच) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा "लाल श्रेणी" के अधीन अधिसूचित उत्पाद। तथापि "नारंगी" और "हरित" श्रेणी के अधीन श्रेणीकृत उद्योग, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी से सम्यक अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् स्थापित और संचालित किये जाने के लिये पात्र होंगे;

(छः) समय–समय पर प्रतिषिद्ध सूची में श्रेणीकृत अन्य उत्पाद।

सूक्ष्म और लघु उद्यम सरलीकरण परिषद् की स्थापना

12–जहाँ कहीं और जब भी अपेक्षित हो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 30 में यथाउल्लिखित सूक्ष्म और लघु उद्यम सरलीकरण परिषद्, मंडलायुक्तों की अध्यक्षता में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जायेगी। सम्बन्धित मंडल का संयुक्त आयुक्त, उद्योग परिषद् के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

व्यावृत्तियाँ

13–धारा 10 के उपबन्धों के अध्यधीन इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों अथवा इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप में उपबन्धित सीमा के सिवाय तद्धीन विनिर्दिष्ट विनियामक उपायों और मानकों के अनुप्रयोग से किसी उद्यम को छूट प्रदान किया हुआ माना जायेगा।

भू–राजस्व बकायों की वसूली

14–यदि कोई उद्यम स्वयं परिसर द्वारा अथवा किसी संस्था या केन्द्र द्वारा किये गये किसी डिक्री, अधिनिर्णय या अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए एम0एस0एम0ई0डी0 अधिनियम, 2006 की धारा 19 के अधीन कोई अपील प्रस्तुत नहीं करता है अथवा ऐसी अपील समाप्त कर दी जाती है तो उस स्थिति में ऐसी डिक्री, अधिनिर्णय या आदेश का निष्पादन सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा, और देय धनराशि की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भाँति की जायेगी।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही

15–इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए सरकार या नोडल अभिकरण या सक्षम प्राधिकरण या सरकार के किसी कर्मचारी, नोडल अभिकरण या सक्षम प्राधिकरण के विरूद्ध कोई वाद अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेंगी।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

16–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसा कि उसे कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो;

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस अधिनियम के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसे किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

नियम बनाने की शक्ति

17–(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है;

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम उन्हें बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह अन्यून 14 दिन के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो, रखे जायेंगे, और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान मण्डल का सदन ऐसे किन्ही नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे, या यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसे किसी उपान्तरण या वातिलीकरण से तद्धीन पूर्व में कृत किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-17 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 169 में कुछ नहीं है।

[12:28 बजे] कोरोना महामारी से निपटने हेतु सरकार का अथक प्रयास

वित्त, संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जब से कोरोना की महामारी शुरू हुई, उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा फोकस इस महामारी पर रहा है। मैं समझता हूं कि न केवल उत्तर प्रदेश जनता ने बल्कि मीडिया ने मा0 प्रधानमंत्री जी ने और यहां तक कि विदेशों में भी, दुनिया के दूसरे देशों में भी कोरोना की महामारी से निपटने के सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की प्रशंसा की है। आज पूरे सदन को इस बात के लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए कि जिस शिद्दत के साथ, जिस मनोयोग से उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो प्रयास किये, वह अद्वितीय है। हमने एक स्थान पर पढ़ा था कि सरदार पटेल जी 1909 में एक मुकदमें में बहस कर रहे थे और उस समय उनको एक टेलीग्राम मिला और वह टेलीग्राम उनकी पत्नी के निधन का था। आज वही बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी को जब 21 मई को यह पता चला कि उनके पिताश्री का निधन हो गया तब भी उन्होंने न कोरोना महामारी पर हो रही मीटिंग छोड़ी न ही उन्होंने वहां पर जाना स्वीकार किया। यह अपने आप में साबित करता है कि उनकी प्राथमिकता क्या है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयी) देश और समाज सेवा उनकी प्राथमिकता है और उसी आधार पर, उन्होंने प्रदेश और देश में कोरोना महामारी से लड़ने का एक कीर्तिमान स्थापित किया। चाहे वह टेस्टिंग का मामला हो, चाहे बेड बढ़ाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा सुविधाओं की वृद्धि की बात हो, हर स्तर पर उन्होंने

अद्वितीय प्रयास किया है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट जितने भी केस आते हैं, उससे कहीं ज्यादा है।

(वेल में आए हुए विपक्ष के सदस्य बैनर दिखाते हुए लगातार नारे लगा रहे थे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, आज भी उत्तर प्रदेश में 50 हजार केस साढ़े तेइस करोड़ की आबादी में नहीं हैं और हमारा मृत्यु दर भी कम है। हमसे छोटे-छोटे राज्यों में मृत्यु दर हमसे ज्यादा है। इसीलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आज जो लोग घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, अगर आज वे लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते होते तो शायद कोरोना की महामारी से इतने केसेज नहीं बढ़ते। इन्होंने वह काम नहीं किया, इन्हें जनता के बीच में यह सन्देश देना चाहिए कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क के प्रयोग का पालन करेंगे। अब माननीय नेता सदन कुछ कहना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

एक बार मैं पुनः वेल में आए हुए सभी सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे अपना स्थान ग्रहण करें।

(विपक्ष की नारेबाजी के कारण व्यवधान जारी)

[12:31 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)....

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 के अन्तर्गत आए सारे वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे।

(मद सं0-172 एवं 174 स्थगित किए गए तथा मद सं0-173 एवं 175 के वक्तव्य पढ़े माने गए। पढ़े माने गए वक्तव्य संलग्न हैं।)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की गई पी0सी0एस0, 2015 की भर्ती की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती बन्दना सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

जनपद अयोध्या के अन्तर्गत दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

[जनपद अयोध्या अन्तर्गत दिव्यांगजनों के दिव्यांग प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था मुख्यालय पर सप्ताह में मात्र एक दिन (सोमवार) को होने के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को मुख्यालय पर जाने वाले दिव्यांग को आनलाइन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आवेदन के बाद महीनों प्रतीक्षा सूची में रखा जा रहा है। मुख्यालय से दूर ग्रामीण अंचल से आने वाले दिव्यांग 60-70 कि0मी0 सफर तय कर जिला मुख्यालय आते हैं और कार्य सम्पादित न होने के कारण मायूस होकर लौट जाते है। मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगों को लखनऊ मेडिकल कालेज रिफर कर दिया जाता है। पूर्व में जनपद अयोध्या मुख्यालय पर मेडिकल कालेज नहीं था परन्तु अब मेडिकल कालेज की स्थापना के बाद भी कई महीने चक्कर लगाने के बाद प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था तहसीलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाले तहसील दिवस पर रही है परन्तु वर्तमान में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है जिसके कारण दिव्यांगजनों को दर-दर महीनों चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे दिव्यांगजनों को परेशानी के साथ-साथ आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा अयोध्या जैसे मण्डल मुख्यालय पर मूक बधिर दिव्यांगजनों को भी दिव्यांग प्रणाम-पत्र की व्यवस्था कराया जाना अति आवश्यक है जिससे उक्त श्रेणी के दिव्यांगजनों को लखनऊ का चक्कर न लगाना पड़े। अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद अयोध्या मण्डल मुख्यालय पर ही मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों को प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने एवं दिव्यांगजनों को प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की व्यवस्था तहसीलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाले तहसील दिवस में निर्गत किये जाने की व्यवस्था हेतु वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-उक्त सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या मुख्य चिकित्साधिकारी, अयोध्या के पत्र दिनांक 19-08-2020 में वर्णित तथ्यों के आधार पर यह उल्लेख किया गया है कि जनपद अयोध्या में दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु आन लाइन आवेदन किया जाता है, आनलाइन प्रार्थना-पत्र में समस्त अभिलेखों के आधार पर प्रति सोमवार को दिव्यांग प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाते हैं। दिव्यांग बोर्ड में चार चिकित्सकों का दल होता है जिसमें एक आर्थो सर्जन, नेत्र सर्जन, मनोचिकित्सक एवं नाक-कान-गला विशेषज्ञ रहते हैं। शासनादेश के अनुसार सप्ताह में सोमवार को ही दिव्यांग बोर्ड की बैठक होती है। तहसील स्तर पर चिकित्सकों की कमी एवं बोर्ड हेतु उपकरण की अनुपलब्धता के कारण दिव्यांग बोर्ड की बैठक कराया जाना सम्भव नहीं है। वर्तमान में राजर्षि दशरथ स्वाशाषी राजकीय मेडिकल कालेज दर्शनगर जनपद अयोध्या में आडियोमेट्री मशीन स्थापित करा दी गई है, परन्तु (Brain Evoked Respond Audiometry) (बेरा) जांच उपलब्ध न होने के कारण उक्त जाँच हेतु मूक-बधिरों से सम्बन्धित दिव्यांगजनों को मेडिकल कालेज लखनऊ को सन्दर्भित किया जाता है। राजर्षि दशरथ स्वाशाषी राजकीय मेडिकल कालेज दर्शननगर में (Brain Evoked Respond Audiometry) (बेरा) जांच उपलब्ध होने की स्थिति में मूक-बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की जांच कर दिव्यांग प्रमाण-पत्र सुलभता से निर्गत कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त मूक-बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों को मूक-बधिर जांच हेतु मेडिकल कालेज लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उक्तानुसार अवगत होना चाहें।

जनपद महाराजगंज के अन्तर्गत नेपाल बार्डर से भारी मात्रा में हो रही मटर की तस्करी रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में कतिपय इण्टर कालेजों में शिक्षक/अन्य स्टॉफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

[जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के राजकीय बालिका इंटर कालेज, महमूदाबाद में स्वीकृत शिक्षक पदों के सापेक्ष 12 पद रिक्त हैं तथा स्वीकृत शिक्षणेत्तर पदों के सापेक्ष 07 पद रिक्त हैं। राजकीय इंटर कालेज, बासूरा में स्वीकृत शिक्षक पदों के सापेक्ष 19 पद रिक्त हैं तथा स्वीकृत शिक्षणेत्तर पदों के सापेक्ष 06 पद रिक्त हैं। राजकीय इण्टर कालेज, रामपुर मथुरा में स्वीकृत शिक्षक पदों के सापेक्ष 22 पद रिक्त हैं तथा शिक्षणेत्तर स्वीकृत पदों के सापेक्ष 06 पद रिक्त हैं। पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इण्टर कालेज, सहरानानकारी में स्वीकृत शिक्षक पदों के सापेक्ष 18 एवं स्वीकृत शिक्षणेत्तर पदों के सापेक्ष 07 पद रिक्त हैं। उक्त विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु 01 प्रवक्ता को सम्बद्ध भी किया गया है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इण्टर कालेज, जोडौरा में स्वीकृत शिक्षक पदों के सापेक्ष 18 पद रिक्त हैं एवं स्वीकृत शिक्षणेत्तर पदों के सापेक्ष 07 पद रिक्त हैं। उक्त विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु एक सहायक अध्यापक को भी सम्बद्ध किया गया है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इण्टर कालेज, अकबापुर में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 18 पद रिक्त हैं एवं स्वीकृत शिक्षणेत्तर पदों के सापेक्ष 07 पद रिक्त हैं। उक्त विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु 01 सेवानिवृत्त प्रवक्ता एवं 01 सहायक अध्यापक को मानदेय पर पूल शिक्षक के रूप में सम्बद्ध किया गया है।

2-प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रवक्ता संवर्ग का अधियाचन लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को प्रेषित किया गया था। उक्त के क्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा 96 प्रवक्ता (महिला) एवं 62 प्रवक्ता (पुरूष) की चयनोपरान्त संस्तुति प्रेषित की गयी है उक्त प्रेषित संस्तुति के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही गतिमान है। इसी प्रकार लोक सेवा आयोग से चयनित एल0टी0 अध्यापकों की 3457 पदों की संस्तुति विभाग में प्राप्त हो गयी है। चयनित अभ्यर्थियों को एन0आई0सी0 के माध्यम से आन लाइन नियुक्ति-पत्र निर्गत करने हेतु विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण अपलोड करने की कार्यवाही गतिमान है साथ ही चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही भी विभाग द्वारा गतिमान है।

3-उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षक पदों की पूर्ति हेतु शासन के पत्र संख्या-286/15-2-2019, दिनांक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

30-07-2019 द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति/मानदेय के आधार पर तैनात किये जाने की व्यवस्था भी की गयी है।]

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं, वहाँ पर बैठने का अधिकार हमारा भी था, लेकिन हमारी ही आवाज को दबाया जा रहा है। मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं। हमें अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, हम कानून व्यवस्था पर चर्चा चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे।

[12:31 बजे] मुख्य मंत्री द्वारा सदन संचालन में सहयोग हेतु सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शन एवं गणेश चतुर्थी की बधाई

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि कोरोना काल खण्ड में भी आपने देश के सबसे बड़े राज्य के इस विधान मण्डल की कार्यवाही को संचालित करने का एक साहसिक निर्णय लिया और आज विधायी कार्य को सम्पन्न करते हुए, यह कार्यवाही सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। महोदय, जो अनेक विधायी कार्य राज्य की जनता के हित में थे, उनको पारित करने के लिए आपका और पूरे सदन का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने यह विधायी कार्य यहॉ पर पारित किए हैं। आज गणेश चतुर्थी भी है। पूरे देश के अन्दर गणपति बप्पा की पूजा और अनुष्ठान का कार्य प्रारम्भ हुआ है। गणपति हमारे यहॉ अग्र देवता के रूप में पूजे जाते हैं। स्वाभाविक रूप से भारत की परम्परा में गणपति पूजन उसी परम्परा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं इस अवसर पर गणेश चतुर्थी की बधाई पूरे सदन के माननीय सदस्यों को और पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। महोदय, यह सदन हमारा ऐसे समय में चल रहा है, जब पूरी दुनिया कोविड-19 की वैश्विक महामारी से जूझ रही है, साथ ही साथ यह सदन उन परिस्थितियों में हो रहा है, जब देश के अन्दर ऐतिहासिक निर्णय को ले करके पूरी दुनिया के अन्दर एक नयी उमंग है, एक नया उत्साह है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, आज लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। 17-17 विधेयक बिना चर्चा के पारित करा लिए गए हैं, इतिहास का यह काला दिन है। इसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदन का बहिर्गमन करती है।

(उप नेता, समाजवादी पार्टी तथा नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बर्हिगमन कर गये।)

श्री योगी आदित्यनाथ-

492 वर्षों के बाद अयोध्या में मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम के भव्य मन्दिर निर्माण की कार्यवाही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के कर कमलों से शुभारम्भ होना, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक गौरव का विषय है और इसमें इस सदन की अपनी भूमिका रही है। पूरे सदन के सभी माननीय सदस्यों को, अपनी कैबिनेट के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि श्रीराम जन्म भूमि मन्दिर निर्माण से सम्बन्धित जो विवाद था, 492 वर्षों से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप, शान्तिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सम्पन्न करवा करके भारत ने अपनी लोकतांत्रिक ताकत का एहसास भी कराया है और साथ-साथ अपनी संवैधानिक और न्यायपालिका की ताकत का एहसास भी दुनिया के अन्दर करवाया है। हम सब के लिए यह गौरव का विषय और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि सचमुच हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 492 वर्षों में अनेक पीढ़ियाँ गयीं, संघर्ष होता रहा, 76 से अधिक बड़े-बड़े युद्ध हुए, 04 लाख से अधिक श्रद्धालु वहाँ पर शहीद हुए और अन्ततः जो लोग पहले बड़ी-बड़ी धमकियाँ देते थे, आपने देखा होगा कि जब 09 नवम्बर, 2019 को फैसला आया, उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे शान्तिपूर्ण दिन था, यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की ताकत का है। (मेजें थपथपाईं गईं) यह वही ताकत है, जिस ताकत को दुनिया ने भी समझा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को रामराज्य की अवधारणा अच्छी नहीं लगती और इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के मन्दिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने से अपनी भावनाएँ और अपने अन्दर की कुण्ठा को वह दबा नहीं पाए। वह बर्बस किसी न किसी रूप में निकल रहा है और किस रूप में निकल रहा है, मुझे तो उन सबके वक्तव्यों को देख करके आश्चर्य होता है और वक्तव्य भी किस रूप में सामने आते हैं, यानी जब देश में हर्ष, उमंग और उत्साह का एक नया माहौल है, दुनिया भारत को बधाई दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनन्दन कर रही है, गृह मंत्री, अमित शाह जी का अभिनन्दन कर रही है, तिथियाँ किस रूप में मिलती हैं, 09 नवम्बर, 1989 को पूज्य सन्तों ने अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण का एक संकल्प लिया था और 09 नवम्बर, 2019 में 40 साल के बाद यह फैसला हिन्दू समाज के पक्ष में आया है, श्रीराम मन्दिर निर्माण के पक्ष में आया है और सर्वसम्मति से फैसला आया है। 05 अगस्त, 2019 में इस देश के अन्दर सत्तालोलुप राजनीति की एक बड़ी गलती का परिमार्जन देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद पर अन्तिम कील ठोंकने का कार्य किया तो 05 अगस्त, 2020, ठीक 01 वर्ष के बाद 492 वर्षों का यह ऐतिहासिक काल खण्ड भी हम सब को देखने को मिला है।

दिनांक 05 अगस्त, 2019 में इस देश के अन्दर सत्तालोलुप राजनीति की एक बड़ी गलती का परिमार्जन देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कश्मीर की धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद पर अन्तिम कील ठोंकने का कार्य किया तो 05 अगस्त, 2020, ठीक 01 वर्ष के बाद 492 वर्षों का यह ऐतिहासिक काल खण्ड भी हम सब को देखने को मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पीढ़ी के सामने यह सारे कार्य सम्पन्न हो रहे हैं और हम भव्य मन्दिर निर्माण का कार्य कर रहे हैं। महोदय, इस अवसर पर बहुत सारे लोगों के वक्तव्य इसके बाद जिस रूप में आए हैं, जिन लोगों को राम की वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम-राम चिल्लाने लग गए हैं। (मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) भले ही वह परशुराम के बहाने ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें और चाहे मरा-मरा के नाम पर ले लें, वह तो हर एक का उद्धार कर देता है लेकिन उन लोगों ने भी यह भाषा बोलनी शुरू कर दी है क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के अन्दर राम-नाम से ही वैतरणी पार होने वाली है, बाकी कोई उसका आधार नहीं है और इस देश की जनता-जनार्दन ने यह बार-बार साबित करके दिखाया है। महोदय, यह वही लोग थे, जिन्होंने राम सेतु का भी विरोध किया था, जिन्होंने साम्प्रदायिकता कानून के नाम पर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, इस समाज को बांटने का प्रयास किया था। आज फिर वे अपनी उस विभाजनकारी मंशा के साथ फिर से आगे आ गए हैं और फिर से इस प्रकार की कुत्सित राजनीति करने के लिए, फिर समाज को विभाजित करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह वही लोग हैं, जिन लोगों ने रामभक्तों पर गोलियाँ चलायीं थीं। यह वही लोग हैं जो आज जातिवाद का नारा लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं। यह वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रिफकेस में भर करके अपने यहॉ मॅगाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते हैं। यह वही लोग हैं जो तिलक और तराजू की बात करके इस समाज को बार-बार गाली देते थे और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं समाज देख रहा है, लेकिन राम का काज है यह चलता रहेगा। राम के इस काज के लिए मैं पूरे सदन को बधाई देता हूं, पूरे सदन के सभी मा0 सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और मैं इस बारे में सबसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए एक अवसर है। यह सच है कि हम सब वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं और हम लोग लड़ेंगे। सभी मा0 सदस्यों ने अभूतपूर्व कार्य किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आंकड़ों पर जब आऊंगा तो वह आंकड़े किस रूप में सामने आते हैं और बताते हैं कि एक-एक व्यक्ति ने, एक-एक जनप्रतिनिधि ने सेवा की जो अप्रतिम

मिसाल प्रस्तुत की है उसका परिणाम है कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य अपने यहां कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित करने में सफल रहा है। हमारे सामने अयोध्या में श्रीराम मन्दिर निर्माण की कार्यवाही एक अभूतपूर्व घटना है और इस अभूतपूर्व घटना को आने वाले समय के लिए और भी स्मरणीय बनाने के लिए हम सब उस दिशा में एक नए प्रयास के साथ अयोध्यापुरी के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हमें 5 अगस्त को राम जन्म भूमि मन्दिर निर्माण के लिए जिस कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उस कार्य के प्रसाद को देश के अंदर हर प्रदेश तक, हर जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने के अभिनव कार्य को हमें अपने हाथों में लेना है और मुझे लगता है कि यह प्रसाद देश के अंदर और दुनिया के अंदर पहुंचना ही चाहिए। और उत्तर प्रदेश में सरकार इस दायित्व को निभाएगी कि यह प्रसाद सब तक पहुंचे। मैं जानता हूं हमारे यहां बहुत सारे जनप्रतिनिधियों को मा0 विधायकों को प्रसाद मिला है। हमारे अयोध्या के मा0 विधायक जी लेकर के आए हैं जो बचे होंगे सरकार उन तक भी पहुंचाने का कार्य करेगी और फिर वह हमारे ब्राण्ड अम्बेसडर बनकर के जैसे प्रयागराज कुंभ के समय मंत्री परिषद के सभी मा0 मंत्रियों ने जाकर के देश के अलग-अलग राज्यों में जाकर के अम्बेसडर के रूप में प्रयागराज कुंभ को एक यूनिक इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया। उसी रूप में हम लोग अयोध्या की इस घटना को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी और उस रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।

(इसी मध्य 12 बजकर 40 मिनट पर अभिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए।)

यह एक कार्य इस अवसर पर हम लोग करना चाहते हैं। महोदय राम और परशुराम में तात्विक रूप से कोई भेद नहीं है, दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, बस थोड़ा बुद्धि का भेद है। जहां पर बुद्धि का स्तर संकीर्ण और छोटा होता है वहां लोग भ्रम में पड़ते हैं, लेकिन तात्विक रूप से शास्त्र ने कोई भेद नहीं माना है और फिर हम सबके यहां लोक भाषा में संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसकी विवेचना की है और बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत कर दिया है। जब धनुष भंग के समय भगवान परशुराम पधारते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ही मुंह से उन्होंने कह दिया कि-

राम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सहित बड़ नाम तोहारा।।
देव एक गुण धनुष हमारे ! नव गुण परम पुनीत तुम्हारे !!
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहु बिप्र अपराध हमारे।।

यह भगवान राम की मर्यादा है, भगवान परशुराम के प्रति इस प्रकार के सम्मानजनक शब्दों का उद्धरण करना कि हे देव हमारे तो एक ही गुण हैं धनुष, लेकिन आपके तो परम पवित्र सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता यह सभी नौ गुण

आपमें हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं, क्योंकि आप विप्र हैं और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, यह भगवान राम ही कह सकते हैं और भगवान परशुराम ने भी यही बात कही-

।। राम रमापति कर धनु लेहू, खींचत चाप मिटहि संदेहू।।

यह है भारत की मर्यादा। भगवान विष्णु का वह धनुष कि आखिर यह संदेह मिटे कैसे ? क्या मैं जो देख रहा हूं, क्या वह सच है ? और उन्होंने यही कहा कि हे राम जो मैं देख रहा हूं यह धनुष लीजिए इसका संधान कीजिए और धनुष स्वतः ही राम के पास पहुंचता है और उसके बाद पुनः भगवान परशुराम के मुंह से निकल पड़ता है कि-

जय रघुबंस बनज बन भानू।
गहन दनुज कुल दहन कुसानू।।
जय सुर विप्र धेनु हितकारी।
जय मद मोह कोह भ्रम हारी।
कहि जय जय जय रघुकुल केतू।
भृगुपति गए बनहि तप हेतू।।

अगर उन्होंने राम, परशुराम के महत्व को समझा होता तो अपनी जातिवादी विभाजनकारी कुत्सित मंशाओं को व्यक्त करने के बजाए देश की खुशी के साथ यह लोग भी उमंग और उत्साह के साथ आए होते तो भारत की ताकत कई गुना बड़ी होती, लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों के उद्देश्य जो खुशी के साथ खुश नहीं हो सकते, क्योंकि देश की खुशी के साथ राष्ट्र मंगल की खुशी के साथ वही लोग खुश हो सकते हैं, जिनमें मर्यादा होती है, जिनमें धैर्य होता है और लोकतंत्र में मर्यादा और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चलता। यह लोक लाज बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति कुछ समय के लिए झूठ का सहारा लेकर के समाज के चेहरे पर तो धूल झोंक सकता है, लेकिन विधाता से कभी बच नहीं सकता है और यह गलती वह लोग कर रहे हैं जो चार सौ बानवे वर्षों की गलती के परिमार्जन के फलस्वरूप अयोध्या में जो अवसर आया है उस अवसर पर भी जिन लोगों ने राजनीति करके और उस अवसर को धूमिल करने का प्रयास किया है। महोदय उन लोगों को समाज जवाब देगा, समय के अनुरूप जवाब देगा और अवश्य जवाब देगा।

(इसी मध्य 12 बजकर 49 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

देश वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है और उत्तर प्रदेश भी उस महामारी से जूझ रहा है। पूरी दुनिया इससे त्रस्त है और पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार का माहौल है उससे बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं, करोड़ों की संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं। व्यापक पैमाने पर अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ा है। कहीं न कहीं आस्थाएं आहत होती हुई दिखाई देती हैं। हम लोगों को भी मजबूरी में लोगों के लिए बोलना पड़ता है कि नहीं पहले संक्रमण को रोकने

के लिए हम जन आस्था को बचाए, लोगों को बचाए फिर इसके बाद फिर हमें बोलना पड़ता है कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए हमें अपने पर्व और त्यौहार स्थगित करने पड़े और इसको करना भी पड़ रहा है और लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं, मैं अभिनंदन करूंगा समाज का और उन सभी का। बड़े-बड़े पर्व और त्यौहार हम लोगों ने आह्वान किया। रामनवमी का पर्व अयोध्या में नहीं होगा, क्योंकि अपेक्षित था कि दो करोड़ की भीड़ आएगी और देखा होगा कि सब लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग सहयोग करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था लॉक डाउन होना, लॉक डाउन में सभी लोगों ने सहयोग किया। जनता क्र्फ्यू में पूरा देश उमड़ पड़ा। एक साथ सब लोगों ने मिलकर के उस अभियान का हिस्सा बन करके कार्यक्रम किया। लॉक डाउन में समय से लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप देश को बचाने में मदद मिली, लेकिन उन सबके बावजूद इस वैश्विक महामारी सदी की सबसे भीषण संक्रमण कोविड-19 से इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी जिस रूप में हुई है और जिस रूप में कर रहे हैं। महोदय अगर मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं तो उत्तर प्रदेश की भी और देश के प्रमुख राज्यों की भी। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आकर कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है यानी जिन्होंने दिल्ली को बरबाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके उनको जबरन अपने यहां से भगाया। वे ही लोग आज बेशर्मी के साथ, अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए यहाँ पर आ करके ऊल-जलूल वक्तव्य दे करके किस प्रकार की बातें करते हैं।

महोदय, अगर मैं आपके सामने आंकड़े पढ़ूँ तो उत्तर प्रदेश की आबादी आज के दिन पर है 23 करोड़ 78 लाख और उत्तर प्रदेश के अन्दर कुल पॉजिटिव केस हैं 01 लाख 72 हजार, सक्रिय केस हैं 48 हजार, उपचारित हुए हैं 01 लाख 21 हजार, मृत्यु हुई है 2700, कुल टेस्ट हुए हैं 41 लाख 84 हजार 900, हमारे पास प्रति 10 लाख पर केस कुल 744 हैं, मृत्यु प्रति 10 लाख पर 12 हैं और मृत्यु दर है 1.6 प्रतिशत। यह देश के अन्दर न्यनूतम मृत्यु दर है। महोदय, अभी दिल्ली से जो एक नमूना आता है, इसको हम इसकी भी वास्तविकता बताते हैं। दिल्ली की कुल आबादी है 01 करोड़ 80 लाख, दिल्ली में कुल पॉजिटिव केस हैं 01 लाख 56 हजार, दिल्ली में मृत्यु हुई है 4233 यानी उत्तर प्रदेश के 2700 की तुलना में 4233 है। यू0पी0 में प्रति 10 लाख पर केस हैं 744, दिल्ली में हैं 7880, प्रति 10 लाख पर यू0पी0 में मृत्यु है 12, दिल्ली में है 214, यू0पी0 में मृत्यु दर है 1.6 प्रतिशत, दिल्ली में है 2.7 प्रतिशत और यू0पी0 में पॉजिटिविटी है 4.1 प्रतिशत और दिल्ली में है 11.5 प्रतिशत। ये हैं वे लोग, इन चेहरों को थोड़ा पहचानों, ये वीभत्स चेहरे, इस सत्ता को लूटने वाले चेहरे, समाज को गुमराह करके बेशर्मी के साथ आ करके धमकी देने वाले चेहरे, ये वही चेहरे हैं, इनको पहचानने की आवश्यकता है। लोकतंत्र के नाम पर कलंक बनाने वाले चेहरे और ये वे चेहरे हैं। महोदय आज के दिन पर देश के अन्दर न्यूनतम मृत्यु दर के साथ उत्तर प्रदेश कोरोना की इस लड़ाई को लड़ रहा है। दुनिया के अन्दर बड़े देशों के साथ अगर

हम तुलना करें तो जैसे अमेरिका। महोदय अमेरिका की कुल आबादी है 32 करोड़ 72 लाख। अमेरिका में कुल पॉजिटिव केस हैं 57 लाख, सक्रिय केस हैं 24 लाख 62 हजार, मृत्यु हुई है 01 लाख 76 हजार, प्रति 10 लाख पर केस हैं 17209, प्रति 10 लाख पर मृत्यु है 532 और मृत्यु दर है 3.1 प्रतिशत और पॉजिटिविटी दर है 7.8 प्रतिशत। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक ताकत भी है, आर्थिक ताकत भी है। आगे ब्राजील की आबादी है 20 करोड़ 95 लाख, इनके यहॉ कुल पॉजिटिव केस हैं 34 लाख 60 हजार, सक्रिय केस हैं 07 लाख 33 हजार, मृत्यु हुई है 01 लाख 11 हजार, प्रति 10 लाख पर केस हैं 16264, प्रति 10 लाख पर मृत्यु हुई है 523, मृत्यु दर है 3.2 प्रतिशत और पॉजिटिविटी है 25.2 फीसदी। महोदय ये आंकड़े हैं दुनिया के और देश के लिए भी। इन आंकड़ों के बीच में हम लोगों ने और हमारी पूरी टीम ने कार्य किया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने अपने यहां के श्रमिकों, स्ट्रीट वेण्डर्स और गरीबों के लिए राहत की घोषणा की। मंत्रि-परिषद् जैसे बैठी, मंत्रि-परिषद् की एक समिति वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित होती है और मंत्रि-परिषद् की सिफारिश के साथ ही, कमेटी की सिफारिश के साथ ही 25 मार्च को लॉक डाउन प्रारम्भ होने के साथ ही उसकी सिफारिश भी लागू होती है। प्रदेश में 34 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक, स्ट्रीट वेण्डर्स, पल्लेदार, कुली इन सबको भरण-पोषण भत्ता देने का कार्य प्रारम्भ किया गया और उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने उन गरीबों के लिए इस प्रकार के कार्य की योजना को लागू किया, फिर पूरे देश के अन्दर इस कार्यक्रम को लागू किया गया। महोदय उत्तर प्रदेश के अन्दर 18 करोड़ लोगों को अप्रैल माह से ले करके अब तक लगातार महीने में दो-दो बार खाद्यान्न देने का कार्य हो रहा है। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्तर्गत है और उत्तर प्रदेश की पी0डी0एस0 स्कीम के अन्तर्गत भी हो रहा है। यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। कोरोना काल खण्ड में उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने किसानों को किसी भी समस्या से बाधित नहीं होने दिया। समय पर फसल की कटाई हुई, हार्वेस्टर पहुँचे, रीपर पहुँचे, किसानों के यहाँ उनको कम्बाइन मशीन उपलब्ध हो जाएँ, हमने इसकी परमीशन दी। वहां पर हर प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करवाईं, सारे कार्यक्रम आगे बढ़े। 119 चीनी मिलें हैं, सभी 119 चीनी मिलें इस दौरान चलाई गईं। 2500 कोल्ड स्टोरेज थे, सभी कोल्ड स्टोरेज चलाए गए और तो और उत्तर प्रदेश के सामने 25 मार्च को लॉक डाउन होता है, 27 मार्च को दिल्ली से जबरन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगा दिया जाता है। उसके बाद जो स्थिति पैदा होती है जिस प्रकार की स्थिति दिल्ली बॉर्डर पर गाजियाबाद में, नोएडा में पैदा होती है तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अगले 48 घण्टे के अन्दर सभी 3.5 से 04 लाख उत्तर प्रदेश वासियों को और बिहार वासियों को भी सुरक्षित उनके गांव तक या क्वारण्टीन सेण्टर तक पहुँचाने का कार्य किया तो यह उत्तर प्रदेश ने ही किया है। महोदय उस दौरान उत्तर प्रदेश के, हमारे प्रदेश के साढ़े 12 हजार छात्र कोटा राजस्थान में थे, यानी जब हम एक आपदा से लड़ रहे हैं, तब कुछ लोग हमें बस के नाम पर स्कूटर का नम्बर देकर लोगों के साथ मजाक बना रहे थे और यही

सच्चाई ये लोग सुनना नहीं चाहते, इसीलिए भाग करके बाहर गए हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि जब यह सच्चाई सामने आएगी तो ये एक्सपोज होंगे। ये न्यायालय में भी गए लेकिन न्यायालय ने भी इनको इस बारे में कहा कि जब प्रदेश सरकार एक महामारी से लड़ रही है तो उस समय सहयोग करने के बजाए आप झूठे नम्बर दे करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं। हमारे साढ़े 12 हजार बच्चे, इस प्रदेश के बच्चे कोटा, राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों ने उन सभी बच्चों को उसी दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज को लगा करके सुरक्षित उनके घर तक पहुँचाने का कार्य किया। वे सभी बच्चे अपने घरों में सुरक्षित रहे, एक भी इन्फेक्शन इस मामले में भी नहीं आया। प्रयागराज में 15 हजार छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। उसमें भी कहीं कोई समस्या नहीं आई, उन सबको सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाने का कार्य भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज से किया गया। जिन राज्यों ने हमसे मदद मांगी, मध्य प्रदेश ने मदद मांगी तो हमने, उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश वासियों को भेजा। बिहार सरकार ने मांगी तो हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज से उनको भी भेजने का कार्य किया। उत्तराखण्ड ने मदद मांगी तो उत्तराखण्ड के लोगों को भेजा। हरियाणा ने मदद मांगी तो हरियाणा के लोगों को भी हमने उत्तर प्रदेश से सुरक्षित उनके राज्य में भेजने और पहुँचाने का कार्य किया। लेकिन उस क्राइसिस के दौरान भी जब राहत कार्य करना था, जब हमारे विधायक, हमारे सांसद राहत कार्यों में लगे थे। तब भी विपक्ष वहां पर नकारात्मक राजनीति कर रहा था और तब भी झूठे आंकड़े दे रहा था। वे बस के नाम पर स्कूटर का नम्बर दे रह थे, कबाड़ गाड़ियों का नम्बर दे रहे थे और अन्य मजाक बना करके जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे थे। अक्षम्य अपराध उन लोगों का यह भी था और इसीलिए उन लोगों पर मा0 न्यायालय को भी टिप्पणी करनी पड़ी थी। महोदय यह कार्यक्रम लगातार चलता रहा। उसी दौरान हम सबने देखा कि तबलीगी जमात के कारण किस प्रकार से इन्फेक्शन फैला था ?

उत्तर प्रदेश ने उसको भी बहुत मजबूती के साथ रोका। जिन लोगों ने उत्पात मचाया क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत खराब होती है, मानते नहीं हैं तो फिर जिस भाषा से मानते थे, उस भाषा में मनवा करके सख्त कार्यवाही की गयी। सख्त कार्यवाही करने के बाद उस संक्रमण को रोकने का कार्य भी किया गया। उत्तर प्रदेश ने इसके बाद अपने उन नागरिकों की भी चिन्ता की। 36 लाख से अधिक प्रवासी, कामगार और मजदूर अलग-अलग राज्यों में काम करते थे, उनकी सुरक्षित वापसी के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भारतीय रेल ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जो व्यापक कार्य योजना बनायी उससे वह सभी लोग सुरक्षित आये। कोई कल्पना कर सकता है कि जिस राज्य में 40 लाख से अधिक माइग्रेन्ट लेबर आयी हो, उस राज्य में संक्रमण किसी भी अन्य बड़े राज्य की तुलना में न्यूनतम स्तर पर है और यह कार्य इसलिए हुआ क्योंकि एक टीम काम कर रही थी, एक मशीनरी काम कर रही थी। मैं इस अवसर पर अपने सभी कोरोना वॉरियर्स को नमन करता हूँ। उत्तर प्रदेश का हेल्थ

सेक्टर, देश के, दुनिया के अन्य राज्यों की तुलना में या अन्य बड़े-विकसित राज्यों की तुलना में, विकसित देशों की तुलना में कमजोर माना जाता था लेकिन इन सबके बावजूद हेल्थ सेक्टर ने, मेडिकल एजुकेशन ने सभी ने और कोरोना वॉरियर्स ने चाहे वह स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हों, चाहे वह सुरक्षा से जुड़े हुए हों, चाहे वह सफाई कर्मी हों, चाहे वह बैंक से या समाज के अलग-अलग सेक्टर से जुड़े हुए हों, जैसे खाद्य से जुड़े हुए थे, कृषि से जुड़े हुए थे, अलग-अलग विभाग से जुड़े हुए थे, उन सभी लोगों ने मिलकर जो एक टीम वर्क का उदाहरण प्रस्तुत किया कि हम विपत्ति में काम करेंगे। आज उसी का परिणाम है कि हम लोग संक्रमण को हर हाल में कंटेन करने में सफल हुए। उत्तर प्रदेश आज के दिन तक जहां एक सुरक्षित स्थिति में है, वहीं आज के दिन तक सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। अपनी सीमित क्षमता के बल पर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। आज के दिन तक लगभग 45 लाख के आस-पास टेस्ट उत्तर प्रदेश कर रहा है और यह सर्वाधिक टेस्ट हैं। यह कार्य 1 लाख 51 हजार से अधिक बेड्स उत्तर प्रदेश राज्य में केवल कोविड के लिए नये बना दिए जायें, वेंटिलेटर्स प्रत्येक जनपद में उपलब्ध हो जायें, एनेस्थेटिक की व्यवस्था हर एक जनपद में पहुँचा दी जाये, उत्तर प्रदेश की मशीनरी ने वह करके दिखाया है और उस टीम वर्क के साथ कार्य करते हुए लगातार आज भी कार्य कर रहे हैं। इफ्रांस्ट्रक्चर डेवलेपमेण्ट के कार्य हैं, हाई-वे हैं, एक्सप्रेस-वे हैं, बड़े निर्माण के कार्य हैं, मंत्रि-परिषद् की रिपोर्ट आने के साथ ही कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, तत्काल यह कार्य प्रारंभ हो गये और युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। आज उसका परिणाम है, हम मानते हैं कि कोरोना कालखण्ड था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा लेकिन दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में अप्रैल, मई और जून में हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ा लेकिन इकोनॉमी पर असर पड़ने के साथ हम लोग जुलाई में अगर विगत वर्ष की तुलना करें तो केवल तीन फीसदी राजस्व की कमी हमारी रह गयी है और मैं मांग करता हूं कि खन्ना जी की टीम उसको भी इस अगस्त महीने में पूरा करते हुए राजस्व की भरपाई कर देगी और फिर जो माननीय जनप्रतिनिधियों की भावनाएं हैं कि विकास के लिए और पैसा चाहिए, उसकी भी पूर्ति की जा सकेगी। इस दृष्टि से मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग अब जिस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं यह अभूतपूर्व कार्य हुए, हर एक ने कार्य किये। उधर प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करते हैं, इधर एमएसएमई अगले दिन ही दो लाख से अधिक यूनिट को दो हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरण कर देता है। उत्तर प्रदेश ने कहा है कि हम काम करके दिखा सकते हैं और हर योजना का लाभ ले सकते हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश को अगले एक साल के अंदर 15 हजार करोड़ रुपये अपने एमएसएमई यूनिट को लोन के रूप में देना था और हम लोग अब तक 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक बांट चुके हैं और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र जो कार्य आगे होने जा रहे हैं उन कार्यक्रमों को भी हम आगे करने जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रत्येक सेक्टर में प्रत्येक ने अभूतपूर्व कार्य किया। उस कालखण्ड में भी

निरंतर लोगों को बिजली मिलती रही, कहीं कोई समस्या नहीं थी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और सूचना प्रसारण मंत्री, भारत सरकार के जिन्होंने रामायण और महाभारत के नाम पर एक बार फिर से लोगों में एक नयी ऊर्जा का संचार कर दिया। उस दौरान मैं देखता था कि रामायण इस समय भी और अगली बार भी, क्यों भई यह बार-बार कैसे आ रहा है तो पता लगा कि लोगों की डिमाण्ड है, यह है भारत की भावना। यदि विपक्ष ने इस भावना को समझने का प्रयास किया होता तो राम के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी यह लोग नहीं करते लेकिन खैर, जो राम का हुआ उसके सारे काम अपने-आप सिद्ध होते हुए चलते हैं और यह भारत की परम्परा भी है कि जिसने राम का नाम लिया वह सबके लिए पूज्य हो गया। बजरंग बली हनुमान हों या फिर महर्षि वाल्मीकि हों, सब के लिए पूज्य हो गये, त्रिकालदर्शी हो गये। प्रत्येक देश, प्रत्येक काल परिस्थिति में, हर प्रकार की मानवता के लिए पूज्य हो गये लेकिन जिसने राम के साथ द्रोह किया उसको मारीच की तरह दुर्गति को ही प्राप्त होना पड़ा है, यह हमें नहीं भूलना चाहिए। महोदय, मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मोर्चे पर इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से और खास तौर पर अपने सभी विधायकगणों से भी यह अनुरोध करूँगा कि जो कार्य आप लोगों ने किया है, जिस तरह से अभूतपूर्व मिसाल प्रस्तुत की है, खाद्यान्न वितरण की, राशन की, माइग्रेन्ट लेबर को लेकर स्वयं की चिन्ता किये बगैर, उस दौरान मैं देखता था कि बहुत सारे विधायकगण जाते थे और उनके लिए शिविर लगाते थे, भोजन वितरण करते थे लोगों को राहत देते थे, उनको सुरक्षित पहुँचाने का कार्य करते थे, एक-एक गांव का विजिट करते थे, मुझे फोन करके बोलना पड़ता था कि देखिए, अपने स्वयं का बचाव पहले करिए और अपना बचाव करते हुए फिर हमें बचाव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और इस कार्यक्रम को करते-करते हमें अपने दो मंत्री भी खोने पड़े। यह हमारे लिए एक त्रासदी है लेकिन इस महामारी से लड़ते हुए भी उत्तर प्रदेश अगर 24 करोड़ लोगों के जनविश्वास का प्रतीक बना हुआ है तो हमें इस विश्वास को और मजबूती से आगे बढ़ाना है क्योंकि नवम्बर तक अभी खाद्यान्न की योजना जो महीने में दो बार देने की कार्यवाही चल रही है, इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। मैं अनुरोध करूँगा कि आप में से जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं, प्रत्येक विधान सभा में कोई न कोई कस्बा है, कोई न कोई नगर है, स्ट्रीट वेंडर के लिए बहुत अच्छी योजना आयी है। इस स्ट्रीट वेंडर की योजना को अपने यहां लागू करने की तैयारी करिए। 10 हजार का लोन प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को अगर मिल जाता है तो मुझे लगता है उसका रजिस्ट्रेशन करना एक बड़े आयोजन के माध्यम से उन लोगों को लोन मेला लगा करके लोन उपलब्ध करवाना और फिर डिजिटल पेमेण्ट के साथ आप उसको जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि उसके जीवन में नया परिवर्तन होता हुआ दिखायी देगा। एमएसएमई सेक्टर में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान में और आज जो विधेयक आपने यहां पारित किया है, इस विधेयक में एमएसएमई में लगने वाली यूनिट में 1 हजार दिनों तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप

आज अपना आवेदन करके अपना काम प्रारंभ कर दीजिए, एक हजार दिनों में आप एनओसी लेते रहिए और अगर आपने तय समय सीमा के अंदर आवेदन कर दिया है और यदि नहीं किया है तो डीमड मान ली जायेगी, यह मान लिया जायेगा कि आपको दे दिया गया है, इसके लिए फिर अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। यह एक बड़ा कार्य है और इस कार्य को करने की दिशा में हम लोगों को अभी से अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए। प्रत्येक गरीब को खाद्यान्न देने की व्यवस्था है, जो गरीब है जिसके पास राशन कार्ड नहीं था, आप उसका राशन कार्ड बनाइये। नेशनल पोर्टिबिलटी ने तो यह भी व्यवस्था दे दी है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई राशन कार्ड धारक है अगर वह ऐसे किसी राज्य में जिसने अपने यहां ई-पॉस मशीन लगायी है, तो अगर वह उत्तर प्रदेश में वह खाद्यान्न नहीं लेना चाहता, महाराष्ट्र में लेना चाहता है तो महाराष्ट्र में भी उसको मिल सकता है। यदि वह महाराष्ट्रवासी है अगर उसने वहां खाद्यान्न नहीं लिया है और वह अपने महाराष्ट्र में बने हुए राशन कार्ड से उत्तर प्रदेश में राशन लेना चाहता है तो उसको उत्तर प्रदेश में यह सुविधा प्राप्त हो सकती है। नेशनल पोर्टिबिलटी ने प्रधानमंत्री जी ने यह सुविधा दे दी है। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने नेशनल पोर्टिबिलटी की व्यवस्था को लागू किया है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद भी हमने उसे उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया है। ये सुविधा हम उत्तर प्रदेश को दे चुके हैं। एक बड़ा कार्यक्रम इसके साथ चल रहा है। मैं आपसे अपील करूंगा पॉवर सेक्टर में बड़ा कार्य होने जा रहा है। आपके पास चुनाव के लिए डेढ़ साल का समय भी नहीं है। विद्युतीकरण के लिए जितने मजरे हैं उनकी पूरी सूची बना करके सरकार और विभाग को उपलब्ध करवायें। एक अभियान चला करके सभी मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य प्रारम्भ कर एक साल के अन्दर उसे पूरा करवा दें। सरकार इसके लिए पूरा पैसा उपलब्ध करवायेगी। इसके लिए पैसे की कोई कमी आड़े आने वाली नहीं है। सड़कों के लिए भी व्यापक कार्य योजना को ले करके हम कार्य करने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट के लिए। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने और आर्थिक स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में उतनी मजबूत न होने के बावजूद भी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का काम तय समय सीमा के अन्दर पूरा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे तय समय सीमा के अन्दर पूरा होगी। डिफेन्स कॉरीडोर का काम तय समय सीमा के अन्दर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे का काम मेरठ से प्रयागराज तक, यह कार्य राज्य सरकार अपने स्तर पर औद्योगिक विकास विभाग इस कार्य को कर रहा है। लेकिन साथ-साथ हमने भारत सरकार से भी अनुरोध किया है कि मेरठ को हरिद्वार तक जोड़ने और प्रयागराज को काशी तक जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेस-वे को कर देंगे तो गंगा एक्सप्रेस-वे इस मंशा को पूरा कर देगा कि हरिद्वार से ले करके हम लोग काशी तक इस गंगा एक्सप्रेस-वे के माध्यम से उत्तर प्रदेश को पूरब से पश्चिम तक जोड़ने का एक बड़ा कॉरीडोर दे देंगे और एक विकास का बहुत बड़ा गलियारा बनेगा। औद्योगिक विकास विभाग ने इन सभी एक्सप्रेस-वे को, एक्सप्रेस-वे तक सीमित नहीं रखा है।

इसमें हमारे जगह-जगह कलेस्टर बनेंगे, औद्योगिक कलेस्टर बनेंगे, अलग-अलग। कहीं एम0एस0एम0ई0 का बन जायेगा, कहीं फूड प्रोसेसिंग का बन जायेगा, कहीं पर टेक्सटाईल का बन जायेगा, कहीं पर किसी अन्य उसका बन जायेगा, अलग-अलग हमारे पास पहले से मौजूद हैं। वन डिस्टिक-वन प्रोडेक्ट की कार्य योजना बहुत प्रभावी योजना है। आत्म निर्भर भारत की परिकल्पना का आधार उत्तर प्रदेश के अन्दर वन डिस्टिक-वन प्रोडेक्ट की योजना बनेगी और इस योजना को जितना हम अपने जनपद की एक-एक योजना को ले करके उसको प्रमोट करें। हर जनपद में फैसल्टी सेन्टर बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। अभिनव योजना है। उसकी मार्केटिंग उसकी ब्राण्डिंग, उसको डिजाइनिंग के साथ जोड़ना, व्यापक पैमाने पर उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। यह कार्य हमें व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए हमें तय करना होगा और इस दृष्टि से हम इस व्यवस्था को तेजी के साथ हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश अपनी प्रमुख भूमिका के साथ सामने आयेगा।

आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश की इस भूमिका को स्वीकार करता है, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सा शिक्षा विभाग की, यानी हरेक विभाग अपने-अपने स्तर पर उस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो फिर घूम फिर करके वह अपनी उन पुरानी आदतों के साथ फिर से जुड़ रहा है क्योंकि बुरी आदतें जाती नहीं हैं। अपनी वही विभाजनकारी संकीर्ण मानसिकता के साथ वह जो कार्य कर रहे हैं मुझे लगता है कि इतिहास इसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। महोदय, कोविड-19 की दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस मजबूती से लड़ रहा है। हम उसको बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ायेंगे। इस दौरान कोविड-19 के साथ-साथ हम बाढ़ से भी जूझ रहे हैं। प्रदेश के अन्दर 40 जिले हमारे बाढ़ के संवेदनशील हैं। मुझे कुछ जिलों में जाने का अवसर मिला, मैं प्रतिदिन की रिपोर्ट लेता हूं और मैं देखता हूं हमारे जन प्रतिनिधिगण कोई नाव में बैठ करके, कोई स्टीमर में बैठ करके, कोई गरीबों के बीच में जा करके खाद्यान्न दे रहा है और मुझे लगता है कि जिस भी जन प्रतिनिधि ने खाद्यान्न के पैकेट गरीब तक पहुंचाये हैं उस गरीब बेचारे के लिए हमेशा के लिए वह यादगार बनेगा। क्योंकि लगभग 50 किलो का पूरा खाद्यान्न का पैकेट है। उसको एक व्यक्ति तो नहीं उठा सकता है। मुझे लगता है कि खन्ना जी जैसे लोग भले उठा लेंगे लेकिन सामान्य व्यक्ति तो नहीं उठा पायेगा। 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, लाई, दाल, तेल, नमक, मिर्च, मसाला, केरोसीन, जिन जिलों में नहीं है वहां भी आवंटन की तैयारी है और युद्ध स्तर पर इस कार्य को किया जा रहा है। कोविड-19 से भी लड़ना है, बाढ़ से भी लड़ना है और साथ-साथ हर प्रकार की आपदा से लड़ करके हमें विजयश्री को वरण करना है और इस दृष्टि से मैं आपका आह्वान करूंगा कहीं भी कोई कमी होती है आप उसके बारे में हमें अवगत करायें। हम उसमें पूरी तत्परता के साथ राहत के कार्यों को वहां पर करने के लिए हर जनपद को कोविड-19 के

लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, हर जनपद को बाढ़ की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, किसी भी चीज की कमी कहीं नहीं होने दी जायेगी। बाढ़ से भी बचायेंगे, इससे भी बचायेंगे और साथ-साथ अपराधियों से तो उत्तर प्रदेश को पहले ही बचाया जा चुका है और भी मजबूती के साथ बचाने का कार्य करेंगे। जो लोग कानून-व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कानून-व्यवस्था के लिए सबसे बड़े खतरे तो यही लोग थे। महोदय, अगर मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को वर्ष, 2016 की तुलना में प्रस्तुत करूं तो डकैती के मामलों में 74.5 फीसदी की कमी आयी है, अनुमान कर सकते हैं। लूट के मामले में 65.29 प्रतिशत की कमी आयी है, हत्या के मामले में 26.43 फीसदी की कमी आयी है, बलवा के मामले में 22.17 प्रतिशत की कमी आयी है, गृह-भेदन में 12.69 फीसदी की कमी आयी है, रोड होल्ड-अप में 100 प्रतिशत की कमी आयी है। फिरौती के लिए अपहरण 54.55 फीसदी की कमी आयी है। दहेज मृत्यु में 8.55 फीसदी की कमी आयी है, बलात्कार के मामले में 38.74 प्रतिशत की कमी आयी है। ये उत्तर प्रदेश के अन्दर घटते हुए आंकड़े हैं और मैं अगर नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो भारत सरकार का क्राइम इन इण्डिया अगर इसके मैं आंकड़े प्रस्तुत करूं तो डकैती के मामले में उत्तर प्रदेश का 31वां स्थान है। यानी देश के अन्दर 30 राज्य ऐसे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश से ज्यादा डकैतियां पड़ती हैं। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद यह स्थिति है। लूट में 20वां स्थान है, हत्या में 26वां नकबजनी में 32वां, बलात्कार में 24वां, शीलभंग में 14वां पाक्सो अधिनियम में 23वां, महिला संबंधी अपराध में 15वां। ये आंकड़े हैं उत्तर प्रदेश के अन्दर। यानी उ0प्र0 31वां स्थान का पात्र है, 30 राज्यों में इससे ज्यादा अपराध पहले से हैं। यह भारत सरकार के नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े हैं और अगर यह आंकड़े भी इन लोगों को नहीं दिखते तो इसमें हम बहुत नहीं कह सकते। महोदय, अगर हम अन्य मामलों में भी देखें तो ट्रिपल तलाक, देश के अन्दर सर्वाधिक एफ0आई0आर0 उत्तर प्रदेश ने की हैं, 1434 एफ0आई0आर0 हुई और 265 गिरफ्तार भी हुए। ट्रिपल तलाक के मामले का जिसने भी उल्लंघन किया और जबर्दस्ती उसने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो इस मामले में देश के अन्दर सबसे अधिक कार्यवाही भी उत्तर प्रदेश ने की। यानी महिला सुरक्षा के प्रति जो कार्यवाही प्रदेश के अन्दर प्रारम्भ की उस कार्यवाही को ले करके भी हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इस अवसर पर अनुरोध करना चाहूंगा। मैंनें आप सभी मा0 विधायकों से इस बारे में कहा भी है कि यह मानकर चलिए कि आपके पास एक साल का ही समय है। अब उन गांवों में विद्युतीकरण का कार्य करा दें जिन गांवों में आज तक कभी बिजली नहीं पहुंची है। यह बहुत बड़ा कार्य होगा और प्रस्ताव जितनी जल्दी बना करके भेज सकते हैं हमे बनाना चाहिए। दूसरा जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय नहीं है। मौके पर जा करके जमीन आरक्षित करवाईये, प्रस्ताव भिजवाईये, ग्राम पंचायत का काम वहां पर तत्काल प्रारम्भ करवाने की तैयारी करवाईये, गांव को टेक्नालॉजी के साथ जोड़िये। ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन हर गांव तक पहुंचे। ग्राम सचिवालय में हर एक गांव में आप कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं।

रोजगार की दृष्टि से यह बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। इस समय ग्राम विकास और पंचायती राज की तरफ से एक कार्य बैंकिंग कॉरेस्पोंडेन्ट सखी के रूप में प्रारम्भ होने जा रहा है। हर गांव की किसी पढ़ी-लिखी महिला को आप इस बैंकिंग कॉरेस्पोंडेन्ट सखी के साथ जोड़ सकते हैं। यानी बैंकों में आपने देखा होगा कि हम पेंशन की राशि भेजते थे, अगले दिन लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोग बैंकों में भीड़ लगाते थे। अगर हम ग्राम सचिवालय में ही यह सुविधा दे दें कि लेन-देन की सारी सुविधा बैंकिग कॉरेस्पोंडेन्ट सखी के माध्यम से गाँव के अंदर होगी तो बैंक में भीड़ नहीं होगी। बैंक अपने अन्य कार्यों को सम्पन्न कर सकता है और ऐसे ही कॉरेस्पोंडेन्ट हम अलग-अलग कार्यों के लिए कर सकते हैं। हर गाँव सचिवालय में 4 से 5 लोगों को रोजगार की नई सम्भावना विकसित हो सकती है। तत्परता के साथ चयन करना और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। सामुदायिक शौचालय का निर्माण मजबूती के साथ हो और जिन ग्राम पंचायतों में नहीं हुआ है, चयन करिये, ग्राम सचिवालय के पास या जहाँ उपयुक्त समझें। एक सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन आरक्षित करना, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाना। उस शौचालय के निर्माण के माध्यम से स्वच्छता का अभी भारत सरकार की स्वच्छता की रैंकिंग आई है। उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी रैंकिंग उसमें प्राप्त की है। देश के अंदर यह अभियान 2014 से चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने 2017 से इसको प्रारम्भ किया है और परसों जो आंकड़े आये हैं, मैं नगर विकास विभाग को, वर्तमान नगर विकास मंत्री को और पूर्व नगर विकास मंत्री को इसके लिए बधाई देता हूं कि सर्वाधिक पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग को प्राप्त हुए हैं और उसके माध्यम से हम लोगों ने यह साबित किया है कि जहाँ चाह, वहाँ राह, यह भी उसमें साबित करके दिखाया है। महोदय, यह सारे आंकड़े इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हम लोग इन कार्यक्रमों को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ायेंगे। लेकिन हमें विपक्ष की उस कुत्सित मंशा को भी समझना पड़ेगा, जो अब हताश और निराश हो चुका है। वह बहस और किसी भी डिबेट का सामना नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दे नहीं है। वह इसलिए हताशा, निराशा में इस प्रकार के हथकंडे अपनायेगा, हर जगह इस प्रकार की चीजें अपनायेगा। उस षड्यंत्र से बचते हुए अगर हम लोग उनको, उनकी वास्तविक स्थिति का आभास करा सकें और बता सकें कि आपके द्वारा यह चीजें हो रही हैं और यह-यह कार्य हो रहे हैं। हम अपनी उपलब्धियों को बोलने में संकोच न करें। मेरा यह मानना है कि सभी विधायकों ने अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों के दौरान जितना काम किया है, कोई भी उतना काम नहीं किया होगा, जितना 5 वर्ष के दौरान आप अपने-अपने क्षेत्र में करके दिखा देंगे। यह अपने आप में आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि है और बाकी जो बचे होंगे, हमारे पास डेढ़ वर्ष का समय है, इस डेढ़ वर्ष के दौरान तो स्पीड के साथ बढ़े हैं, अगर अभी तक हमारी स्पीड 120 की थी तो अब यही ढाई सौ की स्पीड से चलने वाली है और ढाई सौ की स्पीड में विपक्ष नहीं चल पायेगा। (माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) क्योंकि जिसकी काम करने की आदत नहीं होती है, वह

काम कर भी नहीं सकता है। उनकी काम करने की आदत नहीं है। इसलिए उनकी उस गलत मंशा, उस विभाजनकारी मंशा से बचते हुए, हम आपसे केवल यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को एक नये और समृद्ध उत्तर प्रदेश, एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश की ओर जाने की व्यवस्था करनी चाहिए और मैं देख रहा था, जब सदन में घुसा, मुझे देखकर आश्चर्य हुआ था कि विपक्ष के एक माननीय सदस्य अपने गले में तख्ती लटकाये हुए थे, तो मुझे मेरठ की वह घटना याद आ गई, जहाँ पर एक अपराधी अपने गले में तख्ती लटका कर घूम रहा था और कह रहा था कि जान बख्शो और जान बख्शो की बात कर रहा था। मुझको लगता है कि जनता जब इनको सबक सिखायेगी तो फिर इन लोगों को जनता से माफी माँगने के लिए इसी प्रकार की तख्ती लेकर घूमना पड़ेगा। जनता की अदालत में, जनता के सामने वहाँ इन लोगों को जवाब देते नहीं बनेगा। आज तो सदन में खानों को बाहर करने की एक नई मुहिम चल पड़ी है। सपा के खान के लिए, कांग्रेस दूसरे खान के लिए कि साहब इनकी रिहाई करो। यानी कानून का उल्लंघन करेंगे, कानून को ठेंगा दिखायेंगे, उस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहेंगे, जो समाज विरोधी भी हों और कहीं न कहीं सुरक्षा को चुनौती देती हों और तख्ती उस सब के बावजूद गले में तकती लटका करके उन खानों का समर्थन हो रहा हो। तो महोदय, यह क्या संकेत करता है ? मुझे देखकर तो अफसोस होता है कि कांग्रेस के एक नेता तो एक ऐसे व्यक्ति की रिहाई की माँग कर रहे हैं, जिसके लिए बाहर से भी थ्रेट आ रहे हों कि अगर छोड़ा नहीं गया तो यह कर लेंगे। हमने कहा कि यह नया उत्तर प्रदेश है, यहॉ मालूम है न कि कुछ करने के पहले दूसरे लोक की यात्रा करनी पड़ती है। भूल जाइये, अगर यहॉ आ करके धमकी दोगे और सुरक्षा मशीनरी को थ्रेट करोगे तो यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है। अगर दूसरे लोक की यात्रा करनी है तो इस प्रकार की थ्रेट दो पर यह थ्रेट हम सुनने वाले नहीं हैं। महोदय, मुझे आपसे केवल यही अपील करनी है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय कोरोना कालखण्ड में सदन को चलाने का लिया। यह हमारी संवैधानिक बाध्यता थी।

मैं सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद भी दूँगा। मैं जानता हूं कि इनमें से बहुत सारे माननीय सदस्यों के परिवार के लोग उनको सदन में नहीं भेजना चाहते थे। मुझे लगता है कि कोई बिरला ही होगा, खन्ना जी जैसे लोग होंगे, जिनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। (सदन में हंसी) लेकिन ज्यादातर लोगों के परिवार से यह था कि इस समय सदन चलाने की क्या आवश्यकता है ? लेकिन सदन चलाया गया और सदन चलने के बाद आज हम सब यहाँ पर सदन की कार्यवाही को सफलतापूर्वक, अनेक विधायी कार्यों को भी करते हुए, अच्छा कार्य हो सकता है, सदन इस बात को साबित करेगा। उत्तर प्रदेश इस बात की मिसाल देश के अंदर प्रस्तुत करेगा और हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सदन की कार्यवाही को सफलतापूर्वक पिछले तीन दिनों के अंदर चलाया। वह अलग विषय है कि हमें दो दिन कंडोलेंस में जाना पड़ा। हमारे सामने दुःखद समाचार थे और आज शनिवार के दिन अवकाश के बावजूद सदन चल रहा है और माननीय सदस्यों की भारी मात्रा में उपस्थिति इस बात को

प्रदर्शित करती है कि लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था उतनी ही प्रगाढ़ है, जितनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के प्रति हमारी आस्था है और इसलिए महोदय, मैं अपने विपक्ष के मित्रों से यही बात कहना चाहता हूँ। मैं श्लोक और मंत्र तो बोल सकता हूँ, लेकिन शायरी नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि ''चमन को सींचने में कुछ पत्तियाँ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का'' लेकिन महोदय, ''चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं, इस चमन की रहनुमायी का।'' धन्यवाद महोदय। (सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

श्री अध्यक्ष-

माननीय लाल जी वर्मा जी, आप कुछ स्पष्टीकरण पूछेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, पूछना नहीं है, हमें भी अपनी बात रखनी है। कानून-व्यवस्था और कोविड पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है, हमने भी सूचना लगाई थी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो विषयों पर अपनी बातें कहीं हैं। लॉ एण्ड ऑर्डर और कोरोना पर आंकड़े दिये हैं, तो उस पर अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो पूछ लीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हमें भी अपनी बात रख लेने दीजिए। आपने चर्चा करा दी तो हमें भी अपनी बात रखने का अवसर दे दीजिए। हमने तो सूचना दिया था, हमारी बात आ जाने दीजिए।

(श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह एवं अन्य सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, आप पूछ लीजिए।

श्री लाल जी वर्मा-

जी, मान्यवर।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

मान्यवर, जब इनका नम्बर आया तो यह यहाँ पर नहीं थे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हम लोग शान्तिपूर्वक खड़े थे। मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जब कहने की आवश्यकता थी, तब यह नहीं बोले और अब यह कह रहे हैं। तब क्यों नहीं बोले? जब आपने कई बार बुलाया कि आप अपनी बात कहिए, तो इन्होंने नहीं कहा।

(श्री लाल जी वर्मा, श्री सतीश महाना, श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह एवं कुछ अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग क्या कह रहे हैं, कोई एक कहे।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बार नहीं, आपने बार-बार कहा कि किसी को अपनी बात कहनी है तो अपनी सीट पर जाकर बैठे। कार्य-स्थगन का नम्बर आया तब भी आपने यह कहा कि आप अपनी बात कहिए। तब यह नहीं कह रहे थे। तब यह वेल के अंदर खड़े होकर अपनी बात कह रहे थे। कोई डिबेट नहीं हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है, वह किसी डिबेट के लिए नहीं कही है। किसी बात का उत्तर और प्रतिउत्तर आने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय इनको कहा गया, उस समय यह केवल राजनीति कर रहे थे। इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं की। प्रदेश की जनता के बारे में बात करने की न इनकी रूचि है, न इनका मन है। केवल राजनीति करने की बात है। इन्होंने वॉकआउट किया और माननीय मुख्य मंत्री का अभिभाषण सुना ही नहीं तो उसका जवाब ही क्या माँगेंगे ? पूरे सदन में यह थे नहीं और जब यह थे नहीं तो इन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी का एक भी शब्द सुना नहीं और जब सुना नहीं तो जवाब किस बात का ? सुनते तो जवाब मांगते, न इन्होंने सुना और न ही इन्हें जवाब मांगने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष-

आप स्पष्टीकरण पूछ लीजिये।

(संसदीय कार्य मंत्री, श्री सतीश महाना एवं श्री लाल जी वर्मा के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

[01:34 बजे] श्री लाल जी वर्मा द्वारा उठाये गये व्यवस्था का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपके आदेश से सदन चलेगा, हमारा यह निवेदन है कि हमेशा शून्य प्रहर पहले आता है और विधेयक बाद में आता है, आपने विधेयक पहले ले लिया।

श्री अध्यक्ष-

यह तो बैठक में तय हुआ था।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, विधेयक के पहले ही शून्य प्रहर आयेगा, कार्य-स्थगन आज की कार्य-सूची में पहले छपा था, उसके बाद आपका मन्तव्य था कि इसे बाद में लिया जायेगा। हम अपने समय का इंतजार करते रहे कि अब हमारा अवसर आये और हम अपनी बात रखें। जब आपने विधेयक लेना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से उस समय हमने सदन का बहिष्कार कर दिया लेकिन जब हमने देखा कि कार्य-स्थगन वाला विषय फिर से आ रहा है तो निश्चित रूप से हम सदन में आपसे संरक्षण चाहते हैं कि हमें भी अपनी बात रखने का अवसर दें। केवल संख्या बल के आधार पर हमारी आवाज को न दबाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपने औचित्य का प्रश्न उठाया है तो संसदीय कार्य मंत्री जी उसका जवाब दे दें।

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, यह व्यवस्था आपकी है कि कब कौन सी चीज पहले ली जाय और कौन सी बाद में ली जाय। आप माननीय अध्यक्ष जी के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते हैं, यह सदन के नियमों के खिलाफ है और परम्परा के भी खिलाफ है। आप सदन के नियमों के ज्ञाता है आप बताइये क्या आप माननीय अध्यक्ष जी के अधिकारों को चुनौती दे सकते हैं? आप चुनौती नहीं दे सकते हैं यह परम्परा के भी खिलाफ है और नियमों के भी खिलाफ है। कौन सी मद कब ली जाय यह तय करने का अधिकार अध्यक्ष जी को है। आप नियम-311 पढ़ लीजियेगा, जिसके अन्दर आपने सूचना दिया है।

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना यह सही है कि नियमावली में व्यवस्था है लेकिन महामारी के कारण पूरे देश की नियमावली बदल गई और पूरे विश्व की बदल गई। हम लोगों ने दलीय नेताओं के साथ तीन बार चर्चा की और उस चर्चा में आपने भी कहा था कि कोरोना पर चर्चा करा लें इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी एक वक्तव्य देंगे और यह भी कहा गया था आप उस पर स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं। इस पर आपकी सहमति और स्वीकृति थी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि दलीय नेताओं की बैठक में निर्णय नहीं हुआ था कि कार्य-स्थगन लिया जायेगा। अगर वक्तव्य आया है तो वक्तव्य पर भी चर्चा होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बातें रखी हैं उसके सम्बन्ध में मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज प्रदेश के सम्बन्ध में जो आंकड़े माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

जो बैठक में तय हुआ था।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग बिना बोले निकल जाएं।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

अगर आप चाहते हैं कि जो बातें माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन में रखी हैं उस सम्बन्ध में हमें भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाय ताकि हमारी बात भी आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

बैठक में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दो बार कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी एक वक्तव्य देंगे, आप लोगों की इच्छा हो तो स्पष्टीकरण पूछ लेना।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह बात मैंने ही कही थी कि वक्तव्य हो लेकिन उस पर हमें भी सुना जाय।

श्री अध्यक्ष-

जहां तक नियम-56 का प्रश्न है तो वह तो अभी आया नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

नहीं आया तो आप ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

जब आगे आयेगा तो उस पर हम निर्णय देंगे, अभी तो आपके औचित्य के प्रश्न पर चर्चा हो रही है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बताने जा रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप जैसे विद्वान अध्यक्ष के होते हुए अगर हमें संरक्षण नहीं मिलेगा तो आखिर हम किससे उम्मीद करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इसमें हमारी अध्यक्षता का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। जो बातें हमने बतायी हैं वह बातें तो बैठक में कही गई थीं, इसलिए मैं कहूंगा कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य है उसमें से कोई बात पूछ लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आखिर तक बैठक में यह तय नहीं हुआ था कि किसी भी तरीके से नियम-56 लिया जायेगा लेकिन आपकी कृपापूर्वक सहमति ने इनको यह मौका दे दिया। ये रोज नियम-311 उठाते हैं और आज अध्यक्ष जी के आसन को चुनौती देने लगे। ये अपना आचरण देख लें।

श्री लाल जी वर्मा-

ये अनर्गल बातें कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं अनर्गल बातें नहीं कर रहा हूं क्या आपने चुनौती नहीं दी। आपने अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले कहा कि इसको पहले ले लिया तो यह अधिकार माननीय अध्यक्ष का है कि कौन सी मद पहले ली जाय और कौन सी मद बाद में ली जाय इस अधिकार को चुनौती नहीं दिया जा सकता है। आपने जिस नियम के तहत सूचना दी वही नियम इस बात को कहता है कि अध्यक्ष जी जब चाहें किसी भी नियम को बदल सकते हैं। पहले दिन से यह बात हुई थी कि माननीय मुख्य मंत्री जी बयान दे देंगे और आज तक हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जितनी शिद्दत के साथ, जितने मनोयोग से माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस कोरोना की लड़ाई को लड़ा है उसको देश की मीडिया से लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर विदेशों तक में सराहा गया है। हम लोगों ने कोरोना की महामारी को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अगर केवल सत्ता पक्ष को ही बोलने का अवसर देना है तो हम लोगों को बाहर कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, ऐसी बात नहीं है, सत्ता पक्ष का पक्ष नहीं लिया जा रहा है।

[01:37 बजे] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

दिनांक 21-08-2020 एवं 22-08-2020 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इसमें से पहली सूचना श्री लाल जी वर्मा, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' एवं श्री वीरेन्द्र यादव की प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं। दूसरी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा एवं श्री उमाशंकर सिंह जी की प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को समुचित सहायता न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह एवं श्री ओम प्रकाश राजभर जी की प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) की रोकथाम न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की प्रयागराज में

दिनांक 16-07-2020 की घटना की निष्पक्ष जांच कराये जाने के सम्बन्ध में हैं। पांचवी सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की प्रदेश में यूरिया खाद की बढ़ती कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री रफीक अंसारी एवं श्री प्रभुनारायण सिंह यादव की बुनकरों के विद्युत फ्लैट रेट के वर्ष 2006 के शासनादेश को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री शिवपाल सिंह यादव की कोरोना आपदा के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक की समस्त शाखाओं का निर्वाचन स्थगित कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की डा0 दीप्ति मंगला की दहेज हत्या की जाँच एस0आई0टी0 अथवा किसी अन्य निष्पक्ष जांच एजेन्सी से कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन जी की जनपद आजमगढ़ में दिनांक 14-08-2020 को हुई घटना की निष्पक्ष जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री हरिराम जी की जनपद सोनभद्र में पंचायती राज विभाग द्वारा कराये गये विकास कार्यों की निष्पक्ष जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री नाहिद हसन की जनपद शामली के ग्राम आर्यपुरी देहात के ग्राम प्रधान द्वारा अवैध कब्जा कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री विनय शंकर तिवारी जी की संयुक्त जिला चिकित्सालय कुशीनगर के ब्लड प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री अमनमणि त्रिपाठी जी की भारत नेपाल बार्डर रोड के कार्यों में ठेकेदारों की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जिस नियम में आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन रहे हैं उसमें हमें भी सुन लें। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आंकड़े पढ़े, एन0सी0आर0बी0 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार वर्ष 2016 में 2 लाख 82 हजार 171 केस।

***वित्त, संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

आप जो चुनौती दे रहे हैं मैं तो उस चुनौती का जवाब दे रहा हूं।

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो लोग नियम और परम्परा की बात कर रहे हैं मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय मुख्य मंत्री माननीया मायावती जी थीं उस समय पूरा सदन शान्तिपूर्वक अपनी बात कर रहा था उस समय वह सदन को स्थगित करके एक मिनट के अन्दर चली गईं। ये लोग हमें नियम और परम्परा बतायेंगे, आप भी उस समय यहां बैठे थे अपनी सरकार में गलत करने के बाद आज जब सही हो रहा है तो उसको आप गलत बता रहे हैं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[01:40 बजे] सदन का अनिश्चितकाल के लिये स्थगन का प्रस्ताव

***संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि सदन को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करने सम्बंधी जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रगान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़ उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे।।
गाहे तव जय गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा भारत माता की जय का उद्घोष किया गया)

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चित काल तक के लिए उठते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 01 बज कर 40 मिनट पर राष्ट्रगान ''जन-गण-मन'' के सामूहिक गान के उपरान्त अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 22 अगस्त, 2020

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0-118 विधान सभा (181)-17-09-2020-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।